

भातखण्ड विद्या मन्दिर शोध प्रतिष्ठान
दीक्षावेर 1249

हिन्दी शोध-तंत्र की रूप-रेखा

डॉ० मनमोहन सहगल
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
पंजाबी विश्वविद्यालय
पटियाला

पंचशील प्रकाशन, जयपुर

© डॉ० मनमोहन सहगल

प्रकाशक पचशीस प्रकाशन
फिल्म कालोनी, जयपुर-302003

मूल्य बीस रुपये

संस्करण 1979

मुद्रक : गायत्री प्रिन्टिंग प्रेस,
मनिहारो का रास्ता, जयपुर-302003

प्रावक्तव्यन

विश्वविद्यालय अनदान आयोग की ओर से शोध-शिक्षण को समुचित एव सुयोग्य बनाने के लिए गत वर्ष जो नियम बनाए गए, उसके परिणाम स्वरूप भारत के ममस्त विश्वविद्यालयों को एम० फिल० उपाधि के लिए शिक्षण आरम्भ करना अनिवार्य हो गया । कुछ विश्वविद्यालयों ने इस स्तर पर उसी समय शिक्षण आरम्भ कर दिया, कुछ अन्य धीरे-धीरे इसे अपनाते चले जा रहे हैं ।

एम० फिल० के छात्रों के लिए अनुमधान-प्रक्रिया या शोध-तन्त्र का अध्ययन अनिवार्य माना गया है । निपट नवीन विषय होने के कारण विश्वविद्यालयीन प्राध्यापकों एव एम० फिल० के छात्र-छात्राओं के लिए उक्त पत्र का पठन पाठन कठिन-सा महसूस होने लगा । हिन्दी में डॉ० सरनाम सिंह, डॉ० विनयमोहन शर्मा, डॉ० उदयभानु सिंह तथा डॉ० सावित्री सिन्हा आदि तीन चार लेखकों ने ही इस क्षेत्र में लेखनी उठाई थी । उनकी रचनाएँ अब तक लगभग पुस्तक विभेताओं के यहाँ से चुक गई हैं, नवीन संस्करण अभी आने की आशा नहीं । ऐसे में विषय-शिक्षण के लिए एक निसर्ग आवश्यकता की पूर्ति है हमारा यह विनीत प्रयास 'हिन्दी' शोध तत्र की रूप-रेखा ।

गत वर्ष विश्वविद्यालय में यह पत्र पढ़ाने का दायित्व मुझ सौंपा गया था, उसी दौर में क्लास-नोट्स तैयार करने पडे, नियमित भाषण देने हुए, और यह पुस्तक उन क्लास-नोट्स तथा भाषणों का सुव्यवस्थित रूप मात्र है । यदि इससे हमारे एम० फिल० के छात्र-छात्राओं को कुछ भी लाभ मिल पाया, तो मैं अपने परिश्रम की सार्थक समझूँगा ।

लेख को सुव्यवस्थित रूप देने लिए श्रुतुनेलावन में मुझे सर्वाधिक सहयोग अपनी शोध-छात्रा कु० मजुला गर्ग से मिला । उसे धन्यवाद तो क्या हूँ, आशीष देता हूँ, सदैव सुखी सम्पन्न रहने की ।

घर की मलिका के सहयोग के बिना तो काम चलता नहीं। सहघर्मिणी विजय लक्ष्मी ने मेरे अनेक उत्तरदायित्वों को अपने पर ओढ़ कर मुझे इसी कार्य के लिए मुक्त रखा, अतः उनका मैं विशेष आभारी हूँ।

उन सब विद्वानों के प्रति भी मैं आभारी हूँ, जिनके प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग से मैं लाभान्वित हुआ हूँ। श्री मूलचन्द गुप्ता, व्यवस्थापक, पञ्चशील प्रकाशन, जयपुर हमारे धन्यवाद के विशेष पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने इस रचना को विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों के हाथ तक पहुँचाने का भगीरथ कार्य किया है।

—मनमोहन सहगल

विषय-सूची

प्रथम खण्ड (सैद्धान्तिक पक्ष)

	विषय प्रवेश	1
अध्याय 1	अनुसन्धान	4
	(क) अनुसन्धान का स्वरूप (ख) अनुसन्धान का प्रयोजन (ग) अनुसन्धान में तथ्यों का उपयोग (घ) अनुसन्धान तथा समालोचना ।	
अध्याय 2	अनुसन्धान के प्रकार	11
	(क) साहित्यिक शोध (ख) भाषा-वैज्ञानिक शोध (ग) भाषा सर्वेक्षण की विधि (घ) साहित्य की संभाषणशास्त्रीय शोध (ङ) साहित्य की मनोज्ञावैज्ञानिक शोध (च) साहित्य की सौंदर्यशास्त्रीय शोध (छ) काव्य- शास्त्रीय शोध (ज) साहित्येतिहास सम्बन्धी शोध (झ) तुलनात्मक साहित्यिक शोध (ञ) लोक-साहित्य सम्बन्धी शोध ।	
अध्याय 3	पाठ शोध की विधि	44
	(i) प्रकाशित ग्रन्थों का पाठ निर्धारण (ii) अप्रकाशित ग्रन्थों का पाठ निर्धारण (iii) पाण्डुलिपियों में विकृतियों के कारण तथा उनका वर्गीकरण (iv) पाण्डुलिपियों की विभिन्न उपलब्ध प्रतिलिपियों को मिलाने का ढंग ।	
अध्याय 4	शोध की प्रायोगिक-विधियाँ	56
	(क) प्रश्नावली विधि (ख) साक्षात्कार विधि ।	

- अध्याय 5 शोध के विविध आयाम/पक्ष 66**
 (1) विविध पक्ष (ii) आयाम (iii) हिन्दी साहित्यिक शोध-कार्य की उपलब्धि (iv) शोध-प्रबन्धों की वर्तमान स्थिति (v) शोध-प्रबन्धों से इतर शोधात्मक समीक्षा-ग्रन्थों की स्थिति ।
- अध्याय 6 . शोध-विषय समस्याएँ, समाधान 78**
 हिन्दी शोध-सम्भावनाएँ ।
- खण्ड दो (ध्यावहारिक पक्ष)**
- अध्याय 7 शोध के निमित्त 87**
 (क) शोधार्थी, व्यक्तित्वपरक गुण, व्यावहारिक गुण, योग्यतापरक गुण (ख) निर्देशक, व्यक्तित्वपरक गुण, ध्यावहारिक गुण, योग्यतापरक गुण (ग) निर्देशन के सिद्धान्त ।
- अध्याय 8 विषय चयन तथा शोध-प्रविधि 105**
 (1) विषय-चयन (ii) समाव्य शोध विषय (iii) विषय की रूपरेखा अध्ययन योजना (iv) रूपरेखा बनाने की वैज्ञानिक विधि (v) सामग्री सकलन (vi) सकलित सामग्री का उपयोग ।
- अध्याय 9 शोध-प्रबन्ध-लेखन 136**
 (क) शोध प्रबन्ध की प्रागिक व्यवस्था (ख) सामग्री का विभाजन तथा संयोजन (ग) उद्धरण तथा सदर्भलेख की पद्धति (घ) उपसंहार एवं उपलब्धि (ङ) परिशिष्ट (च) अनुक्रमिकाएँ (छ) शोध प्रबन्ध के दोष और उनका निराकरण ।
- अध्याय 10 प्रबन्ध परीक्षण तथा मौलिकी 153**
 (1) परीक्षण, परीक्षण प्रतिवेदन, सुभाव और पुनर्लेखन (ii) मौलिकी मौलिकी में पूछे जाने वाले सम्भावित प्रश्न ।

प्रथम खंड

सैद्धान्तिक पक्ष

विषय-प्रवेश

मानव की जानने की आन्तरिक जिज्ञासा सदा से ही अनुसन्धान का कारण बनती रही है। जबसे मनुष्य न खेतना पार्श्व है, तत्र से ही अनुमान और खोज दो ऐसे तत्व उसका मस्तिष्क में विद्यमान रहे हैं, जो उसका लिए निरन्तर नवीनता के अन्वेषण का आधार बने हैं। भारतीय न्याय शास्त्र न अनुसन्धान को व्यवस्थित रूप देने के लिए पांच आधार ग्रहण किए हैं, जबकि यूनानी तत्व वेत्ताओं ने तीन ही स्थितियाँ में निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया है। अस्तु न प्रधान वाक्य के सम्मुख गौण वाक्य रखते हुए अनुमान प्रमाण द्वारा निर्णय प्राप्त करने में अनुसन्धान की प्रक्रिया को स्थापित किया था, उदाहरणार्थ—

प्रधान आधार वाक्य
गौण आधार वाक्य
निर्णय

सब मनुष्य में बुद्धि होती है।
मोहन मनुष्य है।
अत मोहन में भी बुद्धि है।

किन्तु अनुसन्धान की यह त्रिस्थिति इतनी अधिक अनुमान पर आधारित है कि स्थिति-भेद और व्यक्ति भेद को भी व्यक्त नहीं करती। इसके विपरीत भारतीय न्याय-शास्त्रियों ने अनुमान को अधिक स्पष्ट करने के लिए पांच आधार प्रस्तुत किए हैं, जिनमें अनुमान में भूल की सम्भावना कम हो जाती है, यथा—

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 मोहन में बुद्धि है | प्रतिज्ञा |
| 2 क्योंकि वह मनुष्य है | हेतु |
| 3 सभी मनुष्यों में बुद्धि होती है | उदाहरण जैसे राम, कृष्ण, मोहन आदि |
| 3 मोहन भी मनुष्य है | उत्तर |
| 5 अत उसमें बुद्धि है | निगमन |

जिज्ञासा की यह अन्वेषण स्थिति युग-युगान्तर से मनुष्य को नवीन खोज और ज्ञान की उपलब्धियों को और प्रेरित करती रही है। कभी मनुष्य में सक्रिय होकर अपनी जिज्ञासा को शमित करता है, और कभी साक्षात्कार किए वगैरे ही अनुमान के चल पर निष्कर्ष निकाल लेता है। ये ही व आधार हैं जिनके कारण विश्व में ज्ञान-विज्ञान का निरन्तर विकास होता रहा है।

साहित्य में इस प्रकार की जिज्ञासाओं का शमन नवीन तथ्यों की खोज एवं उपलब्ध तथ्यों की नवीन व्याख्या के माध्यम से सम्भव हो पाता है। हिन्दी का शब्द 'शोध' अथवा 'अनुसन्धान' अंग्रेजी के शब्द 'Research' के पर्याय रूप में स्वीकार

2/हिन्दी शोध-तन्त्र की रूपरेखा

किया जाता है। 'शोध' तत्सम सज्ञा है जिसकी व्युत्पत्ति 'शुष्' धातु से होती है। 'शोध' शब्द का प्राचीन अर्थ परिष्कृत करना या प्रमाणित करना ही है, किन्तु अत्र विश्वविद्यालयों ने अब से इसे 'रिसर्च' के पर्यायी रूप में प्रयोग करना शुरु किया है तब से इसमें प्रमाणीकरण परिष्करण तथा सन्धान के तत्वों को सम्मिलित कर लिया गया है। जो कुछ उपलब्ध हैं उसको नवरूपयित कर पुनरोपलब्ध करना 'रिसर्च' का अर्थ देना है। यही कारण है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के अनुसार शोध-उपाधि के लिए निम्न ग्रहर्ताएँ अपेक्षित हैं—

1. इसमें नवीन तथ्यों की खोज होनी चाहिए।
2. अथवा तथ्यों या सिद्धान्तों की नवीन व्याख्या होनी चाहिए।
3. किसी भी स्थिति में प्रत्याशी की विवेचना-शक्ति तथा निर्णय शक्ति इसमें व्यक्त होनी चाहिए।
4. साहित्यिक प्रतिपादन प्रभावशाली होना चाहिए।¹

तात्पर्य यह कि साहित्यिक अनुसन्धान के लिए अनुसन्धितसु साहित्य के सम्बन्ध में कुछ नवीन तथ्यों की खोज कर या उपलब्ध तथ्यों को नवीन ढंग में व्याख्यायित करे तभी उसकी उपलब्धियों को अनुसन्धान का नाम दिया जा सकता है। उच्चकोटि की साहित्यिक शैली में प्रतिपादन करना दानो ही दशाद्यो में अनिवार्य है। उपर्युक्त लक्षणों में तथ्यान्वेषण और तथ्याभ्यास तभी उपयोगी माने जा सकते हैं जब उनका माध्यम से किसी प्रकार की ज्ञानवृद्धि भी सम्भव हुई हो। डा. नगेन्द्रजी न इन दोनों शब्दों की व्याख्या करते हुये यह स्पष्ट किया है कि साहित्य के सम्बन्ध में जा जाने अब तक भी लोकजनित नहीं हुई है अथवा कुछ ऐसी रचनाएँ जो समय की अधियों में लुप्त हुई पड़ी हैं, अनुसन्धाता के द्वारा यदि साहित्य जगत को उनका ज्ञान करवा दिया जाए तो वह 'तथ्यान्वेषण' कहलायेगा। इसी प्रकार यदि शोधार्थी किन्हीं लोक-जनित तथ्यों को नवीन व्याख्या देते हुये कतिपय उत्तम कोटि की साहित्यिक स्थापनाएँ करने अथवा किसी सत्य के उद्घाटन करने में सफल रहता है तो उसका वह सुचार्य 'तथ्याभ्यास' कहलायेगा। इसमें स्मरणीय तथ्य यह है कि शोधार्थी अपने अध्ययन को वैज्ञानिक, क्रमिक, गहन और विश्लेषणात्मक बनाकर निर्णया तक पहुँचता है। उनके निर्णय दूसरों की ज्ञान-वृद्धि का आचार बनत हैं। सुरदाम के

1. Condition No 12 of Ordinance VI A of Ph D degree of University of Delhi. "It must be a piece of research work characterised either by the discovery of new interpretation of facts or theories, in either case it should evince the candidates capacity for critical examination and judgement. It shall also be satisfactory so far as its literary presentation is concerned".

पदों की खोज करने वालों ने जब मूरदास की भक्ति ब्रह्म मित्र किया होगा तो इससे नवीन तथ्यों के अन्वेषण के साथ साथ लोगों की ज्ञान-वृद्धि हुई होगी और अब मूरदास की भक्ति पद्धति को स्थापित करने वाला शोधार्थी भी तथ्यों की नवीन व्याख्या के द्वारा ज्ञान-वृद्धि के क्षेत्र में उतना ही सहयोग दे रहा है।

उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि साहित्य में अनुसन्धान, खोज, अन्वेषण, विवेचनात्मक वैज्ञानिक अध्ययन आदि शब्द अंग्रेजी के 'रिसर्च' शब्द के पर्यायवाची हैं। 'Research'—'रिसर्च' शब्द में 'रि'—(Re) उपसर्ग प्रत्यय का अर्थ है। तात्पर्य यह कि तथ्यात्मक स्थिति पहचान से व्यक्त है। नवीन अनुमानों, प्रमाणों, प्रयोगों, व्याख्याओं के द्वारा उन तथ्यों में निहित सत्यों को विहित बनाने की प्रक्रिया ही 'रिसर्च' कहलाती है। साहित्य ही एक मात्र ऐसी विधा है जिसमें यह निहितता सदैव बनी ही रहती है। एक अनुसन्धाता के द्वारा किसी एक विशेष सत्य का उद्घाटन पुनः उस सत्य की नवीन व्याख्या की अपेक्षा रखता है, इसलिए साहित्य में शोध का क्षेत्र निरन्तर घात-प्रतिघात द्वारा प्रेरित हुए अनुसन्धान बना रहता है। भौतिक विज्ञान में ऐसी कोई स्थिति सम्भव नहीं, एक बार घटती की आवर्षण शक्ति अथवा घटती व गति होने के सत्य का उद्घाटन होने के उपरान्त, इसकी कोई पुनर्व्याख्या सम्भव नहीं। इस दिशा में मस्कूत की 'शुद्ध' धातु का आचार भी कोई न कोई बाह्य तथ्य ही होता है, क्योंकि यदि कोई बाह्य तथ्य नहीं है तो शोधन सम्भव नहीं। यही भाव अंग्रेजी के 'Re-search' शब्द में व्यक्त है।

तथ्य एक ऐसी स्थिति है जो प्रत्यक्ष विद्यमान है और सत्य उस विद्यमानता में छिपा हुआ वह मूलभूत तत्व होता है जिसका सही रूप जान लना ही अनुसन्धाता का लक्ष्य होता है। शोधार्थी के सामने तथ्य मौजूद होते हैं, उसे उनमें से अपनी सूझ और ज्ञान द्वारा नवीन मिश्रणों को उद्घाटित करना होता है। इसके दो रास्ते हैं—
1 प्रयोग और 2 विश्लेषण। प्रयोग की विधि प्रायः वैज्ञानिक शोध में अपनाई जाती है, जबकि विश्लेषण की विधि साहित्यिक अनुसन्धान में सहयोगिनी हो सकती है। साहित्यिक अनुसन्धान के विशिष्ट लक्षणों में निहित ज्ञान का मूल स्रोतों से एक-तीकरण, सामान्य सिद्धान्तों का उद्घाटन, सजग, योजनाबद्ध तथा सुव्यवस्थित खोज, तर्क पूर्ण और निर्वैयक्तिक दृष्टि, धैर्य पूर्ण और शीघ्रता रहित कार्य-सलाहना आदि प्रमुख हैं।

अनुसन्धान

(क) अनुसन्धान का स्वरूप

अनुसन्धान अथवा साहित्यिक शाघ किसी भी साहित्यिक विषय का ऐसा सर्वांगीण सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक अनुशीलन होता है जिसमें शोधार्थी किसी विशिष्ट उद्देश्य को लक्ष्य करते हुए उपलब्ध तथ्यों का निरीक्षण, परीक्षण तथा समुचित व्याख्या करता है। या तो साहित्यिक शाघ के मूल उपकरण व तथ्य होने हैं, जो प्रायः साहित्य की अपरिपक्व अथवा अर्द्ध-परिपक्व जानकारी में उभरते हैं। उनमें से उजागर होते हुए सत्य की स्थापना ही शोध का लक्ष्य होती है। तथ्यों से सत्य तक पहुँचने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसे सामान्यतः शोध प्रक्रिया कहा जाता जाता है। तथ्यों का सकलन मात्र कर लेना शोध नहीं, केवल शोध-सामग्री का प्राथमिक उपचार मात्र है। इसीलिए तथ्यों के संग्रह को शोध में अपर्याप्त माना जाता है यह सही है, कदाचित्त कुछ ऐसे अद्भुत विषय आज भी साहित्य में उपलब्ध हो सकें जिनके सम्बन्ध में तथ्यों का सकलन मात्र भी उपादेय हो, किन्तु ऐसी स्थितियाँ न के बराबर होंगी। पी एच डी उपाधि के लिए सम्भवतः उन अद्भुत विषयों के सम्बन्ध में तथ्यों का संग्रह भी मूल्यवान हो सकता है किन्तु निरुपाधि शोध, जिसका लक्ष्य यथार्थ ज्ञान का प्राप्त करना होता है, तथ्य सकलन से कभी सन्तुष्ट नहीं होती। ऐना उच्चकोटि का शोध कार्य तथ्यों के आधार पर वैधिक तर्क विवेचन और नियमितता की सहायता से विशिष्ट सिद्धान्त रचना को लक्ष्य करता है। यही वह स्थिति है जहाँ पहुँच कर अनुसन्धित तथ्यों के पडाव से आगे बढ़ कर एक प्रामाणिक तत्त्व को प्रतिष्ठित करता है, जो कि उसकी शोध-योजना का परिणाम कहा जा सकता है।

प्रत्येक विषय अलग-अलग साहित्यिक विधाओं और शाखाओं में सम्बद्ध होने के कारण अनेक प्रकार के तथ्यों को उजागर करता है। सफल शोधार्थी उन अनेक तथ्यों में से विषय की उपयोगिता और प्रामाणिकता के मानदण्ड पर पूरा उत्तर देने वाले तथ्यों को ही चयित करता है। तदोपरान्त इन तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या करते हुए वह उन मूल-सूत तथ्यों को खोजने का उपक्रम करता है जिनके सकेत उन तथ्यों में निहित हैं। इस प्रक्रिया में उसे अनुमान, कल्पना तर्क और कदाचित्त प्रयोग का भी आश्रय लेना पड़ता है। अध्ययन का यह सघर्ष तब तक चेष नहीं होता, जब तक कि शोधार्थी किसी ऐसे निर्णय पर नहीं पहुँच जाता, जो विषय के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए विद्वानों के वर्तमान ज्ञान में वृद्धि करता है। तथ्यों का वर्गीकरण,

तर्क-युक्त मुख्यवस्थित मीमांसा, विश्लेषण-संश्लेषण आदि इस प्रकार व अध्ययन के अनुलक्षी तत्त्व है ।

अनुमन्धान के रूपायित होने में वनिपय विशिष्ट ग्रहंताएँ निहित हैं । विद्वानों ने ज्ञान सामग्री से अज्ञान की ओर बहान को सर्वप्रथम ग्रहंता स्वीकार किया है । मूलतः चयित तथ्य ज्ञान सामग्री होने हैं और अनुमन्धान के निष्कर्ष अब तक का अज्ञान ज्ञान वह जा सकने हैं । अनुमन्धिस्तु तथ्या व चिन्ता-मनन और विश्लेषण-मूल्यांकन के द्वारा जिन तथ्यों का उपादान है, व बालक्रम अनुसार भविष्य में ज्ञान-तथ्य हो जाया करते हैं । तात्पर्य यह है कि ज्ञान तथ्या में अज्ञान की योज निम्नतर होती रहती है और प्रत्येक अज्ञान तथ्य ज्ञान बन जाने के उपरान्त किसी अन्य अज्ञान विधि का संहत देना रहता है । इस दिशा में दूसरी ग्रहंता है, निरीक्षण और परीक्षण । अथवा तथ्यों में से विषय की निश्चित परिधि को सम्पन्न करने के लिए कुछ चुने हुए प्रामाणिक तथ्य ही उपादान होत है । इन तथ्यों का सही चुनाव 'निरीक्षण' कहलाता है । निगमन-तर्क प्रणाली के अनुसार जो तथ्य कल्पना के धरे में भी उपयुक्त नहीं बैठता, वह त्याज्य है । जो तथ्य उपद्रास, अर्थ और निगमन के धारक होते हैं, वे भी निरीक्षण में सहयोगी नहीं होने । कवयित्री मीराबाई के जीवन चरित्र पर शोध करने वाले व्यक्ति के लिए ऐसे तथ्यों का चुनाव एक राजा ने मीरा को विष का प्याला दिया ही नहीं था, वह तो प्रजा का सुख बन्द करने के लिए छाटम्बर रचा गया था, मत्स्योद्घाटन में प्रतिनूय बैठेगे । ऐसे तथ्यों को कल्पना के अन्तर्गत रखा जा सकता है, किन्तु प्रयाग का मानदण्ड ऐसी कल्पनाओं का पण्डित कर दिया करता है । निरीक्षण के समय शोधार्थी को दो अन्य बातों का ध्यान रखना अपेक्षित है—(1) शोधार्थी में पूर्व के शोधकर्ताओं ने क्या स्थापनाएँ की हैं?, (2) उन स्थापनाओं में कौनसी ऐसी न्यूनताएँ हैं जिनकी पूर्ति नये तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या से सम्भव है । इन दोनों आशयों के अनुसार सामग्री संकलित करने के उपरान्त 'परीक्षण' का कार्य आरम्भ होता है । अध्येता उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण करता है । उसके पास अथवा मानदण्ड हैं, पूर्व लेखकों के अथवा विद्वानों के आप्त वाक्य, ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमियाँ, नवीन परिकल्पनाएँ, अनुपलब्ध किन्तु प्रामाणिक तथ्य, अनुमान प्रमाण तथा सहयोगी चिन्तन आदि । इन मानदण्डों पर परखते हुए वह अपने अध्ययन को आगे बढ़ाता है । तथ्य के ग्राह्य न होने पर वह उसकी अस्वीकृति का कारण प्रस्तुत करता है और स्वीकृत तथ्य की उपयोगिता वह प्रतिपाद्य करता है । इस स्थापना के लिए व्याख्या उसकी प्रक्रिया में सहयोगिनी होती है । इसीलिए 'व्याख्या' को भी एक ग्रहंता स्वीकार किया जाता है । किसी भाव को भाव-स्तर से तर्क-स्तर तक लाने के लिए जिसे बौद्धिक ऊहापोह की सहायता ली जाती है, वह व्याख्या कहलाती है । इसी व्याख्या के कारण साहित्य में नवीन अनुमन्धान की सम्भावना सर्वत्र बनी रहती है ।

6/हिन्दी शोध-तन्त्र की रूपरेखा

अध्ययन की वैज्ञानिकता उपर्युक्त अहंताओं से वृद्धि पाती है, किन्तु इसका शुभारम्भ बड़ा वैनित्य-पूर्ण होता है। अध्ययन में रुचि रखन वाला कोई भी व्यक्ति अनेक धाराओं और साहित्यिक उपविद्याओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार की पढाई-लिखाई के अन्तर्गत उसका कोई निहित उद्देश्य न भी हो, तो भी परोक्षतः ज्ञान-वृद्धि तो होती ही है। इसी दौर में कोई ऐसा विषय उसके मस्तिष्क में कौंधता है जिस पर व्यवस्थित चिन्तन के लिए वह विवश हो उठता है। वास्तव में यह विषय उसके भीतर अध्ययन को मोहक बना देता है, उसकी निरहेश्यता समाप्त हो जाती है। वह अक्सर उक्त विषय विशेष को अपने अध्ययन का केन्द्र बिन्दु बनाकर, सम्बद्ध सामग्री का अवलोकन करने लगता है। धीरे-धीरे एकाग्र होने वाली यह सामग्री उसके मन मस्तिष्क पर एक निश्चित विषय बनकर छा जाती है। उस विषय में उसकी रुचि ही नहीं बढ़ जाती, बल्कि वह अपने सम्पन्न परिवर्तित और यथार्थ हर प्रकार के तथ्यों का मग्न करने लगता है। यही वह स्थिति है जहाँ अनुसन्धान का बीजगणन होता है। इसी से अनुसन्धान रूप लेने लगता है।

(ख) अनुसन्धान का प्रयोजन

किसी भी कार्य का अस्तित्व उसके प्रयोजन सम्बन्धी प्रश्न चिह्न बनकर उभरता है। साहित्यिक अनुसन्धान की क्या अपेक्षा है? साहित्य में अनुसन्धान क्यों किया जाना चाहिए? क्या साहित्यिक शोध समय का अपव्यय नहीं होगा? ऐसे प्रश्न हैं, जिनका समाधान सम्भवतः सुगमता पूर्वक नहीं हो सकता। वास्तव में प्रश्न पदार्थ-वादी चिन्तकों द्वारा उठाये जाते हैं। उनका कहना है कि विज्ञान में होने वाली शोध के परिणाम स्वरूप हम अधिक सुखद जीवन व्यतीत करते हैं अधिक सुविधाएँ प्राप्त करते हैं और शत्रु विनाश की मुगम विधियाँ भी खोज निकालने हैं, किन्तु साहित्यिक शोध में वर्षों का समय करने के उपरान्त यदि सूरदास के जन्मकाल अथवा तुलसीदास के जन्म-स्थान का निश्चय कर भी लिया जाय तो उससे मानवीय मूल्यों में क्या वृद्धि होने वाली है? किन्तु यह एकांगी दृष्टि है। इसके विपरीत की दृष्टि, जो पार्थिव भी है और आध्यात्मिक होत का भी दावा करती है, पदार्थवादियों के इन प्रश्न चिह्नों को उनकी पक्ष-भ्रष्ट आत्यन्तिकता स्वीकार करती है। शोध वर्तिका की साहित्यिक स्थापनाओं में भी उसके लिए धन और यश प्राप्ति जैसी पार्थिव उपलब्धियाँ मौजूद हैं। लेकिन इससे भी ऊपर पुरातन साहित्य का सर्वांगीण अध्ययन सामाजिक विज्ञान के अनेक सोपानों का उद्घाटन करता है। इतिहास राजनीति, अर्थ धर्म की व्यवस्थाएँ, साहित्यिक शोध में से उजागर होती हैं। यही कारण है कि साहित्यिक अनुसन्धान का मूल प्रयोजन अतीत की महत्ता को खोजने और स्थापित करने से सम्बद्ध है। आज किसी दूटे हुए पुराने पात्र पर बने हुए चित्र को तो हम सप्रहालय में मजने जाते हैं, जोकि निर्जीव है, चेतना रहित है और शायद उम चित्र से अधिक उसमें आनन्द का कोई आधार नहीं हो सकता। दूसरी ओर पुराने ग्रन्थ हैं, जिनकी

सामग्री में पुरातन विद्वानों की चेतना आज भी बोलती है, उनका एक-एक अक्षर न केवल अपने समय का उद्घाटन करता है बल्कि रचायिता की आत्मा को प्रतिपादित करते हुए काव्यान्वय का कारण बनता है, ऐसी निधियाँ क्या त्याग्य हो सकती हैं ? उन पर व्यय किया गया समय क्या अकार्य हो सकता है ?

यह सही है कि अनुसन्धान का उचित क्षेत्र पुरातन साहित्य ही होना चाहिए। प्राधुनिक साहित्य अनुसन्धान का नहीं मूल्यांकन और समीक्षा का विषय हो सकता है। जो विघाटन निरन्तर परिवर्तनशील है, जो लेखक नवीन चिन्तन से बराबर प्रभावित हो रहे हैं अथवा जो साहित्यिक सिद्धान्त अपने लिए नवीन दृष्टियों का सर्जन कर रहे हैं, उन पर किया हुआ कोई भी शोध कार्य पूर्ण तो पूजा अनुपादिय कहा जायेगा। जिस लेखक के हाथ में आज भी लेखनी मौजूद है, वह किसी भी समय अपनी ही पूर्व-स्थापित धारणाओं को बदल सकता है। इसीलिए साहित्यिक अनुसन्धान के प्रयोजन रूप में हम पुरातन साहित्य के अध्ययन को अधिक महत्त्व देते हैं। अनुसन्धान की दृष्टि यदि सदैव अज्ञात तथ्यों की खोज पर रहे तो उसकी स्थापनाओं का प्रयोजन स्वलक्षित होगा। यदि वह अपने आप को केवल मूल्यांकन तक ही सीमित कर लेगा, तो उसकी रचना आलोचना की एक सामान्य पुस्तक हो सकेगी, उसमें शोध के तत्वों की उपलब्धि नहीं होगी। पुरातन साहित्य की चेतना को पहचानना, उसके मूल-भूत तत्वों का उद्घाटन करना, उसका समुचित समन्वयन करवाना— निश्चय ही लोगों की मानसिक नृप का शमन हो सकता है। क्या मानसिक और आत्मिक स्तर की इस उपादेयता को उपेक्षित माना जा सकता है ? क्या साहित्यिक शोध के प्रयोजन रूप में यह अपेक्षित तथ्य अनुकरणीय नहीं है ?

(ग) अनुसन्धान में तथ्यों का उपयोग :

अनुसन्धान के प्रतिपादन में तथ्यों का सकलन, परीक्षण और सही उपयोग अनिवार्य है। सत्य की प्रतिष्ठा के लिए यह एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा शोध की अथ और इति को मिलाया जाता है। तथ्यों की प्रामाणिकता की तुला पर तौल कर जब शोधार्थी लक्ष्योन्मुख होता है, तो उसकी निष्ठा प्रतिभा और कौशल का योग तथ्य में से सत्य की स्थापना करता है। तथ्य के मूल सकेत है, जिनके प्रयोग से सत्य की जानकारी प्राप्त होनी है। सत्य शाश्वत है और तथ्यों के अभाव में भी विद्यमान रहता है, किन्तु उसकी अपरिमितता सामान्यतः किसी एक जिज्ञासु के लिए ज्ञेय नहीं होती। प्रत्येक जिज्ञासु अथवा द्वारा हाथी की अनुभूति जैसी आशिक्र सकलता ही प्राप्त कर पाता है और सत्य का बहुत बड़ा अंश उसके लिए अज्ञान ही बना रहता है। शोध की इसी प्रक्रिया में जितने-जितने तथ्य अलग-अलग जिज्ञासु के हाथ लगते हैं, उतनी ही मात्रा में उसे सत्यान उपलब्ध होता है। यही कारण है कि सत्यान्वेषण का क्रम शोध के क्षेत्र में सदैव बना रहता है और एक जिज्ञासु के द्वारा की गयी सत्य

की प्राथमिक प्रविष्टा दूमरे के लिए तथ्य मात्र बन जाती है। ऐसे ही तथ्य भावी शोध का आधार होने हैं।

इन तथ्यों को वर्गीकृत कर शोधार्थी अपना कार्य प्रारम्भ करता है। प्रत्येक वर्ग को चिन्तन-मनन, निरीक्षण-परीक्षण, परिकल्पना और अनुमान के घटाने पर जांचा परखा जाता है, और उममे से एक सभ्यत निष्कर्ष बनता है। यही निष्कर्ष अनुमन्धाता की माहित्यक देन करा जा सकता है। उदाहरण के लिए अनुसन्धाना अन्त माध्य और बहिर्माध्य के तथ्या का अवलोकन करते हुए बिभी भी लेखक की मनोदशा और व्यक्तित्व को प्रस्तुत कर सकता है। तुलसी के काव्य में राम के द्वारा शिव के प्रति बहुधा श्रद्धा भक्ति की पंक्तियों को पढ़ते हुए तुलसी की समन्वयवादी मनोदशा और शिव के प्रति अपने इष्ट की ही तरह रागात्मक मुभाव के अनुमान लगाये जा सकते हैं। तुलसी के भाषाकीय तथ्या को विश्लेषित करते हुए हम देखते हैं कि बहु बादशाह (राजगु) का चित्रण करने हुए अरबी, फारसी की शब्दावली का प्रयोग करता है। जिसमें मज़ह ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नकि मुस्लिम और हिन्दू सभ्यताओं को जुदा करके देख रहा है और इस्लाम का वेद विराधी सभ्यता मानकर उसके प्रति राजाराम की धर्म-विजय प्रस्तुत करना चाहता है। उसकी निजी परिस्थितिया में हिन्दू साम्राज्य के नेता महाराणा प्रताप और मुस्लिम विस्तारवादी नीति के नेता अकबर का मध्य उमकी शाहजहाँ के सामान्य तथ्यों को इतिहास के प्रामाणिक तथ्या के साथ रखकर अनुसन्धाना अनुमान प्रमाण के आधार पर उक्त निष्कर्ष पर पहुँचता है। यह तथ्या के प्रयोग का एक आवश्यक और सुयोग्य उदाहरण हो सकता है।

शोधार्थी इन तथ्यों की जाँच पड़ताल करते हुए पूर्ववर्ती अनुसन्धितसुत्रों की स्थापनाओं को विनाश महत्त्व देता है। इसमें उसकी निजी अनुभूतियाँ, सामान्य ज्ञान और जगत बीनी भी महत्वपूर्ण होते हैं। न्यूटन ने जब पड से सेव गिरता दखा होगा, ता वह उसकी अनुभूति मात्र ही था। उसे मापारण ज्ञान भी होगा, कि पड स भरने (गिरने) वाला मव सदैव घरती पर ही आता है, ऊपर ही और नहीं उठता। दूसरा की अनुभूति भी जग-बीती के रूप में यही थी, किन्तु घरती के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त कोई नहीं जानता था। न्यूटन न केव का गिरने को अपनी जाँच के लिए तथ्य रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार के अन्य तथ्य भी उसके सम्मुख रहे होंगे। जाँच के एक अग के रूप में उसने जो प्रयोग किये गये उनके परिणाम भी उसके मबलित तथ्यों की पुष्टि करते रहे होंगे। निष्कर्षत उसने गुरुत्वाकर्षण की परिकल्पना की होगी और विरोध में कोई अन्य चिन्तन न पाकर इसे सिद्धान्त रूप में मानव की ज्ञान वृद्धि के लिए प्रस्तुत किया होगा। उसका शोध निष्कर्ष उन तथ्यों को आज भी अपनाय हुए है और उसके द्वारा सत्योद्घाटन को आज भी प्रत्येक भौतिक विज्ञानी स्वीकार करता है। बहुत सम्भव है कि भविष्य में घरती के इस गुरुत्वाकर्षण वाले

सिद्धान्त को तथ्य बनाकर कोई अन्य वैज्ञानिक किसी नवीन मूल्य की प्रतिष्ठा करे। अतः स्पष्ट है कि तथ्यों या सफलताओं का वर्गीकरण और उनके सम्बन्ध में चिन्तन-मनन-परीक्षण आदि में अनुसन्धान की दिशा प्राप्त होती है और शोध क्षेत्र में नये आयामों की स्थापना सम्भव होती है।

(घ) अनुसन्धान तथा समालोचना

ये दोनों शब्द अलग-अलग धातुवर्धन लिये हुए हैं। इसीलिए दोनों को पूर्णतः एक ही अर्थ में स्वीकार करना शायद अनुचित होगा। इसमें सन्देह नहीं कि अनुसन्धान की प्रक्रिया और आलोचना की प्रक्रिया बहुत दूर तक समानान्तर रहती है। किन्तु अनुसन्धान में तथ्यान्वेषण की प्रधानता होती है जबकि समालोचना में तथ्यान्वेषण प्रमुख रहता है। यह भी सही है कि वर्तमान आलोचना केवल तथ्य की व्याख्या से ही सन्तुष्ट नहीं होती, उसकी पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के लिए युग की परिस्थितियों, लेखक की रचना-धर्मिता और उसके व्यक्तित्व को भी प्रथम दिया जाता है। केवल परिस्थितियों के अध्ययन में ही अनेक साहित्येतर शास्त्रों का सहयोग लेना पड़ता है, इतिहास, अर्थशास्त्र, भौगोलिक स्थितियाँ, राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना पड़ता है, व्यक्तित्व के लिए मनोविज्ञान और समाज-शास्त्र का आधार बना पड़ता है, रचना-धर्मिता का अध्ययन साहित्यकार के चेतन और अचेतन के वातावरण की जानकारी के बगैर सम्भव नहीं—तात्पर्य यह है कि आज समालोचना भी अनुसन्धान के बहुत निकट की विधा बन चुकी है, फिर भी वह अनुसन्धान नहीं है।

धातुवर्धन की दृष्टि से अनुसन्धान की व्युत्पत्ति 'घा' धातु से हुई है जिससे 'अनुसन्धान' शब्द बनता है और जिसका अर्थ किसी विशिष्ट तत्त्व को लक्षित करना होता है। इसीलिए अनुसन्धान अपने विषय को एक सीमित घेरे में रखते हुए उसी पर निशाना लगाने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि समालोचना शब्द की व्युत्पत्ति 'लुच्' धातु से हुई है, जिसमें 'लोचन' शब्द बनता है, जो सर्वांगीण निरीक्षण का अर्थ देता है। सामान्यतः पठित रचना पर प्रभाव ग्रहण करना है, उसकी समुचित व्याख्या करना है, और उसका निजी दृष्टि में मूल्यांकन करना है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि समालोचक रचना और रचनाकार के प्रति पाठकों की रुचि का निर्देश करता है, जबकि अनुसन्धान पूर्णतः निर्लेप और निष्पक्ष रह कर अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करता है। सामान्य पाठक उससे सहमत हो या न हो, इसकी उसे विशेष चिन्ता नहीं होती।

डा. नगेन्द्रजी ने एक बड़ा मौलिक प्रश्न उठाया है कि आलोचना को क्या कहा जाना चाहिए या विज्ञान और उसका उत्तर भी उन्होंने स्वयं ही दिया है— "आलोचना कला का विज्ञान है"। विद्वान् आचार्य का मत है कि आलोचना यदि कविता, नाटक, कहानी की तरह रस का साहित्य नहीं तो आधुनिक विद्वानों की

तरह उसमें कोई वैज्ञानिक पैठ भी नहीं। फिर भी क्योंकि आलोचक आलोच्यकृति से प्रभाव ग्रहण करता है और तब उसे आत्माभिव्यक्ति देता है, वह कला बन जाती है। आत्माभिव्यक्ति अथवा कला तत्त्व साहित्यिक आलोचना का अनिवार्य गुण है, किन्तु साहित्यिक अनुसन्धान में उसका महत्व गौण होता है।¹ यह सही है कि अनुसन्धान और आलोचना दोनों साहित्य के अविभाज्य अंग हैं। दोनों की पद्धति भी बहुत कुछ मिलती-जुलती है किन्तु चू कि आलोचना व्याख्या विवेचन द्वारा मर्म को अनुभूति देती है और अनुसन्धान का उद्देश्य केवल ज्ञान-वृद्धि होता है, इसलिए दोनों में एक कभी न पट सकने वाला अन्तर सर्वद्वय मौजूद रहता है। समालोचना के अनेक ऐसे प्रकार भी हैं, जिन्हें किसी भी दृष्टि से शोधात्मक नहीं कहा जा सकता जैसे गुण-दोष पृथक्करण आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना आदि। शैली वैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय अथवा लौकनात्मिक अनुसन्धान ऐसे अनुसन्धान भी हैं, जिनमें आलोचनात्मक स्थिति नहीं होती।

जब कोई समालोचक आलोच्य विषय के अध्ययन में साहित्य शास्त्र के प्रतिरिक्त अन्य शास्त्रों का सहारा लेता है तो वह आलोचक अपनी रचना को अनुसन्धानात्मक बना देता है। प्रचार्य रामचन्द्र शुक्ल की रचनाओं में प्रायः तुलसी, जायसी, भारतेन्दु आदि कवियों की रचनाओं का रसास्वादन करवाने का प्रयत्न किया गया है, लेखक आलोच्य कवियों की रचना में भर्माद्धाटन करता है तथ्याग्रहण करता है और पाठक के सम्मुख रचना के गुण दोषों की चर्चा करते हुए प्रभाववादी निर्णय देता है। इसीलिये वे रचनाएँ समालोचना का अंग हैं, किन्तु तुलसी अथवा जायसी पर शोध-कार्य करने वाला विद्वान उनकी रचनाओं में उपलब्ध तथ्यों एवम् इतिवृत्तों को 'प्रतिज्ञा' बनाकर निर्लेप दृष्टि से 'निगमन' की ओर बढ़ता है। आलोचना में ऐसा नहीं होता।

अनुसन्धाता तथ्यानुशीलन और तथ्य-चिन्तन के द्वारा अज्ञात अथवा अल्पज्ञात विषय को ज्ञेय की परिधि में रखता है। जबकि आलोचक तथ्याग्रहण और विवेचना द्वारा ज्ञात साहित्य का रसास्वादन करवाता है। प्रभाव ग्रहण के कारण आलोचक कृति के प्रति सम्बेदनशील होता है जबकि अनुसन्धाता निस्संग दृष्टि रखता है। फिर भी अनुसन्धान की शैली में आलोचना के गुण भी होना चाहिए तभी गुण्य प्रतिपादन सम्भव हो सकता है और आलोचना की शैली में अनुसन्धानात्मक पद्धति को ग्रहण किया जाए तो आलोचना का प्रभाव बढ़ जाता है।

1. डा. नगेन्द्र के लेख 'अनुसन्धान और आलोचना' पर आधारित।

अनुसन्धान के प्रकार

मनुष्य ने अनुभव क्षेत्र में आज तक जो अनवरत साधना की है, उसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार का ज्ञान उमने संचित किया है। इस संचित ज्ञान में आज भी अग्नित ऐंसे तत्त्व निहित होंगे, जिनके सम्बन्ध में मनुष्य की अदम्य जिज्ञासा उसे अनुभव क्षेत्र को और विस्तृत करने और निहित तत्त्वों को विहित बनाने की प्रेरणा देती होगी। यही कारण है कि आज मनुष्य, जब नवीन अनुसन्धान की ओर बढ़ता है तो उसके क्षेत्रों की अनेकता प्रायः उसके शोध-कार्य की विभिन्नता प्रकट करती है और यही विभिन्नता अनुसन्धान के अलग-अलग प्रकारों की प्रतिष्ठा करती है। इन विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण सामान्यतः हम उद्देश्य, ज्ञान और प्रयोग की दृष्टियों में कर सकते हैं। उद्देश्य की दृष्टि से शोध को सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—सिद्धान्त का गढ़ना जिसमें शुद्ध शोध भी कहते हैं सिद्धान्त को व्यवहार में व्यक्त करना, जिसे व्यवहारिक शोध भी कहा जा सकता है। सिद्धान्त के गढ़ने में प्रायः पूर्वोक्त तथ्यों के आश्रय एक निश्चित सिद्धान्त बना लिया जाता है, जैसे यूनानी त्रासदिया के अध्ययन से अरस्तू ने त्रासदी सम्बन्धी सिद्धान्त बनाये। आगे जाने वाले जिज्ञासु जब इन सिद्धान्तों के सहारे नाट्य रचनाओं का अध्ययन करते हैं, तो वह व्यवहारिक शोध होती है।

कला सम्बन्धी शोध कई प्रकार से की जा सकती है। किसी कृति में से ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक तत्वों का बीनना भी कलात्मक शोध है और रचना के ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक अध्ययन को भी कलात्मकता की परिधि में रखा जा सकता है। तथ्याख्यान सम्बन्धी अनुसन्धान भी कलात्मक कहलाता है। इसमें एक विशिष्ट रचना की नवीन व्याख्या भी सम्मिलित है और विभिन्न रचनाओं के प्रवृत्ति-जन्य तत्वों का सर्वेक्षण भी लिया जा सकता है। तथ्याख्यान या व्याख्यात्मक शोध कला की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से शोधार्थी अपने चिन्तन-मनन को नवीन व्याख्याओं द्वारा न केवल अभिव्यक्ति देता है, बल्कि धारा-विशेष के सम्बन्ध में विश्लेषण, सश्लेषण और निर्णय भी प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिक लोग जो प्रयोगात्मक शोध करते हैं, वे भी कदाचित् कलापूर्ण हो सकते हैं, किन्तु वहाँ कला का स्वरूप संरचना-सौन्दर्य की अपेक्षा प्रयोग-सौन्दर्य में सम्बद्ध होता है। प्रयोगात्मक शोध में प्रायः दो वर्ग बना लिये जाते हैं—सामान्य और नियन्त्रित, और फिर दोनों को एक स्तर पर लाने के उपरान्त नियन्त्रित वर्ग को किसी

बन्धी परिपाटी में उतार लिया जाता है। ऐसा करने से उसमें जो परिवर्तन आते हैं, और जो सामान्य वर्ग में तब भी नहीं होते, उन्हें उस बन्धी परिपाटी का परिणाम मान लिया जाता है। उदाहरणार्थ: यदि 'क' और 'ख' वर्गों को एक ही जैसा भोजन और वातावरण दिया जाये तो परिणाम सामान्य होगा, किन्तु इसके साथ-साथ किसी एक वर्ग को कोई औषधि भी सवन करवाई जाये तो उस वर्ग में आने वाले परिवर्तन उस औषधि का प्रभाव बड़े जा सकेंगे। तात्पर्य यह है कि इस शोध को हम उस औषधि का प्रयोगात्मक सन्धान कह सकते हैं। इसे मनोविज्ञान में 'एकल विभेद नियम' भी कहा जाता है।

हमारा लक्ष्य साहित्यिक शोध के विभिन्न प्रकारों की जानकारी प्राप्त करना है। मानव के पास आज तक के सचित ज्ञान को रागात्मक, बौद्धिक और पौराणिक खण्डों में विभाजित किया जा सकता है। इन्हीं क्षेत्रों में जिज्ञासु के लिए अनुसन्धान भी सम्भव है और वह रागात्मक साहित्य सम्बन्धी, बौद्धिक साहित्य सम्बन्धी और पौराणिक साहित्य सम्बन्धी अनुसन्धान कर सकता है। इनमें पारस्परिक सहयोग और सम्मिश्रण भी हो सकता है और किसी एक घेरे के अन्तर्गत रह कर भी अनुसन्धान किया जा सकता है। शुद्ध रागात्मक परिधि के अनुसन्धान को हम लिखित अथवा अलिखित वाङ्मय से सम्बद्ध कर सकते हैं। लिखित साहित्य शिष्ट समाज की देन होता है और अलिखित साहित्य लोक तात्विक रचना का नाम है। इन दोनों क्षेत्रों को शोधार्थी अपनी प्रक्रिया का विषय बना सकता है। जहाँ तक तीनों खण्डों के सम्मिश्रण का प्रश्न है, प्रायः अनुसन्धित्सु अपनी ज्ञान सीमाओं के अन्तर्गत उसे अपनाते ही रहते हैं। 'प्रसादजी के नाटकों में ऐतिहासिकता', 'दशमग्रन्थ की पौराणिक पृष्ठभूमि', 'रामचरित मानस में इतिहास-पुराण सम्बन्ध' आदि शोध विषय इसी प्रकार के हैं। 'गुरुनानक काव्य के दार्शनिक तत्त्व', 'कबीर दर्शन' अथवा 'मूर-वाक्य में भक्ति भावना' आदि विषयों में कविता, दर्शन और धर्म-शास्त्र का सम्मिश्रण हुआ है।

शुद्ध रागात्मक साहित्य सम्बन्धी अनुसन्धान के भी अलग अलग धरातल और अलग अलग तात्विक विषय हो सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी साहित्य में भाव तत्त्व, बुद्धि तत्त्व, कल्पना तत्त्व और शैली तत्त्व—ये चार मुख्य ध्रग को लक्ष्य कर शुद्ध साहित्यिक शोध को रूपायित किया जा सकता है।

भाव तत्त्व सम्बन्धी साहित्यिक शोध—प्रत्येक रागात्मक रचना, वह काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी कुछ भी हो सकती है, किसी विशेष भाव-जगत की उपज होती है। उसमें लेखक के भावों, अनुचिन्तनों, रसात्मक अभिव्यक्तियों और धनौकिक आनन्द को पृष्ठभूमि को स्थान रहता है। ऐसे ही तत्वों को मुरय रखकर जब अनुसन्धाता किसी कृति विशेष अथवा धारा का शौर-नूत अध्ययन करता है तो वह भाव तत्त्व सम्बन्धी साहित्यिक शोध होती है। 'आधुनिक कविता में कदण-रस',

'रीतिमुक्त धारा में विप्रलम्भ शृंगार', 'सूर काव्य में वात्सल्य चित्रण' आदि ऐसे भाषात्मक विषय हो सकते हैं, जिन पर शोध सम्भव है। औपन्यासिक क्षेत्र में भाव-जन्य शोध हुई है तथा गविष्य में भी अभी सम्भावना है। राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना, विद्रोह भावना, भक्ति भावना, सघर्ष भावना आदि तत्त्वों का अध्ययन कथा-साहित्य में भी हो सकता है।

कल्पना-तत्त्व सम्बन्धी साहित्यिक शोध—रागात्मक साहित्य में विषय वस्तु कल्पना तत्त्व की देन होती है। यह अनिवार्य नहीं कि विषय-वस्तु कल्पना व द्वारा किसी अस्तित्व में से निकाली जाये। अस्तित्व में रहनी हुई कोई घटना कल्पना का आश्रय पाकर एक नवीन रूप धारण कर लेती है और किसी भी सुन्दर काव्य कृति की विषय-वस्तु बन जाती है। विषय-वस्तु से सम्बद्ध साहित्यिक शोध की परिधि वर्षों विषय के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अथवा मनोवैज्ञानिक आधारों के अध्ययन तक व्यापक होती है। इस स्थिति में प्रायः अनुसन्धित रचना अथवा रचनाधारा की कल्पित अथवा यथार्थ भूमियों को अनावृत्त करता है। उसमें उपलब्ध तथ्यों पर चिन्तन-मनन करते हुए मूल आधार की स्थापना का प्रयास करता है। इस क्षेत्र की कोई भी सफल शोध-कृति शोधार्थी के साहित्येतर ज्ञान की भी परिचायक होनी है। कोई अनुसन्धित तब तक उच्चकोटि का विषय-जन्य अनुसन्धान ग्रन्थ प्रस्तुत नहीं कर सकता जब तक कि वह कल्पना के मूल आधारों को नहीं समझ लेता। जब तक समाज, राजनीति, धर्म, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, नीति आदि तत्त्वों की पृष्ठभूमि का ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता, वह रचना की विषय-वस्तु को नहीं समझ सकता। इस प्रसंग में डा. कामिल बुन्के का शोध ग्रन्थ 'राम कथा एक चुनौती पूर्ण कृति है। अनुसन्धाता विषय-वस्तु की तुलना को भी शोध-विषय बना सकता है जैसे 'रामचरित मानस तथा कम्ब रामायण'। कल्पना तत्त्व से सम्बन्धित साहित्यिक शोध का दूसरा पहलू इतिहास-पुराण में सम्बद्ध भी हो सकता है। जब कभी शोधार्थी कृति की विषय-वस्तु में ऐतिहासिक-पौराणिक तत्त्वों व साथ साथ काल्पनिक तत्त्वों को अलग-अलग करके पड़ताल करता है तो उक्त दिशा में साहित्यिक ज्ञान वृद्धि होती है।

पाठानुसन्धान भी इसी क्षेत्र की वस्तु है। अज्ञात कृतियों को मही दशा में प्रस्तुत कर सकना पाठानुसन्धाता का विशेष भागदान कहा जा सकता है। कहा जा सकता है कि भाव तत्त्व, विचार तत्त्व अथवा शैली तत्त्व सम्बन्धी अनुसन्धान तभी सम्भव हो सकता है, जब मही पाठानुसन्धान की गई कृतियाँ अनुसन्धाता के सम्मुख हों। सम्पादक इस कार्य में अनेक विधियों को अपना सकता है। (1) एक ही विषय पर उपलब्ध पाण्डुलिपियों में से किसी प्राचीनतर पाण्डुलिपि को पाठ को प्रमुखता दे सकता है और पाठ टिप्पणी में प्रतिलिपि के समय का निर्देश देते हुए पाठ भेदों को प्रस्तुत कर सकता है। (2) समस्त उपलब्ध पाण्डुलिपियों के एक-एक चरण की तुलना करत हुए और लेखक की मानसिकता को समझने हुए अनुकूल पाठ निर्धारण कर

सकता है। (3) सम्पादक स्वयं अपनी रुचि के अनुकूल शब्दों, वाक्य-विन्यास तथा उपयुक्त अर्थों को दृष्टि में रखते हुए पाठ निश्चित कर लेता है और नाय-साथ पाठ-टिप्पणी में पाठ भेद का संकेत देते चरना है। इस प्रकार का शोध हमारी अनेक सम्पत्तियों तथा कनिष्ठ व्यक्तिगत विद्वानों द्वारा किया जा चुका है। सुगंगा, रामचरित मानस तथा पद्मावत आदि रचनाओं का पाठानुसन्धान किया जा चुका है। ध्यान देने की बात यह है कि सम्पादक को विषय का विद्वान होना चाहिए। भाषा के प्रत्येक अंग से परिचित विद्वान ही पाठानुसन्धान का कार्य कर सकता है। भाषा का व्याकरण, उसमें बोलचाल के प्रयोग तथा सांस्कृतिक प्रवृत्तियों की जानकारी पाठानुसन्धाता के लिए अनिवार्य है। कौन-सा शब्द किस रूप में वहाँ प्रयुक्त होगा, इस ज्ञान के बिना पाठ सम्पादन का कार्य सम्भव नहीं।

विचार तत्त्व सम्बन्धी साहित्यिक शोध—रागात्मक साहित्य में अनेक शास्त्र जन्य तत्त्व भी विद्यमान होने हैं। इन्हीं शास्त्र-जन्य तत्त्वों को आधार बना कर अनुसन्धान की प्रक्रिया विचार तत्त्व सम्बन्धी शोध कहलाती है। विज्ञान, दर्शन, धर्म शास्त्र, समाज शास्त्र, वाक्य-शास्त्र, संस्कृति अथवा मनोविज्ञान की पृष्ठभूमियों पर रचना सम्बन्धी गठन का अध्ययन इती कोटि के अन्तर्गत आता है। 'जैनेन्द्र के उपन्यासों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन' 'कबीर का दार्शनिक चिन्तन' 'मानस की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि', 'हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि', या 'हिन्दी की सतसर्द-परम्परा का वाक्य-शास्त्रीय अध्ययन' मरीखे विषय इसी कोटि के हैं। इसमें रचयिता के वैचारिक घरातल अथवा बौद्धिक स्तर का शास्त्रीय विवेचन किया जाता है।

शैली तत्त्व सम्बन्धी साहित्यिक शोध—साहित्यिक रचना का यह चौथा तत्त्व है, जिसमें प्रवृत्ति तथा अभिव्यक्ति-कला की परख की जाती है। शैलीगत अध्ययन करने वाले अनुसन्धितसुझा की पकड़ वादों प्रवृत्ति जन्य चित्रणों और भावात्मक निरूपणों के धरे में रहनी है। 'आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ', 'भक्ति-कालीन कवियों में रहस्यवादी चिन्तन', 'आधुनिक काव्य में निराशावाद अथवा प्रेम निरूपण' आदि ऐसे विषय हैं जिनको अनुसन्धान के लिए शैलीगत परिधि में अपनाया जा सकता है। किसी कृति की अभिव्यक्तिगत मुन्दरता अथवा शैली-वैज्ञानिक महत्त्व की स्थापना भी इसी कोटि का शोध होगा। प्रायः काव्य-शास्त्रीय अनुसन्धान जिनमें मरचनना सोन्दर्य को प्रमुखता दी जाती है शैलीगत ही कहलाता है।

कभी कभी कुछ शोधार्थी कृतियों से सम्बन्धित भाषा अथवा मूल भाषा के अध्ययन को ही अनुसन्धान का विषय बना लेते हैं। भाषा की अभिव्यक्ति शक्ति, व्याकरण, सांस्कृतिक देन अथवा भाषा वैज्ञानिक अर्थ-परिवर्तन आदि को विषय बनाकर पुरातन कवियों की भाषा के अध्ययन प्रस्तुत किये जाते हैं। भाषा के अध्ययन की वर्णनात्मक अथवा ऐतिहासिक प्रणालियाँ, भाषा की विशेष शब्दावली अथवा उसमें शब्द शक्तियों का योगदान इस प्रकार के अध्ययन के विभिन्न तत्त्व हैं। 'सूर की

भाषा', 'पदमावत में भाषाकीय प्रयोग 'ब्रजबोली का व्याकरण', 'छतीसगढ़ की बोलियाँ' आदि ऐसे विषय हैं, जिन्हें भाषा जन्म कहा जा सकता है और जो शैली तत्त्व सम्बन्धी साहित्यिक अनुसन्धान का विशिष्ट अंग है।

पौराणिक, ऐतिहासिक शोध कृति के वर्णन-विषय को प्रस्तुत करने के लिए अन्तःसाक्ष्य और बाह्य साक्ष्य का अवलम्ब लेते हैं। इस प्रकार की शोध में अनुसन्धाता कृति में ऐतिहासिक, पौराणिक तथ्यों का संकलन भी करता है और प्रमाणित ऐतिहासिक पौराणिक तथ्यों के आधार पर कृति का अध्ययन भी करता है। जिनमें मौलिक तथ्यों का उद्घाटन और ज्ञान तथ्यों की नवीन व्याख्या सम्भव होती है। साहित्यिक शोध के उपर्युक्त सभी प्रकार अनुसन्धान क्षेत्र के विभिन्न धेरे में शाघार्थी के लिए चुनाव का अवसर प्रदान करते हैं और अनुसन्धाता इनमें से किसी भी धेरे के अन्तर्गत अपनी प्रतिभा और जिज्ञासा को अभिव्यक्ति दे सकता है।

(क) साहित्यिक शोध

हिन्दी साहित्य में साहित्यिक शोध से सम्बन्धित उपादेयता का प्रश्न हम पीछे हल कर चुके हैं, किन्तु यहाँ यह कहने में हम कोई आपत्ति नहीं कि साहित्य मानव जीवन के लिए आनन्द का स्रोत है, तो उसके जीवन सम्बन्धी रहस्यों को जानने की जिज्ञासा भी आनन्द तथा ज्ञान की वृद्धि का कारण हो सकती है। साहित्यिक शाघ के दो मूल पहलू हैं, जिन्हें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदीजी के शब्दों में स्पूल और सूक्ष्म अंग में विभाजित किया जा सकता है। 'स्पूल अर्थों में वह नवीन और विस्तृत तत्वों का अनुसन्धान है, जिसको अंग्रेजी में Discovery of facts कहते हैं और सूक्ष्म अर्थ में वह ज्ञात साहित्य के पुनर्मूल्यांकन और नयी व्याख्याओं का सूचक है'¹ पहलुओं के लिए अनुसन्धाता को रचना तथा रचयिता के समूचेपन को हृदयगत करना होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। सर्वप्रथम अनुसन्धाता को रचना के अन्तर्गत अधीत जीवन और जगत के अनेकमुखी तथ्यों के आकलन, विशेषण और चिन्मन मनन की अपेक्षा होनी है। लेखक का वातावरण, परिस्थितियाँ तथा संस्कार उसकी रचना में सहज ही स्थान बना लेते हैं। वास्तव में वे तथ्य हैं, जिनसे लेखक की मानसिकता प्रकट होती है और अनुसन्धाता के लिए रचना की व्याख्या का आधार बनती है। रचयिता का परिवेश उसके लिए एक दृष्टिदायी तत्व होता है, जिसका अध्ययन अनुसन्धाता का पथ-प्रदर्शित करता है। अनुसन्धाता के लिए लेखक के मूल परिवेश को जान लेना तथ्यास्थान के लिए उतना ही अनिवार्य है जितना कि नयी रचना की खोज में उपलब्ध होने वाले संकेत और ब्यंजन। यदि अनुसन्धान उपर्युक्त स्थूलकाटि का हो और उसमें किसी अज्ञात रचना को आलोक में लाने का प्रयास

1 द्विवेदी, हजारीप्रसाद (आचार्य), "शोध सामग्री," अनुसन्धान की प्रक्रिया (सम्पादित), डॉ. नावित्री सिंहा तथा विजयेन्द्र स्नातक

निहित हो, तो निश्चय ही उसमें सम्बद्ध जो संकेत और यत्र-तत्र रचनाओं में हूयें कथन मिलेंगे, वे मूलकृति की खोज में अत्यन्त सहायक होंगे। यह तो सही है, कि अनुसन्धाता रचनाकार की कल्पना को ज्यों का त्यों नहीं समझ सकता, फिर भी उसकी अपनी कल्पना शक्ति इतनी सजीव होनी चाहिए कि वह रचना की परिणति में प्रयुक्त कल्पना को समझ सके। ऐसा करने से ही कोई अनुसन्धाता साहित्यिक शोध का दावा कर सकता है।

साहित्यिक शोध मूलतः रागात्मक साहित्य की शुद्ध प्रक्रिया होती है। पूर्व चर्चा में हम मानव के सचित ज्ञान के प्रथम खण्ड को रागात्मक साहित्य कह चुके हैं। वास्तव में इसी कोटि के साहित्य का अनुसन्धान शुद्ध साहित्यिक होता है। इसमें अज्ञात रचनाओं को प्रकाशित करना तथा प्रकाशित रचनाओं में निहित तथ्यों की नवीन व्याख्या द्वारा ज्ञान क्षेत्र की वृद्धि करना इस प्रकार के अनुसन्धान का लक्ष्य होता है। आज ऐसे अनेक संकेत उपलब्ध हैं कि भारत की अनेक प्रान्तीय भाषाओं में मध्यकाल में विपुल ब्रज भाषा साहित्य रचा गया, जो कि प्रायः उन प्रान्तीय भाषाओं की लिपियों में ही लिखा गया। धीरे-धीरे समय की धूल उस साहित्य को इसलिए लीन गई कि बाद के प्रान्तीय विद्वानों ने उसकी उपेक्षा कर डाली। वर्तमान काल में कोई विद्वान यदि उस सम्पन्न साहित्य के सम्बन्ध में उपलब्ध संकेत पाकर उसकी खोज का प्रयास करता है तो उसे ऐसी पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध हो सकती हैं, जो शत-विक्षत, अपूर्ण और उपेक्षित घरी हों। अब उस विद्वान का लक्ष्य उन अज्ञात पाण्डुलिपियों को प्रकाश लाने का हो सकता है। वह पाण्डुलिपि विशेष से सम्बन्धित अन्य प्रतिलिपियों की खोज करता है, एक दूसरे से मिलता है, कवि सम्बन्धी जानकारी सकलित करता है, अन्तर्माध्य और बहिर्माध्य के बल पर कवि का समय, स्थान और रचना-प्रेरणा को निश्चित करता है और उन कृति को साहित्य जगत के अन्य पाठकों के लिए उपलब्ध बनाता है। यह साहित्यिक शोध का अज्ञात को ज्ञात बनाने वाला अंग है जिसमें 'Discovery of facts' का तत्त्व मुख्य है। अब साहित्यिक शोध की दूसरी मजिल आरम्भ होती है। दूसरा अनुसन्धाता खोजी हुई इस रचना के अध्ययन और नवाख्यान द्वारा रचनाकार की भावभूमि, संरचना धर्मिता, कृति का कलात्मक सौन्दर्य, भावाभिव्यक्ति और शैलीगत अभिव्यक्तियों को साहित्य जगत के सम्मुख प्रस्तुत कर पाठकों के लिए कृति विशेष में न केवल रुचि पैदा करता है प्रत्युक्त रचना को समझने के लिए एक नयी दृष्टिदान देता है। सम्भव है कोई अन्य या कोई तीसरा अनुसन्धाता उसी कृति के दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक पक्ष का शोध पूर्ण अध्ययन कर कृति सम्बन्धी कतिपय नवीन दृष्टियों को उजागर करे। यह क्रम निरन्तर तब तक चल सकता है, जब तक कि वह कृति ममन्त पक्षों और पहलुओं से पूर्णतया निरीक्षित, परीक्षित न हो जाये। यह स्थिति धाराओं के साथ भी चल सकती है। 'गुरुमुखी लिपी में उपलब्ध हिन्दी काव्य' एक ऐसा शोध ग्रन्थ है जो हिन्दी जगत के

लिए अज्ञात साहित्य को ज्ञात बनाता है, किन्तु साहित्य उपलब्ध नहीं करवाता। वहाँ से सबेस प्राप्त कर कुछ विद्वान उक्त साहित्य को लिप्यंतरित और सम्पादित कर साहित्य जगत के लिए प्राप्य बना सकते हैं, यह भी प्रथम कोटि की शोध होगी और उसके बाद आने वाले अनुसन्धाता इस प्राप्य साहित्य का मूक्षम अनवीक्षण कर इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाल सकते हैं, यह दूसरी कोटि की शोध होगी।

साहित्यिक अनुसन्धान वास्तव में तथ्यों के माध्यम से सत्य की प्रतिष्ठा तक पहुँचने की प्रक्रिया का नाम है। तथ्य अज्ञात भी हो सकते हैं और निहित भी। अज्ञात तथ्य अनुपलब्ध रचनाओं में सम्बन्धित होते हैं और निहित तथ्य उपलब्ध कृतियों में सम्बन्धित होते हैं। अज्ञात तथ्यों को ज्ञात करवाना और निहित तथ्यों को विहित करना साहित्यिक अनुसन्धान का लक्ष्य है। यह नहीं है कि साहित्यिक कृति में निहित तथ्य साहित्येतर भी हो सकते हैं। उनसे सम्बन्धित शोध साहित्य सम्बन्धी तो हो सकती है, पर शुद्ध साहित्यिक नहीं। शुद्ध साहित्यिक शोध का धेरा केवल कवि की भावभूमि, सरचनात्मकता, अभिव्यक्ति शिल्प, तथा कलात्मक सौन्दर्य तक ही सीमित होता है। रचना में आये विम्बों, प्रतीकों का अध्ययन, छन्द और अलंकारों का ज्ञान, भाषा के प्रयोग, शब्द-शक्तियों का सौन्दर्य और भावों और रसों का आस्वादन, शब्द चिन्नों का रम्य सौन्दर्य, प्रकृति चित्रण आदि तत्त्व शुद्ध साहित्यिक शोध के अंग हैं। विषय-वस्तु के अन्य विभिन्न पहलू भी इसी के अन्तर्गत अपनाये जा सकते हैं। आजकल काव्य शास्त्रीय दृष्टि से अथवा शुद्ध शोध की दृष्टि से बहुत कम शोध-प्रबन्ध लिखे जा रहे हैं, मैदानिक अध्ययन तो नहीं के बराबर हो रहा है, आधुनिक कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता आदि के सरचना-सिद्धान्तों पर शोध की अपेक्षा है, पूर्ववृत्त शोध कार्यों के पुनर्मूल्यांकन की पृष्ठभूमि भी परिपक्व हो चुकी है और हमारा विश्वास है कि नवागन्तुक अनुसन्धाताओं को उक्त क्षेत्रों में अपनी योग्यता प्रदर्शित करनी होगी। प्रांतीय लिपियों के जानकारों को हिन्दी जगत के लिए अज्ञात साहित्य प्रकाशित करना चाहिए ताकि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए मूक्षम अनुसन्धान की नवीन नमृत सामग्री जुटा सकें।

(ख) भाषा वैज्ञानिक शोध—

उपनिषद् में 'शब्द' को 'ब्रह्म' कहा गया है। शब्द की साधना का स्थूल रूप साहित्य, कला और अभिव्यक्ति के माध्यम से 'भाषा' है। साधनात्मक एवम् व्यावहारिक, दोनों क्षेत्रों में भाषा का अध्ययन अनिवार्य प्रतीत होता है। किमी रचना, साहित्यिक धारा अथवा कवि द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रयोग, अर्थ परिवर्तन, वाक्य विन्यास, रूप और ध्वनि तथा व्याकरण-सम्मतता आदि का अध्ययन जब अनुसन्धान का विषय बनाया जाता है, तो वह भाषा-वैज्ञानिक शोध होती है। मैक्समूलर आदि विद्वानों ने विभिन्न प्रदेशों की भाषाओं अथवा एक ही प्रदेश में भाषाओं के परिवर्तन का अध्ययन करते हुए सर्वप्रथम एक ऐसी मौलिक भाषा की कल्पना की थी जिसे 'भारोपीय' नाम

दिया गया था। इसी अध्ययन को विभिन्न दिशाओं में परिवर्द्धन करन हुए समार की अनेक भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण किया गया और उन पश्चात् आधुनिक भारतीय भाषाओं के गम्भीर विवेचन भी दिये। ब्रिटिश परिवार की भाषाओं का अध्ययन किसी फ्रांसीसी विद्वान ने किया। मुनीति कुमार चैटर्जी की रचना 'The Origin and development of Bengali language' में उत्तर भारत की आधुनिक भाषाओं का ऐतिहासिक अध्ययन किया गया। डॉ. बाबूराम सनमना तथा डा. धीरेन्द्र वर्मा ने प्रथम अवधि और ब्रज भाषाओं का भाषाकीय अध्ययन प्रस्तुत किया किन्तु इन अध्ययनों में एक बात स्पष्ट है कि भाषा अध्ययन करन वान उक्त विद्वान सामाजिक व्यवहार, व्याकरण तथा प्रायोगिक रूपों का ही अध्ययन करते रहे हैं। उन्होंने नवीन भाषा-वैज्ञानिक पद्धतियों का स्पर्श नहीं किया। आधुनिक विचारक 'सोसुर' ने यह स्थापना कि है कि भाषा प्रत्येक इकाई के साथ कालगत परिवर्तन को ग्रहण करती है। इसी तथ्य का विचार करते हुए उसन स्तनिम (फार्मि) का विचार प्रस्तुत किया। आज इसी तथ्य को लेकर पश्चिमी देशों में बराबर शोध कार्य की प्रगति हो रही है।

साहित्य में वर्षों विषय को छोड़कर यदि हम कुछ बचा पाते हैं तो वह भाषा और भाषा का सौन्दर्य ही होता है। इसी भाषा का अध्ययन एक भाषा-वैज्ञानिक शोधार्थी को करना होता है। उस उपयोगितावाद की दृष्टि से हटकर भाषा का सर्वांगीण विवेचन करना होता है और वह भाषा के अनकानक पहलुओं का मनन-चिन्तन द्वारा एक मूत्र में पिरोत हुये आने वाली पीठिया के लिए भाषा का रूप निर्धारित करता है। आधुनिक सोच प्रायः आदिकाल की अवहट्ट और इंगल विद्यापति की मैथिली, मूर की ब्रज, तुलसी की अवधी और प्रसाद की खड़ी बोली को एवदम हिन्दी भाषा कहने में आपत्ति करती है। यही कारण है कि आज उन भाषाओं की बनावट, रूपों, ध्वनियों, व्याकरण सम्मत विभक्तियों अपभ्रंश दृष्टि से हुए विकास आदि को तर्क-पूर्ण अध्ययन की कमीटी पर परगते हुए निश्चित दिशा में नमावित करना होगा और यह कार्य मात्र भाषा वैज्ञानिक शोधार्थी ही कर सकता है। आज हिन्दी की विभाषाओं में पाये जाने वाले हिन्दी जन्य अंग और सरचनात्मक तत्त्वों का अन्वेषण कर हम यह सिद्ध करना होगा कि हम हिन्दी का भाषा के आसन पर बैठने का प्रयास उसके उन गुणों के कारण कर रहे हैं जो उसकी विभाषाओं में मौजूद नहीं, और यदि हैं तो वह हिन्दी का अंग है। कौन्सी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, मागधी, भोजपुरी आदि विभाषाओं पर हिन्दी का ऐना घनात्मक आच्छादन है कि वे उसके बिना न तो जीवित रह सकती हैं और न पनप सकती हैं। इस दिशा में हिन्दी शब्द और हिन्दी भाषा के उदभव और विकास से सम्बन्धित इतनी गहन शोध अपेक्षित है कि अहिन्दी विद्वानों को यह आपत्ति कि ये विभाषाएँ अपने आप में स्वतन्त्र मानी जानी चाहिए, विलीन हो सकें। इसने लिए हमें विभिन्न विभाषाओं के विद्वानों का सहयोग चाहिए।

प्राचीन मध्यदेश अथवा समूचे उत्तरापथ में लिखी जाने वाली भाषा को आज हिन्दी कहा जा रहा है तथापि इसका अन्तर्गत अनेक हिन्दी की उप-भाषाएँ या बोलियाँ निरन्तर पनप रही हैं। अब तक अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली, हरियानवी आदि पर प्रामाणिक शोध कार्य ही चुके हैं, किन्तु उनका रूप या तो आज की प्रायोगिक उपभाषा में सम्बन्धित रहा है या उनके उपभाषा रूप में पनपने से लेकर अब तक के विकास को दर्शाना है। ये दोनों पद्धतियाँ क्रमशः वर्णनात्मक और ऐतिहासिक कहलाती हैं। वर्णनात्मक पद्धति में, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, भाषा के वर्तमान रूप की रचना-प्रक्रिया प्रस्तुत की जाती है। भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, विभक्तिरूप, ध्वनियाँ, सन्धि आदि के नियम, प्रत्यय-उपसर्ग आदि का विश्लेषण किया जाता है। यह भी कहा जा सकता है कि इस प्रकार का भाषाकीय अध्ययन उक्त भाषा के व्याकरण का विरूपणरूपक अध्ययन होता है। द्वितीय पद्धति, जिसे हमने ऐतिहासिक नाम दिया है, भाषा के विकास क्रम को उद्घाटित करती है। भाषा-विशेष किन परिवर्तनों, रूप भेदों, ध्वनि भेदों और अर्थ भेदों में से होते हुए वर्तमान रूप की ग्रहण करती है—वास्तव में इसका सतर्क आलोचनात्मक इतिहास ही ऐतिहासिक भाषायी शोध का विषय होता है। आज तक हिन्दी में ज्यादातर भाषा-वैज्ञानिक कार्य इन्हीं पद्धतियों पर हुआ है। 'सड़ी बोली का विकास', 'हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास', 'हिन्दी भाषा का इतिहास' आदि रचनाएँ ऐतिहासिक कोटि की हैं। अवधी तथा ब्रज, मागधी, बुन्देली, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी आदि भाषाओं का अध्ययन वर्णनात्मक कोटि का है।

उक्त दोनों पद्धतियों के अतिरिक्त तुलनात्मक और प्रयोगात्मक दो अन्य पद्धतियाँ भी अपनायी जा सकती हैं। किन्हीं दो समकालीन भाषाओं की संरचना का तुलनात्मक अध्ययन महत्त्वपूर्ण हो सकता है। तुलना करके भाषाओं की संरचनात्मक समता और विषमता को प्रकट करते हुए शोधार्थी दोनों के बीच एक सेतु निर्माण कर सकता है। कोश-ग्रन्थों में इस तथ्य को विशेष महत्त्वपूर्ण ढंग से अपनाया जा सकता है। प्रयोगात्मक शोध वैयक्तिक न होकर प्रायः सस्थाजन्य होती है। पिछले दिनों रसिगटन रैण्ट इ.क. वालों की सस्या की ओर से हिन्दी ट्वन यन्त्र के की बोर्ड की व्यवस्था के लिए एक परामर्शदात्री समिति स्थापित की गई थी। इस समिति के सामने छोटे से छोटे की बोर्ड में हिन्दी की समस्त ध्वनियाँ सम्मिलित करने की समस्या थी। यह प्रयोगात्मक शोध का घरातल है। की बोर्ड का जो निर्णय लिया गया, वही उस अनुसन्धान की स्थापना कहलायेगी। बहुधा मुद्रणालय, तार भेजने के सनेत, शब्द-कोश निर्माण अथवा लिपि सुधार सम्बन्धी शोध इसी कोटि में आती है। हिन्दुस्तानी प्रचार समिति तथा राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा की ओर किए गये निपि-सम्बन्धी अनुसन्धान प्रयोगात्मक हैं 'ध' और 'घ' 'भ' और 'म' में 'ध' और 'भ' को अलग करने के लिए धुण्डी की व्यवस्था, स्वरों की सभी ध्वनियों के लिए

केवल 'अ' को मात्राएँ लगाने की व्यवस्था आदि सुभाव उसी प्रयोगात्मक शोध के परिणाम बहे का सकते हैं ।

भाषा-वैज्ञानिक शोध की उक्त सभी, पद्धतियों में लिया जाने वाला कार्य भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से अनेक शाखाओं में विभक्त किया जा सकता है । प्राधुनिक भाषा-विज्ञान अनेक उप-विज्ञानों में बट चुका है और उन उप-विज्ञानों में से कोई भी पहलू किसी भी भाषा के अध्ययन से सम्बन्धित शोध-विषय बन सकता है । वर्तमान ध्वनि-विज्ञान में हिन्दी की किसी भी विभाषा अथवा उप-भाषा की ध्वनियों अथवा एकाधिक उपभाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है । आज ध्वनिशास्त्र भी उस अध्ययन के अन्तर्गत प्रवेश पा रहे हैं । अर्थ-विज्ञान इस दिशा में भाषा-विज्ञान का एक अन्य महत्वपूर्ण अंग है । इसका सम्बन्ध शब्दों, शब्दों की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्तिजन्य अर्थ, अर्थ-परिवर्तन, पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्दों की दिशाएँ, उपसर्गों और प्रत्ययों के प्रयोग आदि से है ।

वाक्य-विज्ञान वाक्यों के पद, उपवाक्य और पद-विन्यास के सम्बन्धों का अध्ययन करता है । पदों के क्रम में भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की मानसिकता निहित होती है । यही कारण है कि वाक्य के प्रयोग में जो पठ-बन्ध रहते हैं इन पर दिया जाने वाला बल वैयक्तिक भिन्नता लिए हुए होता है । इससे उपन्यास और कविता की भाषा का अन्तर तथा उपन्यासकार और कवि के भावा का सागोपाग अध्ययन सम्भव हो जाता है । रूप-विज्ञान का अध्ययन करने वाले शास्त्रार्थी भाषा के ऐसे विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं, जो अर्थ और सम्बन्ध के कारण भाषा की प्रकृति को उद्घाटित करते हैं । दो भाषाओं की तुलना में भी रूप-विज्ञान पर्याप्त सहयोगी होता है ।

भाषा विज्ञान के अनुसन्धान की एक और शाखा लिपि-विज्ञान कहलाती है । देश-काल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रायः किसी भी भाषा की लिपि निश्चित करना अथवा निश्चित लिपि में वैज्ञानिक परिवर्तन सुभाना इस कोटि के अनुसन्धान का विषय है । प्रायः लिपि तब तक वैज्ञानिक नहीं हो सकती, जब तक कि भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग-अलग चिह्न न हो और उन चिह्नों को टकन एवम् मुद्रण का सहकार प्राप्त न हो । लिपि के विकास का अध्ययन भी अनुसन्धान का रोचक विषय हो सकता है । ब्राह्मी आदि लिपियों से देवनागरी के उदय का इतिहास अनुसन्धान का विषय बन चुका है ।

आजकल प्राचीन ढंग के भाषा के वाक्य-शास्त्रीय अध्ययन को नवीकृत कर शैली विज्ञान कहा जाने लगा है । सही शब्द का सही स्थान पर सही प्रयोग जो भावना और अर्थ प्रकृति को सही दिशा में उद्घाटित करता है—इस तथ्य का अध्ययन शैली विज्ञान का शोध विषय रहा है । किसी कवि या किसी साहित्यिक धारा का भाषाकीय विवेचन आजकल शैली-वैज्ञानिक अध्ययन का रूप ले रहा है । केवल लेखकों

या कवियों द्वारा प्रयुक्त शब्दावली के अध्ययन द्वारा शब्दार्थ में निहित सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा सस्वार की दृष्टिया का अध्ययन भी किया जा रहा है। 'आधुनिक कवियों द्वारा प्रयुक्त शब्दावली' सम्बन्धी डा कृष्ण भावुक का शोध ग्रन्थ इस दिशा में एक सुपात्र्य रचना है। वर्तमान स्थिति में भाषा सम्बन्धी अध्ययन प्रायः सामान्य विवेचना से सम्बन्धित न होकर भाषा वैज्ञानिक पहलुओं पर आश्रित होने लगे हैं, यह एक महत्वपूर्ण शोध क्षेत्र है जिसमें शोधार्थियों को अप्रसर होना चाहिए। निश्चय ही भाषा वैज्ञानिक शोध के लिए शोधार्थी को प्राचीन श्रेण्य भाषाओं की जानकारी, अपभ्रंशों का ज्ञान और अध्ययनार्थी भाषा के प्रत्येक पहलू का परिचय होना अनिवार्य है। शोधार्थी के निर्देशक को भी इस दिशा में भाषाविद् हाना चाहिए ताकि वह शोधार्थी को सही मार्ग दर्शन दे सके।

(ग) भाषा सर्वेक्षण की विधि :

किसी क्षेत्र विदेय की भाषा का अध्ययन करने के लिए उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, उपभाषाओं, विभिन्न प्रयोगों, ध्वनियों और रूपों का सर्वेक्षण अनिवार्य होता है। भाषा-सर्वेक्षण किसी एक नियत क्षेत्र में ही सम्भव होता है। इस क्षेत्र को भी सर्वेक्षण की दृष्टि से अलग अलग विभागों में बांट लेना अनिवार्य होता है। किसी एक बड़े नगर का भाषाई दृष्टि से सर्वेक्षण करना हो, तो उसमें के वे स्थल समुदाय रूप में विभाजित करने होंगे, जहाँ न केवल जनसंख्या अधिक होगी बल्कि हर प्रकार के लोगों का गमन भी होगा, उदाहरणार्थ—कोई मार्केट, मण्डी अथवा जन-संस्थान। क्षेत्र का विभाजन करने के लिए सामाजिक, औद्योगिक, धार्मिक दृष्टि से भी स्थान का चुनाव किया जा सकता है। प्राचीन और घनी आबादी वाले स्थान इस कार्य के लिए अधिक उपयोगी हो सकते हैं। जिन स्थानों को सर्वेक्षण की दृष्टि से विभाजित किया जाता है, वे एक-दूसरे से समान-दूरी पर होने चाहिए। ऐसे उपेक्षित स्थान भी इस दृष्टि से सहायक हो सकते हैं, जहाँ नवीनता व आधुनिकता के पाव न पड़े हो। द्विभाषी प्रदेश अथवा ऐसे स्थान जो सार्वभौमिक हो और जहाँ विभिन्न स्थानों से आने वाले व्यक्ति बस गए हो, भाषा सर्वेक्षण के लिए हितकर हो सकते हैं।

किसी एक प्रादेशिक समुदाय की भाषा में विभिन्न रूपों को एकत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। भाषा में परिवर्तन आने के अनेक कारण उसी घेरे में विद्यमान हो सकते हैं। (1) शिक्षा के ग्रहण करने के कारण भाषा स्तर में परिवर्तन, (2) दूसरे प्रदेशों से विवाहोपरान्त आई स्त्रिया, (3) दूसरे प्रदेशों की भाषा के सम्पर्क में आने वाले ध्वनि, (4) व्यक्तियों के उच्चारण भेद, (5) विभिन्न सामाजिक वर्ग (6) विभिन्न घर्मानुपायी आदि तत्त्व भाषा परिवर्तन के कारण होते हैं और इन सभी तत्वों को सम्मुख रख सर्वेक्षण की अप्रसर हाना चाहिए।

भाषायी सर्वेक्षण के लिए दो पक्ष मुख्य होते हैं—(1) सर्वेक्षक, (2) सूचक। सूचक एक ही समय में एक से अधिक भी हो सकते हैं। इन दोनों की योग्यताएं

अलग अलग होनी हैं। सर्वेक्षक की योग्यताएँ . केवल वही विद्वान जो सर्वेक्ष सण्ड के भूगोल, इतिहास, संस्कृति, उद्योग घन्टो और लोगो के रहन-सहन से परिचिन हो एक योग्य सर्वेक्षक हो सकता है। उमे सामग्री सक्लन का अभ्यास तथा उमके विश्लेषण की विधि ज्ञान होनी चाहिए। कायं मे रुचि धैर्य सलग्नता, साहिष्णुता तथा भाषाकीय प्रयोगो मे उसे निपुणता प्राप्त होनी चाहिए। ये सब गुण उमे व्यक्तिगत स्तर पर लाभ पहुचाने वाले है। अधीर और घमहिष्णु व्यक्ति कभी भी सूचको से सामग्री प्राप्त नही कर सकता। क्योंकि यह कायं उत्पन्न व्यापक और बोभिन होता है, इसलिये बीच-बीच मे विश्राम मनोरजन भ्रयवा गप्प-गप्प-सूचक और सर्वेक्षक दोनों के लिए गहायक हो सकती है। सर्वेक्षक को मिलनसार, प्रभाव-शाली और वाक्-चतुर होना चाहिए ताकि आवश्यकतानुसार वह अपने घेरे मे लोगो को भिन्न बना सकें और उनका विश्राम अर्जित कर सके। सूचक के द्वारा प्रस्तुत सध्दो को बार-बार सुनने के धैर्य और स्मरण शक्ति की भी उसमे अपेक्षा होती है, लेकिन उन समूची सामग्री का बिना विश्लेषण किये निर्णय लेने की भूल उस कभी नहीं करनी चाहिए। शीघ्रतावश किसी भी निर्णय पर पहुचना सर्वेक्षण की हत्या होगी। कदाचित् एकाधिक सूचका से सहयोग पाने के लिए उसे अलग-अलग समय मे भिन्न-भिन्न सूचको की सेवाएँ प्राप्त करनी हाती हैं, अत यही सावधानी से उसे एक सूचक को दूसरे सूचक से अलग रखना अनिवार्य होता है। ऐसी लिपिया सक्षेक को मालूम होनी चाहिए। जिन लिपियो मे सम्बद्ध भाषा के माध्यम मे मिली सामग्री को लेखबद्ध करना होता है। ऐसी स्थिति आ सकती है, जहाँ कोई विशेष ध्वनि इतर लिपि मे प्रस्तुत न की जा सके। गुजराती तथा पञ्जाबी मे ऐसी अनेक ध्वनियाँ हैं जो गुजराती तथा गुर्मुखी के अतिरिक्त अन्य लिपियो मे नहीं लिखी जा सकती।

सूचक के साथ व्यवहार करते हुए सर्वेक्षक को पर्याप्त सावधान रहना चाहिए। उसके साथ वाद-विवाद मे उलभना तथा उमी के मत को सही स्वीकार कर लेना सर्वेक्षण के लिए हानिकारक हो सकता है। प्राय सूचक को प्रसन रखने के लिए उसकी धन, खान-पान, मधुर वचन आदि से उपयुक्त सवा होनी चाहिए। सूचक के साथ एक-डेड पण्ड स अधिक समय तक निरन्तर कार्य नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सर्वेक्षक के लिए यह कार्य कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, सूचक के लिए नीरस हाता है।

सर्वेक्षक को एम ही लोगो से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए जो सर्वेक्ष क्षेत्र के अध्ये जानकार हो और एक सफल माईड का कार्य कर सकें। सूचक की नियुक्ति करने हुए भी इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सूचक कार्य को बोझ समझकर न करे वरन् स्वच्छा स उमम रुचि लें। रुचि उत्पन्न करने के लिए सूचको को पारिश्रमिक दिया जा सकता है।

सूचक—सूचक देवत वही व्यक्ति उत्तम सूचक हो सकता है, जो सर्वेक्ष्य भाषा को मातृ-भाषा के रूप में बोलता, लिखता, पढ़ता हो। जिनकी मातृ भाषा वह नहीं है, वह व्यक्ति सूचक के रूप में सफल नहीं हो सकता। सर्वेक्षक यदि चाहे तो सूचक को अपने यहाँ भी बुला सकता है, लेकिन सही बात यही है कि सर्वेक्षक को स्वयं सूचक के स्थान पर जाना चाहिए। सूचक का चुनाव करते हुए तीन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है, 1 सूचक सर्वेक्ष्य प्रदेश के इतिहास और भूगोल से परिचित होना चाहिए। 2 सूचक सर्वेक्ष्य भाषा-भाषी समाज का ही सदस्य होना चाहिए। 3 सूचक यथा-सम्भव पुराने, स्थायी और सांस्कृतिक परिवार से सम्बन्धित होना चाहिए। सूचक का चुनाव उसकी सामाजिक स्थिति, धार्मिक मान्यता, आर्थिक स्तर जातीय और लैंगिक भेदों पर भी किया जा सकता है। कोई पुरानी बुद्धिवा अथवा अधिक आयु का बूढ़ा व्यक्ति प्रायः अच्छे सूचक हो सकते हैं। बहुत कम आयु का व्यक्ति सूचक नहीं होना चाहिए। अल्पशिक्षित ही तो उत्तम है। इस कार्य की दिशा में उच्चशिक्षित व्यक्ति प्रायः सही निष्कर्ष निकालने में विघ्न बन जाया करते हैं। सूचक को बाह्य प्रभावों से युक्त होना चाहिए, यथासम्भव बाह्य-प्रदेशों में उसका आवागमन कम हो तो अधिक उपयुक्त होता है। सर्वेक्षक की ही तरह सूचक की स्मरण शक्ति भी पैनी होनी चाहिए। उसका भाषा ज्ञान ठीक हो और वह बिना किसी हस्तक्षेप सूचना को यथातथ्य रूप में सर्वेक्षक तक पहुँचा सके। सूचक के पास कार्य के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए, उसे धैर्यवान् व सहिष्णु होना चाहिए।

सर्वेक्षण सामग्री एकत्रित करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की जा सकती है। भाषा का सही स्वरूप जाने के लिए प्रश्नावली बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रश्नावली के माध्यम से सूचक से भाषा वानगी प्राप्त की जा सकती है अथवा डाक से वह प्रश्नावली भेजकर भी उपयुक्त सामग्री एकत्रित की जा सकती है। प्रश्नावली का सम्बन्ध स्थान विशेष की भौगोलिक सीमाओं, ऐतिहासिक विवरणों, मनोरंजन के साधनों, वस्त्राभूषणों, शाक-भाजी फल वृत्तन तथा मौसमों, विवाह में प्रयुक्त शब्दावली, उत्सवों, पेड़ पक्षियों, खेती-बाड़ी के साधनों, आवागमन के साधनों, प्रदेश में मनाए जाने वाले पर्वोत्सवों आदि से सम्बन्धित हो सकती है। प्रश्नावली बनाते समय स्थूल चीजों पर प्रश्न पहले किए जाने चाहिए और सक्रिय, चल एवम् घटनात्मक तत्त्वों को बाद में उठाना चाहिए। बहुधा भाषा के वैयक्तिक रूपों, शैलीगत भेदों, मुहावरों, लोकांतिकियों आदि को प्रश्नावली द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए सर्वेक्षक को चुटकने, लाकरीन, लोक-कथाएँ, विभिन्न वार्तालाप, सूचकों के सस्मरण आदि अलग से एकत्रित करने होंगे। लडाईं भगड़े में प्रयुक्त शब्दावली, वाद विवाद या गर्मागर्मी में स्वप्रसूत गालियाँ अथवा व्यंग्यपूर्ण कथन एकत्रित करने के लिए आकस्मिक स्थितियों की अपेक्षा होगी। प्रश्नावली कितनी बड़ी होनी चाहिए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके लिए अनिवार्य है कि शब्दावली की भिन्न कोटियाँ बनाई

जायें और अलग अलग तथा छोटे-छोटे प्रश्नों की सूचियां उन विभिन्न कौटियों अथवा वर्गों के माथ जोड़ दी जायें। ऐसा करने से सूचक के लिए प्रत्येक सूची का उत्तर देने के लिए अपेक्षित मानसिकता जुटाना कठिन नहीं होगा। डा. हरदेव बाहरी ने शब्दावली तथा वाक्यावली के अनिश्चित गुण अथवा सामग्री को रिकार्डर (Recorder) अथवा शीघ्र त्रिपि के माध्यम से गृहीत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उनकी दृष्टि से सामग्री मरतन कर्ता की कोई एक मॉड-बन्धा, कुछ लोक-गीत, किसी विवाह का वर्णन, मंत्रियों के वार्तानाप आदि भी रिकार्ड (record) करने चाहिये। कुछ सूचियां यथास्थान-विशेष की जातियों, उपजातियां के नाम, सामान्य नाम-सजाए कहावतें, मुहावरें, पहेलियां, कुछ ध्वनि-सूचक शब्द, उच्चारण मन्वन्धी विशेषताएँ, प्रचलित विदेशी शब्द आदि तैयार कर लेने चाहिए। इतना सबकुछ कर लेने के उपरान्त मरतन सामग्री के प्रत्येक शब्द का विशेषण कर वर्ग तैयार कर लेने चाहिए और प्रत्येक वर्ग में आए शब्दों अथवा वाक्यों का अलग से व्युत्पत्ति मूलक अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने से सर्वेक्षक व्याकरण की दृष्टि के अनुकूल शब्दों की मूल धातुओं, प्रत्ययों और उपसर्गों के प्रयोग द्वारा शब्द रचना, विभक्तियों के प्रयोग से अर्थ-परिवर्तन और भाषा की मूल प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए अपने निष्कर्षों की प्रतिष्ठा कर सकता है। यदि सर्वेक्षक प्रदेश विशेष की मूल-भाषा के अनिश्चित उम प्रदेश में दखल रखने वाली अन्य भाषाओं में परिचित नहीं तो उमके लिए निश्चय ही प्रचलित शब्दों का उद्गम जानना कठिन हो जायगा। पंजाब में प्रार्थना के लिए मिश्रण में प्रचलित शब्द 'अरदाम' का उद्गम तब तक कल्पना भी नहीं किया जा सकता, जब तक कि सर्वेक्षक यहाँ के इतिहास और मुगल दरबार की पद्धतियां से परिचित नहीं होगा, 'अर्ज-दास' क्या कर 'अरदास' बन सकता है, यह जानकारी तभी सम्भव है, जब यहाँ का सर्वेक्षक यहाँ की शब्दावली में अरबी, फारसी शब्दों एवम् प्रभावों का पूर्ण जानकार हो।

उपर्युक्त सामग्री के वर्ग बना लन के उपरान्त सर्वेक्षक अपनी सूझ-बूझ और चिन्तन मनन के द्वारा शोध का घरातल तैयार करता है। एक ही शब्द के अलग-अलग विम्बों, प्रतीकों और प्रतिविम्बों को व्याख्यायित करता हुआ वह शब्द-प्रयोग की विधियां और अर्थ भेदों को निश्चित कर सकता है। धम, जाति, अथवा आर्थिक स्तर के कारण पृथक शब्दावलियों का पूर्णतः अलग परिप्रेक्ष्य में देखना होता है। उमके गतिहासिक, पौराणिक घरातल को जानना होता है और साथ ही उन प्रसंग-वर्थाओं का परिचय प्राप्त करना हाता है, जो उम सन्दर्भ में कभी प्रचलित रही होगी। तभी सर्वेक्षक उक्त शब्दावली के सम्बन्ध में किसी मही निरुपेय पर पहुँच सकता है।

(घ) साहित्य की समाज शास्त्रीय शोध—

साहित्य और समाज में सर्वैक एक अविच्छिन्न सम्बन्ध रहा है। साहित्य की प्रत्येक विद्या किसी न किसी सामाजिक पहलू पर निश्चय ही प्रकाश डालती है। यह

भी सही है कि समाज का अध्ययन समाज-शास्त्र समाज के अस्तित्व में आने की आधार-सामग्री से लेकर समाज के विवक्षित रूपों, सामाजिक आवश्यकताओं, विविध पहलुओं और सस्याओं का अध्ययन प्रस्तुत करता है। ये ही आधार कदाचित् साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में चर्चायित सांकेतिक अथवा उत्सर्जित होते हैं। अतः जब हम समाज शास्त्रीय शोध की बात करते हैं तो हमारे सम्मुख साहित्य में से उभरने वाले दो तथ्य प्रकाश में आते हैं—एक वह समाज जिसका चित्रण साहित्यकार ने अपनी रचना में किया है और दूसरा वह समाज जिसकी वह अपनी रचना में कल्पना करता है।

अभिप्राय यह कि किसी साहित्य विधा पर समाज शास्त्रीय शोध करते हुए दो प्रकार के अध्ययनों को अपनाया जा सकता है। प्रायः शोधार्थी समाज के विभिन्न पहलुओं का चित्रण तो साहित्यिक रचना में से उत्खनित करने में सफल होते हैं और आज अधिकांश साहित्य-शास्त्रीय शोध इसी पहलू पर हो रही है। दूसरा पहलू अज्ञात रह गया है। शोधार्थी उस ओर भी ध्यान दे सकते हैं और एक ऐसे नवीन और साहित्यकार द्वारा अभीक्षित समाज की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं, जो यूटोपिया भी हो सकती है और विद्रोहपूर्ण रूढ़ि-भंग समाज भी हो सकती है।

समाज शास्त्रीय शोध के इन दोनों लक्ष्यों का अध्ययन करने के लिए शोधार्थी को अपने समाज का पूर्ण परिचय होना अनिवार्य है। रचना का सम्बन्ध जिस समाज से है, उस समाज के रीति रिवाज परम्पराएँ पर्वोत्सवों की जानकारी भी शोधार्थी को होनी चाहिए। इस स्थिति में उसका अध्ययन समाज में नारी की स्थिति, सामाजिक सम्बन्धों का स्वरूप, सामाजिक सस्याओं का परम्परित महत्त्व और समाज के सीमित धेरो के अन्तर्गत आने वाले रीति रिवाजों का मूल्यांकन करना होगा। यदि इससे इतर वह अपने अध्ययन को और अधिक विस्तार देने का प्रयास करें तो उसमें मानवीय सम्बन्धों और इनमें अन्य समाजों की विचार धाराओं के सम्मिश्रण तथा उसके प्रभाव का अध्ययन भी सम्मिलित किया जा सकता है। दूसरा पक्ष जो शोधार्थी अछूता छोड़ देते हैं—उमका अध्ययन एक पृथक प्रभाव के रूप में किया जाना चाहिए। साहित्यिक विधा में उत्सर्जित होने वाले समाज की एक भागी इसमें प्रस्तुत की जा सकती है। लेकिन समाज में क्या परिवर्तन चाहता है? पुरातन परम्पराओं और रूढ़ियों से अलग रहकर वह कौन सी नवतन्त्रियों को समाज का अंग बना देना चाहता है? अथवा उमकी विद्रोह भावना समाज के किन गतिमान अंगों की प्रत्यक्ष क्रिया कर उसमें स्वास्थ्य-बीजारीपण करना चाहती है, ये तीनों ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनका उत्तर यदि शोधार्थी खोज सकें और अपने शोध-ग्रन्थ को महत्त्वपूर्ण मामलों बना सकें, तो उसके समाज शास्त्रीय अध्ययन में एक विशेष सार्थकता आ सकती है।

समाज शास्त्रीय शोध की साहित्यिक विधि के सम्बन्ध में हम शोध-छानने का ध्यान दो महत्त्वपूर्ण बातों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं—1 शोधार्थी साहित्यिक

रचना को पढते हुए उन घटनाओं को अलग करता चले, जो किसी सामाजिक पहलू पर प्रकाश डालती हैं, 2 घटनाओं को अपने समाज-सम्बन्धी मूल अध्ययन के मान-दण्ड पर परखें। ऐसा करने से निष्कर्ष रूप में शोधार्थी के पास चार तथ्य एकत्रित होंगे—(1) समाज के वे पहलू जिनका चित्रण साहित्यकार ने किया है। (2) चित्रित सामाजिक पहलुओं की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता। (3) वर्तमान समाज से बदला हुआ लेखक का दृष्टिकोण, (4) उक्त दृष्टिकोण का महत्व और मूल्यांकन। इन चारों तथ्यों को समाज के विभिन्न अंगों और दिशाओं के परिप्रेक्ष्य में यदि क्रम-पूर्वक व्याख्यायित किया जाए तो समाज शास्त्रीय शोध का रूप प्रकट हो सकता है। हिन्दी उपन्यास, कहानी, नाटक अथवा कविता, किसी भी विधा में इस प्रकार का अध्ययन सम्भव है। शोधार्थी का स्वयं समाज शास्त्र का गहन ज्ञान होना आवश्यक है।

(ङ) साहित्य की मनोवैज्ञानिक शोध

समाज-शास्त्रीय शोध के समान ही यहाँ साहित्य की विभिन्न विधाओं में मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन एवं नवीन उत्सृजित मानसिक वृत्तियों का अंकन किया जाता है। इस प्रकार की शोध एक सीमित दिशा में केवल उन्हीं रचनाओं से सम्बद्ध हो सकती है जो व्यक्ति प्रधान या विषयी प्रधान हुआ करती हैं। कथा साहित्य में व्यक्ति की प्रधानता प्रमुख है, तो काव्य में विषयी-परकता की। कथाकार अपनी जिस रचना में व्यक्ति जीवन को सम्मुख रखकर उसकी मनोवृत्तियों को चित्रित करता है, प्रायः वह मनोवैज्ञानिक रचना कहलाती है। कवि की विषयी-परक रचना में उसके निजी भाव उजागर हो रहे हैं और उन भावों के माध्यम से व्यक्ति रूप में स्वयं कवि अपनी मानसिकता का प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जब उक्त प्रकार की रचनाओं में से किसी पक्ष का शोध अपेक्षित होता है, तो हम उसे मनोविज्ञानधारित साहित्यिक शोध कहते हैं। प्रचलित भाषा में साहित्यिक धरे के अन्तर्गत इसी को मनोवैज्ञानिक शोध भी कह दिया जाता है।

मनोवैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला शोधार्थी सामान्य मनोविज्ञान से परिचिन होना चाहिए। क्योंकि आजकल असामान्य अथवा विकार-युक्त मनोभावों का चित्रण लेखकों को अधिक ग्राह्य है, इसलिए असामान्य मनोविज्ञान का अध्ययन भी शोधार्थी के लिए अनिवार्य हो जाता है। कुछ बातें ऐसी भी हैं, जो वातावरण, आनुवंशिकता अथवा परिस्थितियुक्त अस्थायी विकारों से सम्बन्धित हानी हैं। इनका तथ्य बोध भी उतना ही अपेक्षित है, जितना कि मनोविज्ञान का क्रमिक अध्ययन। उदाहरणार्थ जैनेन्द्र की सुनीता द्वारा जगल में हरिप्रसन्न के सम्मुख निवमना हो जाने वाली घटना मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए सुनीता की परिस्थितियों की सही जांच एवं मनोविकारों के उदय के मूल कारणों एवं उपचारणों का उचित ज्ञान शोधार्थी के लिए अपेक्षित होगा। पति के प्रतिकूल आदेशों के कारण स्त्री से भरी हुई सुनीता जगल में हरिप्रसन्न में उभरते हुए पशु को देखकर भयभीत होती है और

स्वीकृत तथा भय की वृत्तियों का सगम अक्सर अस्थायी उन्माद का कारण बनता है, यही सुनीता की स्थिति है। मनोविज्ञानाधारित शोधार्थी को इस प्रकार की अनेकानेक परिस्थितियों का विश्लेषण करना पड़ता है। काव्य ग्रन्थों के शोध के समय कवि की अन्त वैयक्तिकता को उघाड़ने की आवश्यकता होती है। इसके लिए शोधार्थी को अनुमान-प्रमाण का आश्रय लेना पड़ता है। किसी एक उभरती हुई भावना के लिए एकाधिक अनुमान लगाए जा सकते हैं, और उन अनुमानों को मनोवैज्ञानिक प्रयोग की कसौटी पर परख कर किसी अन्तिम निष्पत्ति पर पहुँचा जा सकता है। उपनव्य मनोवैज्ञानिक शोध-ग्रन्थों में अनुसन्धित्त्वग्रन्थों ने प्रायः मूल रचनाओं में अदृष्टिगत वृत्तियाँ, विकारों, मनोगतों, सवेगों, मानवीय सम्बन्धों, घुटन, तनाव आदि के कारणों का विश्लेषण मान लिया है। किन्तु अध्ययन का यह ढंग अधूरा है, इसे सही रूप में साहित्य की मनोवैज्ञानिक शोध नहीं कहा जा सकता। जब तक शोधार्थी विश्लेषण किए इन मनोवैज्ञानिक ग्रन्थों को साहित्यिक रचनाओं के अन्तर्गत आने वाली घटनाओं से पुष्ट करते हुए किसी समजित निष्कर्ष का मन्देह नहीं देता, तब तक मनोवैज्ञानिक शोध का लक्ष्य सम्पन्न नहीं होता।

विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के कथनों पर आजकल ज्यादा बल दिया जाता है। प्रयास यह किया जाता है कि रचनाकार के कथन को किसी प्रकार किसी लोक विख्यात मनोवैज्ञानिक के कथन के समक्ष रखा जा सके। ऐसा करते समय शोधार्थी यह विस्मृत कर देना है कि लेखक साहित्यकार है, मनोवैज्ञानिक नहीं, उसके कथन पारिभाषिक नहीं, व्यावहारिक होते हैं। इसलिए जहाँ व्यवहार का अध्ययन करना है वहाँ परिभाषा आधार तो बन सकती है, लेकिन व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर सकती। व्याख्या के लिए शोधार्थी का बहु-अधीन, बहु-श्रुत एवम् बहु-अनुभूत होना अपेक्षित है। उसका व्यावहारिक जीवन तथा उसका मनोवैज्ञानिक ज्ञान परस्पर एक-दूसरे के अभाव को पूर्ण करते हुए शोध परक समीक्षा का मार्ग निर्दिष्ट करते हैं।

शोधार्थी को साहित्यिक क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम चयित रचनाओं के अन्तर्गत उजागर होती हुई मनोविकृतियों की 'सूची' तैयार करनी चाहिए। उपरान्त उन मनोविकृतियों में से समता की दृष्टि से वर्गीकरण करते हुए मनोवैज्ञानिकों के कथनों का आधार लेकर, उनकी व्याख्या में लेखक की अनुभूतियाँ, आत्मकेन्द्रित पात्रों के प्रति सहानुभूति, परिस्थितियों के जाल में विवशता के कारण उभरते हुए विकार, सब का समीकरण होता है। यदि ऐसी व्याख्याओं की अपेक्षा करते हुए शोधार्थी लकीर का ककीर बनने का प्रयत्न करे, तो उसके द्वारा प्रस्तुत शोध को साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहा जाना चाहिए।

साहित्य के मनोवैज्ञानिक अध्ययन का एक और पहलू भी है। साहित्यिक रचनाओं में कभी-कभी लेखक की दूर-दृष्टि के कारण कुछ नवीन मन-तत्त्वों का उत्सर्जन होता है। साहित्य के समाज शास्त्रीय अध्ययन में जैसे शोधार्थी नवीन समाज

में उभरते हुए तत्वों को सकलित कर सकता है, उसी प्रकार मनोवैज्ञानिक अध्ययन में नवीन उभरती हुई मनोवृत्तियों को सकलित कर सकता है और फिर उस पर एक अध्ययन महति की नींव रखते हुए, नवीन दिशा-निर्देश दे सकता है। यह अध्ययन भी साहित्य की मनोवैज्ञानिक शोध ही कहलाएगा, परन्तु इसमें मनोविज्ञान प्रमुख हो जायेगा और साहित्य गौण।

(घ) साहित्य की सौंदर्यशास्त्रीय शोध

सौन्दर्य सार्वजनिक अनुभूति है। न्यूनाधिक दृष्टि में यह अनुभूति किसी को भी आकर्षित करती एक सहृदय के मन को स्पर्शित कर देती है। “कलाप्रा की रूप-कल्पना से प्राप्त प्राह्व की अनुभूति को पाश्चात्य सौन्दर्यानुभूति कहते हैं। काव्य साहित्य की अनुभूति को भारतीय जनबादों ने रसानुभूति की संज्ञा दी है। वस्तुनिष्ठ दृष्टि से सौन्दर्यानुभूति कलाकृति के रूप की है और रसानुभूति बाह्यगत भावव्यञ्जना की। अनुभूति की दृष्टि में दोनों की प्रकृति में साम्य का अभाव नहीं है।”¹ पाश्चात्य सौंदर्यशास्त्र दर्शनाधारित है। इसमें चिन्तन सौंदर्य के तात्त्विक रूप का अधिक उद्घाटन करता है, कला या साहित्य की व्याख्या एवं उसमें से प्राप्य आनन्द की अनुभूति को प्रकट नहीं करता। इसीलिए भारतीय रस-मिद्धान्त के वर्तमान व्याख्याताओं ने सौंदर्य की रचना का बाह्य गुण अथवा रूपगत विशेषता मानकर उसे रस से निम्न स्थान पर रखा है। दर्शन से हटकर सौंदर्यशास्त्र का लक्ष्य कविकर्म होता है, जबकि भारतीय चिन्तन (रसानुभूति या रसशास्त्र) ग्रहण करने वाली अनुभूति की दृष्टि से काव्य-व्यवस्था की चर्चा करता है। सौंदर्य रूपाधिन है, रस अनुभूति जन्य। आधुनिक साहित्य चेतना में पाश्चात्य चिन्तन के प्रवेश के कारण प्रायः आलोचक भारतीय काव्य-कृतियों को पाश्चात्य मानदण्डों पर परखने का लोभ सवरण नहीं कर पाते। रसानुभूति के माध-भाय के कृति के रूपगत, मानगत, अनुपान एवं आकारगत सौंदर्य का अध्ययन करना भी अपेक्षित समझते हैं। यही कारण है कि आज सौंदर्यशास्त्रीय शोध का प्रश्न उपजा है।

सौंदर्यशास्त्रीय शोध के आधार दो विशिष्ट तत्त्व हैं—सौंदर्यानुभूति एवं सौंदर्यबोध। सौंदर्यानुभूति का मूलतः आश्रय होता है। आश्रय की निजी मनोदशा वस्तु के सौंदर्य को इंगित करती है। यदि आश्रय में सवेदनशील आत्मा का अभाव है, अथवा उससे सौंदर्य में अभिरुचि नहीं (विरक्त, त्यागी अथवा उदासी व्यक्ति में सौंदर्याभिरुचि नहीं होती) तो निश्चय ही सौंदर्य इसके लिए अस्तित्व की चीज होगा।² आश्रय प्रायः अपने व्यक्तित्व के अनुसार ही सौंदर्य में रुचि लेता या सौंदर्य

1 डॉ. एम. टी. नरसिंहाचारी : सौंदर्य तत्त्व निरूपण । पृ. 39

2 To take an immediate interest in the beauty of nature (not only have a taste in estimating it) is always a mark of good soul. A. C. Bradley, quoted by Dr. S. T. Narsinhachari.

ग्रहण करता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला मनुष्य वस्तु के बाह्य स्वरूप पर ध्यान देता एव उसका सामाजिक मूल्य आकता है, जबकि अन्तर्मुखी व्यक्तित्व का आश्रय वस्तु की भौतरी सौंदर्य-भावना को ग्रहण करता है। बुद्धि को सौंदर्यास्वादन में कोई स्थान नहीं। तर्क प्रायः सुन्दरता की हत्या कर देता है, केवल भावुकता ही सौंदर्य की रपगत मूक्षमता के तल तक पहुँच सकती है। इसमें व्यक्ति के आनुवंशिक संस्कार सहयोगी होते हैं।

सौंदर्यानुभूति का आधार काम है। ज्यो ज्यो व्यक्ति में काम-भावना परिपक्व होती है, त्यों-त्यों सौंदर्यानुभूति के संस्कार विकसित होते हैं। यदि यह विकास अनुदात्त है तो सौंदर्य के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया वासनात्मक होगी और यदि काम का विकास उदात्त-भावी है तो सौंदर्य के लिए प्रेम उपजेगा। इस स्थिति में वस्तु इसलिए सुन्दर होती है, क्योंकि व्यक्ति के मन में उसके प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है। डॉ एन टी नरसिंहाचारी ने इस तथ्य के प्रमाण में विलडुरट को उद्धृत किया है—

A thing is beautiful, first of all, because it is desired so we desired nothing originally because it is beautiful, but we consider it beautiful because we desire it' (Will Durant Mausians of Philosophy P 286) तात्पर्य यह कि आश्रय वस्तु के प्रति जैसी प्रतिक्रिया करता है, उमी के परिमाण में उसके मन में सौंदर्य स्पष्ट होता है। इसी दृष्टि से काली लला भी मञ्जू के लिए अगिच सुन्दरी बन सकी थी। जर्मन विचारक कांट (Kant) ने सौंदर्यानुभूति की चार विगिष्टताएँ स्वीकार की हैं। 1 सौंदर्य सार्वभौम तथा सार्वजनीन अनुभूति है। 2 शुद्ध सौंदर्यानुभूति निर्लिप्त होती है। 3 वह किमी भौतिक उपादेयता के वर्ग भी सार्वक होती है। 4 सौंदर्यानुभूति मन-इन्द्रियों के स्वतन्त्र क्रियान्वयन पर आश्रित होती है, जो संस्कार के विकास के परिणाम स्वरूप जागृत होता है।

सौंद शास्त्रीय अध्ययन करने वाले णोधार्थी को साहित्यिक कृति में ऐसी सौंदर्यानुभूति को खोज करनी होती है, जो ऐन्द्रिकता से मानसिकता एव मानसिकता से आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होती है। साहित्यिक सौंदर्य की पूर्णता प्रथम दो धरातलो के मामजस्य में ही विद्यमान होती है। उत्तम रचना में ऐन्द्रिय सौंदर्यानुभूति को उच्च धरातल तक पहुँचाया जाता है। इसी यथार्थ की सप्रमाण पुष्टि सौंदर्यानुभूति अन्य अध्ययन होता है।

सौंदर्यशास्त्रीय अध्ययन में यदि मनोविज्ञान की सहायता ली जाये, तो सौंदर्यानुभूति को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित कर अध्ययन का विषय बनाया जा सकता है। ये अवस्थाएँ हैं—1 सौंदर्य के प्रति आकर्षण 2 सौंदर्य-रहस्य की जिज्ञासा, 3 सौंदर्य के अन्तर्दर्शन में प्राप्त मौख्य, 4 सौंदर्य-दर्शन में निरन्तर अतृप्ति,

5 स्वप्न-दर्शन, तथा 6 तन्मयता का ध्यानन्द । उदाहरणार्थ यदि हम मूरदास की गोपियों की वृष्ण-सौंदर्य के प्रति उदात्त प्रतिक्रिया का मनोविज्ञानाधारित सौंदर्यशास्त्रीय अर्थग्रहण करने चाहे, तो हमें इन्हीं छ प्रवस्थाओं से गुजरना होगा । अध्ययन का प्रथम विषय स्वयंभू सौंदर्य के ऐन्वियर घरातल को मानसिक घरातल की ओर सुप्रेरित करेगा । वहाँ कवि तथा कृति, दोनों में की सौंदर्यानुभूति उच्च घरातल पर स्थापित होगी । 'वामायनी' का 'वाम' शब्द हमारी उपयुक्त समूची व्यवस्था का सही उत्तर जुटाना है—सौंदर्य के प्रति मानवीय कामना का उदात्त अथवा अनुदात्त विषय जिन परिणामों की सम्भावना प्रस्तुत करता है, श्री जयशंकर प्रसाद ने उनका सुन्दर निरूपण उक्त शब्द में किया है ।

सौंदर्यशास्त्रीय अध्ययन करने के लिए शोधार्थी के पास सौंदर्य को परख मचाने का विशेष सम्भार होना भी अनिवार्य है । यही सम्भार मनुष्य का सौंदर्यबोध कहलाता है । सौंदर्य के प्रति चाहत एवं भावन-व्यापार धीरे धीरे सौंदर्यबोध को रूपायित करते हैं । रचनागत या शिल्पगत सौंदर्यबोध का उदय अभिरुचि से ही सम्भव है । यदि किसी व्यक्ति को शास्त्रीय संगीत में रुचि नहीं, अथवा वह उसमें अभिरुचि को विकसित नहीं कर पाया, तो संगीत का सूक्ष्म सौंदर्य कभी भी उसके बोध का विषय नहीं बन सकता । जीवन या जगत में किसी भी स्थिति में सौंदर्यबोध के लिए पहले बार-बार के अभ्यास में उमम अभिरुचि जगाई जाती है, तब उसमें या सौंदर्य व्यक्ति के सम्मुख उद्घाटित होने लगता है । रचना का सौंदर्य सूक्ष्म अनुशीलन के आश्रय के आस्वादन का कारण नहीं बन सकता । मनुष्य अपने परिवेश तथा सामाजिक सम्भारों में भी सौंदर्यबोध ग्रहण करता है । समाज की परम्पराएँ, सांस्कृतिक चेतना अथवा उपनधि का स्तर मानवीय सौंदर्यबोध को प्रभावित करते हैं । ईरानी काव्य में 'नरगिरी शिल्प' की मुरन्दरता और भारतीय कविता में 'कमल नयन' के सौंदर्य की तुलना में जानिगत उपलब्ध सौंदर्य का स्कार देखा जा सकता है । ईरानी स्त्रियों की आँखें गोल होती हैं, भारतीय स्त्रियों की कमल-पत्र समान लम्बायमान—दूरी पर सौंदर्यबोध नरगिरि या कमल के उपमानों की खोज करता है । मनुष्य का व्यक्तित्व, जीवन-परिवेश, रहन सहन का स्तर, आर्थिक भेद आदि तथ्य भी सौंदर्यबोध के निर्धारण में सहयोगी होते हैं । घनवानों में सुकुमारता का सौंदर्य निर्धनों में गठित शरीर के सौंदर्य से प्रायः तुलनीय होने हैं । व्यक्तित्व के अन्तर्मुखी या बहिर्मुखी होने के कारण प्रकृतिजन्य, मानवीय अथवा सृष्टिजन्य सौंदर्य के दृष्टिकोण भेद बन सकता है । बिहारी की गुलाब-सी नायिका, जिसने शरीर पर चिपकी गुलाब की पलुडियाँ अदृश्य हैं और गोरखनाथ की नायिका, जो केवल मांस-मज्जा, हाड-चाम की तृणित पुतलिका है, इसी दृष्टि भेद की परिणाम है ।

आधुनिक चिन्तकों में भी ऐसी विद्वान (शोध) मौजूद हैं, जो वस्तु सौंदर्य को महत्व नहीं देते । वे उसने सूक्ष्म अनुशीलन द्वारा वस्तु के भीतर का सौंदर्य अकने का

सुप्रयास करने का परामर्श देते हैं। उनके मतानुसार साहित्य में अभिव्यजना की अवस्थाएँ ही कला है, सौंदर्य उनका बाहरी मूल्य है। सौंदर्यशास्त्रीय शोध-कर्त्ता को सौंदर्यानुभूति एवं सौंदर्यबोध के तत्त्वों का माध्यम से साहित्यिक कृति का अभिव्यजनागत अवगाहन करना होता है। अभिव्यक्ति के भीतरी एवं बाहरी रूपों का उद्घाटन करना होता है। भीतरी रूप की खोज वह कवि के भावा, मनोविपारी, सोच, कल्पना एवं समूच भावन-व्यापार के सौंदर्य में करता है। बाह्य सौंदर्य भाषा, शैली, कथन, अलंकार, रीति एवं वक्रोक्ति में प्रकट होता है। कवि की लालित्य-योजना उसके भावन-व्यापार में रहती है, तो उसकी सुन्दर सशक्त अभिव्यक्ति नीतिजन्य तथा वक्रोक्ति-युक्त भाषा में सौंदर्यशास्त्रीय शोधार्थी इन्हीं दोनों पहलुओं से रचना के सौंदर्य का सबके लिए आस्वाद्य बनाता है। शोधार्थी को कलाकार के सौंदर्यबोध को पहचानना होता है, जो कि निश्चय ही माध्यम में अभिव्यक्त होता है। वह अपनी रूप-कल्पना को शाब्दिक अभिव्यक्ति देकर बुद्ध कह जाता है। शोधार्थी को उन शाब्दिक रूपों में से साहित्यकार के सौंदर्यबोध का निर्धारित करना होता है—इसमें सौंदर्यशास्त्रीय अध्ययन का सही परिप्रेक्ष्य बनता है।

साहित्यकार अपनी कलात्मक-भावना के अनुरूप ही अभिव्यजना का विधान करता है। अभिव्यक्त रूप में एक शिल्पगत बहिर्मुखी पहलू भलकता है, जो साहित्यकार की रूप-कल्पना को आकार देता है—इसे विम्ब कहते हैं। विम्ब एक आकार का मानसिक रूप है। शाब्दिक आकार जब तन्वयता के कारण वास्तव का चोना पहन सजीवना ग्रहण कर लेता है, तभी वह विम्ब बनता है। विम्ब की सही जाँच तभी हो सकती है, जब कलाकार का सौंदर्यबोध परीक्षक के सौंदर्यबोध के समक्ष होता है। अनुदात्त सौंदर्यबोध वाला शोधार्थी कवि प्रसाद के नमरम सौंदर्यबोध को तब तक सौंदर्यशास्त्रीय नियन्त्रण में नहीं परख सकता, जब तक कि वह स्वयं उतना ही उदात्त स्वकार नहीं बना लेता। तात्पर्य यह कि सौंदर्यशास्त्रीय शोध काव्य में आन्तरिक और बाह्य रूप-मज्जा एवं अभिव्यजना को ही लक्ष्य नहीं करता, बल्कि विम्बों के माध्यम से वह कलाकार की रूप-कल्पना का उद्घाटन भी करता है। रचना के भीतर से वह पाठक के मन में सौंदर्यानुभूति की अभिव्यक्ति पैदा करता है और धीरे-धीरे सौंदर्यानुभूति और रमानुभूति को महज समान स्तर पर लाकर रचना को आम्बादन तथा आनन्द का विषय बनाता है। यही मूलन सौंदर्यशास्त्रीय अध्ययन कहा जा सकता है।

(ख) काव्य शास्त्रीय शोध

हिन्दी का निजी काव्यशास्त्र अभी तक निश्चिन्त विकास को प्राप्त नहीं हो सका। हमें किसी भी रचना के अध्ययनार्थ प्रायः पाश्चात्य ग्रन्थों या संस्कृत काव्यशास्त्र का आश्रय लेना होता है। इस स्थिति में हिन्दी काव्यशास्त्र शोध का महत्व और भी बढ़ जाता है। विचारणीय तथ्य यह है कि संस्कृत आचार्यों ने महान् काव्यों के

आधार पर मसूत काव्यशास्त्र रचा, पुरातन पाश्चात्य काव्य-ग्रंथों के महारे पश्चिम के अनुसंधित-मुद्रों ने पाश्चात्य काव्यशास्त्र की नियमावली तैयार की, ऐसे में हिन्दी का शोधार्थी क्यों अपने युग की रचनाओं का विश्लेषण-विवेचन करते हुए उनकी रचना-धर्म प्रवृत्तियों को निश्चित करने का साहस नहीं करता। इस दिशा में हिन्दी के शोधार्थियों की प्रवृत्ति का निराकरण करना होगा—उनमें नवीन काव्यशास्त्रीय तथ्यों की खोज का उल्हास जगाना होगा।

काव्य की परिभाषा, काव्यात्मक का प्रश्न, काव्य के तत्व, प्रयोजन, स्वरूप, अभिव्यक्ति के अर्थ, शैलीगत विश्लेषण-विवेचन, विधागत तत्त्व एवं प्रकार, रस-सौंदर्य, व्यञ्जना एवं असाधारण अर्थ बोध आदि का विस्तृत अध्ययन-क्षेत्र काव्य शास्त्र के अन्तर्गत माना जा सकता है। किसी कवि या लेखक, रचना-धर्म प्रवृत्ति, वाद विग्रह अथवा साहित्यिक धारा की धारणाओं को निगमन द्वारा स्थापित करने के सम्बन्ध में किया गया अनुसंधानात्मक कार्य काव्यशास्त्रीय शोध कहलाएगा। इस दिशा में कार्य करने वाला अनुसंधित अपने आलोच्य लेखक, कान, धारा या वाद की सीमाओं में आने वाली समूची रचनाओं का सर्वेक्षण करता है। उनमें वे समान तत्वों को अलग करता है। विषयताओं को उपयोगिता की कसौटी पर कसता है, और फिर समान तत्वों की अनिवार्यता स्वीकार करते हुए उपयोगी विषय तत्वों का विश्लेषण-विवेचन भी करता है। किसी भी रूप में जब उनकी उपयोगिता स्थापित हो जाती है, तो उन तत्वों के महत्व का भी वह निर्देश करता है। इस प्रकार एक नए काव्यशास्त्र का जन्म होता है—जैसे छायावादी कवियों के काव्य-सिद्धान्त अथवा भक्तिकालीन कवियों के काव्य सिद्धान्त।

आज ससूत काव्यशास्त्रियों पर आश्रित रहकर हम हिन्दी में नित्य नवीन लिखे जा रहे महाकाव्यों का सही मूल्यांकन नहीं कर सकते। वर्तमान स्थिति में या तो हम उन रचनाओं को महाकाव्य ही नहीं मानते, या उनके प्रति उपेक्षित दृष्टि बनाए रहते हैं। परिणाम यह है कि रचना-क्षेत्र में निरन्तर विकास होत हुए भी उसके अध्ययन-क्षेत्र में गतिरोध पैदा हो गया है। इसे दूर करने के लिए वर्तमान की सहज भाव है कि हम नवीन उभरती हुई प्रतिमाओं की काव्य-मान्यताओं की जांच परख करें। ऐसा करने के लिए हमारी आधार सामग्री जहाँ आलोच्य कवि की सर्जनात्मक कृतियाँ होंगी, वहाँ उसके द्वारा प्रकट मान्यताओं का व्योरा भी अनिवार्य होगा। उदाहरणार्थ यदि हमें श्री मुमित्रानन्दन पंत के काव्य-सिद्धान्तों का अध्ययन करना होगा, तो हम उनके काव्य ग्रन्थों को तो सकलित करेंगे ही। साथ ही उनकी समीक्षात्मक भूमिकाएँ एवं स्वतन्त्र प्रथा का अन्वयन अनिवार्य होगा। पन्तजी के काव्य-संग्रह में लिखी गई भूमिकाएँ (यथा 'आधुनिक कवि' की भूमिका) तथा 'छायावाद एक पुनर्मूल्यांकन' सरोखी समीक्षात्मक कृतियाँ इस दिशा में अन्यतम महत्व की चीजें हैं। यह सही है कि पन्त जी काव्य मान्यताओं की स्थापना केवल इन समीक्षात्मक ग्रंथों पर नहीं होगी—उसका मूल आधार पन्त की काव्य रचनाएँ ही होंगी, तथापि

पन्न के द्वारा प्रकट काव्य सम्बन्धी प्रत्यक्ष याप रोक्ष विचार अध्ययन की दिशा निश्चित करन मे अवश्य सहायक होंगे। महादेवी वर्मा की 'यामा' की भूमिका तथा 'साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबन्ध' आदि रचनाएँ भी इस दिशा में सहायक हो सकती है। प्रायः कवियों के काव्यधारणा सम्बन्धी तत्त्व उनकी रचना मे ऐसे घुले-मिल से होने है कि उनकी काव्य-वृत्तियाँ एव यत्र तत्र प्रकट काव्य-सम्बन्धी विचारों के सही आकलन-मूल्यांकन द्वारा ही हम व्यक्तिगत काव्य-सिद्धान्तों का रूप निश्चित कर सकते है।

इसके विपरित यदि किसी काल-विशेष अथवा धारा-विशेष के रचनाकारों की काव्यधारणाओं के सम्बन्ध मे अध्ययन करना हो, तो उपयुक्त पद्धति को सामूहिक रूप से प्रयोग मे लाना अपेक्षित होता है।

वर्तमान काल मे लेखक प्रयोगवादी है। वह रचना के नए नए प्रयोग कर रहा है। 'यशोधरा' 'उर्वशी' आदि आधुनिक रचनाएँ काव्य के पुराने साँचों मे नहीं ढाली जा सकती—'उमिला' 'कंकयी' और 'मीरा' सरीखी रचनाओं मे नायिका प्रधानता उन्हें पुरातन महाकाव्य के साच के योग्य नहीं रहने देती—प्रमचन्द, निराला जैसे साहित्यकारों पर लिखे गए महाकाव्य नायक की दृष्टि से महाकाव्यत्व के अनुरूप नहीं, तो क्या एनी स्थिति मे हम वर्तमान प्रयोग की प्रत्येक रचना को घटा बतानी होगी? नहीं, उन रचनाओं के अनुरूप काव्य-सिद्धान्त गढ़ने होंगे। नवीन काव्य-सिद्धान्तों की खोज मे की गई साहित्यिक मुहिम का नाम ही काव्य-शास्त्रीय शोध होगा।

मात्र काव्य-क्षेत्र मे ही नहीं, परम्परागत रूप-विधान प्रत्येक साहित्यिक विधा मे बदल रहा है। कोई भी संप्राण, सशक्त नवीन रचना अब पुराने साच मे ढाली नहीं जा सकती। उसके लिए नवीन साँचों की खोज भी अनिवार्य है। आज उपन्यास की रचना को परम्परित तत्त्वों पर परखा नहीं जा सकता। उपन्यासकारों ने युग बोध के अनुकूल अनक नए प्रयोग किए है। उनकी कतिपय उदात्त रचनाओं को पश्चिम वादा ने महाकाव्यात्मक विशेषण से सुसज्जित किया है—परिणामत एव तो महाकाव्य की भीमाएँ पथ के साथ साथ गद्य को छूने लगी हैं और दूमरे, गद्य का घेरा व्यापक होने के कारण नवीन शैलियाँ जन्म लेने लगी हैं। पश्चिमी काव्यशास्त्रों की उक्त घोषणा का आभार परिवर्तित रूप मे लीजाइनस का उदात्त तत्व ही है, किन्तु क्या हिन्दी साहित्य-शास्त्र अब इतना इतना सबल नहीं हो चुका कि वह अपने लिए स्वयं मोच सके।

विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पारस्परिक प्रभावों का महत्त्व आज बढ़ता जा रहा है। सिनेमा के लार्ड-शेड एर ध्वनि के तकनीक रगमच तेजी के माध्य ग्रहण कर रहा है। नाटक के लिए रगमच वाली बात पुरानी हो गई है—बहुधा रगमच और नाटक साथ-साथ चलने लगे हैं, प्रत्युत कदाचित् रगमच भागे बढ़ जाता है। **कहानी**

घोर उपन्यास में अनुराग बढ़ रहा है, प्रदत्त तन्त्रों के सम्मुख विचार-चिन्तु (Point of thought) एकदम तात्त्विक महत्त्व ग्रहण कर गया है। आज ता कवाचार विचार-विन्दु को ही कथा का मूल तत्त्व मानकर रचना को आचार द रहा है।

परिवर्तन इतना तीव्र और तीव्रगामी हो गया है कि छायावाद, छायावादोत्तर, प्रयोगवाद, नयी कविता, विचार कविता आदि धाराओं की रचना प्रयोग व स्तर पर प्रयोग होने का दावा करती हैं। नि मन्दे उक्त दाव व होत हुए भी सम्प्रति काव्य में छायावाद, परम्परित काव्य-ममय तथा पौराणिक मिथका की भन्व मिल ही जाती है। काव्यशास्त्रीय शाश्वती को अपन अध्ययन अत्र म इन्ही तथ्यो को वीनना, परीक्षण करना एव उन पर मँडान्तिव निर्णय देना हाता है। या भी नवीन विधाओ यथा सस्मरण, रिपोर्ताज, गद्य-गीत, रटियो नाटक, माशातार आदि का उद्मय, विदास रूपान्तरण का अध्ययन काव्यशास्त्र के ही विषय हैं। साहित्यिक विधा के अन्व विषय तन्त्रा, स्वप्ना, ह्याम-विवाम एव अन्योन्याथित प्रभावा तथा अन्य सम्भावित स्थितियों का आवलन-परीक्षण भी काव्य-शास्त्रीय शोध व अन्वर्ग हो सकता है। साहित्य विधाओ के नवीन तन्त्रा और मूल्यों की व्याख्या एव स्थापना, नए नियमो सिद्धान्तों की गोज आदि काव्यशास्त्रीय अनुसन्धान का पराक्रम हाता है।

(ज) साहित्येतिहास सम्बन्धी शोध

इतिहास की मूल-भाषना विकास' है, ऐसा भारतीय एव पाश्चात्य विद्वानों ने स्वीकार किया है। सम्प्रति घटित रिमी भी घटना के पीछे एक ममूची विकासत्मक पृष्ठभूमि मौजूद रहती है। उगवा मही उद्घाटन करना ही एतिहासिक शोध का विषय होता है। साहित्य की विभिन्न धाराओं विधाओं प्रवृत्तियों आदि के उदगम और विकास के अन्तर्गत भी इमी दृष्टि से अन्वीक्षण का उपक्रम साहित्येतिहास को रूप देता है।

डॉ गणपति चन्द्रगुप्त न हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास' में डॉरिन, स्पेमर, बर्गसा, टयायनधी आदि विकासवादी विचारकों के गम्भीर अध्ययनोपरान्त विकास-प्रक्रिया के पाँच निश्चित मूत्रा का निर्देश दिया है। वे हैं—प्राकृतिक सजंत शक्ति, परम्परा, वानावरण, द्वन्द्व या आकर्षण विषर्षण और मन्तुनन-स्थापना। विश्वास किया जाता है कि विश्व के किसी भी क्षेत्रीय विकास की व्याख्या तथा पृष्ठ-भूमिक आकलन उक्त मूत्रो के माध्यम में सम्भव है। अत साहित्येतिहास सम्बन्धी शोधार्थी के लिए हमारा सुझाव है कि वह अपनी इतिहास-परक समन्याओं के लिए पाचा मूत्रा में से सुयोग्य आचार लकर स्थिति की पृष्ठभूमि का उद्घाटन कर और तदापरात धारा के विकास, ह्यास या व्यस्तस्था-अव्यस्तस्था व मूत्रो का परीक्षण करे। ऐसा करने से उसकी शोध विषयक पृष्ठभूमि मद्द होगी और उस सबल नीव पर खडा किया गया प्रासाद सुन्दर तथा आकर्षक बन सकेगा।

प्राकृतिक मर्जन शक्ति से यद्यपि क्षेत्रीय विकास के घेरे में कई तरह के अर्थ लगाए जाते हैं, किन्तु साहित्यतिहास अथवा काव्य क्षेत्र में इसमें रचयिता की ईश्वर-रचना शक्ति अर्थात् प्रतिभा का अर्थ ही लिया जाता है। कवि की प्रतिभा ही उसके लेखन-विषय का आधार है। भारतीय काव्य-शास्त्रियों ने ईश्वर-प्रदत्त-प्रतिभा को काव्य का आधार माना है। यह वह मूल शक्ति है जो मनुष्य के भीतर छिपे हुए साहित्यकार का अनावरण करती है। साहित्यतिहास में किसी भी धारा के आरम्भिक लेखक इसी शक्ति से सम्पन्न होने के कारण नयी धारा का श्रीगणेश करते अथवा उसमें कोई महत्त्वपूर्ण मोड़ देखने में समर्थ होते हैं। उनसे पूछें उस क्षेत्र में यथावत् रचना हुई हो या उसके बीज मौजूद हों, उन्हें उनकी अपेक्षा नहीं रहती। तथापि साहित्यतिहासिक शोधार्थी का उक्त प्रतिभाशाली लेखक की धारणाओं का सम्बन्ध पीछे किसी परम्परा अथवा वातावरण से जाड़कर उसका अध्ययन प्रस्तुत करना इतिहास नियमों के अनुकूल होता है।

परम्पराएँ रूढ़ होकर 'मातृ' बन जाती हैं। भारत की आध्यात्मिक परम्परा बड़ी मजबूत है। साहित्य क्षेत्र में भक्तिकाल के उदय एवं सावक सन्तो-महात्माओं के काव्य की पृष्ठभूमि युगीन परिस्थितियों के अतिरिक्त उक्त परम्परा में खोजना उचित ही होगा। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' में वातावरण को परम्परा की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया है। वातावरण के आश्रय ही उन्होंने काल-विभाजन एवं नामकरण प्रस्तुत किए हैं। अथि काव्य मुसलमानों के शासन-स्थापना एवं अत्याचारों की प्रतिक्रिया थी या इसका मूल नाथों-सिद्धों से होता हुआ हमारी उपनिषद्-कालीन आध्यात्मिक परम्परा में था—यह आ जज्ञोष का विषय बन सकता है। द्वन्द्व अथवा आकर्षण-विकर्षण का मूल भी हमारे लिए शोध की नयी जमीन प्रस्तुत करता है। प्रायः साहित्यिक धाराएँ द्वन्द्वात्मक विकास को प्राप्त होती हैं। द्विवेदी युगीन आदर्शवादी काव्य की प्रतिश्रिया में आध्यात्मिक स्वच्छन्दता एवं पुनः इसकी प्रतिक्रिया में प्रगतिवाद का यथार्थ धरातल निश्चय ही घात प्रतिघात विधि से विकसित पा रहा था। अतः इस मूल को आधार बनाकर शोधार्थी साहित्यतिहास सम्बन्धी अनेक गुत्थियों को सुलझा सकता है। मनुजलन तो उन समस्याओं के समाधान का गुण है। जिन प्रकार नदी पर्वतों-चट्टानों से टकराती, उद्वलती मचलती जब समतल में प्रविष्ट होती है, तो शान्त भाव में बहने लगती है, उसके दोनों ओर सुन्दर नगरों का निर्माण होता है, जीवन का सौंदर्य उमड़ने लगता है, ठीक इसी प्रकार साहित्य की कोई भी धारा सन्तुलन की परिधि में आने के बाद सौंदर्यवादी जीवन-मूल्या की खान बन जाती है। आदर्शों, टकराहटों और यथार्थों में भी आगे शान्त-मुशाभित मनस्वन के काव्य-विषयों का जन्म होता है। साहित्यतिहासकार को उनके मूल का ज्ञान सफल बनाना है।

साहित्यतिहास सम्बन्धी शोध मुख्यतः तीन प्रकार की हो सकती है—

1. ज्ञात तथा अज्ञात साहित्य के आधार पर उसके इतिहास का अर्थ बनाना।

2. विभिन्न विधाओं या धाराओं का उद्भव और विकास ।

3 किसी साहित्यिक धारा की पृष्ठभूमि, धाराओं के पारस्परिक प्रभाव तथा निष्कर्ष अथवा किसी साहित्यिक प्रवृत्ति या वाक्य-रूढ़ि का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ।

इनमें से प्रथम थोड़ी सी शोध में अनुमन्वित्मु की सामग्री हस्तलिखित पाण्डु-लिपियाँ, प्रकाशित ग्रन्थों एवं ऐसी अज्ञात रचना होती है, जिनके उद्धरण या संकेत तो प्राप्त होते हैं, किन्तु मूल ग्रन्थ उपलब्ध नहीं शोधार्थी को उन मूलकी धाराएँ तथा प्रवृत्ति निश्चित करना होती है, वर्गीकरण करके प्रत्येक वर्ग में उनका काल-क्रम निश्चित करना होता है और तदोपरान्त अलग-अलग रचना । रचनाकार की रचना-धर्मों प्रवृत्ति की समूची पृष्ठभूमि अंकित करना होती है । अन्त में प्रवृत्ति क्रम से धाराओं का नामकरण करके पृष्ठभूमि, परिस्थितियाँ और परम्परा का निर्देश करते हुए प्रदत्त प्रवृत्ति का विश्लेषण का उल्लेख और बाद में प्रवृत्ति के प्रमुख कणधारों तथा उनकी रचनाओं का परिचय तथा विवचन किया जाता है । इस प्रविधि में गण लेखकों को एकसाथ चित्रित किया जा सकता है । "किसी परम्परा में प्रत्येक कृति की सही स्थिति निश्चित करना साहित्यिक का पहला काम है । कलात्मक कृतियों में सबसे पहली और सबसे प्रकट श्रुतता एक लेखक द्वारा लिखी गई कृतियों की है ।—हम किसी एक कृति या कृतियों के समूह को उसकी परिपक्व रचना मान सकते हैं और शेष कृतियों से इस दृष्टि से विचार कर सकते हैं कि वे इस दृष्टि की कृति या कृतियों से कितना निकट पड़ती हैं ।"¹ क्योंकि साहित्य की परम्परा धाराओं अथवा विकास-क्रम के वाक्यों के सदर्भ में कोई भीमा-रेखा नहीं खींची जा सकती, इसलिए साहित्यिक इतिहास में काल-विभाजनानुसार ऐतिहासिक उल्लेख सदैव सदेहाभ्यन्त रहता है । कालावधि विशेष के अन्तर्गत प्रथम तो प्रवृत्तियों/शैलियों को बाधा नहीं जा सकता (क्योंकि साहित्य की एक प्रवृत्ति वही अवरुद्ध होकर, पुनः सुगमतर या चल निकलती है), दूसरे जब एक ही काल-खण्ड में अतिधिक ढर्रे की रचनाएँ हो, तो उनका सुधार वर्गीकरण सम्भव नहीं (यथा रीतिवाच में वीर-काव्य प्रवृत्ति) । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने यद्यपि युगीन दृष्टि से एक अति मूल्य साहित्येतिहास की रचना की, तथापि इतिहास लेखन की वैज्ञानिक विधियों के सदर्भ में आज उनमें अनेक दोष देते जा सकते हैं । राजनीतिक दृष्टि से यदि काल-विभाजन किया जायगा, तो म्यात् इतिहासकार की स्थिति अधिक सुदृढ़ रह सकती है । किन्तु उक्त स्थिति में उमें राजवशा की कालावधियों के साथ बदलते साहित्य-रचना का वर्गीकरण प्रस्तुत करना होगा । ऐसा करने से किसी भी साहित्यिक धारा का उल्लेख विशेष शैली में ही सम्भव हो सकेगा, जोकि साहित्येतिहास की एक धनीय अम्बस्थ एवं अव्यवस्थित दृष्टि होगी ।

1 रेनेवेनक और फ्रांस्टेन, साहित्य-मिद्वान्त, पृ 342, उद्धृत डॉ विनयमोहन शर्मा, शोध-प्रविधि, पृ 130.

दूसरे पर प्रभाव की छाप का निष्कर्ष प्रस्तुत करत है। हिन्दी में इस प्रकार की शोध दीर्घकाल से होनी आ रही है, पिछले पन्द्रो दशका में तो इस प्रवृत्ति की बराबरी मिला है। शोधार्थियों में तुलनात्मक रचना का कारण अहिन्दी भाषी विद्वानों की हिन्दी में शोध की प्रवृत्ति आकांक्षा है—वे जिस भाषा भाषी क्षेत्र में आते हैं उसी भाषा के किसी न-किसी पहलू का अध्ययन हिन्दी के समान क्षेत्र का उपरोक्ष्य में करते एवं हिन्दी को सम्पन्न बनात है। अहिन्दी-भाषी प्रदेशों के विश्वविद्यालयों में ऐसे अनेक शोध-प्रवृत्तियों की शुरुआत हो चुकी है। हमारा पंजाब प्रदेश में ही पंजाबी-हिन्दी के अनेक तुलनात्मक अध्ययन हो चुके हैं—यथा गुरु अर्जुनदेव और दादूदयाल प्रेमचन्द तथा नानकसिंह, गुरनानक तथा कबीर भाई जीर्णसिंह और प्रमादजी, पंजाबी-हिन्दी उपन्यास, पंजाबी हिन्दी नाटक पंजाबी हिन्दी कहानी आदि के तुलनात्मक अध्ययन।

तुलनात्मक साहित्यिक शास्त्र का दग मूल आधार हो सकत है, शास्त्रार्थी इनमें से कोई भी एक क्षेत्र अपनाते।

1. दो भाषाएँ—एक विधा इसमें शोधार्थी अपनी मातृ भाषा तथा हिन्दी की कोई एक साहित्यिक विधा अध्ययनार्थ अपना सकत है। काव्य, उपन्यास नाटक, कहानी आदि विधाओं का सदागीण अथवा पहलू विशेष का अध्ययन इसके अन्तर्गत सम्भव है। हिन्दी तथा मराठी सन्त-काव्य हिन्दी तथा पंजाबी उपन्यास का तुलनात्मक अध्ययन, हिन्दी तथा गुजराती नाटक का तुलनात्मक अध्ययन हिन्दी तथा तमिल में कृष्ण भक्ति आदि विषय दो भाषाओं की एक विधा के सर्वांगीण अध्ययन हैं, जबकि 'हिन्दी तथा बंगाली उपन्यास में नायक की परिकल्पना', 'हिन्दी तथा मराठी महाकाव्यों में सामाजिक परिवर्तन' आदि विषय पहलू विशेष का अध्ययन हो सकत है। इस कोटि के तुलनात्मक विषय का चुनाव करने के लिए शोधार्थी का हिन्दी के अतिरिक्त दूसरी भाषा का ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं, उस भाषा के साहित्य की साधिका जानकारी भी अपेक्षित है। यो भी दो भाषाओं को मिलाकर तुलनात्मक शोध करने वाले के लिए सामान्यतः दोनों भाषाओं का गम्भीर पाठ्यक्रम आवश्यक है।

2. एक ही भाषा में दो विधाओं अथवा प्रवृत्तियों का अध्ययन कभी-कभी अनुमतिस्वरूप अपने शोध-क्षेत्र का दो भाषाओं के मूल में बाँटने की अपेक्षा एक ही भाषा की दो प्रवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करना पसन्द करता है—यथा कृष्ण भक्ति तथा रामभक्ति धाराओं की मूल चेतना में अन्तर, 'प्रेममार्गों तथा ज्ञानमार्गों अथवा की दार्शनिक पृष्ठभूमि की तुलना अथवा हिन्दी के नाटकों तथा उपन्यासों में विसंगति' आदि सम्भावित विषय हो सकत हैं।

3. एक ही भाषा-साहित्य में दो कालों की तुलना दो अलग अलग कालों की कोई एक पद्धति अथवा उन युगों में लिखित साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन भी सम्भव है। 'मध्यकालीन एवं आधुनिक महाकाव्यों में नायक का स्वरूप', 'हिन्दी गद्य

के विकासक्रम में भारतेन्दु एव द्विवेदी युगों का तुलनात्मक अध्ययन, 'आदिकालीन एव रीतिकालीन हिन्दी वीर-काव्य का तुलनात्मक अनुशीलन' आदि विषयों को इस कोटि में सुभाषा जा सक्ता है। इस कोटि का तुलनात्मक अध्ययन अभी विशेष नहीं हुआ है, शोधार्थियों के लिए इस दिशा में अभी पर्याप्त अवकाश मौजूद है।

4. एक ही भाषा साहित्य में दो लेखक या दो कृतियाँ : प्रायः तुलनात्मक सदर्थ में एक ही भाषा साहित्य के दो लेखकों अथवा दो कृतियों का अध्ययन एक-साथ किया जा सकता है। इनके अन्तर्गत 'मूरदास तथा तुलसीदास का तुलनात्मक अध्ययन' अथवा 'राम-चरित-मानस एव साकेत का तुलनात्मक अध्ययन' मरीचे शोध-विषय अपनाए जा सकते हैं। 'अमरगोत के सदर्थ में मूरदास तथा नरदास का तुलनात्मक अनुशीलन' भी इसी प्रकार का ग्राह्य विषय कहा जा सकता है।

5. दो भाषाओं के साहित्य में एक काल विशेष : पंजाबी तथा हिन्दी, मराठी और हिन्दी भाषाओं के साहित्य में 'भक्तिकाल' का समय बराबर है—इसका तुलनात्मक विश्लेषण सम्भव है। अनुसन्धाना यदि श्रयणार्थ चयित दोनों भाषाओं तथा उनके साहित्य का जानकार हो, तो वह इस प्रकार के तुलनात्मक विषयों को भली-भाँति निभा ले जाता है।

6. दो भाषाओं के दो अलग-अलग लेखक—महज ही जब शोधार्थी हिन्दी के साथ-साथ अपनी मातृ-भाषा अथवा किसी अन्य भाषा का ज्ञाता हो, तो वह एक हिन्दी लेखक के साथ अन्य भाषा के किसी लेखक की रचनाओं, कथ्य और शिल्प, कला-मौल्य आदि तथ्यों की तुलना प्रस्तुत कर सकता है। डॉ. अष्टेकर का शोध प्रबन्ध, 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एव विष्णुशास्त्री चिपलूणकर' अथवा डॉ. रामप्रसाद अग्रवाल का 'आदिकवि वाल्मीकि तथा महाकवि तुलसीदास की रामायणों का तुलनात्मक अध्ययन' इसी कोटि की तुलनाएँ हैं।

7. दो भाषाओं के एक ही विधापर लिखने वाले दो लेखक : इस प्रकार की शोध का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। कविता, नाटक, कथा साहित्य आदि विधाओं के प्रवृत्तिजन्य साम्यता रखने वाले अनेक लेखक अध्ययनार्थ अपनाए जा सकते हैं—यथा गुजराती कवि न्हाणालाल तथा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, पंजाबी कवि भाई वीरसिंह तथा जयशंकर प्रसाद, उपन्यासकार प्रेमचन्द्र तथा नानकसिंह, नाटककार भारतेन्दु तथा ब्रजभातशास्त्री आदि लेखकों का तुलनात्मक अनुशीलन सम्भावित है।

8. दो भाषाओं के एक साहित्यिक प्रणाली—'तेलुगु तथा हिन्दी में वैष्णव भक्ति साहित्य', 'हिन्दी तथा मराठी मन्त्रों की रहस्य-गाथना', गुजराती तथा हिन्दी 'कृष्ण काव्य' आदि विषयों को इस कोटि में रखा जा सकता है। इस दिशा में शोधार्थियों को दोनों भाषाओं की किसी एक साहित्यिक प्रवृत्ति की विशेषताओं को जानना होता है और उसके अन्तर्गत तुलनात्मक शोध की योजना बनानी होती है।

9. दो भाषाओं के वाक्य-शास्त्र की तुलना : हिन्दी अनुसन्धान में ऐसी शोध अभी तक न के समान ही हुई है। समृत तथा हिन्दी काव्यशास्त्र के प्रतिरिक्त डॉ मनोहर काले का आ हिन्दी तथा मराठी के वाक्य-शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन' उपलब्ध है जो हिन्दी-बंगाली, हिन्दी-ब्रज, हिन्दी-गुजराती के काव्य-शास्त्रों का तुलनात्मक अनुशीलन की सम्भावनाएँ मौजूद है।

10. दो भाषाओं का भाषा-वैज्ञानिक अथवा व्याकरण सम्बन्धी किसी अंग का तुलनात्मक अध्ययन : हिन्दी द्विलिगी भाषा है, समृत तथा भारत की अन्य अनेक भाषाएँ त्रिलिगी हैं। लिंग-भेद के कारण क्रिया प्रयोगों में सहज अन्तर आता है, तथा लिंग-परिवर्तन, मधि-विच्छेद, समास-विग्रह, उपसर्ग-प्रत्यय आदि के नियमों का भेद का अनुशीलन किया जा सकता है। यह दो भाषाओं की व्याकरणिक तुलना होगी। भाषा विज्ञान की दृष्टि में तुलनात्मक पहलू भाषागत लक्षण, विस्तार, अर्थ-परिवर्तन, उच्चारण-परिवर्तन आदि होंगे। आजकल इस दिशा में शोधार्थियों की रुचि बहुत कम रह गई है।

ऊपर हमने साहित्य में तुलनात्मक शोध की दम दशाएँ मुझाई हैं। मूल ग्रन्थ एवं अनुवादो-टीकाओं में भी तुलना सम्भव है। तुलनात्मक शोध प्रत्येक शोधार्थी के बूते की बात नहीं होनी। पहले तो एकाधिक भाषाओं पर समानाधिकार प्राप्त कर सकता कठिन होना है, यदि हो भी तो उन भाषाओं के प्रति अनुसन्धित्त्व की रुचि भी समान होंगी, इसमें शन्देह है। यही स्थिति लेखको या कृतियों की होती है। प्रत्येक लेखक या कृति की विशेषताएँ अलग होती हैं, तुलना कभी। रचनाकार की शैली में इतना निजत्व रहता है कि उसे दूसरे के सम्मुख रखकर उस पर घटाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि प्रायः तुलनात्मक अध्ययन करते समय समान परिस्थितियाँ, समान प्रवृत्तियाँ एवं समान रचना-रूढ़ियों के विश्लेषणोपरांत प्रायः अनुसन्धित्त्व को दोनों पहलुओं पर अलग अलग अध्याय त्रिवने-जुटाने पड़ते हैं। 'हिन्दी तथा पंजाबी उपन्यास का तुलनात्मक अध्ययन' प्रस्तुत करते हुए सहज ही लेखक को आरम्भिक अध्यायों में हिन्दी-पंजाबी के उपन्यास साहित्य का सर्वेक्षण, युगीन प्रवेश तथा दोनों प्रकार के उपन्यासों में सामान्य प्रवृत्तियों को दर्शाने हुए दोनों भाषाओं में उपन्यासों का ऐतिहासिक विकास-क्रम अलग करके प्रस्तुत करना पड़ा है। इसी प्रकार दोनों भाषाओं की विषयगत एवं शिल्पगत प्रवृत्तियों (सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक उपन्यासों के सदर्भ में) को अलग-अलग अंकित किया गया है। तात्पर्य यह कि किसी भी क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन में तुलना कम, अन्तर अथवा प्रभाव अधिक होना है। यदि तुलना ही भी तो वह अलग अध्यायों में व्याख्यात्मक होती है, न कि तुलना के दो पत्तों पर टिका मूल्यांकन।

प्रभाववादो अध्ययन भी तुलना ही के अन्तर्गत आता है। एक भाषा का दूसरी भाषा पर विषयगत, वस्तुगत या शिल्पगत प्रभाव, एक ही भाषा के अन्तर्गत एक लेखक

का दूसरे लेखक पर प्रभाव, एक भाषा के लेखक का दूसरी भाषा के लेखक पर प्रभाव, एक काल का साहित्य के दूसरे काल पर अथवा ऐतिहासिक परिस्थितियों का साहित्य-सृजन पर प्रभाव आदि अध्ययन-क्षेत्र अपनाए जा सकते हैं। 'हिन्दी उपन्यास का पंजाबी उपन्यास पर प्रभाव', 'बंगला पर हिन्दी का प्रभाव', 'गुजराती सत स्रष्टा पर कबीर का प्रभाव', 'नयी कविता में ठायवादी रुमानियत का प्रभाव', 'गुरु गोविन्दसिंह की रचनाओं में युगीन चेतना अथवा उन पर ऐतिहासिक प्रभाव' आदि अनेक प्रभाव-वादी ग्राह्य विषय सम्भव हैं विषय-मयोजन का ढंग इस दिशा में भी तुलनात्मक प्रणाली का ही होना है, केवल ग्रन्थ में एक ऐसे अध्याय की योजना अपेक्षित होती है, जो एक ही प्राप्ति को दूसरे पर सतर्क स्थापित कर सके।

तुलनात्मक अथवा प्रभाववादी शोध पर्याप्त माना में हो रही है। विभिन्न प्रदेशों से आने वाले हिन्दी के विद्वान सहज ही अपनी मातृभाषा को भी सार्थकता प्रदान करने में सफल होते हैं। हाँ, व्याकरण सम्बन्धी या भाषा वैज्ञानिक शोध का क्षेत्र साहित्य से अलग सिमटता जा रहा है।

(अ) लोक-साहित्य सम्बन्धी शोध

इस प्रकार के अनुसन्धान में शोधार्थी को अधिक सक्रिय, गतिशील एवं उत्साही होना चाहिए। लोक-साहित्य की सामग्री सकलन के लिए निश्चय ही उसे अपने अध्ययन-कक्ष से निकलकर उस यथार्थ घर्ती पर चलना होगा, जहाँ लोक-साहित्य रचा जाता है, जन्म लेता है या सहज प्रवाहमान् हाता है। लोक-साहित्य की उक्त यथार्थ घर्ती है गाँव, चोपाल, खेत, खलिहान, पनघट, बावडिया, 'जहाँ लोक-गीत उगते-पनपते हैं, वहाँ बननी-विकसित हैं, और लोक-यान का पहिया निरन्तर लोक बनाता चलता है। शोधार्थी को सामग्री सकलन के लिए अनेक जीवित उठाने पड़ सकते हैं। गाँव की भोरी रमणियों, निर्दोष किमानों, सहज सन्देहशील वृद्धाओं, सबसे स्नेह, विश्वास तथा अतन्त्र का नाता बनाना पड़ता है। सामग्री सकलन करने वाले शोधार्थी पर थोड़ा भी अविश्वास या सन्देह न केवल सकलन-कार्य में बाधा बन सकता है, बल्कि उसे भौतिक हानि भी उठानी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में उचित होगा यदि शोधार्थी उनके गीत रिकार्ड करने के बाद पुन रिकार्ड पर उन्हें सुना दे तथा उन्हें विश्वास दिलाए कि इस रिकार्डिंग से लोक-गीत गाने वाले को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। आप किस प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं, इसका क्या लाभ होगा और सामग्री देने वालों की वाणी को भी अमरता प्राप्त हो सकेगी—ऐसी बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिए।

सामग्री-सकलन के लिए अनुसन्धान-धरमु को अचल-दिशेय में पूर्णतः परिचित किसी ऐसे व्यक्ति को सूचक के रूप में नियुक्त कर लेना चाहिए, जो उन केन्द्रों की भली-भाँति जानकारी दे सके, जहाँ शोधार्थी को सामग्री-प्राप्ति की सम्भावना हो। पुन सूचक वहाँ के लोगों से खूब परिचित होना चाहिए, ताकि वह उन्हीं की भाषा-भाषी में उन्हें शोध का महत्त्व तथा महयोग की आवश्यकता समझा सके। शोधार्थी

पाठ-शोध की विधि

प्राचीनकाल में अधिकांश साहित्यिक रचनाएँ धार्मिक होती थीं। वस्तु-परम्परा में लोग एक दूसरे से मींगते एवं मौखिक रूप में स्मरण कर लेते थे। ऐसी दशा में यदि उक्त मौखिक रचनायाँ का श्रवण कर अथवा स्मरण शक्ति पर बल लगाकर हम लिखित अभिव्यक्ति देना का प्रयास करें, तो निश्चय ही अनक स्यक्तो पर शब्दों, वर्णों विन्यास, भाषिक गणना आदि में मूल में भिन्नता आ जायेगी। उदाहरणतः आन्तर्गण्ड निकट आगत तब गायका की मौखिक परम्परा मात्र ही था, किन्तु आज का लेख-बद्ध रूप मौखिक से अलग है यह कौन क्या मरना है? पुन रचनाकार की हस्तलिखित प्रति की जब लिपियाँ-प्रतिनिधियाँ होनी लगती हैं विभिन्न पुस्तकालयों-संग्रहालयों की शोभा बढ़ान में विग्न रचना विशेष की प्रतिनिधि बरखाबर वर्गी रखने की योजना बनाई जाती है, नव प्रतिनिधिवार प्रमादना अथवा अभावपानी में मात्रामों, शब्दों, वाक्य-पदा आदि में अन्तर परिवर्तन कर देना है। आगे जब हम परिवर्तित प्रति से पुन प्रतिनिधि हाती है तो इस प्रकार की भूलों और भी बढ़ जाती हैं। प्रतिनिधिवार यदि अधिक पढ़ा-लिखा एवं स्वयं कवि हुआ तब तो परिवर्तन की आवश्यकता भावना हूँ लगती है। जहाँ बाट-छाँट अथवा अस्पष्टता व कारण कोई शब्द उगमे पढ़ने में कठिनाई हुई, वही वह अपनी प्रतिभा का प्रमाण देने का सोच सवरण नहीं कर सक्ता। परिणामतः मूल पाण्डुलिपि में उपलब्ध प्रतिनिधि तब पहचाने-पहुँचते सँकड़ो भूलो आलेख में जुड़ जाती हैं। कोई प्रतिनिधि अपनी मूल पाण्डुलिपि से जितना दूर होगा, अपनी ही अधिक भूँ उममें होना की सम्भावना की जा सकती है। दूसरी ओर स्मृति-रक्षित साहित्य तो मिलता है लिपिकारों की श्रुति से है। यदि उन्हें स्मृति की बाधियों से खोदकर उसे निमित्त सज्जा न दी जाती तो स्वात् वह पूरण नष्ट ही हो गया होता। ऐसे साहित्य में मूल में भिन्नता आना अथवा अपरिचित अनपक्षित परिवर्तनों का आना गहज ही तो है। पाठशाघ का लक्ष्य एव परिवर्तनों भूलो, अभावो एवं लिपिकारों के प्रमाद के परिणाम को दूर करके उपलब्ध प्रतिनिधियों का यथा सम्भव मूल पाण्डुलिपि के निकटतर लाने का होता है। ऐसा करने में जिस प्रक्रिया का आश्रय लिया जाता है, वही पाठानुसंधान की प्रक्रिया होती है।

पाठानुसंधान का प्रश्न वही उठता है, जहाँ रचयिता के अथवा हाथ से लिखी मूल पाण्डुलिपि उपलब्ध नहीं होती। मूल पाण्डुलिपि की नक्ला के अनेक रूप हा सकते हैं—1. मूल पाण्डुलिपि से सावधानी पूर्वक बनाई गई दूसरी नक्ला, इसे मूल की प्रति

अथवा प्रति बटा जा सकता है। 2 प्रति से बनाई गई दूसरी-तीसरी-चौथी आदि नकलें, उन्हें प्रतिलिपिया बहा जायगा। 3 यद्यथा जय क' मूल पाण्डुलिपि से ही दो अलग अलग प्रतिया 'ख' और 'ग' बनाई जाती है और तदोपरान्त समय आने पर उन दोनों से अलग प्रतिलिपिया होने लगती है। ये प्रतिलिपिया अलग शाखाओं की प्रतिलिपिया बढलाती हैं क्योंकि इनमें प्रति में रह जाने वाली भूले एक समान होन की सम्भावना होती है। प्रायः प्रतिलिपिकार मूल पाण्डुलिपि की सही नकल करने में अनमर्थ रहता है। प्रमाद अथवा अभावधानीवश कुछ शब्दों/पदों का छूट जाना, वर्गों/मात्राओं का बदल जाना अथवा समानाधिक शब्दों के प्रयोग प्रतिलिपियों में सम्मिलित हो जाते हैं। प्रतिलिपिकार का आदर्य मार्ग 'मदनी पर मक्खी मारना' होता है— अतः हमारी दृष्टि में प्रतिलिपिकार अधिक विद्वान नहीं होना चाहिए, साधारण पढालिया व्यक्ति एक विद्वान की अपेक्षा उत्तम प्रतिलिपि तैयार कर सकता है। उन दशाओं में जब लेखक स्वयं अपनी रचना को सजा-सवार कर एक नवीन पाण्डुलिपि तैयार कर लेता है, तो गडबड की सम्भावना बढ जाती है। यहा मूल दस्तलेख ही दो हो जाते हैं। कुछ प्रतिया या प्रतिलिपिया मूल पाण्डुलिपि में तैयार हुई होती है और कुछ अन्य अब सशोधित पाण्डुलिपि में हान नगनी हैं। स्वभाविक ही है कि ये दोनों धाराओं की प्रतिलिपियों में आगे चलकर परस्पर मेल न पड़े। यह स्थिति पाठ शोधार्थी के लिए अतिक्रमिद है। सम्भव है कि उसकी खोज का अन्न बहा जाकर हो, जहा प्रथम स्थिति में लेखक ने पाण्डुलिपि तैयार की थी। एम में सशोधित दृष्टि का पता चलने पर अनुसंधित्सु के लिए गम्भीर श्रम की चुनौती पुनः खडी होगी। लेखक समय-समय एव अलग-अलग रचनाओं में भिन्न स्तर की भाषाओं का प्रयोग भी करता है। बहुत ही हल्की फुल्की भाषा लिखने वाले माहित्यकार भी अपनी किसी विशिष्ट रचना में भाषा को माँज सकते हैं। यह स्थिति पाठालोचक के लिए कष्टदाय होगी।

किसी भी प्राचीन लेखक की प्रकाशित अथवा प्रकाशित रचना में पाठ निर्धारण का कार्य शोधार्थी का विषय बन सकता है। यह पर्याप्त श्रम साध्य कार्य है, इसके लिए शोधार्थी को परिश्रमी, धैर्यशील एव नाना पुराण निगमागम, भाषाओं, लिपियों एव शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। साहित्यतर विषयों में भी उसकी पैठ अनिवार्य है, ताकि वह अपने आलोच्य पाठ में आने वाले प्रत्येक उद्धरण प्रमग को भलीभांति समझ सके और उसका सही तथा उपयुक्त सदर्थ निश्चिन कर सके। डॉ. मानाप्रसाद गुप्त ने 'रामचरित् मानस' का पाठ-निर्धारण कार्य करते हुए ऐसी अनेक बातों की ओर ध्यानार्पित किया है जो सम्भवतः सामान्य पाठक के लिए महत्वहीन हो। किन्तु विद्वानों की श्रेणी में बैठने वाला व्यक्ति उनके उस धैर्य एव कलापूर्ण कार्य की मराहना किण्विना नहीं कर सकता।

अब हम पाठ निर्धारण का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करन का प्रयाम करेंगे। इसकी चर्चा हम दो भागों में करते हैं—प्रथम प्रकाशित रचनाओं का पाठ-निर्धारण और तत्पश्चात् अप्रकाशित पाण्डुलिपियों का पाठशोध।

(i) प्रकाशित ग्रन्थों का पाठ-निर्धारण

जो अनुसंधितगु किसी प्राचीन कवि की जिमी एक अथवा सामूहिक रूप से समूची रचना का पाठ-निर्धारण करना चाहना है, उसे सर्वप्रथम कवि द्वारा रचित सभी प्रकाशित अप्रकाशित रचनाएँ तथा उनकी प्रतिया-प्रतिलिपियाँ एकात्रित करनी चाहिए। उसे ऐसे ग्रन्थों का भी मद्रह करना होगा, जिनमें उस ग्रन्थ के उद्धरण दिए गए हों—ग्रन्थ की टीकाओं, यदि हो, कि आवश्यकता भी पड सकती है। टीकाओं में प्राय मूल पाठ होगा अथवा बीच-बीच से कुछ पतिया उद्धृत की हुई होती हैं। टीकाओं से हमें मूल लेखक के विचारों का ज्ञान होना है जोकि उनके पाठ निर्धारण में सहायक है। आलोच्यग्रन्थ के यदि कुछ अनुवाद कभी किसी विदेशी भाषा में हुए हो, तो वे पाठ-निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। 'भांडारक शोध-सत्याग, पुरे में महाभारत के पाठ-निर्धारण में जर्मनी तथा तेलुगु के प्राचीन अनुवादों में अत्यधिक सहायक प्राप्त हुई है। आलोच्यग्रन्थ में सम्बद्ध सभी आत्मन सामग्री उसके समय, कलात्मकता, भाषा आदि का परिचय देनी है। अप्रकाशित प्रतिलिपियों में प्राय पुष्पिका के माध्यम से हमें मूलग्रन्थ अथवा प्रतिलिपिकाल का ज्ञान हो सकता है। यह समूची सामग्री आलोच्यग्रन्थ के पाठ-निर्धारण के सदर्भ में सहायक सामग्री होनी है। यदि आलोच्यग्रन्थ की केवल एक ही प्रति प्राप्त हो तो उसी काल के ग्रन्थ सब ग्रन्थों को भी सदर्भ ग्रन्थ बनाकर देख जाने की आवश्यकता रहती है। इससे लेखक की विशेष पद्धति के सकेत मिल सकते हैं। एक ही काल की एकाधिक पाण्डुलिपियों में यदि 'आ' की मात्रा 'खड़ी पाई' के स्थान पर 'विन्दु' मात्रा मिले, तो हमें स्वीकार कर लेना होगा कि हमारे आलोच्य पाठ में भी वह शुद्ध ही होगा, अन्यथा सम्भव है 'विन्दु' प्रतिलिपिकार की देन हो। अनेक सज्ञा शब्द पाण्डु-लिपियों में अनुनासिक बनाए गए देख पडते हैं। कवि वहाँ अनुनासिक को तक्ष्य कर रहा है या शिरोरेखा पर विन्दु देने की मात्र लेखन-पद्धति ही थी, यह उसी काल की अन्य पाण्डुलिपियों की सहायता से ही निश्चित किया जा सकता है। ऐसी रचनाएँ जो बीच-बीच में खण्डित हैं, वे भी पाठ निर्धारण के कार्यक्रम में सहायक हो सकती हैं किन्तु उनका लुप्त अंश पुनः उसी स्थिति में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

अब उक्त सहायक सामग्री का सही तथा कालक्रमानुसार विश्लेषण करते हुए शोधार्थी अपने आलोच्य पाठ में शब्द-लोप, परिवर्तन, बर्ण-लोप अथवा बर्णगम, विपर्यय, सक्षेप, प्रक्षेप आदि दोषों की खोज कर सकता है। उदाहरणार्थ डॉ. योनेन्द्रसिंह ने पिछले दिना 'रैदास' बारी का एक सञ्चलन 'अक्षर' में प्रकाशित किया। उसमें एक पद अनुचित पद-विन्यास के कारण इस प्रकार लिखा गया—

गुरु को शब्द और सुरक्षित कुताली, खोदत कोई लहै रे ।
राम कही तो बढी न आपो, सोने कूल बहै र ॥6 63॥

इसके अन्तिम चरण को यदि सही ढंग में विन्यास दिया जाता (सो नेकू सबहै र), तो न केवल उमका स्वरूप ही सुपरता, यत्नि पद का अर्थ सुगमता पूर्वक हृदयगम हो सकता और गुरु रजिदाम की चेतना भी स्पष्ट हो पाती। लोप-दोष का तो एकमात्र उपचार ही एकाधिक प्रतिलिपियों को देख जाना है। इन पत्तियों के अन्तर्गत ने पिछले दिना गुरु गोविन्दसिंहजी के समकालीन कवि कृष्णलाल की एक रचना 'रामचरित्र' का सम्पादन किया। यह रचना महाभारत के 'वन-पर्व' के अन्तर्गत आए 'रामोपाख्यान' सदर्भ का स्वतन्त्र और पद्यात्मक भाषानुवाद है। कवि कृष्णलाल ने महाभारत के अनेक पर्वों को भाषा-यज्ञ में अनूदिन किया है। 'रामचरित्र' की जो पाण्डुलिपि सर्वप्रथम प्राप्त हुई, वह विभी प्रतिनिधिकार की असावधानी की शिकार थी। समूची रचना में लगभग चार चरण अलग-अलग स्थानों से लुप्त थे। उस युग की अन्य अनेक रचनाएँ गुरु-दरवार के कवियों की उपलब्ध हैं, किन्तु लुप्त चरण जुटा पाना उनके सामर्थ्य में न था। प्रयास करने पर जब मूल वन-पर्व का अनुवाद ही हाथ लगा, तो वे लुप्तांश पूर्ण कर सकने में कुछ क्षण ही लगे होंगे। इसी प्रकार वर्णांगम और विपर्यय के दोषों को भी सहायक सामग्री से दूर किया जा सकता है। मान लीजिए किसी समकालीन कवि अथवा आलोचक ने कुछ विविष्ट पक्तियाँ उद्धृत की हों—उस उद्धरण में वे पक्तियाँ शुद्ध बन गई हों, जबकि प्रतिलिपियों में उन्हीं पक्तियों में कहीं वर्णांगम या विपर्यय के दोष आ गया हों, तो ऐसे उक्त दोषों को दूर करने में हमें क्या कठिनाई होगी ?

मात्रा दोषों का मूल कारण प्रायः लिपि-भेद होता है। उपलब्ध पाण्डुलिपियाँ देवनागरी और फारसी लिपियों में हैं। प्रादेशिक हिन्दी साहित्य प्रायः प्रदेश-विशेष में ही प्रयुक्त लिपि में लिखा जाता रहा है, यथा पंजाबी, गुजराती आदि। पंजाबी लिपि में लिखी अजभाषा एवं फारसी लिपि में लिखी अजभाषा को जब देवनागरी में लिप्यन्तरित किया जाता है तो मात्राओं की भिन्नता का प्रश्न सम्मुख आता है। फारसी में 'जेर', 'जबर', 'पेश', आदि चिह्न होते हुए भी लिखने का वाच्य प्रचलन कम है, इसीलिए ह्रस्व 'इ' या 'उ' की मात्राएँ छूटने की सम्भावना बनती है—यहाँ 'छलके', 'छनके' और 'छलके' एक ही प्रकार से लिखा मिन सकता है, शायद कहीं 'चहलक' भी पढ़ा जा सके। पंजाबी लिपि में छूटने के लिए शिरोरेखा के ऊपर अर्द्धचन्द्र का चिह्न लगाया जाता है। देवनागरी करन बाल से भूल की आशंका मदैव बनी रहती है। 'या' का 'इया' लिखने की परिपाटी भी देवनागरी में अटकवाव बन सकती है। तात्पर्य यह कि लिप्यन्तरित पाण्डुलिपियों का पाठ निर्धारण करने समय उनकी मूल लिपि का ध्यान रखते हुए उसके अनेक दोषों का निराकरण सम्भव है।


(11) अप्रकाशित ग्रन्थों का पाठ निर्धारण—

अप्रकाशित पाण्डुलिपि के पाठ निर्धारण का प्रश्न उसी दशा में उठता है, जब लेखक की मूल हस्तलिखित प्रति अनुपलब्ध होती है। ऐसी स्थिति बहुत कम देखने में

आती है, जहाँ लेखक अपनी हस्तलिखित रचना को स्वयं ही पाठ-त्राट तथा सशोधन कर एक नयी पाण्डुलिपि तैयार कर लेता है। इस दिशा में शोध करने वाले अध्येता को लेखक की भाषा-शैली के सर्वांगीण विश्लेषण द्वारा अलग अलग प्रतियों एवं प्रतिलिपियों के मिलान द्वारा अमूल्य पाठ को निश्चित करना होता है, जो मूल लेखक का होगा अथवा लेखक के मूल पाठ के निकटतम है। बहुधा ऐसी खण्डित पाण्डुलिपियाँ भी हाथ लगती हैं, जिनके कुछ पन्ने अप्राप्य होते हैं, या बीच-बीच में जर्जरित होने के कारण कागज अथवा भ्रूजपत्र नष्ट हो चुका होता है। शिलालेखों के पाठ निर्धारण में भी इस समस्या का सामना होता है। हिन्दी में स्व. डॉ. माना प्रसाद गुप्त ने शिलालेखों पर लिखी एक कमी ही कृति 'राजालेख' का पाठ-निर्धारण किया है। यह रचना 11वीं शती में लिखा एक प्रेमनायक है। इसका लेखक कोई रोड कवि है। यह मिश्रित रचना है इन्म गद्य और पद्य दोनों का समावेश है। इसमें किसी सामंत की सात पत्नियों का नाम मिश्र प्राणों में सम्बन्धित है नखशिव चित्रण किया गया है। शिलालेख के खण्डित होने के कारण इसकी रचना निश्चित करना दुष्कर था, किन्तु डॉ. गुप्त ने सहायक सामग्री की सहायता में 'राल-बेल' का रचना काल भी निश्चित कर दिया है। तात्पर्य यह कि किसी भी पाण्डुलिपि का पाठोद्धार करने के लिए उसकी समस्त उपलब्ध प्रतियों प्रतिलिपियाँ को एकत्रित करना अनिवार्य है। सहायक सामग्री वही होगी जो प्रकाशित ग्रन्थ के पाठ निर्धारण में प्रयुक्त करने का सुभाव दिया जा चुका है। रचना के शब्द रूप, वाक्य विन्यास, मानाभा आदि के प्रयोग को रचयिता के रचना काल की सामान्य प्रवृत्ति से मिलाया और उसके अनुसार शोध किया जा सकता है।

मान लीजिए हमें साधु गुलाबसिंह की 'अध्यात्मिक रामायण' अथवा कवि साहिबसिंह मंगेन्द्र की कृति 'कृष्ण बौतूहल' का पाठ-निर्धारण करना है। दोनों पाण्डुलिपियों की एकाधिक प्रतियाँ एवं प्रतिलिपियाँ उपलब्ध हैं। ऐम में सर्वप्रथम सम्पादक शास्त्रार्थी की प्रतियाँ/प्रतिलिपियों के लेखन काल को जांच कर (जो कि प्रायः पुष्पिका का अथवा धादि अन्त में कहीं न कहीं दिया रहता है) उन्हें क्रम देना चाहिए। पुनः उनका पारस्परिक मिलान करके पूर्णतः एक ही प्रतियाँ को अलग करना होगा। ऐसा करने से यह ज्ञात होगा कि व समान प्रतियाँ किसी एक पाण्डुलिपि की नकल होंगी। जिनमें विषमता है, वे अलग शाखाओं की प्रतियाँ में सम्बन्धित हो सकती हैं। ऐसे निष्कर्षों में उपरान्त हमारे पास एक क्रमिक जानकारी होगी, यथा—हमें कुल 9 प्रतिलिपियाँ प्राप्त हो सकी हैं। कागज में जांच करने के उपरान्त हम उन्हें क्रम संख्या 1 और 2 मूल में की गई प्रतियाँ हैं कथारि मिलान करने पर उसकी भाषा तथा शब्दयोग अक्षरशः समान हैं—किन्तु फिर भी वर्ण-लोप या वर्णान्तर, च्युति, प्रक्षेप आदि मरीचक अति सामान्य दोषों का आलेख तैयार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि क्रम संख्या 3, 4, 5, और 6 का एक समूह है, तथा क्रम 7, 8 तथा 9 का दूसरा

समूह I प्रथम समूह में प्रति सन्ख्या 2 में की गईं नकलें मौजूद हैं तथा द्वितीय समूह में प्रति सन्ख्या 1 की नकलें शामिल हैं। इस प्रकार प्रति 9 क्योंकि प्रतिलिपि 7 से तथा प्रति 6 क्योंकि प्रतिलिपि 4 से अर्थात् समानता रखती है, इसलिए वे उक्त प्रतिलिपियों की ही नकलें हैं, यह निश्चय होना है। अब सम्पादन का कर्तव्य है कि वह नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ तुलना, मिलान एवं सहायक सामग्री के प्रयोग द्वारा पाठ में आने वाली छोटी से छोटी भूल को भी परिष्कृत करना हुआ जिस निष्कर्ष पर पहुँचेगा, वही आदर्श मूल पाठ की प्रति बन सकेगी।



(III) पाण्डुलिपियों में विकृतियों के कारण तथा उनका वर्गीकरण

हस्तलिखित रचनाओं की प्रतिलिपियाँ बनाने के समय अनेक विकृतियाँ पैदा हो जाती हैं। आलेख को नकल करते समय प्रायः ऊपर एवं नीचे की पंक्ति में किसी शब्द-साम्य के कारण लिपिक ऊपर की पंक्ति बीच में ही छोड़ नीचे की पंक्ति लिखने लगता है। परिणाम यह होता है कि प्रतिलिपि में पूरी अथवा आधी पंक्ति छूट जाती है। यह स्थिति लिपिक की असावधानी तथा वर्ण-साम्य से भी आ सकती है। असावधानी के कारण बीच की कोई पंक्ति छूट जाती या वर्ण-साम्य के कारण बीच के कुछ शब्दों का प्रतिलिपि में न लिखा जाना, ऐसी विकृतियाँ हैं जिनका निराकरण केवल सावधानी एवं 'मक्की पर मक्की मारने' की प्रवृत्ति से ही सम्भव है।

सामाजिक शब्दों के अशुद्ध विग्रह से भी पाठ में विकार पैदा हो सकता है। पा-पकर को पाप-कर बना देने से अर्थ में आकाश-पाताल का अन्तर आ जाना स्वाभाविक ही है।

नामवाची सजाओं में लिप्यन्तरण के कारण प्रायः विकार पैदा हो जाते हैं—पंजाबी में 'कॉमर्स' का 'कामरस' लिखा जाता है। हिन्दी में 'रामकृष्ण मिशन' अंग्रेजी के वर्ण-विन्यास के कारण है, अन्यथा सही शब्द 'रामकृष्ण' है। प्रायः लोगों

के नाम के सग 'गुप्ता' लगाया जाता है, यह भी अंग्रेजी प्रचलन का परिणाम है—
हिन्दी में तो यह स्त्रीलिंग सजा होगी।

डॉ एस एम कत्रे ने 'भारतीय पाठालोचन की भूमिका'¹ में पाठ में आने वाली त्रुटियाँ के तीन वर्ग स्वीकार किए हैं—1 विभ्रान्तियाँ (Confusions) और उनके परिहार के प्रयत्न। 2 लोप (Omission) तथा 3 वृद्धि (Addition)।

प्रथम वर्ग में डॉ कत्रे ने तेरह प्रकार की विभ्रान्तियों का निर्देश दिया है, जोकि निम्नानुसार हैं—

(क) "समान वर्णों एवं अक्षरों के सम्बन्ध में अभावधानीवश आ जाने वाली भ्रान्ति।"

(ख) "साधारणतः एक-जैसा दिखने वाले शब्दों का अशुद्ध लेखन।"

(ग) "सक्षिप्त रूपों के अर्थ में भ्रम होना।"

(घ) "गलत सामासिक विग्रह।"

(ङ) "शब्दों के अन्त्याक्षर को अशुद्ध रीति से मिलाना और एक शब्द को दूसरे शब्द या वाक्य में मिलाना"। उदाहरणार्थ मैंने एक जगह पढ़ा—
"सेना आगे निकल गई थी, पीछे तो पखाने की गाड़ियाँ रह गई थी।"
यहाँ अन्तिम वाक्यांश में 'प' 'खाने' के साथ मिल गया, 'तो' क अन्त में लगना चाहिए था—'पीछे तो पखान की गाड़ियाँ रह गई थी।'

(च) "वर्णों, शब्दों एवं वाक्यों का क्रम परिवर्तन, वाक्या, अण्डों, एवं पृष्ठों का विस्थापन।" यथा अभावधानी के कारण एक पाण्डुलिपि में 'नसीबा' की जगह 'नबीसा' लिखा मिला है।

(छ) "प्राकृत अथवा आधुनिक भाषाओं में संस्कृत का अशुद्ध प्रयोग और प्राकृत अथवा आधुनिक भाषाओं के अक्षरों का संस्कृत में अशुद्ध प्रयोग।"

(ज) "उच्चारण-परिवर्तन के कारण अशुद्धियाँ। ऐसी अशुद्धियों की अधिकतर सम्भावना तब होती है, जबकि पठानुमधित्तु किसी लिपि विरोध में परिचित नहीं होता और किसी अन्य वाचक से पढ़वा कर सुनता है। ऐसी स्थिति में ज, ज, व, व, स, श और मात्राओं के साधारण अन्तर अस्मात् जन्मते चलते हैं।"

(झ) "अक्षरों में विभ्रान्ति।"

1 यह पुस्तक मूलतः डॉ कत्रे की अंग्रेजी पुस्तक 'Introduction to Indian Textual Criticism' का डॉ उदयनारायण तिवारी द्वारा किया गया हिन्दी अनुवाद है जिसे मध्यप्रदेश ग्रन्थ हिन्दी अकादमी, भोपाल ने प्रकाशित किया है।

- (अ) "नामनाची मजाओं में विभ्रान्ति"—जैसे अग्रजी में लिगे Dr S M KATRE को इसी पुस्तक के मू-य पृष्ठ पर अनुवादक ने लिगा है 'डॉ एम एम कात्रे'। यहाँ 'डॉ एम एम कात्रे' चाहिए थे। यह भ्रान्ति मराठी उपनामों में अपरिचित होने एवं अग्रजी वर्ण-विन्यास में 'A' को 'अ' की अपेक्षा 'आ' पढ़ने की भिन्ना प्रवृत्ति के कारण उदित हुई है।
- (ब) "अपरिचित शब्दों के लिए परिचित पर्याय या शब्द का प्रयोग"—इस अर्थ में डॉ विनय मोहन शर्मा ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक 'शोध-प्रविधि' में 'आमू' से एक उदाहरण जुटाने हुए सुन्दर व्याख्या की है। वे लिखते हैं—

‘रो-रोकर मिसक मिसक कर,
बहता मैं बरग बहानी ।
तुम सुमन नोचने जाते,
करते जानी अनजानी’ ॥

“इन पंक्तियों में एक चित्र खींचा गया है। उद्यान में प्रेमी और प्रेमिका खड़े हैं। प्रेमी प्रेमिका में प्रेम निवेदन करना है—रो-रोकर, मिसक मिसक कर—किन्तु प्रेमिका खड़ी सुमन की पशुटिया को नोचती जाती है और अपेक्षाभाव दिखाती है। इस पर क्षुब्ध प्रेमी बहता है—“तुम जानबूझ कर सुमन नहीं सुमन को मसल रही हो”। सुमन में श्लेष है। प्रेमी अपने मन को सुमन—सुन्दर मन इसलिए बहता है कि उसमें उसकी प्रेमिका का अधिवास है। अब यदि ‘सुमन’ के स्थान पर इसका पर्याय ‘सुसुम’ रख दिया तो कवि का मारा भाव-सौंदर्य ही नष्ट हो जायगा। ‘सुमन’ शब्द ने ही उमम सौरभ भरा है। इसीलिए कहा गया है कि प्रतिलिपिभार को मूल प्रतिलिपि के शब्दों में परिवर्तन करने का साहम नहीं करना चाहिए”।

(क) “पुरानी बर्तनी के स्थान पर नवीन बर्तनी का प्रयोग”।

(ख) शेषक श्रवण अजनान में हुई भूलों के परिणामों में सुधार करने का प्रयत्न।

द्वितीय वर्ग ‘लोप’ का है। इसमें डॉ एस एम कात्रे ने निम्न प्रकार के लोपों की गणना की है—

- (i) “(लिखन में) समाक्षर-लोप (Haplology) या एक ही शब्द या अक्षरों से आरम्भ तथा अन्त होने वाले शब्दों को छोड़ देना”।
- (ii) “अक्षर लोप (Lipography) या किसी भी प्रकार का सामान्य लोप”।

तीसरा वर्ग 'वृद्धि' का संकेत करता है—

(अ) "पाठ अथवा अति निवृत्त के छन्द या पाठ की पुनरावृत्ति।"

(आ) "दो पक्तियों के बीच अथवा हाशिया में अपनी ओर से कुछ जोड़ना।"

(इ) "प्रक्षिप्त पाठ या प्रक्षेप"।

(ई) एक ही प्रकार की लिखावट के प्रभाव के कारण पाठ में अभिवृद्धि होना।

प्रतिलिपि तैयार करते समय उपर्युक्त प्रकार की भूलों से अत्यन्त सावधानी पूर्वक बचने की अपेक्षा रहती है। सामान्यतः प्रकट होने वाली भूलों को पुनः ऐच्छिक एव अर्नेच्छिक दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ऐच्छिक भूलों का कारण प्रतिलिपिकार का अज्ञान तथा अधिक ज्ञान, दोनों हो सकते हैं। सम्भव है किसी विशेष शब्द को न जानने के कारण वह शब्द-परिवर्तन कर दे, अथवा अपने ज्ञान पर अधिक विश्वास होने पर वह मूल लेखक द्वारा प्रयुक्त शब्द को अज्ञ प्रयोग मानकर सुधारन का दुस्साहस कर बैठे। इस प्रकार उत्पन्न भूलों ऐच्छिक कहलाएंगी। इसी प्रकार थोड़ी असावधानी या दृष्टिदोष के कारण आने वाली भूलें अर्नेच्छिक कही जायगी। अकम्मान् किसी पक्ति, वाक्यांश या शब्द का लिखने से छूट जाना अथवा 'स्व' का 'न्य' लिखा जाना, 'ख' का 'स' लिखा जाना आदि दृष्टि-दोष के कारण हो सकता है।

पाण्डुलिपि के पाठ में आने वाली भूलों को हिन्दी के प्रसिद्ध पाठलोचक डॉ. माताप्रसाद गुप्त ने आठ वर्गों में विभाजित किया है—

1. सचेष्ट पाठ विकृत—ऊपर हमने इन्हीं विकृतियों को ऐच्छिक भूलें कहा है।

2. लिपि-जनित—लिपि से अनभिज्ञ होने के कारण यह भूलें बनती हैं, जैसे उर्दू में लिखा 'विश्व' देवनागरी-रूप में 'विश' हो सकता है।

3. भाषा-जनित—किसी भाषा का सही ज्ञान न होने के कारण ये भूलें होती हैं, यथा मराठी के मूलगावकर को मूलगांवर पढ़ना और लिखना।

4. छन्द-जनित—इसमें मात्रा अथवा वर्णादि का लोप या वृद्धि की सम्भावना रहती है।

5. प्रतिलिपि-जनित—प्रतिलिपिकार की असावधानी से आ जाने वाली भूलें।

6. लेखन-सामग्री जनित—दूषित सामग्री द्वारा स्याही के फैलने, लेखनी के फटी होने या या हडताल के अत्यवस्थित से आने वाली भूलें।

7. प्रक्षेप-जनित—अकारण अपनी ओर से, जोड़ी सामग्री।

8. पाठान्तर-जनित—प्रतिलिपि बनाते समय आने वाली भूलें।

डॉ. मानाप्रसाद गुप्त का विश्वास है कि पाठालोचन करते एक आदर्श पाठ-निर्धारण करते समय यदि उपयुक्त आठों वर्गों की भूला का ध्यान-पूर्वक निगकरण किया जाय तो पाठानुमधित्मु सही पाठ-निर्माण करने में सफल हो सकता है।

(iv) पाण्डुलिपियों की विभिन्न उपलब्ध प्रतिलिपियों को मिलाने का ढंग

जब किसी ग्रन्थ की एकाधिक प्रतिलिपिया उपलब्ध होनी हैं तो उसके सही पाठ निर्धारण एवं पाठ-संशोधन के लिए अनेक प्रणालिया सुझाई गई हैं। सर्वप्रथम पद्धति 'परितुलन' कहलाती है। इसमें उपलब्ध हस्तलिखित प्रतिलिपियों एवं अन्य सब सहायक सामग्रियों को एकत्रित करके पाठ व किमी छोट अक्ष को इकाई मानते हुए, समूचे ग्रन्थ के पाठ को उन इकाइयों में बाट कर काडों पर लिख लेना चाहिए। इस सभी उपलब्ध पाण्डुलिपियों के पाठों का विभाजन कर प्रत्येक इकाई का अलग काड बन जाना चाहिए। अब प्रत्येक काड एक विशेष पाठ-इकाई के लिए परितुलन-सम्पादना प्रस्तुत कर सकेगा। डॉ. सुवटनकर तथा श्री एडगटन ने क्रमशः महाभारत के आदिपर्व के उपोद्घात एवं पंचतय की भूमिका में परितुलन के कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए हैं¹—“जब किमी काव्य-ग्रन्थ की समीक्षा करनी हो तो किमी एक अच्छे सस्करण को आधारमूल मानकर कविता के एक-एक पद को इकाई मानना चाहिए और उन्हें स्पष्ट रूप में वर्णक्रम के अनुसार कोष्ठकों में पृथक्-पृथक् कागज पर ऊपर वाले हिस्से में लिखना चाहिए। जिन पदों में भेद होगा, उन्हें वागज के नीचे वाले हिस्से में सम्बन्धित पद के नीचे वर्णक्रम के अनुसार कोष्ठकों में लिखना चाहिए। कागज के दाएँ हाशिये प्रत्येक कोष्ठक के साथ उन हस्तलिखित प्रतियों का नाम होगा जिनका परितुलन हुआ हो और दाहिने हाशिये में कुछ अन्य अतिरिक्त जानकारी लिखने के लिए खाली स्थान सुरक्षित रखा जायगा।

इस प्रकार यदि परितुलन प्रणाली को अपनाकर एकाधिक प्रतिलिपियों की तुलना की जाय तो उनका पारम्परिक सम्बन्ध स्थापित करने एवं पाण्डुलिपि की प्रतिलिपियों का वन-वृक्ष तैयार करने में सहायता मिलती है।

परितुलन प्रणाली को अधिक स्पष्ट करने के लिए यहाँ एक रेखा-चित्र प्रस्तुत किया जाना है। प्रतिलिपियों का काल-क्रम निश्चिन हो जाने के उपरान्त उन्हें 1, 2, 3, 4, आदि क्रम दिया जा सकता है। श्री जगन्नाथदाम रत्नाकर ने बिहारी सतमई के पाठ संशोधन में सही पाठ की खोज करते हुए परितुलन प्रणाली का आश्रय लिया है। प्रत्येक क्रम की प्रतिलिपि की पक्तियों को शब्दों अथवा वाक्यांशों की

1 डॉ. एम. एम. कत्रे द्वारा 'भारतीय पाठालोचन की भूमिका' में पृ 36 पर उद्धृत।

शोध की प्रायोगिक विधियाँ

साहित्यिक शोध, में प्रायः बहुत कम अवसर ऐसे घाते हैं, जब शोध की प्रायोगिक विधियों का आश्रय लेना पड़ना है। क्योंकि यह वैज्ञानिक विधि है, इसलिए इसका प्रयोग भी तभी सम्भव होता है, जब साहित्य का अध्ययन किसी वैज्ञानिक परलु से किया जा रहा हो। मनोवैज्ञानिक अथवा समाजशास्त्रीय पक्षों को लक्ष्य करना हो, अथवा जब किसी अन्य मुद्दे के लोकोपयोगी धारणा या आन्तरिक मान्यताओं का गृहीतना न लग सकता हो तभी प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। अधिकांश साहित्यिक शोध, अनुशीलन-अध्ययन आदि में प्रयोग को कोई अवकाश नहीं होता। यही कारण है कि जब साहित्यिक स्तर पर भी हम प्रायोगिक विधियों की चर्चा करते हैं, तो हमें विज्ञान के ही विधि-न-विधि का दामन पकड़ना पड़ता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में जो तो शोध की आधार सामग्री (Research Data) एकत्रित करने के अर्थ में हैं किन्तु 'प्रश्नावली' तथा 'शाखाकार' ही ऐसी दो विशिष्ट विधियाँ हैं, जो प्रयोग-स्तर पर साहित्य-अध्ययन में भी सहयोगी हो सकती हैं।

प्रश्नावली विधि—प्रश्नावली लोगों में अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिए निश्चित प्रश्नों का एक समूह होता है, जिनके उत्तर प्रायोगिक दल (Experimental group) ने स्वयं अपनी धारणा, मान्यता या मूढ के अनुसार देने होते हैं। वैज्ञानिक क्षेत्र में तो इसका प्रयोग तब किया जाता है, जब किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए प्रयोगशाला के निष्कर्ष भी सम्पन्न हो जाते हैं, जबकि साहित्यिक अध्ययन में दूसरों की सम्मतियों, छन्दो-मूलकारों के निर्णय, प्रभाववादी समीक्षा-दृष्टि, पाठ-निर्धारण या पाठ-शोध में विशिष्ट शब्दा/वाक्यांशों पर विद्वानों के मत आदि स्पष्ट करने के लिए यह एक सहायक विधि है। साहित्य में नवीन जीवन-मूल्यों, बदलते हुए मानों, समसामयिक एवं विवादास्पद विषयों पर भी कोई निर्णय लेते समय—प्रश्नावली सहयोगी हो सकती है। प्रश्नावली विधि का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन सकती है, यदि अग्रपूरवक एवं उपयुक्त शब्दा में प्रश्नों का चुनाव किया गया हो, यदि उसकी उचित विज्ञप्ति हो तथा उपयुक्त विद्वानों के पास ही उसे भेजा जाय, यदि प्रश्नावली के साथ सानुरोध निवेदन-पत्र हो, यदि प्रश्नों को वैज्ञानिक क्रम में वर्गीकृत करने साफ-सुथरा मुद्रित या टंकित किया गया हो, यदि प्राप्त उत्तरों को बुद्धिमत्ता पूर्वक साधारणीकृत करके विश्लेषण किया गया हो।

प्रश्नावली प्रस्तुत करते समय प्रायोगिक दल के सम्बन्ध में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए—1 प्रायोगिक दल की प्रतिष्ठा 2 प्रश्नावली प्रस्तुतकर्ता द्वारा स्थिति पर प्रकाश डालना, 3 प्रायोगिकदल को शोध का प्रयोजन बताना 4 प्रश्नावली का संक्षिप्त और स्पष्ट होना, 5 प्रश्नावली के उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय निश्चित करना 6 उत्तर न देने वालों को यथा समय स्मरण-पत्र भिजवाना 7. प्रायोगिक दल को उनके व्यक्तिगत उत्तरों को गोपनीय रखने का विश्वास दिलाना तथा 8 अनुकूल पात्रों से सही प्रार्थना करना ।

प्रश्नावली विधि के अनेक लाभ सम्भव हैं । सर्वप्रथम लाभ समय तथा धन की वचत का है । अनुसंधाता इस विधि के माध्यम से देश के दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले विद्वानों से व्यक्तिगत रूप में मिले बिना ही उनकी सम्मति प्राप्त कर सकता है । डाक के द्वारा उनका मत पाच सान दिन में ही जाना जा सकता है, जबकि यदि शोधार्थी को स्वयं उनसे मिलना होना तो कई दिन तक उसे अपने शोध-कार्य से विमुख रहना पड़ता और यात्रा-व्यय के रूप में पर्याप्त धन भी लगाना पड़ता है । पुनः प्रश्नावली तैयार करने में एक ही बार समय लगा देने पर बार-बार अलग व्यक्तियों के पास जाकर माथा-पच्ची करने की आवश्यकता नहीं रहती । प्रश्नावली तैयार हो जाने पर कोई सहायक भी पत्र-व्यवहार का बोझ वहन कर सकता है । इस पद्धति में प्रायोगिक दल का ध्यान भी मुख्य अपेक्षाओं पर ही केन्द्रित रहता है । उत्तर-दाता इधर-उधर की व्यर्थ चर्चा में न उलभ कर प्रश्न का सीधा स्पष्ट उत्तर देते हैं, जिससे अध्येता को विश्लेषण में अनुकूल सुविधा होती है । प्रश्नावली विधि का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसमें प्रायोगिक दल को उसी दम बातचीत के लिए बाधित नहीं किया जाता है । जब भी उत्तरदाता का मूढ़ हो, वह बैठकर प्रश्नावली के उत्तर लिख सकता है । इस दशा में वह प्रश्नों को सर्वांगीण महत्व देते हुए गम्भीरतापूर्वक कार्य करता है । यदि प्रश्नावली को साक्षात्कार के साथ मिला लिया जाय तो किसी भी प्रकार की जिज्ञासा का सहज शमन वही सम्भव हो सकता है । ऐसा करने से बात अधिक स्पष्ट होकर उजागर हो पाती है ।

उक्त विधि में जहाँ कुछ लाभ हैं, वही कदाचित् कुछ अभाव भी हैं । यह सही है । कि इसका प्रयोग मामूळ बच्चों या अनपढ़ लोगों पर नहीं किया जा सकता, परन्तु साहित्यिक क्षेत्र में इसकी कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं रहती । साहित्य दिशा में इसका मूल अभाव है वह सम्भावना, जिसमें उत्तरदाता द्वारा प्रश्नकर्ता के भाव को गलत समझ लिया जाता है । ऐसे में 'महादेवी की रहस्यात्मक धारणा' की व्याख्या 'वरुणा-भाव' के रूप में हो जाना सम्भव है । पुनः यह भी आवश्यक है कि यदि प्रमुख विद्वान् आपकी प्रश्नावली का उत्तर नहीं देते और कुछ साधारण लोगों के उत्तर आपको प्राप्त हो जाते हैं, आप उन उत्तरों/व्याख्याओं से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते । यहाँ उत्तरदाता विद्वत्ता का प्रतिनिधित्व नहीं करते, इसलिए उनके उत्तरों से

शोध की प्रायोगिक विधियाँ

साहित्यिक शोध, में प्रायः बहुत कम अवसर ऐसे आते हैं, जब शोध की प्रायोगिक विधियों का आश्रय लेना पड़ता है। क्योंकि यह वैज्ञानिक विधि है, इसलिए इसका प्रयोग भी तभी सम्भव होना है, जब साहित्य का अध्ययन किसी वैज्ञानिक पहलू से किया जा रहा हो। मनावैज्ञानिक अथवा समाजशास्त्रीय पक्षों को लक्ष्य करना हो, अथवा जब किसी अन्य सुगम ढंग में लोगों की धारणा या आन्तरिक मान्यताओं का सही पता न लग सकता हो, तभी प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। अधिकांश साहित्यिक शोध, अनुशीलन-अध्ययन आदि में प्रयोग का कोई अवकाश नहीं होता। यही कारण है कि जब साहित्यिक स्तर पर भी हम प्रायोगिक विधियों की चर्चा करते हैं, तो हमें विज्ञान के ही किसी-न-किसी अंग का दामन पकड़ना पड़ता है। वैज्ञानिक अध्ययन में जो तो शोध की आधार सामग्री (Research Data) एकत्रित करने के अनेक ढंग हैं किन्तु 'प्रश्नावली' तथा 'साक्षात्कार' ही ऐसी दो विशिष्ट विधियाँ हैं, जो प्रयोग-स्तर पर साहित्याध्ययन में भी सहयोगी हो सकती हैं।

प्रश्नावली विधि—प्रश्नावली लोगों में अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिए निश्चित प्रश्नों का एक समूह होता है, जिनके उत्तर प्रायोगिक दल (Experimental group) ने स्वयं अपनी धारणा, मान्यता या सूझ के अनुसार देने होते हैं। वैज्ञानिक क्षेत्र में तो इसका प्रयोग तब किया जाता है, जब किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए प्रयोगशाला के निष्कर्ष भी अमफल हो जाते हैं, जबकि साहित्यिक अध्ययन में दूसरों की सम्मतियों, छन्दों अलंकारों के निर्णय, प्रभाववादी समीक्षा-दृष्टि, पाठ-निर्धारण या पाठ-शोध में विशिष्ट शब्दा/वाक्यांशों पर विद्वानों के मत आदि मग़ह करने के लिए यह एक सहायक विधि है। साहित्य में नवीन जीवन-मूल्यों, बदलते हुए मानों, समसामयिक एवं विवादास्पद विषयों पर भी कोई निर्णय लेते समय—प्रश्नावली सहयोगी हो सकती है। प्रश्नावली विधि का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन सकती है, यदि ध्रमपूर्वक एवं उपयुक्त शब्दों में प्रश्नों का चुनाव किया गया हो, यदि उसकी उचित विज्ञप्ति हो तथा उपयुक्त विद्वानों के पास हो उसे भेजा जाय, यदि प्रश्नावली के साथ सानुरोध निवेदन-पत्र हो, यदि प्रश्नों को वैज्ञानिक क्रम में वर्गीकृत करने साफ-सुथरा मुद्रित या टंकित किया गया हो, यदि प्राप्त उत्तरों को बुद्धिमत्ता पूर्वक साधारणीकृत करके विश्लेषण किया गया हो।

प्रश्नावली प्रस्तुत करते समय प्रायोगिक दल के सम्बन्ध में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए—1 प्रायोगिक दल की प्रतिष्ठा 2 प्रश्नावली प्रस्तुतकर्ता द्वारा स्थिति पर प्रकाश डालना, 3 प्रायोगिकदल को शोध का प्रयोजन बताना 4 प्रश्नावली का संक्षिप्त और स्पष्ट होना, 5 प्रश्नावली के उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय निश्चित करना 6 उत्तर न देने वालों को यथा समय स्मरण-पत्र भिजवाना 7. प्रायोगिक दल को उनके व्यक्तिगत उत्तरों को गोपनीय रखने का विश्वास दिलाना तथा 8 अनुकूल पानों से सही प्रार्थना करना ।

प्रश्नावली विधि के अनेक लाभ सम्भव हैं । सर्वप्रथम लाभ समय तथा धन की वृत्त का है । अनुमघाता इस विधि के माध्यम से देश के दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले विद्वानों से व्यक्तिगत रूप में मिले बिना ही उनकी सम्मति प्राप्त कर सकता है । डाक के द्वारा उनका मत पाच-सान दिन में ही जाना जा सकता है, जबकि यदि शोधार्थी को स्वयं उनसे मिलना होता तो कई दिन तक उसे अपने शोध-कार्य से विमुक्त रहना पड़ता और यात्रा-व्यय के रूप में पर्याप्त धन भी खर्चाना पड़ता है । पुनः प्रश्नावली तैयार करने में एक ही बार समय लगा देने पर बार-बार अलग व्यक्तियों के पास जाकर माया-पच्ची करने की आवश्यकता नहीं रहती । प्रश्नावली तैयार हो जाने पर कोई सहायक भी पत्र व्यवहार का बोझ वहन कर सकता है । इस पद्धति में प्रायोगिक दल का ध्यान भी मुख्य अपेक्षाओं पर ही केन्द्रित रहता है । उत्तर-दाता श्वर-उत्तर की व्यर्थ चर्चा में न उलझ कर प्रश्न का सीधा स्पष्ट उत्तर देते हैं, जिससे अध्येता को विश्लेषण में अनुकूल सुविधा होती है । प्रश्नावली विधि का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसमें प्रायोगिक दल को उसी दम वातचीत के लिए बाधित नहीं किया जाता है । जब भी उत्तरदाता का मूड हो, वह बैठकर प्रश्नावली के उत्तर लिख सकता है । इस दशा में वह प्रश्नों को सर्वांगीण महत्व देते हुए गम्भीरतापूर्वक कार्य करता है । यदि प्रश्नावली को साक्षात्कार के साथ मिला लिया जाय तो किसी भी प्रकार की जिज्ञासा का सहज शमन वही सम्भव हो सकता है । ऐसा करने से वात अधिक स्पष्ट होकर उजागर हो पाती है ।

उक्त विधि में जहा कुछ लाभ हैं, वही कदाचित् कुछ अभाव भी हैं । यह सही है । कि इसका प्रयोग मासूम बच्चों या अनपढ़ लोगों पर नहीं किया जा सकता, परन्तु साहित्यिक क्षेत्र में इसकी कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं रहती । साहित्य दिशा में इसका मूल अभाव है वह सम्भावना, जिसमें उत्तरदाता द्वारा प्रश्नकर्ता के भाव को गलत समझ लिया जाता है । ऐसे में 'महादेवी की रहस्यात्मक धारणा' की व्याख्या 'वहणा-भाव' के रूप में हो जाता सम्भव है । पुनः यह भी आवश्यक है कि यदि प्रमुख विद्वान आपकी प्रश्नावली का उत्तर नहीं देते और कुछ साधारण लोगों के उत्तर आपको प्राप्त हो जाते हैं, आप उन उत्तरों/व्याख्याओं से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते । यहा उत्तरदाता विद्वत्ता का प्रतिनिधित्व नहीं करते, इसलिए उनके उत्तरों से

निकाला गया निष्कर्ष मन्दैव शकाम्पद बना रहगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपने विचारों को लिखकर देने में अस्पष्ट करते हैं, या आपकी प्रश्नावली के घेरे में बंधकर चलना उन्हें नहीं पसना—ऐसे में यह विधि अमफन हो जाती है। इस विधि की एक हानि यह भी है कि यदि उत्तरदाता एक बार उत्तर देकर अपने नवीन सशोधित विचारों के अनुमार उगे बदना अथवा अधिक् व्याख्यायिन करना चाहे तो वह नहीं कर पाता। परिणामतः उसके बुद्धिशील ज्ञान का लाभ नहीं उठाया जा सकता। यों भी कुछ लोग, जब तक पहले में शोधार्थी में परिचित न हो, उमर निखित प्रश्नों का उत्तर देना उचित नहीं मानते। ऐसे में प्रश्नावली विधि की अपेक्षा साक्षात्कार विधि अधिक् प्रभावी होती है।

उत्तम प्रश्नावली के गुण—प्रश्नावली तैयार करत समय प्रश्नों का कुछ विशिष्ट बिन्दुमा तक ही सीमित रखना चाहिए। दीर्घ क्षेत्र में प्रश्नों का विस्तार उत्तरदाता के लिए ब्यथनाहट उत्पन्न करता है। प्रायोगिक दल में जिन उत्तरों की अपेक्षा हा, वे सरल, सीधे और साभिप्राय होने चाहिए। छोटे और मात्र विषयान्वयी उत्तर प्रश्न के स्वरूप पर आतृत होते हैं, इसलिए प्रश्नों की प्रस्तुति में किसी प्रकार का उलभाव जाटल्य या भ्रम नहीं होना चाहिए। प्रश्न सुभावात्मक अथवा प्रेरणात्मक न हो तो उनके उत्तर निष्पक्ष हो सकते हैं। निष्कर्षों में साम्भीय लाने तथा निष्णयो में निष्चयात्मकता उपजाने के लिए प्रश्नावली में विषयपरक गहर्गई और अपक्षित व्याख्या के सीमित परिमाण का सक्ते बना रहना चाहिए। प्रश्न व्यक्तिपरक अथवा उत्तरदाता को परेशान करन वाल नहीं होने चाहिए, सम्भव हो ता प्रश्ना का आकार छोटा और अपक्षित उत्तर में व्याख्यात्मक अभाव बना रहना चाहिए। कई बार प्रश्न को पढते ही उत्तरदाता के मन में सन्देह उपजने लगता है, वह यह मान बँटना है कि शायद उसकी धारणा जानकर उसका मखील उडाने का प्रयाम हान वाता है, ऐसे में सहज ही वह प्रश्नावली पर भडक उठता है। उस स्थिति में उत्तर ता वह नहीं ही देगा, बल्कि प्रश्नावली का ही विरोध करने लागेगा।

प्रश्नावली यथासम्भव सुबोध और सक्षिप्त होनी चाहिए। प्रश्नों को यदि वर्गीकृत किया जा सके और प्रत्येक वर्ग को क्रमानुसार प्रस्तुत करें, ता प्रश्नावली अधिक् प्रभादशाली हो सकती है। देखने में भी यदि प्रश्न आकषक हा ता उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया उपयोगी होगी। यथासम्भव प्रश्नावली में स्पष्ट निर्देश भी दिए जाने चाहिए, ताकि उत्तरदाता क लिए प्रश्न का समभना समस्या न बन जाय। प्रश्नावली में यदि किसी साहित्यिक स्थिति पर विद्वानों की सम्मति जानने अथवा किसी साहित्यिक मूल्य की परिभाषा या लक्षण निश्चित करने का प्रयाम हो तो इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसा न करने से वही उडूत होन पर, शायद उत्तरदाता मन.वेदना का अनुभव करने लगे और आपके प्रतिशुद्ध हो। अधिप्राय यह कि प्रश्नावली प्रस्तुत करते समय शोधार्थी को अत्यधिक सावधान रहना चाहिए और किसी

ऐसे मध्यम मार्ग की ग्योज करनी चाहिए जिस पर चलते हुए उसके प्रश्नों का उत्तर देने में किसी प्रायोगिक दल को परेशानी न हो और उसके विषयगत निष्कर्षों पर भी सही प्रकाश पड़े। प्रश्नावली प्रस्तुत करने समय प्रायोगिक दल के लिए विनम्र प्रार्थना भी शोधार्थी को अवश्य करनी चाहिए, अपना मन्तव्य स्पष्ट करना चाहिए तथा उनके सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए पहले से ही आभार प्रदर्शित करना चाहिए।

वर्गीकरण—वैज्ञानिकों ने प्रश्नावली विधि में दो प्रकार की प्रश्नावलियों की कल्पना की है। वर्गीकरण के प्रयास तो अनेक विद्वानों ने किए हैं, किन्तु सबसे दा ही प्रकारों का निर्देश दिया है। श्री जॉन वेस्ट ने 'रिसर्च इन एजुकेशन' में प्रश्नावली को नियन्त्रित (Restricted) तथा अनियन्त्रित (Unrestricted) दो प्रकार की स्वीकार किया है। इसमें नियन्त्रित प्रश्नावली के उत्तर अधिकांशतः हा या न में होते हैं और अनियन्त्रित प्रश्नावली में उत्तरदाता स्वेच्छा से अपनी बात स्पष्ट कर सकता है। उस पर भाषा-परिमाण का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता।

कुछ अन्य विद्वानों ने प्रश्नावली के संरचनात्मक (Structural) तथा असंरचनात्मक (Non-Structural) दो भेद स्वीकार किए हैं। संरचनात्मक प्रश्न सक्षिप्त, निश्चित एवं मूर्धन्य के अनुकूल होते हैं। इसके विपरीत संरचनात्मक प्रश्न गम्भीर, गहन, जटिल और प्रायः उलझन भरे होते हैं। एक अन्य विद्वान जी ए लुडवर्ग ने प्रश्नावलियों का वर्गीकरण करते हुए इन्हें 'तथ्यात्मक प्रश्नावली' तथा 'अभिमत परक प्रश्नावली' नामों से विभाजित किया है। तथ्यात्मक प्रश्नावली के उत्तर लगभग सभी उत्तरदाताओं के लिए एक समान होते हैं। वहाँ शोधार्थी का लक्ष्य तथ्यों की पुष्टि करना रहता है, जबकि दूसरी प्रकार की प्रश्नावली किसी साहित्यिक स्थिति पर विद्वानों का अभिमत जानने के लिए प्रस्तुत की जाती है। सबके अभिमत जुदा-जुदा हो सकते हैं, इनमें से बहुसंख्या कौन-सा पक्ष ले रही है, यही जानना अभीष्ट होता है। साहित्यिक प्रश्नावली के लिए अभिमत-परक तथा नियन्त्रित प्रश्नों का मुख्य महत्त्वपूर्ण हो सकता है।

साहित्यिक प्रश्नावली में प्रश्नों के कुछ नमूने—साहित्यिक शोध में प्रश्नावली का आशय केवल तभी लिया जाता है, जब किसी विवादास्पद विषय पर विद्वानों का अभिमत जानना होना है। अतः इसमें प्रश्नों का स्वरूप आग्रह-मर्मर निवेदन-मक होगा। मान लीजिए कि हमें उपन्यासकार जैनेन्द्र की नायिकाओं के व्यवहार पर कुछ निष्कर्ष निकालने हैं। इस दिशा में हमारे प्रश्न दो प्रकार के हो सकते हैं—

(‘मुनीता’ के सदर्भ में) ? 1. क्या ‘मुनीता’ की मनस्थिति में उसे किसी और पुरुष के साथ या में जाना चाहिए था ? 2. क्या हरिप्रसन्न के मन की मनिता का आभाव पाकर मुनीता का निर्दमना होने का व्यवहार उचित था ? 3. क्या हरिप्रसन्न की घबराहट उसकी दुर्बलता थी या बौद्धिक उताप ? (ये तीनों प्रश्न तथ्यात्मक हैं)

- 1 आपके विचार में सुनीता को निर्वासना दिखाना कितना मनोविज्ञानिक औचित्य लिए हुए है ?
- 2 अपने मित्र की प्रसन्नता के लिए श्रीवान्त द्वारा सुनीता को दिए गए सुभाव कहा तक नैतिक औचित्य की मर्यादा की रक्षा कर सकते हैं ?
- 3 क्या हरिप्रसन्न के साथ चलते हुए हुए सुनीता का मन मलिन हो गया था यह केवल उत्सुकता मात्र ही थी (य तीन प्रश्न अभिमत-परक हैं) ऐसे ही अनेक प्रश्न जैनेन्द्र के उपन्यासों की अलग अलग स्थितियों से सम्बन्ध हो सकते हैं ।

विद्वान विचारकों द्वारा प्रेषित इन प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम से हम जैनेन्द्र की नायिकाओं के व्यवहार का औचित्य-अनौचित्य ठहरा सकते हैं और इस प्रकार जैनेन्द्र के विद्रोही चित्त की उपज का सही विश्लेषण कर सकने में समर्थ हो सकते हैं । पात्राओं के व्यवहार में अमाधारणता का आधार मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं या लेखकीय कल्पना, इसका निर्णय तब दूभर नहीं रह जायगा ।

(ख) साक्षात्कार विधि—शोध विधि के रूप में साक्षात्कार एक महत्त्वपूर्ण प्रणाली है । इसका आधार यद्यपि प्रश्नावली ही होनी है, तथापि इसमें प्रायोगिक दल या उत्तरदाता सामने रहता है, इसलिए प्रश्न को भली भाँति समझन समझाने एवं उत्तर पर सुयोग्य स्पष्टता का आह्वान कर सकने का अवकाश बराबर बना रहता है । वास्तव में चर्चा कर सकने तथा बात की तह तक पहुँच सकने की क्षमता के कारण ही साक्षात्कार विधि प्रश्नावली के अपेक्षा अधिक सबल ठहरती है । साक्षात्कार एक द्विध्रुवी प्रवृत्ति है । प्रश्न-कर्ता तथा उत्तरदाता एक-दूसरे के माथ स्थिति, मनोभावों तथा विषय के महत्त्व के घरातल पर बंध कर बातचीत करते हैं, इसलिए यह विधि शोध समस्या के अध्येता एवं अध्ययनाधार के बीच निरन्तरता बनाता है । इसके द्वारा उपलब्ध सामग्री में विषयीगत तत्त्व तो अनशय्य होता है, परन्तु यहाँ प्रायः विषयी विषय-सम्बन्धी प्रतिष्ठित विद्वान होता है । उसके द्वारा प्रस्तुत तथ्याख्यान अपने-आप में सजीव शोध का घरातल उपजाता है ।

साक्षात्कार विधि अपनाते वाला शोधार्थी प्रबुद्ध, प्रत्युत्पन्नमति और स्वयं विषय का ज्ञाता होता है । वह साक्षात्कार द्वारा निश्चय ही प्रश्नों को पैर-बदल कर उत्तरदाता से थोड़े-थोड़े सामग्री प्राप्त कर लेता है । प्रश्नावली में क्वचित् उत्तरदाता सम्मुख नहीं होना, इसलिए लिखित प्रश्न की अस्पष्टता अथवा उत्तर की जटिलता का अवकाश सदैव बना रह सकता है । साक्षात्कार में ऐसे अमायात्मक प्रतिबन्ध नहीं होते । प्रश्नावली में जो सामग्री ऊपरी स्तर का उद्योग्य लिए हुए मिलती है, साक्षात्कार में उसी के लिए गहन परीक्षा को उधाड़ा जा सकता है । स्मरण-पत्रा, पुनः पुनः पत्र लिखने की आवश्यकता इसमें नहीं रहती—जहाँ, जैगी स्थिति बनी, वही प्रश्न का रूप बदलकर बातचीत को न केवल रोचक ही बनाया जा सकता है,

बल्कि उत्तरदाता को अपना श्रेष्ठतर ज्ञान अभिव्यजित करने के लिए प्रेरित भी किया जा सकता है। इस दिशा में कभी-कभी साक्षात्कृत व्यक्ति अपनी गोपनीय बातें भी बताने को बाधित हो जाता है। ऐसे में जहाँ साक्षात्कार करने वाले शोधार्थी को उसे गोपनीयता बनी रहने का विश्वास दिला देना चाहिए, वहाँ तथ्यों का अधिचार उल्लेख करते हुए भी उसे तथ्य का उद्घाटन करने वाले या नामोल्लेख नहीं करना चाहिए। साक्षात्कार करने वाले शोधार्थी की सफलता इस बात में है कि वह अपने उत्तरदाता को प्रसन्न रख सके, उसके स्नेह का भाजन बनकर उसके द्वारा अपनी समस्या को सम्भलाने में सहयोग प्राप्त करे और नवीन तथ्यों अथवा पुरातन तथ्यों के नवाख्यान के सकेत पाकर गम्भीर विरूपण द्वारा स्वयं दिशा निर्धारित करे। साक्षात्कार विधि द्वारा छोटे-एव-अनपढ़ लोगों से भी बातचीत हो सकती है। विशेषकर अछूते हस्तलिखित साहित्य की खोज में अनपढ़ गवार प्रामाण्य लोग अधिक सहायक हुआ करते हैं। लोक-साहित्य का संग्रह भी उनकी सहायता के बिना सम्भव नहीं होता। इसलिए यदि साक्षात्कार करने वाला शोधार्थी विनम्र प्रेम और शालीन होगा, तो वह प्रायः बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त कर सकने में सक्षम हो सकता है।

साक्षात्कार के प्रकार—शिक्षा-क्षेत्र के विद्वानों ने साक्षात्कार की प्रणाली को नित्य-प्रति व्यापक रूप देते हुए साक्षात्कार के अनेक प्रकारों का अध्ययन किया है। यह आवश्यक नहीं कि वे सब प्रकार साहित्यिक शोध में भी पूर्ण सहायक हो सकें, तथापि निजी क्षेत्र में उनका महत्व अशुण्य है। हम यहाँ केवल उन्हीं प्रकारों की चर्चा करेंगे, जो भाषाई साहित्यिक शोध में सहायक होते हैं।

निदानात्मक साक्षात्कार—यह विधि केवल उन कवियों/साहित्यकारों के सम्बन्ध में अपनाई जा सकती है, जिनकी रचना की पृष्ठभूमि पर आप उनकी किसी विशिष्ट मानसिकता एवं परिस्थितिजन्य प्रतिक्रिया का अध्ययन करना चाहते हैं। इसके द्वारा आप लेखक के व्यक्तिगत जीवन, सघर्ष, उतार-चढ़ाव, संवेदनाओं, संवेगों तथा मनोविकारों के गम्भीर आधार खोज सकते हैं। उस घरातल का स्पर्श कर सकते हैं, जो लेखक की संरचनात्मक संवेदनाओं को पैदा करता है।

अनुसंधानात्मक साक्षात्कार—जब कभी शोधार्थी साहित्याध्ययन के उपरान्त कुछ सम्भावित निष्कर्षों का ढाल लेता है, और अपने निष्कर्षों को विद्वानों के चिन्तन-मानदण्ड पर परखना चाहता है, तब उसे अनुसंधानात्मक साक्षात्कार की ओर बढ़ना पड़ता है। इसके लिए शोधार्थी अपने सम्भावित निष्कर्षों को सम्मुख रखकर प्रश्नों को विचारता और उन्हीं के आधार पर विषय के प्रतिष्ठित विद्वानों से बातचीत करता है। इस प्रकार की चर्चा के अन्तर्गत उसे उपयुक्त सूत्र प्राप्त होते हैं, जिनके अनुकूल वह अपने सम्भावित निष्कर्षों को ढाल देता है।

अनिर्दिष्ट साक्षात्कार—साहित्यानुसंधान की विधि रूप में साक्षात्कार के दौरान प्रश्नों को निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता, न ही उन्हें किसी धरे में बाँधकर

प्रस्तुत किया जा सकता है। साहित्य क्षेत्र में साक्षात्कार का स्वरूप सदैव अनिश्चित रहता है। उत्तरदाता आपके प्रश्नों का उत्तर देते हुए अपनी धारणानुसार न केवल प्रश्नों को ही अनन्त रूपों में विभाजित करके चल सकता है बल्कि स्वेच्छा पूर्वक उत्तर को उन्मत्त-श्लेष, विषय-परक या विषयीपरक बना सकता है।

गम्भीर साक्षात्कार शोधकर्ता तथा गम्भीर साक्षात्कार साहित्य की काव्यशास्त्रीय अथवा गमकालान्तर जटिलताओं को मुलभाने के लिए अपनाया जाता है। इस प्रकार का साक्षात्कार केवल एक ही प्रतिष्ठित व्यक्ति के सम्मुख भी हो सकता है, एक में अनेक विद्वान भी एक ही समय इसमें भाग ले सकते हैं। वे लोग अपने-अपने मतानुसार समझा पर विचार प्रस्तुत करते हैं और पारस्परिक विचार-विमर्श के लिये तान-बान में ऐसे गम्भीर मूत्र उदघाटित करते हैं कि अन्त में वे साहित्यिक उपनिषद् बन जाते हैं। प्रायः सगोष्ठियों, परिचर्चाओं एवं सामूहिक साक्षात्कारों में उन्नत कोटि की साहित्यिक गम्भीरता सदैव विद्यमान होती है।

अनुसंधानात्मक साक्षात्कार का ढंग—क्योंकि साहित्य क्षेत्र में इस प्रकार के साक्षात्कार का विशेष स्थान है, इसलिए इसमें निर्वाह की विभिन्न दशाओं को भी स्पष्ट कर देना उचित ही होगा। इसके लिए सर्वप्रथम आपको उन विद्वानों की सूची तैयार कर लेनी चाहिए, जिनसे आप साक्षात्कार करना चाहते हैं। ऐसा करते समय उन विद्वानों के व्यक्तित्व, प्रकृति और योग्यता का ध्यान रखा जाना चाहिए तथा साक्षात्कार के लिए उनसे पहले ही समय निश्चित कर लिया जाना चाहिए, ताकि उस समय प्रत्यर्थी (Respondent) मानसिक तथा बौद्धिक रूप से आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार रह सके। साक्षात्कार करने वाले शोधार्थी को विद्वान प्रत्यर्थी से मिलने से पूर्व प्रश्नों की क्रमिक सूची तैयार कर लेनी चाहिए और प्रत्यर्थी की व्याख्या को सटीकतापूर्वक लिखने अथवा रिकार्ड करने का समुचित प्रबन्ध करना चाहिए। प्रायः बात-चीत की गति लेखन-गति से अधिक होती है, इसलिए रिकार्डिंग बहुत उपयुक्त माध्यम है। शीघ्र लिपि का प्रबन्ध भी सहायक हो सकता है। प्रत्यर्थी विद्वान अपने विषय का प्रकाण्ड पंडित होता है इसलिए उनके सम्मुख अपनी शोध-समस्या रखने में पूर्व आपको स्वयं अपने लक्ष्य के प्रति अत्यधिक स्पष्ट होना अपेक्षित है। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनमें किसी प्रकार की खीझ उपजने की सम्भावना न हो। प्रश्नकर्ता विनम्र तथा सादरभाव से ही प्रश्नों को प्रस्तुत करे—कहीं भी प्रश्न के उलभने पर 'आप समझे नहीं' ऐसे शब्द प्रत्यर्थी के प्रति प्रयुक्त नहीं होने चाहिए। इसकी अपेक्षा विनम्रता बनाए रखते हुए शोधार्थी 'क्षमा कीजिएगा, शायद मैं ठीक समझा नहीं पाया' आदि शब्दों का प्रयोग कर सकता है।

प्रत्यर्थी के निकट पहुँचते ही उस पर प्रश्नों की झड़ी नहीं लगानी होती। उसके साथ सामान्य बातचीत कीजिए, मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाएँ और उसे यह

महसूस न होने दें कि जैसे वह किसी परीक्षा में बैठने जा रहा हो। ऐसा करने में तनाव घटेगा, बातावरण सौहार्दपूर्ण होगा और फिर जो उत्तर प्राप्त होंगे उनमें भी एक शान्त, विश्वस्त प्रानिमा सूचना निहित होगी। जब प्रत्यर्थी किसी प्रश्न पर अपना मत प्रकट करने लगे, तो उस बीच में टोकना अशिष्टता होगी। उसकी समूची बात को ध्यानपूर्वक सुनें, समझें तथा फिर भी यदि कुछ आशंका या जिज्ञासा हो, तो पुनः प्रश्न करें। बीच में टोकने से चिन्तन धारा के भंग होने की सम्भावना रहती है। साक्षात्कार करते समय प्रश्नों एवं बातचीत की दिशा निश्चित तौर पर अपेक्षित साहित्यिक ममाधान की ओर ही बनी रहनी चाहिए दिशा-भंग होने से इधर-उधर की ऊन-जतूत बानें शुरू हो सकती हैं, जिनमें समय का अपव्यय होगा और आप अपने लक्ष्य से टिढ़क जायेंगे। सम्भव हो तो आप प्रत्यर्थी के उत्तरों की सराहना करते रह सकते हैं, अपना समर्थन भी व्यक्त कर सकते हैं किन्तु प्रश्नों को धीरे धीरे और अपेक्षित स्थलों पर जोर देते हुए ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी के उत्तरों को जैसाकि हमने ऊपर कहा है, शीघ्र लिपि के द्वारा लिखना, अथवा टेप रिकार्डिंग कर लेना उपयुक्त होना है। यदि किसी कारणवश ये विधियाँ सम्भव न हों, तो शोधार्थी सन्निप्त टीप ले सकता है, यदि उसमें दिक्कत हो तो वह प्रत्यर्थी विद्वान् मन्वने की प्रार्थना कर सकता है। ताकि सुविधापूर्वक उसका मत अंकित किया जा सके। शोधार्थी पढ़ने में ही मभावित उत्तरों के प्रतीक-चिह्न तैयार करके साथ ले जा सकता है। प्रत्यर्थी का उत्तर श्रवण करने के उपरान्त वह निकटतर प्रतीक चिह्न को रेखांकित करके अगले प्रश्न की ओर बढ़ सकता है।

साहित्यिक शोध में साक्षात्कार का स्वरूप—साहित्य-क्षेत्र के शोधार्थी को निर्णय-पेक्षा समस्याओं की सुलभाने के लिए साक्षात्कार का आश्रय लेना पड़ सकता है। यह निगम काव्य शास्त्रीय सिद्धान्तों का हो सकता है, कृतियों एवं कृतिकारों के युग अथवा भाषा का हो सकता है, या लेखकों को 'वाद' के धरे में बाधने से सम्बन्धित हो सकता है। ऐसी स्थिति में साहित्य के पक्ष विशेष के मुख्य विद्वानों में साक्षात्कार का प्रश्न उठ सकता है। शोधार्थी को समस्या से सम्बन्धित कुछ मूल प्रश्नों की सूची तैयार कर लेना चाहिए—यथा (हिन्दी साहित्येतिहास के पुनर्लेखन की समस्या के मदर्भ में) —

1. श्रियमंत और रामचन्द्र धुवन तक जिम ज्ञात हिन्दी साहित्य को इतिहास का रूप दिया गया था, क्या ज्ञात-पक्ष आज भी उतना ही है?
2. नवीन शोध के फलस्वरूप अनेक कवियों, कृतियों, प्रवृत्तियों एवं सहयोगी विशेषताओं का जो परिचय मिला है, क्या अतः उमें साहित्येतिहास में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए।
3. उत्तरोत्तर लिखा जाना वाला नया साहित्य कितने बानोपरान्त इतिहासाश बना लिया जाना चाहिए?
4. विभिन्न प्रदेशों की प्रांतीय सीमाभा में प्रायः वहीं की प्रादेशिक लिपियों में समृद्ध हिन्दी साहित्य उपलब्ध हो रहा है, क्या अभी तक साहित्येतिहास से उमें म्यात नहीं मिल रहा?
5. प्रादेशिक हिन्दी साहित्य, हमारे मन में पूर्वं ज्ञात साहित्य से भी अधिक है, उसके योग से हिन्दी साहित्येतिहास का रूप पूर्णतः

बदल जाने की आशा है, आपका विचार ? 6 इस दशा में क्या नवीन साहित्येतिहास किसी एक स्थान अथवा प्रदेश का कोई एक अथवा एकाधिक व्यक्ति लिख सकेंगे ? 7. क्या ऐसे इतिहास के सम्पादन के लिए किसी बड़ी संस्था का सामूहिक प्रयास अपेक्षित न होगा ? 8 नवज्ञात सामग्री के परिप्रक्ष्य में नया साहित्येतिहास लिखने के लिए आप क्या सुभाव देंगे ?

इस प्रकार के प्रश्नों को सम्मुख रखकर आप किसी भी साहित्येतिहास के विद्वान से न केवल उसका मत जान सकते हैं, बल्कि नवीन इतिहास लिखने की दिशा में उसके अनुभवों से लाभ भी उठा सकते हैं। शोधार्थी को चाहिए कि प्रत्येक प्रश्नो-परान्त वह प्रत्यर्थी के उत्तर का संक्षिप्त टीप ले और यथावश्यक उसे उद्धृत कर सके। यदि समग्र चर्चा टेप की जा सके तो बाद में भी उसे दो-एक बार ध्यान-पूर्वक सुनकर नोट्स तैयार किए जा सकते हैं। यही पद्धति अन्य साहित्यिक समस्याओं के लिए भी अपनाई जा सकती है। आजकल विविध प्रकार के बोधों के संकल्प उजागर हो रहे हैं—इनके सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए साक्षात्कार पद्धति बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है।

साक्षात्कार के लाभ—विधि रूप में साक्षात्कार को स्वीकारने वाले शोधार्थी को इससे एक बड़ा लाभ यह होता है कि वह प्रत्यर्थी विद्वानों से मित्रता स्थापित कर सकता है। साक्षात्कार के अवसर पर यदि कुछ मैत्री-पूर्ण वातावरण बनाने में सक्षम हो सके, तो यह मित्रता उसे जीवन के अनेक क्षेत्रों में सहयोगी सिद्ध होती है।

प्रश्नावली विधि में प्रायः जिन गलतफहमियों की आशंका हो सकती है, साक्षात्कार में उनका निराकरण तुरंत सम्भव है। प्रश्न के उत्तर में प्रत्यर्थी ने जो भी कहा, यदि वह साक्षात्कार करने वाले को पहली ही बार समझ नहीं आता, तो वह पुनः प्रश्न कर सकता है, अपनी जिज्ञासा को दूसरे शब्दों में प्रस्तुत कर सकता है या व्याख्या में से उठने वाले नवीन प्रश्नों की चर्चा कर सकता है। ऐसा सब कर सकने की सम्भावना में साक्षात्कार विधि प्रश्नावली से बढ़कर महत्वपूर्ण सिद्ध होती है।

प्रायः देखा गया है कि यदि 100 प्रत्याघियों को प्रश्नावली प्रेषित की जाय, तो कठिनाई से उनमें 45-50 तक विद्वान उत्तर भेजने का कष्ट करते हैं, और वह भी एक-दो स्मरण पत्र भेजने के बाद। किन्तु साक्षात्कार में उत्तर-प्राप्ति का अनुपात 75-80 प्रतिशत हो सकता है। जिस किसी भी विद्वान के पास शोधार्थी व्यक्तिगत रूप से पहुँचता है, मात्र शिष्टता-वश ही सही उसे उसका स्वागत करना एवं उसकी पूछताछ का उत्तर देना पड़ जाता है। तात्पर्य यह कि साक्षात्कार विधि में प्रत्यर्थिया की ओर से टाल मटोल का अवकाश कम हो जाता है।

साक्षात्कार के दौरान कुछ ऐसे सूत्र भी हाथ लग सकते हैं, जो प्रत्यर्थी विद्वान के व्यक्तित्व और रचना, व्यक्तिगत धारणाओं एवं मनोवृत्तियों को समझ लेने में

सार्थक होते हैं। ये सूत्र प्रायः गोपनीय जीवन-रहस्य भी हो सकते हैं और विशिष्ट जीवन-शैली के परिचायक भी। ऐसी स्थिति में शोध-समस्या में इन महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त कर लेने के कारण साक्षात्कार का लाभ द्विगुणित हो जाता है।

उक्त विधि का एक और महत्वपूर्ण लाभ दीख पड़ता है, जो डाक द्वारा भेजी प्रश्नावली में कदाचित् सम्भव नहीं। प्रश्नावली के उत्तर प्रायः प्रत्यर्थी द्वारा हस्त-लिखित ही भेजे जाते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि प्रत्यर्थी का हस्तलेख आपसे न पढ़ा जा सके, तो उस अपठनीय हस्तलेख में प्रस्तुत उत्तर शोधार्थी के किस काम आएगा! तात्पर्य यह कि अपठ्य हस्तलेख की समस्या प्रश्नावली में सम्भव है, साक्षात्कार में ऐसी कोई बाधा नहीं। साक्षात्कार करने वाला स्वयं अपनी भाषा, लिपी एवं हस्तलेख में प्रत्यर्थी के उत्तरों को को दृढ़ कर सकता है, उसे टेप में या शीघ्र लिपि में लिखवा सकता है। ऐसा करने से 'लिखे मूना, पढ़े खुदा' वाली कठिनाई का निरन्तर नराकरण होता रहता है।

शोध के विविध आयाम/पक्ष

हिन्दी में साहित्यिक शोध आज बहुमुखी एवं बहु-आयामी हो गया है। जहाँ एक ओर हमका घेरा आधुनिक विज्ञानों, शास्त्रों तथा कलाओं का स्पर्श कर रहा है, वहाँ दूसरी ओर निरन्तर हमका विस्तार हो रहा है। व्याकरण, भाषा-विज्ञान, भाषाओं-बोलियों के परिप्रेक्ष्य तथा लोक साहित्य के अनेक दायरे हिन्दी में साहित्यिक शोध व आयाम निश्चित कर रहे हैं। शोधार्थियों को उक्त पक्षों एवं आयामों से सही तौर पर परिचय करवाने के लिए हम यहाँ दोनों दिशाओं का सबत प्रस्तुत कर रहे हैं—

(1) विविध पक्ष—आज यह आवश्यक नहीं रहा कि आप हिन्दी साहित्य का अध्ययन करते हुए साहित्य के घेरे में ही उलझ कर रह जायें। पूर्वयुग में शोधार्थी के साहित्य के अन्तर्गत अनुसंधान के लिए अनुशीलन, परीक्षण, मूल्यांकन अथवा नव-सकलनों पर आश्रित रहना होता था। बौद्धिक युग की प्रगति के साथ साथ साहित्यिक शोध के अनेक पक्ष सामने आए हैं। वैज्ञानिक दृष्टि में साहित्य के भगोवैज्ञानिक, शैली वैज्ञानिक, राजनीतिक या औद्योगिक पक्षों का अध्ययन हो रहा है। शास्त्र-सम्बन्धी क्षेत्रों का तो कोई अन्त ही नहीं। दार्शनिक, आध्यात्मिक, नैतिक, समाजशास्त्रीय, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, नृशास्त्री, पुरातत्व सम्बन्धी पौराणिक आदि अनेक पक्ष साहित्यिक शोध में उजागर हो रहे हैं। विभिन्न शास्त्रों का क्षेत्र अलग-अलग चेतनाओं और भावनाओं से प्रेरित हो रहा है। केवल समाजशास्त्र को ही लेकर साहित्य की विभिन्न विधाओं में पारिवारिक, मध्यवर्गीय, उच्चवर्गीय, सम्बन्धों के विघटन सम्बन्धी, नारी-सम्बन्धी, रीति रिवाजों, पर्वोत्सवों, जीवन-दृष्टियों, युवा आक्रोश, यौन-विकारों और न जाने किन किन पक्षों पर शोध-कार्य हो रहा है अभी और भी मकता है। सांस्कृतिक शोध के नाम से आप किसी भी मानवीय मूल्य को अध्ययनार्थ उठा सकते हैं। साहित्य में बदलते हुए नैतिक मूल्यों माना का परीक्षण कर सकते हैं, दार्शनिक तत्वों को उघाड़ सकते हैं, एक एक तत्त्व का सकल्प निश्चित कर सकते हैं, दार्शनिक सिद्धान्तों में साहित्यिक रचनाओं को जड़ सकते हैं। भक्तिकानीन अथवा उससे इतर काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्तियाँ खोज सकते हैं, आध्यात्मिक मूल्यों का अनुशीलन कर सकते हैं तथा आत्मा-परमात्मा सम्बन्धों को लेकर प्रतीकात्मक प्रसाद खड़ा कर सकते हैं। चेतना के स्तर पर आज अचलित चेतना तथा सनातन, मृत्यु, युग आधुनिकता,

जीवन मूल्य (बदलते हुए), सशय, व्यग्य, विश्वराव, अग्रमान आदि की बोधात्मक चेतनाओं का अलग अध्ययन सम्भव हो रहा है। यह सही है कि वर्तमान अध्ययन को किमी एक धारा में बाधा नहीं जा सकता, प्रायः विषय-पक्ष एकाधिक धाराओं को छू लेते हैं, फिर भी चेतना को लेकर छोटी स छोटी संवेदना के घेरे में बाल की खाल उतारी जा रही है। यही स्थिति भावना-स्तर की भी है। किसी एक स्थिति का दूसरी पर प्रभाव तो होता ही है, किन्तु स्पष्ट एकार्यो भावनात्मक अध्ययन भी आज एक अलग शोध-पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं—साहित्य की किसी भी विधा में शृंगार, वीर, वरुण, वात्सल्य, हास्य, व्यग्य आदि भावनाओं का अनुशीलन सम्भव है। अनूदित, तुलनात्मक या प्रवृत्तिजन्य साहित्य का मूल्यांकन किया जा सकता है। महानगरीयता, वैयक्तिकता, एवालिकता आदि भावनाएँ भी ऐसी ही स्थितियाँ हैं।

जो शोधार्थी विभिन्न कलाओं के मानदण्ड पर साहित्य को परखना चाहें, उनके लिए भी अब कोई बाधा नहीं रह गई। काव्य और संगीत का तो सदैव चोली-दामन का साथ रहा है, चित्रकारों ने काव्यभिव्यजनाओं को रंगों और श्रृंगार के माध्यम से भी पेश किया ही है। भाषात्मक प्रयोग भी एक कला है, मुहाबरेदानी, प्रवाहात्मक, दशात्मकता सभी तो कवि की कला के अंग हैं। कथा साहित्य में पत्र और डायरी, नाटक में रंग सन्त और मंचन विधि आदि तत्व कला ही तो हैं। जब शोधार्थी साहित्यिक घेरे में उपलब्ध कलात्मक उपलब्धियों का अध्ययन करता है अथवा साहित्य (कला) का अन्य ललित कलाओं के परिप्रक्षय में मूल्यांकन करता है, तब भी शोध का कलागत पक्ष ही उजागर होता है।

उपर्युक्त सभी पक्ष एवं अन्य अनेक दिशाएँ आज हिन्दी साहित्य के बहुपक्षी शोध का परिचय दे रही हैं। सच तो यह है कि हिन्दी साहित्य स्वयं इतना बटु-सक्षी हो चुका है कि मानवीय ज्ञान का शायद ही कोई पक्ष ऐसा हो, जिसे हिन्दी के सर्जकों ने न छुआ हो। यही कारण है कि उसके आवलोकन, अनुशीलन, मूल्यांकन करने में उन सभी पक्षा का स्पर्शन, अध्ययन सम्भव है, जो किसी प्रकार जीवन मूल्यों को निर्धारित कस्ते में संक्षम हैं।

(1) आयाम—आयामों का सम्बन्ध परिमाण एवं स्थापना से है। हिन्दी साहित्य, जो आज बहुपक्षीय हो गया है सहज ही नए आयामों की स्थापना कर रहा है। अध्ययन की पुरानी धारणाएँ, सृजन की पूर्वं दिशाएँ एवं अतीत की परिस्थितियों के साथ आज पूर्णतः बदल चुके हैं। हिन्दी का वर्तमान साहित्य पुरातना की लगभग अवहेलना करता हुआ जटिल जीवन के विविध विषयों को अंगीकार कर रहा है। आज के साहित्यकार का निजी अनुभव है कि मानव-जीवन के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है। जिंदगी की प्रफुल्लता ढूँढने से भी नहीं मिल रही, चतुर्दिक् एक सड़ाघ, विभीषिका सनास, धुटन और अकेलापन महसूस जा रहा है—ऐसी परिस्थितियों में जीने वाला साहित्यकार भला अपनी

चेतना के यथार्थ को अभिव्यक्ति से नयी कर अलग रख सकता है ? उसे अपने भाष से ही नहीं, समष्टि से भी न्याय करना है। ऐसे में वह अपना दामन बेदाग कैसे रखेगा ? आज साहित्य में बदलते हुए जीवन-मूल्यों व नैतिक मानों, अस्तित्व की खोज में भटकते मानवों, दुविधा और द्वन्द्व में अन्त सधप करते हुए व्यक्तियों, लोगों की भीड़ में अकेलेपन के बोझ में आतंकित जिन्दगियों और टूटते सम्बन्धों के पारावार में वेपतवार नौका की नाई डगमगाती उमगों के सजग चित्र सृजन के नवीन आयाम ही तो हैं। सहज ही इसी परिप्रेक्ष्य में जब अनुसंधान पनपेगा, वहाँ भी नए आयाम जुड़ेंगे।

उपर्युक्त सभी तत्त्वों को सम्मुख रहते हुए हिन्दी साहित्य की समस्त विधाओं में शोध के नवीन आयाम स्थापित हो रहे हैं। आधुनिक कविता के क्षेत्र में बीसियों वादा का आश्रय लेकर उसको विभाजित किया गया है और उन्हीं घेरो में रखते हुए अध्ययन के उपभ्रम हुए हैं। भारतेन्दु युगीन कविता में भक्ति, राष्ट्रीयता, विद्रोह के स्वर, नव-जागरण की धारणा, रुमानियत, प्रकृति-चित्रण हिन्दुत्व का दृष्टिकोण, सांस्कृतिक उपागम, प्रेम-चित्रण, नवीन बोध, व्याकरणिक प्रयोग, मुहावरे-लोकोक्तियाँ, भाषा-वैज्ञानिक अनुशीलन, शैली वैज्ञानिक, सौंदर्य शास्त्रीय, समाज शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, पौराणिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक चित्रण, अलंकार-रसादि के प्रयोग अथवा कलापक्ष का अध्ययन आदि असंख्य विषय साहित्यिक शोध के आयाम बन रहे हैं। यही स्थिति भारतेन्दु-कालीन नाटक, निबन्ध अथवा कथा-साहित्य की भी हो सकती है। द्विवेदी युगीन परिस्थितियाँ स्वयं नवीन अनुसंधान का धरातल हैं। राष्ट्रीयता के स्वर, पौराणिक किन्तु उपेक्षित पात्रों का उद्धार, अतीत वर्गों में वर्तमान उद्भावनाएँ, जीवन के आदर्श मूल्य, प्रवन्धात्मक शैली, ऐतिहासिक-पौराणिक पात्रायोजन, बहिर्मुखी सक्रियता एवं अन्तर्मुखी चेतना आदि वाच्य-पक्ष द्विवेदी युगीन शोध के आयाम हैं। फिर तो वादों का एक रेखा आता है, रुमानियता की एक अन्तर्हीन व्यवस्था जगती है और एक ओर प्रेम-सौन्दर्य तो दूसरी ओर निर्धनता-वर्ग-सधर्ष चित्रित होने लगता है। इन तथ्यों का शोधात्मक अध्ययन पुनः नवीन आयाम स्थापित करता है। नए नारे, आन्दोलन, दावे और लेबल सम-कालीन कविता के शोध-विषयों में प्रयोगवाद और नयी कविता, नवगीत, व्यक्ति चेतना, का गीति-मुक्ताक, समसामयिक सृष्टि और दृष्टि, लम्बी कविताओं का धरातल, नाट्य-काव्य का उभरता आयाम आदि को तो प्रस्तुत करते ही हैं, साथ ही मोह-भग अस्वीकृति, असन्तोष, अनास्था, विद्रोह, भूख, विकृति, अव्यवस्था, अस्तित्व की तलाश आदि तथ्यों पर हिन्दी शोध के लिए नवीन आयाम निर्मित करते हैं। समकालीन हिन्दी कथा-साहित्य, हिन्दी नाटक एवं वैचारिक साहित्य में भी उक्त स्वर तीखे होते जा रहे हैं उनमें की विसंगति स्वयं शोध का एक अन्ठा आयाम बन कर प्रकट हो रहा है।

हिन्दी साहित्य में शोध के आयामों में भाषा-बोली सम्बन्धी अध्ययनों, व्याकरण, मरचना, भाषा विज्ञान, शैली विज्ञान, सौन्दर्य शास्त्र, रस अन्वय आदि से सम्बन्धित कलापक्षीय अनुशीलन भी अपनाए जा रहे हैं। कुछ शोधार्थी जो अपनी प्रादेशिक भाषाओं के साहित्यों से भी पर्याप्त जानकारी रखते हैं, वे उन भाषाओं की विशिष्ट साहित्यिक प्रवृत्तियों को हिन्दी की समान प्रवृत्ति से तुलना करने का प्रयास भी कर रहे हैं। इस दिशा में शोध के अनेक आयाम स्थापित किए जा चुके हैं। अज्ञात रचनाओं की खोज तथा उनका पाठालोचन शोध का विशिष्ट आयाम बने जा सकते हैं। सूरति मिश्र तथा हरिचरणदास की कृतियों का उद्घाटन हिन्दी शोध के स्थापित आयाम हैं।

ध्यान देने की बात यह है कि शोध के आयामों में अन्तर-अनुशासनिक-उपागम (Inter disciplinary approach) आज विशेष स्थान रखता है। साहित्याध्ययन में मानव ज्ञान के अन्य अनुशासनों की क्या भूमिका हो सकती है, इस तथ्य को भली भाँति जान लेना और सूक्ष्मातिसूक्ष्म स्तर पर उन अनुशासनों के साथ साथ हिन्दी साहित्य का अध्ययन करना भी साहित्यालोचना के क्षेत्र में नवीन आयामों की स्थापना करने के बराबर है। साहित्य और संगीत, साहित्य और दर्शन, साहित्य और मनोविज्ञान, साहित्य और नृशास्त्र, साहित्य और समाज शास्त्र, साहित्य और सौंदर्य शास्त्र, साहित्य और संस्कृति, साहित्य और इतिहास-पुराण, साहित्य और राजनीति आदि अन्तर-अनुशासनिक अध्ययन हो रहे हैं, और भी हो सकते हैं, अतः इनके माध्यम से साहित्यिक शोध के नवीन आयाम प्रकाश में आ रहे हैं।

(iii) हिन्दी साहित्यिक शोध-कार्य की उपलब्धि—हिन्दी में स्वातन्त्र्य-प्राप्ति से पूर्व उपाधिपरक शोधन के बराबर ही हो पाई थी। भारतीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी शोध-ग्रन्थों पर पी-एच डी के उपाधि प्रदान करने की तिथियाँ जल्द सन् 1930 के आस-पास देखी जा सकती हैं, तथापि इस दिशा की तीव्रता और गति सन् 1947 के उपरांत ही मिल पाई। गत एक हजार वर्षों से भी दीर्घतर काल के हिन्दी साहित्य पर शोधात्मक अध्ययन कुल तीस ही वर्षों में सम्पूर्ण नहीं हो सकता, यही कारण है कि भारत के सौ के लगभग विश्वविद्यालय आज हिन्दी की साहित्यिक शोध पर उपाधि प्रदान करने का लोभ दे रहे हैं, शोधार्थियों की भरमार आ रही है, साहित्य के अग्र प्रत्यग पर शोध ग्रन्थ तैयार करने के प्रभावी प्रयास हो रहे हैं, फिर भी अभी हिन्दी शोध नित्य नवीन और ताजगी समर है। अग्रजीवान जब हिन्दी शोध की प्रगति से चिढ़ कर यह लाट्टन लगाया करते हैं कि हिन्दी में उच्च स्तर की शोध नहीं हो रही, बहुत अधिक सम्प्रा में शोधार्थी कार्य करते हैं और संकड़ों शोध-उपाधियाँ प्रति वर्ष प्रदान की जाती हैं, जिससे हिन्दी की शोध का मूल्य घट रहा है, तब वे भूल जाया करते हैं कि उन्नीसवीं शती के अन्त तक इंग्लैंड में अग्रजी शोध का भी यही हाल था। शोध के नए विषय न मिल सकने के कारण

यहाँ 'किसी कवि द्वारा अमुक शब्द के विभिन्न प्रयोग' जैसे सामान्यतर विषयो पर भी शोध-कार्य हुए। हिन्दी का क्षेत्र तो अभी तीस वर्ष पूर्व तक लगभग अज्ञात ही था। इसलिए इसमें इतने व्यापक स्तर पर शोध का अवकाश होना सहज ही मान्य होना चाहिए। अपनी भाषा होने से अंग्रेजी पर हिन्दी को अनेक सुविधाएँ प्राप्त हैं, इसलिए भारतीय विद्वानों द्वारा हिन्दी साहित्य को अपना शोध-क्षेत्र चयित करना अधिक सुविधाजनक है। शोध-कार्य निम्न स्तर का भी नहीं कहा जा सकता। अंग्रेजी के शोध-ग्रन्थों एवं पाश्चात्य विश्वविद्यालयों से अंग्रेजी माध्यम से शोध करने उपाधि प्राप्त करने वाले की अपेक्षा हिन्दी का शोधार्थी अधिक परिश्रम करता है, अधिक स्रोत-ग्रन्थों को देखता परखता है और मौनिक स्थापनाओं को प्रगति करता है। यही हिन्दी शोध की मुख्य उपलब्धि है।

हिन्दी शोध-कार्य की उपलब्धियाँ अनेक हैं। गत तीस वर्षों में अनेक नवीन कवि, बड़ी मात्रा में समृद्ध हिन्दी साहित्य, अज्ञात रचनाएँ, देश की विभिन्न प्रादेशिक लिपियों में लिखा गया हिन्दी काव्य, आज प्रकाश में आ चुके हैं। तीस ही वर्षों में ये नवीन खोजें इतने बड़े परिणाम में सामने आई हैं कि विद्वानों को आज पुनः हिन्दी साहित्येतिहास के पुनर्लेखन की समस्या पर विचार करना पड़ रहा है। शोध में वैज्ञानिकता की माँग ने अध्ययन की नवीन दिशाओं का उद्घाटन किया है। भक्ति-कालीन साधक कवियों की रचनाओं के आचार-दर्शन आज प्रकट हैं, उनके परिस्थिति-जन्य कारण, विशिष्ट प्रवृत्तियों का भी अध्ययन हो चुका है। भक्तिनामोन्नत माधुर्य भक्ति ही रीतिकालीन श्रृंगार चित्रण की पृष्ठभूमि है, उच्छ्वल धर्म-सम्प्रदाय भी उसमें सहयोगी हैं, विपरीत लिंगी रति विशिष्ट विलासी मानसिकता की देन है आदि तत्त्व आज हिन्दी शोध की उपलब्धियाँ हैं।

प्राचीन और मध्यकालीन हिन्दी साहित्य क्षेत्र में शोधोपलब्धियों के अतिरिक्त हिन्दी शोध की सर्वाधिक उपलब्धि आधुनिक साहित्य में हुई है। शायद ही आज आधुनिक हिन्दी साहित्य का कोई ऐसा पक्ष होगा, जिस पर शोधार्थियों की कृपा न हुई हो। सम्प्रति शोधार्थी मूढमान्द्वेषी, दूर तथा गहन-दर्शी, मानव-ज्ञान के अन्य अनुशासनों का जानकार और तथ्या को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझ सकने में समर्थ है। यही कारण है कि समीक्षक और अनुसंधित्सु दोनों नयी जमीन तोड़ने में विश्वास रखते हैं—काव्य नाटक और कथा-साहित्य की विभिन्न विधाओं में वे अपने कौशल का परिचय दे रहे हैं। इसीलिए उनकी उपलब्धि भी बहुमुज्री है। उक्त उपलब्धि की बानगी डॉ. उदय भानुसिंह की पुस्तक 'हिन्दी का स्वीकृत शोध-प्रवन्ध,' डॉ. विनय मोहन शर्मा की रचना, 'शोध प्रविधि' तथा डॉ. सरनाम सिंह शर्मा की 'शोध प्रक्रिया एवं विवरणिका' में दी गई लम्बी सूचियों में देनी जा सकती है। डॉ. सरनाम सिंह शर्मा की विवरणिका में अठारह वर्गों में शोध को विभाजित किया गया है। वर्ग

निम्नानुसार हैं, उनके आगे कोष्ठक में दी गईं सस्या शोध-ग्रन्थों की है, जिन पर अब तक पी एच डी उपाधि दी जा चुकी है—

- 1 भाषा तथा बोली सम्बन्धी शोध । (250)
- 2 काव्य शास्त्रीय (सैद्धान्तिक) शोध । (45)
- 3 काव्य सिद्धान्त प्रयोग । (140)
- 4 कविता (सामान्य) । (180)
- 5 हिन्दी कविता (पूर्वाधुनिक काल) । (150)
- 6 आधुनिक साहित्य (सामान्य) । (80)
- 7 आधुनिक कविता । (150)
- 8 हिन्दी गद्य (सामान्य) (60)
- 9 हिन्दी गद्य की विधाएँ (क) नाटक (75) (ख) कथा-साहित्य—(i) सामान्य (30) (ii) उपन्यास (100) (iii) कहानी (15) (ग) निबन्ध और आलोचना—(i) निबन्ध (10) (ii) आलोचना । (35)
10. विशेष साहित्यकार या विधाकार (i) अनुशीलन-विवेचना (225), (ii) इतिहास-विकास (10), (iii) साहित्यिक सिद्धान्त का प्रयोग (25), (iv) पृष्ठभूमि, भूमिका, आधार, स्त्रोत (15), (v) परम्परा या धारा (8), (vi) ममाज, सृष्टि और नीति (35), (vii) धर्म, दर्शन और मनोविज्ञान (30), (viii) तुलना (30), (ix) प्रभाव, देन और योग (25), (x) प्रवृत्ति (2), (xi) प्रकृति, प्रेम और सौन्दर्य (2), (xii) वाद (5), (xiii) शैली (5),
- 11 कृति विशेष । (90)
- 12 पद्य और सम्प्रदाय । (50)
- 13 वर्ण, स्थान और प्रदेश में सम्बन्धित विषय । (70)
- 14 सृष्टि, समाज और नारी । (90)
- 15 लोक साहित्य । (85)
- 16 इतिहास-विकास (उद्गम और विकास) । (20)
- 17 तुलनात्मक अध्ययन । (150)
- 18 प्रकीर्ण या विविध । (100)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि हिन्दी शोध भारत के शताधिक विश्व-विद्यालयों में बहुमुखी विकास को प्राप्त हो रहा है। भारतीय हिन्दी परिपद् ने सन् 1976 में 'हिन्दी अनुशीलन' का शोध विशेषांक (भाग 1-2) प्रकाशित करके हिन्दी

शोध की उपलब्धि पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला है। जिन विषयों को लेकर विभव-विद्यालयों ने पी-एच डी या डी लिट् को उपाधियाँ प्रदान की हैं, उनकी दीर्घ सूचियाँ 'हिन्दी अनुशीलन' में प्रस्तुत की गई हैं, अन्त में नामानुक्रमणिका देकर व्यक्ति और विषय का सम्बन्ध खोज लेने की सुविधा भी जुटाई है। हम अपने पाठकों की सुविधा के लिए वहाँ दिए गए विषय शीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्त उपाधियों की सख्याः देना समीचीन समझते हैं—विषयों का सही रूप से उक्त विद्योपाक में देखें—

- | | |
|--|--|
| 1 आदिकाल (61), | 2 आदिकाल कवि और काव्य (17) |
| 3 विद्यापति (10) | 4 मध्यकालीन काव्य . सामान्य (58) |
| 5 भक्तिकाल (सामान्य) (124) | 6 भक्तिकान (तुलनात्मक) (11) |
| 7 सन्त-साहित्य (87) | 8 सन्त साहित्य तुलानात्मक (10) |
| 9 विभिन्न सन्त कवि (5) | 10 कबीर (35) |
| 11 अन्य सन्त कवि (56) | 12 सूफी काव्य (41) |
| 13 सूफी कवि और कृतियाँ (42) | 14 रामकाव्य (49) |
| 15 तुलसीदास (142) | 16 कृष्ण काव्य (78) |
| 17 कृष्ण काव्य विशिष्ट कवि नन्ददास (7) | 18 मीरा (7) |
| 19 सुर साहित्य (68) | 20 भक्तिकालीन अन्य कवि (14) |
| 21 रीतिकालीन काव्य (96) | 22 रीतिकाल के विभिन्न कवि (46) |
| 23 बिहारी (13) | 24 विविध (27) |
| 25 आधुनिक काव्य (177) | 26 आ काव्य तुलनात्मक अध्ययन (29) |
| 27 छायावाद (51) | 28 छायावादोत्तर काव्य (30) |
| 29 स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी काव्य (17) | 30 नयी कविता, प्रगतिवाद प्रयोगवाद (27) |
| 31 गीतिकाव्य (12) | 32 विशिष्ट कवि अज्ञेय (1) |
| 33 गजानना माधव मुक्ति बोध (3) | 34 दिनकर (13) |
| 35 निराला (34) | 36 सुमित्रानन्दन पन्त (23) |
| 37 जयशंकर प्रसाद (54) | 38 महादेवी वर्मा (11) |
| 39 हरिवंश राय 'बच्चन' (3) | 40 मैथिलीशरण गुप्त (22) |
| 41 भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (10) | 42 प रामनरेश त्रिपाठी (5) |
| 43 अयोध्यासिंह उपाध्याय (4) | 44 अन्य विविध कवि (29) |
| 45 हिन्दी कवि सामान्य (83) | 46 हिन्दी साहित्य (87) |
| 47 हि साहित्य का इतिहास (19) | 48 हिन्दी उपन्यास सामान्य (111) |
| 49 ऐतिहासिक उपन्यास (7) | 50 प्रसाद प्रमचन्द्र-पूर्व उपन्यास (6) |

ॐ विषय शीर्षकों के सम्मुख कोष्ठक में उपाधियों की सख्या दी गई है।

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 51. प्रेमचन्दोत्तर उपन्यास (39) | 52. प्राधुनिक उपन्यास (36) |
| 53. आचलिक उपन्यास (13) | 54. हि उपन्यास तुलनात्मक (30) |
| 55. विशिष्ट उपन्यासकार : अज्ञेय (6) | 56. भ्रमृतलाल नागर (5) |
| 57. जोशी, भ्रशक, उपादेवी (6) | 58. किशोरीलाल गोस्वामी (2) |
| 59. गिरिजादत्त धुवल (1) | 60. आचार्य चतुरमेन (10) |
| 61. जगमोहनसिंह (2) | 62. जयशकर प्रसाद (2) |
| 63. जैनेन्द्र कुमार (8) | 64. देवकी नन्दन खत्री (1) |
| 65. नार्गार्जुन (3) | 66. प्रेमचन्द्र (39) |
| 67. निरासा (1) | 68. प्रतापनारायण श्रीवास्तव (1) |
| 69. व्रजनन्दन सहाय (1) | 70. बालकृष्ण भट्ट (1) |
| 71. पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' (3) | 72. भनवतीचरण वर्मा (1) |
| 73. भगवती प्रसाद वाजपेयी (2) | 74. मशपाल (8) |
| 75. रागेय राघव (5) | 76. राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह (5) |
| 77. राहुल साकृत्यायन (11) | 78. विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक' (1) |
| 79. वृन्दावन लाल वर्मा (9) | 80. मियाराम शरण गुप्त (1) |
| 81. कु वर हनुमत् 'रघुवशी (1) | 82. कहानी (61) |
| 83. नाटक (126) | 84. प्रहसन-एकाकी (7) |
| 85. नाटक : तुलनात्मक अध्ययन (18) | 86. हिन्दी नाटक . लेखक और कृतिया (39) |
| 87. गद्य साहित्य (सामान्य) (42) | 88. विशिष्ट गद्यकार (39) |
| 89. निबन्ध, आत्मकथा, सस्मरण
आदि (26) | 90. हास्य-व्यय्य साहित्य (4) |
| 91. पत्रकारिता (15) | 92. काव्य शास्त्र (69) |
| 93. आलोचना (34) | 94. विशिष्ट आलोचक (16) |
| 95. शोक साहित्य (96) | 96. भाषा और बोनी (196) |
| 97. मुहावरे और श्लोकोक्ति (9) | 98. राजस्थानी साहित्य (63) |
| 99. विविध (91) | कुल सख्या 3161 |

तात्पर्य यह कि 'हिन्दी अनुशीलन' ने 3161 शोध-प्रबन्धों की सूची प्रस्तुत करके सिद्ध कर दिया है कि अब तक लगभग चार हजार शोध-ग्रंथ उपाधि के लिए स्वीकृत हो चुके हैं। एक हजार वर्ष का हिन्दी साहित्य तथा स्वयं भाषा और उसकी बोलियों पर अनुशीलन, परीक्षण या मूल्यांकन युक्त साहित्य भी बहुत व्यापक है। इस साहित्य को विद्वानों, अनुसंधित्सुओं ने अपने जीवन से सीखा है, उसके प्रत्येक पक्ष को उजागर किया है, अनेक नवीन तथ्यों का उद्घाटन किया है और गर्व-पूर्वक हिन्दी साहित्य की उन्नति में अपना योगदान दिया है। यही सब हिन्दी में अब तक के शोध-कार्य की उपलब्धि है।

(iv) शोध-प्रबन्धों की वर्तमान स्थिति—किसी भी भाषा और साहित्य

के विभिन्न भू गो पर जब पर्याप्त मात्रा में शोध हो चुकी होनी है, तब धीरे धीरे उसकी स्थिति में ह्रास, स्थिरता, रूपान्तरण और क्षरण आने लगते हैं। हिन्दी में भी आज चार हजार शोध-प्रबन्ध लिखे जाने के उपरांत यदि इन पतनोन्मुखी तत्त्वा का सम्मिश्रण होने लगा हो, तो कोई विशेष भ्रम नहीं। ह्रास यह तत्त्व है, जो शोध में धर्म, श्रम और सन्तोष के घटने पर उदित होता है। वर्तमान शोधार्थी का लक्ष्य उपाधि-प्राप्ति मात्र रह गया है। उसे उपाधि के चक्के को नियुक्ति के बंध में गुनाने की जल्दी होती है। उसकी आर्थिक स्थिति उसे इसके लिए विवश करती है और वह शोध-स्तर से छिटक कर अधीरता-पूर्वक डिग्रीधारी बनने की उतावली में सम्भावित उन्नत कार्य का गला दबा देता है। यही शोध का ह्रास है।

एक बार शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत करके उपाधि प्राप्त कर लेने और उसके पश्चात् शोध-क्षेत्र से नाता तोड़ लेने को 'स्थिरता' कहते हैं। वर्तमान युग में ह्रास से भी अधिक स्थिरता का बोल-चाला है। शोध प्रबन्ध तैयार करने के लिए प्रत्याशी जो प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त कर लेता है, अधिकतर उनका कोई लाभ भविष्य में वह नहीं उठा पाता। संबन्धों की सत्त्वा में पी-एच डी उपाधिधारक ऐसे 'विद्वान' मौजूद हैं, जिन्होंने धीसिस प्रस्तुत करने की प्रश्रिया को तो क्या, शोध जीवन में कभी उतनी तत्परता पुस्तक को हाथ भी नहीं लगाया होना। महाविद्यालयों में निश्चित पाठ्यक्रम के वाचन एवं अध्यापन से अधिक अन्य किसी रचना को देखने की वे कल्पना ही नहीं करते। ऐसी दशा में अपने शोध-विषय सम्बन्धी उनका ज्ञान तो कुठित होता ही है, साहित्य के सम्बन्ध में भी वे उपेक्षाधारी होते हैं और ज्ञान-भेद में स्थिरता (Stagnation) का कारण बनते हैं। 'स्थिरता' शोध-क्षेत्र का सबसे बड़ा दश है।

अनेक शोधकर्त्ता ऐसे भी देखे गए हैं, जो आयु भर अपने पी-एच. डी के शोध विषय के गिर्द ही मडराते रह जाते हैं। अपने शोध-प्रबन्ध के रूप बदल कर वे नवीन साहित्यिक देन के भूँटे दावे करते रहते हैं, नयी बोटलो में पुरानी मदिरा प्रस्तुत करते हैं, शोध-प्रबन्ध के सर्वांग धेरे से बाहर आने की क्षमता ही उनमें नहीं होती—उनकी तयाव्यक्त रचनाओं में पुराने विषय के बदले हुए रूप ही वास्तव में 'रूपांतरण' कहलाते हैं। शोध-प्रबन्धों के रूपांतरणों की सत्त्वा में भी वर्तमान स्थिति में पर्याप्त वृद्धि हो रही है। कभी कभी इधर-उधर के पूर्व-कालिक शोध प्रबन्धों में से सामग्री का रूपांतरण करके एक नया शोध-प्रबन्ध रच लिया जाता है। यह एक प्रकार से अनधीन्ही चोरी (Undetected theft) ही होती है।

क्षरण की स्थिति बड़ी निराशाजनक है। किसी लाभ की आशा से, दूसरों की देखा-देखी अथवा विवाह के बाजार में लडकियों की कीमत बढ़ाने के लिए कुछ लोग शोधार्थ विश्वविद्यालयों में पजीकरण प्राप्त कर लेते हैं। यदि ध्यानवृत्ति प्राप्त होती हो तो चार-चार वर्ष तक शोध-छात्र बने रहने का गौरव भी पाते हैं। गुरु गुरु में इतनी तीव्र गति से कार्पारम्भ करते हैं कि दो ही वर्ष में उनके पी-एच डी.

हो सकने की सम्भावना होने लगी है। किन्तु समय के बीतने के साथ-साथ ये शोध-विषय तथा अध्ययन कार्य से विमुख होने लगते हैं। यो समझिए कि यदि पचास प्रत्याशी पजीकरण प्राप्त करते हैं, तो उनमें से बीस-औसत ही समयानुसार कार्य सम्पन्न कर पाते हैं, अर्थात् 60% क्षरण हो जाता है। कबीर ने क्यों पूर्व शायद इसी स्थिति का चित्रण किया था—

पानी भरने-पनिहारियाँ रगारग घड़े
भरिया उसका जानीए, जिसवा तोड़ घड़े।

पानी भरने जाने मात्र से ही तो पानी भरने का श्रेय नहीं मिल सकता। जो पनिहारिन भरा हुआ घट लक्ष्य तक ले आएगी, उसी को श्रेय है। यही स्थिति शोध-प्रबन्धों की है। पजीकृत शोध छात्रों की संख्या से शोध-प्रथमों की संख्या का अनुमान सम्भव नहीं है, क्योंकि इस समय लगभग 50-60 प्रतिशत क्षरण हो रहा है।

तात्पर्य यह कि ह्रास, स्थिरता, रूपांतरण एवं क्षरण से बचकर जो निखरे हुए शोध-प्रबन्ध सामने आते हैं, वे ही वास्तव में आधुनिक साहित्यिक शोध का सही परिमाण और सही स्तर निर्मित करते हैं। वर्तमान काल में ऐसे शोध-प्रथमों की भी हिन्दी में कमी नहीं है। उच्च स्तरीय, विद्वत्तापूर्ण सुन्दर रचनाओं का अभाव हिन्दी में नहीं, पचास में से जो बीस शोध-प्रबन्ध सामने आते हैं, वे नियर कर साहित्य की समृद्धि का एक सशक्त स्तर स्थापित करते हैं। हिन्दी शोध को आज किसी भी दशा में निर्बल या निष्क्रिय नहीं कहा जा सकता। यदि वही हम दिशा में होने वाला समग्र प्रयास उपर्युक्त पतनोन्मुखी तत्वों से सुरक्षित रह सकता, तो निश्चय ही आज हिन्दी साहित्य में शोध का नया विषय खोजना कठिन हो जाता।

(v) शोध-प्रबन्धों से इतर शोधात्मक समीक्षा-प्रथमों की स्थिति—वर्तमान हिन्दी साहित्य में समीक्षात्मक प्रथमों की तीन बोटियाँ हैं—1 मूल प्रथमों की टीकाएँ एवं महायक प्रथम (कुजिये तथा 'एक अध्ययन' भी इसी में सम्मिलित हैं) 2 स्तरीय समीक्षा तथा 3 शोध परक समीक्षा। प्रथम कोटि की पुस्तकों की भरमार है। सस्ता लेखन, असावधानीपूर्ण मुद्रण एवं प्रकाशन, कम दाम में अधिक पृष्ठ—ये इन, प्रथमों की विशेषताएँ हैं। कोई भी पुस्तक यदि दुर्भाग्यवश किसी भी विश्वविद्यालय की किसी भी श्रेणी के लिए पाठ्य-पुस्तक नियत कर दी जाय, तभी पलवाड़े-भर में उसका 'एक अध्ययन' मार्केट में देखा जा सकता है। कुछ 'एक अध्ययन' निश्चय ही परिश्रम और धैर्य का प्रमाण देते हैं, किन्तु बहुधा इनका स्तर निम्न कोटि का ही होता है। कतिपय टीकाएँ निस्सन्देह उच्च स्तरीय होती हैं, किन्तु परीक्षार्थी को कम दाम में पाठ्यक्रम का पूर्ण विवरण देने की दौड़ में लगे प्रकाशक वदाचित् साहित्यिक स्तर का गना दवा देने में बढ-चढकर भाग लेते हैं। लेखक को दो रुपये पृष्ठ के दर

से पारिधमिक देकर वे सप्ताह भर के समय में सौ पृष्ठों की पाठ्य पुस्तक पर घड़ाई सौ पृष्ठों की गाईड या सहायक पुस्तक तैयार करवा लेते हैं। उसकी रचना की मूल चेतना पाठ्य-पुस्तक को अनावश्यक ठहराने की होती है। परिणामतः पाठ्य पुस्तक बिके या न बिके गाईड धडाधड बिकती है। तात्पर्य यह कि प्रथम कोटि की उक्त समीक्षात्मक रचनाएँ आज असह्य छपती और बिकती हैं किन्तु न तो इन सहायक पुस्तकों के लेखक कोई महत्त्व अर्जित कर पाते हैं और न ही ये रचनाएँ हिन्दी आलोचना के विकास में कोई स्थान प्राप्त करती हैं।

दूसरी प्रकार के स्तरीय समीक्षा ग्रंथ हैं। प्रथम कोटि की रचना की तुलना में ये स्तरीय रचनाएँ आठवाँ या दसवाँ भाग होती हैं। प्रश्नोत्तरियाँ तथा सहायक पुस्तकें छापने वाले प्रकाशक उक्त प्रकार की रचनाओं को छापना पसन्द नहीं करते। परिणामतः प्रकाशन राग्वक की निजी समस्या बन जाता है। प्रायः लेखक को कुछ धन अपनी ओर से लगाकर स्तरीय रचना को प्रकाशित करने की योजना बनाना पड़ती है व्यापारी के हाथों छला जाकर पुस्तक में लगाया गाठ का पैसा प्रायः उसे खो देना पड़ता है, और तब भविष्य के लिए उसकी स्तरीय सरचना पर अकुश लग जाता है। तात्पर्य यह कि स्तरीय समीक्षा, चाहे वह कितनी भी परिणाम में हो, दिन-प्रति-दिन घटती चली जा रही है। प्रकाशक को शिकायत है कि ग्राहक नहीं लेता (उस सस्ते दाम में सस्ती समीक्षा मिल जाती है) लेखक को गिला है कि छापने वाला नहीं मिलता और दोनों के बीच गम्भीर पाठक उत्तम कोटि की स्तरीय सामग्री से वंचित रह जाता है। तथापि इस कोटि के जो रचनाएँ हिन्दी में आज प्रकाशित हो रही हैं, वे उच्च स्तर की हैं। वर्गीकरण करते हुए हम उन रचनाओं को अनेक वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—

- (क) लेखक विशेष का समग्र साहित्य यथा यशपाल व्यक्तित्व और कृतित्व।
- (ख) लेखक विशेष का विधा-जन्य साहित्य यथा कवि प्रसाद, प्रसाद के नाटक, उपन्यासकार जैनेन्द्र मूल्याकन और मूल्याकन।
- (ग) कृति विशेष यथा अमिता कृति और कृतिकार, साकेत—एक अध्ययन, कामायनी, मूल्याकन और मूल्याकन।
- (घ) दो कृतियों तुलना यथा रामचरितमानस और साकेत।
- (ङ) दो कवियों की तुलना कवीर और जायसी, मूरदास और तुलसी।
- (च) धाराजय अध्ययन यथा हिन्दी कविता—आधुनिक आयाम, छायावादी काव्य।
- (छ) विधाजन्य अध्ययन आधुनिक हिन्दी नाटक, व्यक्तिवादी उपन्यास। नयी कहानी की भूमिका।
- (ज) भाषा-बोली आदि आधुनिक भाषा विज्ञान, साहित्यशास्त्र और काव्य भाषा।
- (झ) काव्यशास्त्रीय यथा भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्री।

(अ) सम्पादन : विभिन्न लेखकों द्वारा किसी विषय पर लेख लिखवाकर सकलित करना ।

यथा हिन्दी उपन्यास के पद-चिन्ह, आधुनिक हिन्दी उपन्यास आदि ।

उपर्युक्त दस प्रकार की स्तरीय रचनाओं के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार की रचनाएँ भी इस कोटि में देखी जा सकती हैं—वहीं 'साहित्यिक निबन्धों' के सग्रह छप रहे हैं, तो कहीं 'हिन्दी साहित्य के समीक्षात्मक इतिहास ।' कुछ भी हो, सब प्रकार की कठिनाइयों के रहते भी इस कोटि की रचनाओं की प्रशस्तनीय प्रगति हिन्दी जगत में देखी जा सकती है ।

शोध-परक समीक्षा ग्रंथ दूसरी कोटि की रचना से भी वही कम प्रकाश में आ रहे हैं । शोध-ग्रन्थों का महत्त्व तो उपाधि-प्राप्ति तक सीमित होता है, छापने के लिए प्रकाशक मना कर देते हैं । अपना प्रकाशित ग्रंथ देखने की रुचि हुई तो लेखक स्वयं घन लगा देता है या सम्भव हुआ तो किसी शैक्षणिक संस्था से अनुदान प्राप्त करता है । किन्तु शोध-स्तरीय कतिपय समीक्षा ग्रंथ भी देखने में आते हैं, जैसे डॉ. माताप्रसाद गुप्त द्वारा किया गया रामचरितमानस का पाठालोचन या डॉ. सत्यपाल चूध का 'ऐतिहासिक उपन्यास' । उक्त प्रकार के ग्रंथों की संख्या हिन्दी में अधिक नहीं है, किन्तु इनका अभाव भी नहीं है । डॉ. गणपति चन्द्र गुप्त का 'हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास' किसी भी उच्च कोटि के साहित्येतिहास सम्बन्धी शोध-ग्रन्थ से अच्छी रचना है । डॉ. ब्रजलाल गोस्वामी की पुस्तक 'महादेवी की कविता सशय और समाधान' इस दिशा में एक सुन्दर रचना कहीं जा सकती है । हिन्दी में जो ग्रंथ बाबलिया सम्पादित की जा रही है, यथा हरिचरणदास ग्रंथाली (डॉ. आनन्द प्रकाश दीक्षित), चन्द्रदेखर बाजपेयी ग्रंथाली (डॉ. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र), तुलसी ग्रंथाली (डॉ. माताप्रसाद गुप्त) या जायसी ग्रंथाली (आ. शुक्ल) आदि, वे भी शोधपरक समीक्षाएँ एवं सम्पादित मूलपाठ का संग्रह हैं ।

निष्कर्षतः स्पष्ट है कि वर्तमान हिन्दी साहित्य में शोध-परक समीक्षा ग्रंथों की स्थिति विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं है । विद्वज्जन उपाधि रहित शोध में लगभग विश्वास खोते जा रहे हैं । हमारी सोच में इसका एक मात्र कारण है ऐसे समृद्ध कार्यों के लिए प्रकाशन सुविधाओं की अनुपलब्धि । यह स्थिति सुधारने के लिए प्रकाशन-सुविधाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

अध्याय 6

शोध विषय : समस्याएं समाधान

हिन्दी में आज अनेक क्षेत्रों से शोध-विषयों का चुनाव हो रहा है। गत अध्यायों में हम उक्त क्षेत्रों की सूचिका एवं सम्भावित विषयों के संकेत दे चुके हैं। यहाँ शोध-विषयों के चुनावोपरत आने वाली समस्याएँ तथा उनके समाधान की चर्चा हमें करनी है।

अधिकांशत वर्तमान विषय-चुनाव निपट साहित्य सम्बन्धी न होकर अलग-अलग विज्ञानों एवं शास्त्रों पर आधुत होता है। साहित्याध्ययन को कभी दार्शनिक, कभी समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक अथवा कभी सौंदर्यशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने-जाँचने के प्रयास अधिक हो रहे हैं। सहज ही ऐसी स्थिति में एक समस्या उपजती है—शोधार्थी के प्रति एक प्रश्न-चिन्ह लगता है, क्या शोधार्थी उक्त पक्ष से विज्ञान अथवा शास्त्र के स्तर पर परिचित है। साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने का इच्छुक अनुसंधित्सु मनोविज्ञान का कितना ज्ञान रखता है? दार्शनिक पक्ष में चक्षुपात करने वाले ने क्या कभी भारतीय अथवा पाश्चात्य दर्शन का परायण किया है? सांस्कृतिक अथवा समाजशास्त्रीय अध्ययन करने वाले शोधार्थी सस्कृति या समाजशास्त्र से किस सीमा तक अभिज्ञ हैं? काव्य का सौंदर्यशास्त्रीय पक्ष प्रस्तुत करने वाले ने क्या कभी सौंदर्यशास्त्र का अध्ययन किया भी है? ये सब एक ही स्तर एवं एक ही पहलू की समस्याएँ हैं, जिनका सीधा सम्बन्ध ज्ञान के साहित्येतर किसी अन्य अनुशासन से है। प्रायः देखने में आता है कि विद्यार्थी एम ए या एम फिल (साहित्य) करने के उपरांत जब शोध-पत्रीकरण का प्रश्न उठाने हैं तो बिना सोचे-विचारे अन्तर अनुशासनात्मक विषयों की ओर हाथ बढाने लगते हैं। पत्रीकरण भी हो जाता है, सम्भवत कार्यारम्भ करने तक भी उन्हें आगामी समस्या की जानकारी नहीं होती। किन्तु ज्यो-ज्या कार्य में प्रगति होने लगती है, शोधार्थी का तिर ददं आरम्भ होता है। सामाजिक स्थिति ही तो समाजशास्त्र नहीं है, मन की ऊहापोह ही तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन नहीं बन सकती—तब प्रश्न उठता है कि सही ढंग से अन्तर् अनुशासनात्मक शोध प्रबन्ध कथोकर प्रस्तुत किया जाय? समाजशास्त्र हो या मनोविज्ञान, सौंदर्यशास्त्र हो अथवा दशन या सस्कृति, सभी विधा के अलग क्षेत्र हैं। विधा के अमुक क्षेत्र का ज्ञान पाने के लिए उतनी ही गम्भीर लग्न चाहिए, जितनी साहित्य का अध्ययन करते हुए हमसे अपेक्षित थी। किन्तु उस परिस्थिति में शोधार्थी

लेन के उक्त स्तर से टूट चुका होता है, परिणामतः वह चाहता है कि दूसरे ज्ञान की पारंगत जानकारी की अपेक्षा शोधिता पूर्वक शोध-प्रबन्ध को निपटाए और उपाधि-धारी बनकर उपादेयता के क्षेत्र में पुनर्मूल्यांकित हो सके। यही वह अधीरता की दशा है, जो शोधार्थी की हत्या करती है, उसकी शोध-प्रतिभा का गला दबा देती है। यह स्थिति हानिकारक होती है। प्रथम तो ऐसे शोधार्थी को विषय चयन करते समय किसी अन्य अनुशासन को सायं भिन्नाना नहीं चाहिए था, और यदि वह भूल से ऐसा कर ही चुका है, तो अब उसे धैर्य पूर्वक उक्त अनुशासन का मही अध्ययन कर लेना चाहिए। समाजशास्त्र रूप में सम्मुख आता है तो वह सामाजिकता का पर्याय नहीं होता। यह बात समाज शास्त्र के अध्ययन से ही जानी जा सकती है। कोई भी शास्त्र या विज्ञान बुद्ध सिद्धान्तों का निर्वहन करता है, किन्तु कोई भी कवि या लेखक उन सिद्धान्तों से बचकर नहीं लिखता। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि शास्त्र/विज्ञान के सिद्धान्तों को न केवल जाना ही जाय, बल्कि उन्हें काव्य या कृति में घटाने की क्षमता अर्जित की जा सके। इस प्रकार की विस्तृत जानकारी में ही उक्त समस्या का समाधान है। फ्रायड मार्क्स, गांधी, लेनिन या अरविंद के सिद्धान्तों का विस्तृत ज्ञान, जब तक प्राप्त न किया जाय, तब तक साहित्य में उन सिद्धान्तों की खोज का प्रयास सफल नहीं हो सकता। हमारा मुभाव है कि अन्तर्-अनुशासनात्मक विषय का चुनाव करने वाले शोधार्थी को चाहिए कि वह साहित्येतर अनुशासन का विद्युत् ज्ञान प्राप्त करे। यह उपलब्धि भी इतनी स्तरीय होनी चाहिए, कि शोधार्थी न केवल साहित्य की व्याख्या ही उक्त अनुशासन के माध्यम से करने में समर्थ हो प्रयुक्त उक्त दिशा में साहित्य में उभरते हुए सिद्धान्तों को धीनकर नव-स्थापना कर सके। तात्पर्य यह कि शोधार्थी ऐसे विषयों के लिए जब तक सहयोगी विषय का भी माधिकार ज्ञान नहीं पा लेते, उच्च कोटि की शोध प्रस्तुत नहीं कर सकते।

शोध विषयक एक कमी हमारे युवा शोधार्थियों में यह पाई जाती है कि वे क्षेत्रीय कार्य करने से कतराते हैं। उनके लिए ऐसे विषय सिरदर्द बन जाते हैं, जिनमें उन्हें घर से निकलकर जगह भटकते हुए सामग्री सफल करनी होती है। वे टेबल-वर्क चाहते हैं—सामग्रीय-सफल के लिए शरीरी प्रयास उनकी समस्या है। शायद यही कारण है कि आजकल पजीकरणार्थ प्रस्तुत होने वाले अधिकांश विषय कथा-साहित्य के अनुशीलन-मूल्यांकन अथवा मध्यकालीन प्रकाशित साहित्य से सम्बन्धित होते हैं। अप्रकाशित, अज्ञात पाण्डुलिपियों की सामान्य समीक्षा करना भी उन्हें भारी पड़ता है। ऐसे शोधार्थियों के लिए मेरे विचार में विश्वविद्यालयों द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए। उनका पजीकरण तब तक स्वीकृत नहीं होना चाहिए जब तक कि वे टेबल वर्क से अपना दमन छुड़ाने में समर्थ नहीं होते। महिला शोधार्थियों को, उनकी वैयक्तिक कठिनाइयों तथा भारतीय समाज में नारी की स्थिति को परखते हुए, क्षेत्रीय कार्य से कुछ सीमा तक छूट दी जा सकती है। पुरुष अनुसंधान भी यदि

पर से बाहर निकलकर कार्य करने से जी घुराए गे, तो शोध का रूप कमी निखर नहीं सकेगा। यह आलस्य की और परिश्रम से भागने की समस्या है, इसका स्वभाविक समाधान धैर्य, सन्तोष, कर्तव्यशीलता एवं सलग्नता में है। मच्चे अर्थों में शोधापेक्षी कार्यकर्ता परिश्रम से कमी नहीं पवराता। हाँ, आर्थिक स्तर पर दुर्बल व्यक्ति को क्षेत्रीय कार्य कठिन पड सकता है। इधर-उधर जाना-भ्राना, विद्वानों से मिलना पाण्डुलिपियों की जीर्णोत्स या फोटो-स्टेट बनवाना महंगा काम है। मात्र इस स्थिति में शोध-संस्थानों को शोधार्थी-कार्य से हटाकर प्रकाशित एवं उपलब्ध माहित्य के अनुशीलन से जोड देना ही समीचीन है।

पाण्डुलिपियों के सम्पादन अथवा पाठालोचन के विषयों पर शोध करने के महत्वाकांक्षी सर्वाधिक समस्याओं का सामना करते हैं। ऐस अनुभूतिस्त्रुओं को लेखक की मूल हस्तलिखित प्रति तो शायद 1 / अवसरो पर ही मिलती होगी। उन्हें उपलब्ध पाण्डुलिपियों से, जो कि न जाने मूल स कितनी दूर की प्रतिलिपियाँ होती हैं, अपना कार्य चलाना होता है। लोप अथवा वृद्धि के कारण निवृत्त पाठ का सही निर्धारण एक कठिन समस्या है, यदि पाठ-सम्पादन करना हो, तो नीचे से ऊपर तक पाण्डुलिपियों के वश-वृक्ष की नियति में फसे मूल की निकटतम प्रति की खोज और भी कठिन कार्य हो जाता है। प्रस्तुत समस्या का समाधान भी निश्चय ही धैर्य एवं परिश्रम में निहित है। धैर्यपूर्वक एक-एक शब्द या वाक्य-खंड का मिलान करना, परिश्रम से सहायक सामग्री सकलित करना, खूब सचेत रहते हुए कवि-काल और प्रवृत्ति को समझ कर सम्भावित शब्दों अथवा वाक्य-खंडों का चुनाव करना आदि पद्धतियों से ही पाठालोचन की सब कठिनाइयों पर पार पाया जा सकता है। पाण्डुलिपियों का समूचा कार्य क्योंकि क्षेत्रीय होता है, इसलिए शोधार्थी को घन-बल, श्रम बल एवं मैत्री-बल से व्यापक कार्य निकालने पडते हैं। पुराने पुस्तकालयों में पाण्डुलिपि की प्रति खोज लेना, उसकी जाँच करने अथवा फोटो-स्टेट/माइक्रोफिल्म बनवाने की अनुमति प्राप्त करना अथवा पाण्डुलिपियों की सम्पत्ति पर संपंसम बैठे अण्ड सरक्षकों को प्रभावित कर पाना बड़ी कठिन साधना है। इस दिशा में बढ़ने वाले शोधार्थी का मैत्री क्षेत्र अतीव विस्तृत होना चाहिए अपनी शोध का महत्त्व दूसरे को समझा सकने का सामर्थ्य होना चाहिए—तभी कहीं वह समस्या मुक्त रह सकता है।

साहित्याध्ययन करते हुए अनेक नवीन शकाएँ उत्पन्न हो रही हैं। अधिकशत ये शकाएँ परम्परित मूल्यों से इतर होती हैं, इसलिए इनके सम्बन्ध में कुछ भी कह पाना कठिन होता है—रूढ़ि तोन्ना साहस का कार्य है किन्तु उसकी जगह नयी स्थापना अध्ववसाय की विभूति है। आलोचना सहकर, गाली खाकर तथा व्यग्यो-उपानम्भों के पात्र भी बनकर भी अपनी बात सयुक्तिक समर्थन करते रहने का धैर्य इस प्रकार की समस्या का एक-मात्र समाधान है। आज जब हम हिन्दी साहित्यतिहास का परायण करते हैं, तब आद्य त उसके निष्कर्षों तथा वर्णनों पर प्रश्न-चिन्ह लगाने

संगाने के लिए हम वाधित हो जाते हैं। 1 साहित्येतिहास का सही प्रतिपादन काल-विभाजन से सम्भव है, या प्रवृत्ति-जन्य वर्णन के माध्यम से यह समीचीन बैठता है ? क्या तुलसीदास शैव थे, जो उन्होंने अपने काव्य में शिव धारावना को इतना अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया ? 3 लोग बहते हैं तुलसी समन्वयवादी थे, क्या शैवो-वैष्णवों के अतिरिक्त दूसरों में समन्वय स्थापित करना उन्हें खलता था या उनके नाम के साथ समन्वय की धारणा परम्परा के कारण जुड़ गई है ? 4 सन्तो की प्रेम-धारणा क्या सचमुच सूफियों की देन थी, या एक मिथ्या भ्रम की स्थापना ही, नित्य बन गई है ? 5 क्या हिन्दी का समूचा साहित्य ही रति-भाव (माधुर्य) प्रेरित नहीं ? 6 वीर-रस का समृद्ध साहित्य प्राप्त होने पर भी शृ गारकाल नाम कहाँ तक उचित है ? 7. क्या भारतेन्दु को सही अर्थों में राष्ट्रवादी कहा जा सकता है ? 8 क्या नयी कविता ध्यवा प्रयोगवाद रूमनियत से छूट पाए हैं ? 9 क्या समसामयिक रचना दिशाहीन स्थिति को उजागर कर रही है ? 10 पिछले तीस वर्षों में 35-36 सौ शोध-प्रबन्धों के उपाधि प्राप्ति के योग्य समझ लिए जाने पर क्या हिन्दी साहित्येतिहास के पुनर्लेखन का प्रश्न नहीं उठता ? आदि ऐसे प्रश्न-विन्ह हैं जो शकाओं में उगते और तर्कों-युक्तियों में पनते हैं। इनका समाधान तर्कों की सुदृढता और कार्य की व्यापकता में सम्भव है। विद्वान भेद की नियति से उक्त प्रकार की शकाएँ बढ़ती-घटती रहती हैं।

आजकल आधुनिक साहित्य का आकर्षण अधिक हो रहा है। मध्यकालीन अथवा प्राचीन साहित्य की ओर बढ़ने वाले दो-चार प्रतिशत ही रह गए दीख पड़ते हैं। दुर्भाग्यवश यह धारणा व्याप्त होने लगी है कि आधुनिक साहित्य सम्बन्धी शोध ही वास्तव में व्यक्ति को युगानुकूल बनाती एव आज की सगोष्ठियों में प्रतिष्ठित करती है। यही कारण है कि वर्तमान हिन्दी शोध के 60 / विषय क्या साहित्य पर, 25 / छायावादोत्तर काव्य तथा नाटक आदि पर और और शेष 15 / मध्यकालीन साहित्य पर लिए जाते हैं। सच तो यह है कि अभी समीक्षा के सदसर्भ धीरे-धीरे शोध-विषय बनकर बनाई हावी होते जा रहे हैं। किन्तु यहाँ समस्या यह है कि शोधार्थी विषय का चुनाव करने समय हिन्दी और हिन्दी साहित्य पर ही दृष्टि रखते हैं, युगीन चेतना की अपेक्षा कर देते हैं। यह एक सहज-मान्य विषय है कि आज का साहित्य युग की बोधात्मकता, भूल चेतना, जीवन की जटिलता, औद्योगिक, महानगरीय एकाकीपन की मानसिकता, अस्वीकृति, असन्तोष और विद्रोह का स्वर, अनास्था, घृणा और अति-यथार्थवाद की विछलन, मानवीय विकृतियों एव बदलते हुए मूल्या मानों को दिग्दर्शित कर रहा है। आधुनिक शोध के अन्तर्गत विभिन्न बोधों—युगबोध, सशय बोध, सत्रास बोध, मृत्यु बोध, मूल्य बोध आदि—को चित्रित किया जा रहा है। आधुनिक साहित्य के क्षेत्र में शोध करने वाले व्यक्ति को उक्त चेतना की सही सूझ अपेक्षित है। व्यक्ति-चेतना, अस्तित्ववादी चेतना, मनोविश्लेषणात्मक चेतना, समाजशास्त्रीय चेतना आदि ऐसे तत्त्व हैं, जिनकी जानकारी के बिना

प्राधुनिक क्षेत्र में सफल शोध कभी सम्भव नहीं हो सकती। अतः शोधार्थी को चाहिए कि प्राधुनिक साहित्य सम्बन्धी विषय का चुनाव करने से पूर्व विभिन्न बोंबों, बादों, विचारधाराओं और पार्श्वगत्य प्रभावों का गहन अध्ययन करले। ऐसा न करने से वह प्राधुनिक साहित्य की समुचित समीक्षा करने में भी समर्थ नहीं होगा, शोध से न्याय का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दी शोध सम्भावनाएँ

हम कह चुके हैं कि आज तक हिन्दी शोध-प्रबन्धों की मर्यादा लगभग 4000 हो चुकी है। शोधार्थियों ने हिन्दी साहित्य के लगभग सभी पहलुओं पर परिश्रम किया है, नयी खोजें की हैं, नवीन तथ्यों की स्थापना की है, नए ढंग से पुरानी चीजों का विश्लेषण करते हुए पुनर्मूल्यांकन तथा अनुशीलन किए हैं, और इस प्रकार साहित्य को नवीन एवं व्यापक दिशाएँ प्रदान की हैं। इतना सब होते हुए भी अनेक ऐसे क्षेत्र शेष हैं, जिनमें शाब्दिक महती सम्भावनाएँ अभी भी मौजूद हैं। सम्भावनाओं के अन्तर्गत हम उन्ही क्षेत्रों की चर्चा कर रहे हैं।

(क) तुलना—तुलनात्मक शोध हिन्दी में बहुत कम हुई है। हिन्दी के कवियों एवं रचनाओं की तुलना हिन्दी के ही अन्य कवियों और रचनाओं से करने के अतिरिक्त हिन्दी साहित्य की रचनाओं, साहित्यकारों, प्रवृत्तियों एवं विधायों से करना अपेक्षित है। यह पक्ष अत्यधिक समृद्ध है, किन्तु शोधार्थियों ने इस ओर कम ध्यान दिया है। ये दो साहित्यों का पारस्परिक-अध्ययन करने से अभिभूत हैं, दो साहित्यकारों या दो कृतियों का गहन अध्ययन करने से जी चुराते हैं। यही कारण है कि उक्त क्षेत्र अछूता तो नहीं, किन्तु इसमें कार्य अपर्याप्त है। हमारा विश्वास है कि प्रयत्न करने पर इस दिशा में विपुल सामग्री तथा अनेक सम्भावनाएँ उपलब्ध हो सकती हैं।

(ख) अनुवाद—आज का कोई भी साहित्य अपने अलग घेरे में बन्द होकर नहीं जी सकता। सम्पर्क साधनों के विकसित होने के कारण समग्र विश्व की भाषाओं के साहित्य एक दूसरे को प्रभावित करने लगे हैं। परिणामतः सत्सार की उन्नत भाषाओं के साहित्य की श्रेष्ठ रचनाएँ आज हिन्दी में भी अनुवाद होने लगी हैं। यह अनुदित साहित्य पर्याप्त मात्रा में एकत्रित हो चुका है। द्रविड भाषाओं से, बंगाली मराठी, गुजराती, उर्दू, पंजाबी आदि से निरन्तर अनुवाद हो रहे हैं। विश्व की अन्य भाषाओं से भी अनुवाद का सूत्र बढ़ा है। इन अनुदित साहित्य को हिन्दी साहित्य के साथ रखकर मध्यम अलग से इस पर शाब्दिक कार्य की सम्भावना हो सकती है। जिस भाषा से उस साहित्य का आयात हुआ है, उस भाषा के लक्षकों की मानसिकता, विचारधारा, सोच आदि का अध्ययन इसी पद्धति से सम्भव हो सकता है। हिन्दी की किमी प्रवृत्ति विशेष पर अनुदित साहित्य के प्रभाव की जांच की जा सकती है। नयी शैलियों की चर्चा की जा सकती है, विचार की यात्रा तथा उसके पडावों को जाना जा सकता है। तात्पर्य

यह कि अनूदित साहित्य भी आज शोध का आधार बन सकता है, इसकी सम्भावनाएँ खूब उज्ज्वल हैं।

(ग) काव्य-शास्त्र—काव्यशास्त्रीय क्षेत्र तो जैसे शोधार्थी के लिए हीघा बन गया है। वर्तमान स्थिति में शायद दो प्रतिशत मात्र शोध-ग्रन्थ काव्य-शास्त्रीय अध्ययनों पर लिखे जा रहे हैं। पौरन्त्य एवं पाश्चात्य दोनों धाराओं के पास अपना काव्य-शास्त्र मौजूद है। किसी भी कवि की रचना, कोई भी साहित्यिक विधा काव्यशास्त्रीय कसौटियों पर आज भी परखी जा सकती है, किन्तु आज का शोधार्थी उस दिशा की ओर भाकने से भी इसलिए घबराता है कि कहीं किमी सदाशाब्दिकता या अनकार-छन्द में उलझ न जाय। यह सही है कि काव्यशास्त्रीय पक्ष का अध्ययन धर्म-साध्य और सिद्धान्त निष्ठ होता है। जाँच-पड़ताल में भी गहनता और सूक्ष्मता अपेक्षित है—शायद श्रेष्ठ भाषाओं से बहुधा अपरिचित होने के कारण ही अब शोधार्थी इस ओर ध्यान नहीं देते। लाटिन, यूनानी, अंग्रेजी एवं संस्कृत की मूल भाषाएँ निश्चय ही सीखने में भारी पड़नी हैं। इसलिए हिन्दी का शोधार्थी इन भाषाओं के बीच बैठने की अपेक्षा ऊपर ही ऊपर द्वितीय-धारी बन जाना चाहता है। पुनः इसका एक दूसरा पक्ष भी है। आज के कवियों, उपन्यासकारों, कहानीकारों, नाटककारों आदि की अग्रणी कृतियों को सम्मुख रखते हुए उनसे रचना सिद्धान्तों की स्थापना की जा सकती है। यह कार्य पूर्वोक्त पहलू से अधिक कठिन है, इसकी पृष्ठभूमि पर एक दीर्घ साधना अपेक्षित है, किन्तु इसका महत्त्व स्थायी है। 'भक्तिवादी कवियों के काव्य-सिद्धान्त' तथा 'आधुनिक हिन्दी कहानीकारों के रचना सिद्धान्त' की तरह अन्य अनेक शोध प्रबन्ध इसी दिशा में लिखे और स्वीकृत किए जा सकते हैं। यह क्षेत्र अभी खूब उपजाऊ है, शोधार्थी इसमें अपना लक्ष्य खोज सकते हैं।

(घ) देवनागरी से इतर अन्य लिपियों में प्राप्त हिन्दी साहित्य—अब यह तथ्य कोई रहस्य नहीं है कि मध्यकाल में फारसी, गुजराती, पंजाबी, उडिया, असमिया आदि लिपियों में विपुल हिन्दी साहित्य लिखा गया था और अब वह दीमक का भोजन बनने के लिए पुराने तहखानों और रजवाड़ी पुस्तकालयों के सीलन-भरे एकान्त कोणों में सिर धुन रहा है। हिन्दी विद्वानों की गति उन लिपियों में नहीं थी, इसलिए बहुमहनीय साहित्य इतिहास न बन सका, प्रादेशिक विद्वानों की गति हिन्दी (वचनभाषा) में न थी, इसलिए उन्होंने उक्त पाण्डुलिपियों की अपेक्षा कर दी। आज उसी प्रदेश के उदित हिन्दी विद्वानों के लिए उक्त साहित्य में शोध कर सकने की असंभव सम्भावनाएँ उजागर हो गई हैं। केवल पंजाबी की गुरुमुखी लिपि में उपलब्ध हिन्दी साहित्य में ही असंभव विषयों का चुनाव सम्भव है, ऐसी ही स्थिति गुजरात तथा आन्ध्र की जहाँ गुजराती तथा फारसी लिपियों में लिखित हिन्दी पाण्डुलिपियाँ मौजूद हैं परम्परागत पाण्डुलिपियों का अध्ययन एक साथ सम्भव है—यथा शतक, सतमइयाँ मगल-काव्य, कृष्ण-काव्य, राम-काव्य, गुरु-काव्य, भक्त-काव्य, वीर-काव्य, रीति-काव्य,

लक्षण-काव्य आदि। बड़ी पाण्डुलिपियों का सम्पादन शोध-विषय बन सकते हैं, एक-एक पाण्डुलिपि का अलग अध्ययन सम्भव है, ऐतिहासिक पाण्डुलिपियों पर आश्रित तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक या ऐतिहासिक स्थिति का स्वरूप निश्चित किया जा सकता है, उक्त पाण्डुलिपियों का अध्ययन किसी समानान्तर प्रकाशित हिन्दी रचना की तुलना में किया जा सकता है, आदि आदि। तात्पर्य यह है कि हिन्दीतर लिपियों में उपलब्ध साहित्य शोधार्थ एक सम्पन्न भण्डार है, शोधार्थियों को इधर ध्यान देना एवं उपलब्ध सम्भावनाओं से लाभान्वित होना चाहिए।

(ड) प्राचीन एवं मध्यकालीन उपेक्षित साहित्य—पचासोत्तरी वर्षों में अधिकतर शोधार्थी आधुनिक साहित्य के अन्वेषी बनने लगे, प्राचीन तथा मध्यकाल के साहित्य की निरन्तर उपेक्षा होने लगी। उक्त उपेक्षित साहित्य में शोध-विषयों की महती सम्भावनाएँ आज भी मौजूद हैं—नाय, सिद्ध तथा जैन साहित्य तो लगभग अछूते ही पड़े हैं, आदिकाल तथा रीतिकाल पर उपलब्ध शोध-प्रबन्ध अगुणियों पर गिने जा सकने योग्य हैं। रीतिकाल में रीतितर प्रवृत्तियों के अध्ययन की अपेक्षा है, आदिकाल में चारण-काव्य में इतर साहित्य को जानना आवश्यक है, परवर्ती साहित्य पर विद्यापति के प्रभाव की जांच करना अभी शेष है। अभिप्राय यह कि शोध-सम्भावनाओं की खोज में अनुसंधित्सुओं को आधुनिक काल से आगे देखना होगा, शोध विषयों की विपुल मात्र उपलब्ध हो सकेगी।

(घ) सौंदर्यशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, समाजशास्त्रीय, शैली वैज्ञानिक आदि—शोध के उक्त वैज्ञानिक एवं शास्त्रीय पक्ष भी अभी शोधार्थियों को पर्याप्त अवसर प्रदान कर सकते हैं। साहित्य सम्बन्धी लालित्य भावी या सौंदर्य-शास्त्रीय अध्ययन पर केवल दो-तीन ही शोध-प्रबन्ध लिखे गए हैं। सांस्कृतिक अध्ययन करने का ध्यान अब हुआ है, समाजशास्त्रीय कार्य को तो अनुसंधित्सुओं ने कथासाहित्य से ही बाध दिया है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन तो किए जाते हैं, किंतु सही अर्थों में उन्हें वैज्ञानिक नहीं मनोविकारात्मक कहा जा सकता है। अभिप्राय यह कि उपर्युक्त अन्तर्-अनुशासित क्षेत्रों में शोधार्थ अभी पर्याप्त अवकाश है। सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक चेतना का उदघाटन करने वाले साहित्य का इन्हीं मूल आधारों पर अध्ययन करना एक उपलब्धि बन सकती है—किंतु पीछे कही गई अहंताओं से विमुक्त नहीं हुआ जा सकता।

(ङ) साहित्येतिहास सम्बन्धी शोध—बहुत वर्ष पूर्व उपलब्ध और ज्ञात ज्ञान के आधार पर श्री रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा था। स्वाभाविक ही था कि उस युग में साधनों का अभाव होने के कारण आचार्य शुक्ल कोई महत्त्वपूर्ण दस्तावेज अथवा विशद साहित्यिक सामग्री एकत्रित नहीं कर सके। उन्हें अपने सकलन से ही सतुष्ट होना पड़ा। किंतु आज अनेक नवीन शोध-कार्यों के आलोक में हिन्दी साहित्येतिहास का पुनर्लेखन अनिवार्य दिखने लगा है। इतिहास को

दोबारा लिखना, यद्यपि आज की तनावपूर्ण स्थिति में बठिन है, किन्तु आज धीरे-धीरे साहित्य के अनेक अज्ञात अंशों पर जो शोध हो रहा है, उसकी अवहेलना नहीं हो सकती। इतिहास पर अनेक प्रश्न-चिन्ह लगाए जा रहे हैं, उसके काल-विभाजन की समस्या निरन्तर विद्वानों का सिरदर्द बनी है, सन्तो-सूफियों के पारस्परिक प्रभावों का निर्णय आज तक नहीं हो पाया, आधुनिक कविता की प्रत्येक धारा रूमानीयत के विरोध का ढोल पीट रही है, किन्तु शायद कोई भी रूमानीयत-मुक्त नहीं हो पाई— ऐसी समस्याओं का पुनर्मूल्यांकन अपेक्षित है। मध्यकालीन साहित्य में नवीन तथ्यों के उद्घाटित होने से उस अंश का तो इतिहास ही दोबारा लिखा जाना चाहिए।

उपर्युक्त पहलुओं में अभी हिन्दी साहित्य सम्बन्धी शोध की विपुल सम्भावनाएँ स्पष्ट हैं। इनके अतिरिक्त भी ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें शोध सम्भव है— यथा भाषा एवं व्याकरणिक अंशों सम्बन्धी, लोक-साहित्य की अलग अलग विधाओं पर आधुत, बहावती, पहेलियों तथा मुहावरों सम्बन्धी, भाषा-वैज्ञानिक कठिनाइयों और उपलब्धियों सम्बन्धी, लिपि-उद्गम-विकास एवं महत्त्व सम्बन्धी। यह सही है कि इन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए शोधार्थी को अपने भीतर कुछ गुणों को अर्जित करना होता है। उक्त गुणों की चर्चा हम अगले खंड में करेंगे।

द्वितीय खण्ड

व्यावहारिक पक्ष

शोध के निमित्त

समवायी तथा असमवायी कारणों से इतन कारणों को निमित्त कहते हैं, यथा घट क निमित्त चाक और कुम्हार दोनों हो सकते हैं। इन्हें निमित्त-हेतु या हेतु कहा जा सकता है। शोध-क्षेत्र में अज्ञात या ज्ञात रूप में साहित्य पूर्व-विद्यमान होता है। कतिपय ऐसे तथ्य भी मौजूद होते हैं, जो परम्परित दिशाओं को बदलने में समर्थ हो सकते हैं। यही सब साहित्यिक शोध की आधार सामग्री हैं। इस आधार सामग्री को शोध-माध्यम से स्थापित करने वाले निमित्त-हेतु शोध-कर्ता तथा शोधकार्य के निर्देशक, दोनों हो सकते हैं। यहाँ हमारा लक्ष्य इन्हीं दोनों सुयोग्य विद्वानों के गुणो-लक्षणों की व्याख्या करना है।

(क) शोधार्थी

हिन्दी में साहित्य शोध का कार्यभार उठाने वाले व्यक्ति प्रायः मोचा करते हैं कि घाठ दस पूर्व रचित पुस्तकों से सामग्री मकलित कर यदि वे उसे अपनी भाषा में व्यक्त कर सकें, तो शोध उपाधि के लिए पर्याप्त होता होता है। किन्तु उनकी यह धारणा दूषित तो है ही, शोध की सीमा रेखाओं से भी परे की चीज है। वास्तव में साहित्यिक शोध करने वाले अध्ययनार्थी छात्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुणों की धारणा करना अनिवार्य है। कोई भी शोधार्थी उनमें से किसी एक अथवा एकाधिक गुणों की अपेक्षा करके एक सफल शोधार्थी बन सकने का दावा नहीं कर सकता। इन गुणों में सर्वप्रथम शोधार्थी के व्यक्तित्व सम्बन्धी गुण आते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य का समूचा व्यवहार उसके व्यक्तित्व का निर्देशन करता है। इसीलिए जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो हमें उन उत्तमोत्तम व्यवहार कोटियों पर दृष्टिपात करना होता है, जो मनुष्य को सक्रिय रखने और उसकी प्रतिभाओं को उधाड़ने में सहायक होती हैं। ऐसी व्यवहार-कोटियों में शोधार्थी की रुचि, धैर्य, सन्तोष, परिश्रम, लग्न आदि तत्त्व सम्मिलित हैं।

रुचि शोधार्थी के विषय को निर्धारित करती है। यह सही है कि आज का भटका हुआ शोध छात्र जब विश्वविद्यालय के किसी विभागाध्यक्ष के पास आता है, तो सहज ही में उससे कोई भी विषय देने की प्रार्थना कर बैठता है। स्पष्ट ही यह स्थिति उसके अनिर्णीत भविष्य की द्योतक होती है। वह अपने विषय से सामान्यतः

परिचित न होते हुए भी उस पर कार्य करने की स्वीकृति देता है। विश्वविद्यालय से पजीकरण भी प्राप्त करता है और फिर जब कार्योन्मुख होता है, तो सिर घुनने के प्रतिरिक्त कुछ नहीं कर पाता। प्रदत्त विषय में रुचि के अभाव में वह उपाधि के लोभ के कारण सलग्न तो रहता है, किन्तु शोध की किसी भी दिशा में निष्कर्ष तक नहीं पहुँच पाता। यदि उसका पजीकृत विषय उसकी अपनी रुचि स्वभाव और मान्यताओं से सम्पृक्त हो तो कार्यपूर्ति से समय भी कम लगेगा, परिश्रम भी कम होगा और कार्य का स्तर भी ऊँचा रहेगा। बहुत सम्भव है कि लक्ष्योपलब्धि के लिए उसे चौर्यकला का आश्रय भी न लेना पड़े। विषय अपनी रुचि का हो तो सहज ही कार्य करने में मन लगता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मनुष्य का धैर्य नहीं डोलता और वह जूझने की शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकता है। अतः यह कहने में किसी भी विद्वान को सन्देह नहीं होगा कि शोधार्थी के लिए रुचि एक ऐसा व्यावहारिक गुण है, जिसके बिना किसी भी कार्य-क्षेत्र में कोई गति नहीं होगी। शोधार्थी का व्यक्तित्व भी उसकी रुचि से उजागर होता है और उसके शोध-कार्य को देखकर सहज ही अपरिचित व्यक्ति भी उसके व्यक्तित्व का अनुमान कर सकता है। जिस विषय में उसे रुचि नहीं होगी, उस विषय पर शोध कर सकना तो न केवल दुःसाध्य कार्य है, बल्कि जीवन के अमूल्य क्षणों का व्यर्थ क्षरण भी है। यह आवश्यक नहीं कि निर्वाचित विषय सबके लिए रोचक हो, केवल शोधार्थी को उसमें अदम्य रुचि है तो वह एक सफल शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत कर सकने में समर्थ हो सकता है।

व्यक्तित्वगत गुणों में शोधार्थी का दूसरा महत्वपूर्ण गुण धैर्य है। यदि शोधार्थी अधीरता से पीड़ित है, तो वह कभी भी साहित्यिक शोध करने के योग्य नहीं हो सकता। उसके सम्मुख समय की अपेक्षा कार्य का मूल्य अधिक होना चाहिए। व्यतीत होते समय को देखकर यदि वह घबराहट में शोध को बलात् किसी निष्कर्ष की ओर ले जाने का प्रयास करता है, तो विश्वास भंगिते, उसकी यह चेष्टा अनैतिक होगी। धैर्य वह गुण है जो मनुष्य को परिश्रमी, अध्यवसायी और कार्य में रस लेने वाला बनाता है। यह ठीक है कि कभी-कभी विश्वविद्यालयों की ओर से लगायी गई कालावधि की सीमाओं में रह कर कार्य को निपटाना पड़ता है, किन्तु जो निश्चित समय विश्वविद्यालय की ओर से पारित होता है वह अपर्याप्त नहीं होता। यदि वह समय कम पड़े तो प्रत्येक विश्वविद्यालय में समय-विस्तार प्रदान करने के भी कुछ नियम मौजूद हैं, उन नियमों का सहारा लिया जा सकता है। धैर्य का यह अर्थ भी नहीं कि पजीकरण प्राप्त करने के उपरान्त शोधार्थी तन्द्रावस्था में लीन हो जाए और दशान्दो तक शोध कार्य को गले में डोल की तरह झटकाए रखे। ऐसे शोधार्थी धैर्यवान नहीं होते, झालसी होते हैं। धैर्य मनुष्य के व्यक्तित्व की वह कोटि है जो उसे असफलताओं, कठिनाइयों, अविचारों के प्रति भी सजग रखती है और निरन्तर कार्य करने का उत्साह देती है। अतः धैर्यशील शोधार्थी कठिनाइयों से घबराकर न

तो अपने शोध विषय से विमुख होता है, न अपने निर्देशक के प्रति मनोमालिन्य पैदा करता है और न ही सामग्री की अनुपलब्धि की शिकायत करता है। वह सिंह की तरह सीधा तैरता है और विपरीत प्रवाह की अपेक्षा करते हुए, किनारे जा लगता है।

सन्तोष मानव व्यक्तित्व का एक असाधारण गुण है। तुलसी ने 'जब आवे सन्तोष धन, सब धन धूरि समान' कहकर सन्तोष का वास्तविक मूल्यांकन किया है। शोधार्थी में सन्तोष का अभिप्राय उपलब्ध सामग्री के प्रति पर्याप्तता का दृष्टिकोण नहीं होना, वह निरन्तर अध्ववमायी होने के कारण खोज के पथ पर असन्तुष्ट रह सकता है, किन्तु जब वह निराशा, हतोत्साह आदि से निष्प्रिय नहीं होता और अपने कार्य के प्रति उत्साह पूर्वक मलग्नता प्रदर्शित करता है और जितना उसने पा लिया है उसके प्रति निरन्तर प्रफुल्ल बना रहता है, तभी उसमें सन्तोष का गुण माना जा सकता है। प्रायः देखा गया है कि शोधार्थी अपनी सामग्री की खोज में निरुत्साहित हो जाते हैं, दम में से छः वस्तुओं को प्राप्त कर लेने वाला विद्यार्थी, शेष चार के प्रति निराश हो जाता है। शोध-क्षेत्र में यह उसका असन्तोष बहा जायेगा। उसे जहाँ शेष धार को प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहना चाहिए, कहा उपलब्ध छः के प्रति उसे सन्तुष्ट भी होना चाहिए। इस दिशा में सन्तोष के अभाव में बहुत सम्भव है कि वह अधीर हो उठे और अपने शोध-कार्य को अनुचित विधिओं से ही निपटा देने का सुयोग ढूँढने लगे। तात्पर्य यह कि शोधार्थी के व्यक्तित्व में जहाँ विषय के प्रति रुचि और कालावधि के प्रति धैर्य की अपेक्षा है, वहाँ सामग्री सकलन में सन्तोष अत्यावश्यक है।

शोधार्थी के लिए परिश्रम और लगन-दोनों ऐसे गुण हैं, जिनके बिना रचनात्मक तथ्यों की खोज और उन तथ्यों का नवाख्यान लगभग असम्भव हो जाता है। यह सही है कि वर्तमान काल में अनुमधित्सु प्रायः टेबल वर्क (Table-work) पसन्द करते हैं। किन्तु टेबल पर सकलित सामग्री भी लगन और परिश्रम से ही आकलित और मूल्यांकित की जा सकती है। सामग्री के अनुशीलन, विश्लेषण और परीक्षण के लिए भी परिश्रम अपेक्षित है। सच तो यह है कि अध्ववसाय ही शोधार्थी को इस योग्य बना सकता है कि वह एक उच्चस्तरीय शोध प्रबन्ध प्रस्तुत कर सके। विभाजित मानसिकता लगन की शत्रु है। यदि मनुष्य को किसी भी कार्य में दीर्घजीवी और प्रभावी भूमिका निभानी हो तो उसे सन्तुष्टपूर्वक उसी कार्य में अपने आपको होम कर देना होता है। ऐसा करने में उसकी उन महत्त्वपूर्ण ग्रहणताओं का उद्घाटन होता है, जो सामान्य स्थिति में लगभग अदृश्य या अपरिपक्व रह जाती हैं। तात्पर्य यह कि सफल शोधार्थी में उसका समूचा व्यक्तित्व इस योग्य होना चाहिए कि वह इच्छा, कर्म और ज्ञान तीनों कोटियों को अपने शोध विषय पर केन्द्रित कर सके। जो शोधार्थी विभाजित रुचि या अध्ववस्थित कार्यान्वयन का शिकार हो जाते हैं, वे कदापि शोध कार्य में सफल नहीं हो पाते।

व्यक्तिपरक गुणों के अतिरिक्त शोधार्थी में कुछ ध्यावहारिक गुणों का होना भी अनिवार्य है। इस दिशा में सर्वप्रथम गुण है शोधार्थी का हंसमुख होना। शोधार्थी को अपने निर्देशक, पुस्तकालयाध्यक्ष, अपरिचित विद्वानों, सगोष्ठियों, सभाओं, पत्र-पत्रिकाओं के व्यवस्थापकों आदि से बराबर काम निकालना होता है। माथे पर त्योरियाँ लेकर किसी से भी बर्तन गई बातचीत बलवती नहीं होती, किसी के पास इतना प्रवकाश नहीं कि वह शोधार्थी की जाच पडताल में माथा पच्ची करे। यह तो अनुसयाता हंसमुख व्यवहार है, जो अपरिचितों को भी अपना बना सकता है, और यह उसी का परिणाम है कि लोग उसकी बात धैर्य से सुनते तथा उसकी समस्याओं के समाधान में सहायक होने हैं। हंसमुख तथा प्रसन्नचित्त रहने का एक बड़ा लाभ यह भी होता है कि मनुष्य निपट अनजान वातावरण में भी तिरस्कृत नहीं होता, अममय के आतिथ्य में भी नहीं खलना और अत्यंत व्यस्तता में भी दूसरे से कुछ समय प्राप्त कर लेने में सफल हो जाता है। शोधकर्त्ता की स्थिति दूरगो से लाभ उठाने तथा अपना स्वार्थ निकालने की होती है, आज के व्यस्त जीवन में भला कौन परार्थ कार्यरत होता है। ऐसे में शोधार्थी की हंसमुखी प्रवृत्ति उसकी सहयोगिनी बनती है और वह लक्ष्य में सफल हो जाता है।

शोधार्थी के व्यवहार में समय एक उच्च कोटि की उपलब्धि होती है। समयित शोधार्थी बदमिजाजी से बचा रहता है, जिसके परिणामस्वरूप उसे प्रायः विपरीत परिस्थितियों में मुक्ति मिली रहती है। समय का गुण उसे न केवल मामूली सकलन एवं अपरिचित विद्वानों में ज्ञान-प्राप्ति में सहायक होता है, बल्कि इसके आश्रय वह निराश और हतोत्साहित परिस्थितियों में भी सम्भला रह सकता है। शोधार्थी को इस गुण का प्रदर्शन अनेक क्षेत्त्रों में करना पड़ना है—व्यवहार, बातचीत, वक्तव्य, आलेखन आदि क्षेत्रों में समय दरकार होता है। अपने से प्रवर या अवर व्यक्तियों, प्रतिभाशाली लेखकों, चिन्तकों और विद्वानों, आदरणीय नेताओं और देश-रत्न विभूतियों से मिलते हुए उसके व्यवहार का समय ही उसकी योग्यता का प्रमाण-पत्र बन सकता है। किसी विद्वान से साक्षात्कार करते अथवा अपनी किसी कठिनाई का समाधान खोजते हुए शोधार्थी का व्यवहारिक समय ही उसका पथ-प्रदर्शक होता है। बातचीत में समय रहना अधिक जरूरी है। अत्यधिक बातूनीपन उसे दूसरों के सम्मुख तिरस्कृत करवा सकता है। बिना सोचे-समझे ऊट-पटांग बोल देना, जिब्हा को असयत चलने देना किसी भी शोधार्थी के कार्य का हनन कर सकते हैं। वक्तव्य का समय होना भी अपेक्षित है। शोध में सलग्न किसी भी व्यक्ति को अपने से पूर्व किसी भी विद्वान के कथना की आलोचना करनी पड़ सकती है, किन्तु ऐसे में शोधार्थी का कर्तव्य है कि वह समय और मर्यादित भाषा में आलोचना करे। उसके ऐसा न करने से वह कुछ विद्वानों की अप्रसन्नता अर्जित कर सकता है, किसी के रोप का कारण हो सकता है और अपने अध्ययन क्षेत्र में ही विरोधियों का लक्ष्य बन सकता है। शोधार्थी

को इस स्थिति से सदैव सावधान रहते हुए वक्तव्य देना चाहिए। समय का अन्तिम क्षेप है आलेखन। शोधार्थी होने के नाते वह अपनी खोज-रपटो, अनुसंधान परक पत्रो-लेखो में सतर्क अपनी बात कहता रह सकता है। तर्क देते समय सयत शोधार्थी किसी पर कीचड़ नहीं उछालता, व्यग्य नहीं कसता, किसी को परेशानी भरी स्थिति में डालता। यदि, वह इस ओर सही तौर पर ध्यान नहीं देता, तो अतन्त उसका शोध-कार्य विपरीत परिस्थितियों तथा प्रतिरोधी स्वर का शिकार हो सकता है।

व्यवहार के ही क्षेत्र में शोधार्थी को उच्च आचरण का पालन करते हुए अपनी योग्य-अयोग्य परिस्थितियों से जूझ सकने की क्षमता अर्जित करनी होती है। उक्त क्षमता से वचित शोधार्थी कदाचित् कार्य पूर्ति में पूर्व ही किसी कदम पर पराजय स्वीकार कर लेगा और उसके अनुसंधान के सपने अचूरे ही रह जायेंगे। विजेता बनने के लिए परिस्थितियों को विभागे का विशिष्ट प्रशिक्षण उसे ग्रहण करना चाहिए, धैर्य-पूर्वक उस योग्यता का फल प्राप्त कर विपरीत परिस्थितियों को भी बदलने का प्रयास करना चाहिए।

परिस्थितियों से जूझने के लिए तथा सफलता पूर्वक शोध-कार्य में व्यस्त रहने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है। कहते हैं स्वस्थ शरीर में मन-मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है, इसलिए शोधार्थी को स्वस्थ चित्त, स्वस्थ शरीर अपने आप को सचेतन रखना होता है। अस्वस्थ शरीर में लग्न, धैर्य और परिश्रम आदि गुण नहीं रह सकते। अस्वस्थ रह कर मनुष्य शोध की भाग-दौड़ और अनिश्चित अध्ययन/करण में असमर्थ होता है इसी कारण उनमें सफल शोधार्थी बनने के लिए स्वास्थ्य की अनिश्चित अपेक्षा की जाती है।

व्यक्तिव एव व्यवहारगत लक्षणों के उपरांत शोधार्थी में योग्यता, प्रतिभा, सूक्ष्म और चिन्तन की शक्तियों की विशिष्ट माग है। शोधार्थी प्रायः दो प्रकार के होते हैं—एक वे, जो सोपाधि शोध करते हैं, दूसरे वे जो निरुपाधि कार्य में मग्न रहते हैं। सोपाधि कार्य करने वाला की कम से कम योग्यता विश्वविद्यालय की एम ए उपाधि होनी है। वे उच्च कम से कम मध्य, श्रेणी में एम ए उत्तीर्ण करने के पश्चात् शोध-छात्र के रूप में पञ्जीकरण प्राप्त करते हैं। तात्पर्य यह कि एम ए तक की परीक्षा देन तक की परीक्षा देने तक वे साहित्य सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञानार्जित कर लेते हैं। इनकी योग्यता निश्चिन्त होती है। निरुपाधि शोध करने वाले अध्यवसायी होते हैं। बहुधा उनका नाम विश्वविद्यालय की कोई उच्च उपाधि नहीं होती। वे अपने परिश्रम और लग्न में ही वह योग्यता प्राप्त करते हैं, जिसकी लब्धि सोपाधि शोधार्थी को एम ए परीक्षा के लिए सिर-तौड़ मेहनत के उपरांत होनी है। किन्तु निरुपाधि शोध के लिए भले ही पुस्तकीय योग्यता निश्चित नहीं है, तथापि उक्त प्रकार के शोधार्थी का सामान्य ज्ञान सम्भवत एम ए परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने वाले छात्र से

कहीं अधिक होता है। इसी योग्यता को विद्वानों ने अनुसंधान के गुणों में विद्येय स्थान दिया है। योग्यता के भी अनेक स्तर हो सकते हैं। (क) विषय का पृष्ठभूमि जन्य ज्ञान—सामान्यतः शोधार्थी कितना भी योग्य क्यों न हो, अपने पजीवृत विषय में उसकी तब तक कि वह उसकी समूची पृष्ठभूमि को भलीभांति पहचान नहीं लेता। 'तुलसी साहित्य का अप्रस्तुत विधान पर' शोध करने वाले के लिए तुलसी के समूचे साहित्य एवं अलंकार सम्प्रदाय के समस्त सिद्धान्तों की पृष्ठभूमि की जानकारी अनिवार्य है। यदि उसके पास उक्त ज्ञान का अभाव है, तो निश्चित ही वह शोध-कार्य में सफल होकर भी कोई उपयुक्त निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। पृष्ठभूमिजन्य ज्ञान प्रायः विस्तृत होता है—साहित्य के किसी भी पहलू पर अनुसंधान करते हुए साहित्य-तिहास का सर्वांगीण परिचय पृष्ठभूमि ही कहलाता है। तथ्य के उद्गम विकास एवं सम्प्रति स्थिति का समूचा इतिहास पार्श्व ज्ञान का ही अंश है। ध्यान रहे कि योग्य शोधार्थी तब तक किसी भी विषय में हाथ नहीं डालता, जब तक कि उसे विषय की पृष्ठभूमि का समुचित ज्ञान नहीं होता। (ख) तीखी सूझ (Sharpness)—शोधार्थी की योग्यता का सही मानदण्ड उसकी सूझ का तीखापन है। किसी भी रचना को पढ़ने, विद्वाना से साक्षात्कार करने, भाषणों, प्रवचनों और शोध पत्रों को सुनने के साथ ही यदि अनुसंधान उसे समझने में समर्थ है, तो वह योग्य होने के साथ-साथ प्रखर बुद्धि भी कहलाएगा, अन्यथा लिखित परीक्षा पत्रों में श्रेष्ठतर श्रेणी में उत्तीर्ण होकर वह योग्य तो कहला सकता है किन्तु सम्भवतः उसे प्रखर नहीं कहा जा सकेगा। (ग) पूर्वाग्रह-रहितता—शोधार्थी को पूर्वाग्रहों से मुक्त रहकर अनुसंधान कार्य करना चाहिए। किसी लेखक, रचना अथवा प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यदि उसमें कोई भी पूर्वाग्रह है, तो वह उसका सही अनुशीलन नहीं कर सकेगा। निष्पक्षता समीक्षक का भूत गुण है, इसलिए अनुसंधान जब समीक्षक की भूमिका निभा रहा होता है, तो उसे समग्र पूर्वाग्रहों को छोड़ कर अपनी राह बनानी पड़ती है। (घ) वैज्ञानिक दृष्टिकोण—शोधार्थी का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है। तात्पर्य यह कि सफल शोधार्थी जिज्ञासाओं के शमन के लिए आपात कथनों और मिथिहासों पर आश्रित न रहकर तर्कधारित निष्कर्ष ढूँढता और वैज्ञानिक विधियों के अनुसार उन निष्कर्षों की परख करता है। वह इधर-उधर सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करता, वह प्रत्येक तथ्य को उसकी प्रामाणिकता के सहारे जाचता परखता और स्वयं अपना मार्ग प्रशस्त करता है। (ङ) विर-जिज्ञासु—शोधार्थी नित्य नवीन ज्ञान का पिपासु होना है। अपने विषय के सम्बन्ध में समीचीन सामग्री सकलित कर लेने एवं उच्च कोटि के तथ्यों का समुचित आख्यात तैयार कर लेने पर भी वह जिज्ञासा-कपाट बंद नहीं करता। निरन्तर नवीन तथ्यों की जानकारी के लिए प्रयत्नशील रहना उसकी प्रकृति होती है।

(ख) निर्देशक :

शोध के निमित्त की दृष्टि से दूसरा पक्ष निर्देशक का है। निर्देशक वह विद्वान्

होता है, जो शोधार्थी को शैक्षिक स्तर पर कार्य में सहयोग देना और उसकी समस्याओं का समाधान खोजता है। निर्देशक का कार्य रास्ता बताने का होता है, शोधार्थी की भ्रमगुली पकड़ कर उसके साथ उस मार्ग पर चलने का नहीं। चलना शोधक को अकेले ही होता है, और इसके लिए मार्ग की जानकारी मान निर्देशक से प्राप्त की जा सकती है।

विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों के वे प्राध्यापक जिनके पास शोधोपाधि होती है, जो स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाते हैं, या स्वतंत्र लेखन-चिन्तन करने वाले वे लोग, जिन्होंने साहित्य के किसी क्षेत्र-विशेष में निष्णातता प्राप्त की है, निर्देशक बन सकते हैं। निर्देशक-नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालयों के कुछ निश्चय निम्न होते हैं। एक समय वे कितने शोधार्थियों का निर्देशन कर सकते हैं, इसका निर्णय भी विश्वविद्यालयीन अधिकारियों द्वारा लिया जाता है। उन्हीं नियमों के अन्तर्गत निर्देशक की नियुक्ति होनी चाहिए। कोई भी निर्देशक साहित्य के किसी भी क्षेत्र में शोध करवा सकने में सक्षम नहीं होना। अलग-अलग व्यक्तियों का साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार हो सकता है, इसलिए केवल अधिकारी विद्वान को ही विषयानुकूल निर्देशन का कार्य-भार सौंपा जाना चाहिए। प्रायः विभागों में विद्यार्थियों के चुनाव अथवा अध्यापक की इच्छा पर यह कार्य छोड़ दिया जाता है, किन्तु यह प्रणाली दूषित है। हमारे मतानुसार शोधार्थी को शोध-विषय के चुनाव का अधिकार होना चाहिए, शोध-निर्देशक के चुनाव का नहीं। उपरान्त उसके विषय के अनुसार किसी अधिकारी विद्वान की नियुक्ति विश्वविद्यालयीन शोध समिति की ओर से निर्देशक के रूप में की जानी चाहिए। उक्त समूची प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर शोधक और निर्देशक मिल-बैठकर अपने शोध-कार्य की रूपरेखा तैयार करें और एक-दूसरे के प्रति आत्मीय स्वीकृति से विषयानुसंधान में जुट जायें—यही उचित है।

हाँ, यहाँ निर्देशक तथा शोधक की कतिपय सुविधाओं का ध्यान रखा जा सकता है। निर्देशक जितना कार्यभार सुगमतापूर्वक उठा सकता है, उतना ही बोझ उम पर डाला जाय, अन्यथा कार्य में कोना ही होगी और विषय-शोध में प्रतिरोध आ जायगा। शोधक के निर्देशक से मिल सकने की सुविधा भी देखी जानी चाहिए। दोनों में भले कितनी दूरी हो, तथापि एक नियत अन्तराल पर उन्हें परस्पर मिलते तो रहना ही चाहिए। यदि निर्देशक अत्यन्त व्यस्त विद्वान् होंगे, तो वे अपने शोधार्थी से महीनो नहीं मिल सकेंगे। परिणामतः कार्य-गति धीमी होते-होते स्थिरता की स्थिति पर आ जायगी। हम ऐसे ही एक व्यस्त गज्जन को जानते हैं, जिनके निर्देशन में कार्य करने वाले एक शोधार्थी को पाच वर्षोंगान विश्वविद्यालय से निर्देशक बदलने की प्रार्थना करनी पड़ी। कारण यह था कि निर्देशक महोदय पाच वर्ष तक शोधार्थी का प्रथम अध्याय भी देय सकने का समय नहीं निवाला पाए थे। ऐसा प्रायः तब होता है, जब शोधार्थी किसी विद्वान् के नामावर्षण में बंधे उसी के माय पत्रीकृत

होने की हठ कर बैठते हैं, या विश्वविद्यालय विद्वानों के साथ सम्बद्ध शोधार्थियों की सहाय निश्चिन नहीं कर देना। सुविधा के सदर्थ म हम अस्वस्थता, ह्मणा अथवा पारिवारिक कठिनाइया की उपेक्षा नहीं कर सकते। और यह स्थिति शोधक या निर्देशक किसी के भी मार्ग की बाधा हो सकती है। उक्त कठिनाइयाँ यदि धीर्घ-कालीन हो तो निर्देशक को स्वयं विश्वविद्यालय से निर्देशन मुक्ति की प्रार्थना कर देनी चाहिए। यदि शोधार्थी ऐसी कठिनाई का शिकार हो तो उस शोध का हठ महगा पड सकता है—सुभाब यह है कि उसे शोध-कार्य स्थगित कर देना चाहिए।

निर्देशक की नियुक्ति के समय जहाँ उमकी सुविधा का ध्यान रखना अपेक्षित है, वहाँ उसकी क्षमता का नाप तोल भी जरूरी है। किसी व्यक्ति की क्षमता अपरिमित नहीं होती। इसका निर्णय निर्देशक के निजी कार्य-क्षेत्र और अध्ययन-अध्यापन, प्रकाशन तथा माहिरिक रुचियों को सम्मुख रखकर किया जा सकता है। शोध-विषय को जाने-परखे बिना शोधको की भीड किसी के साथ सम्बद्ध कर देने से अनुसंधान में बाधा पडने की सम्भावना अधिक रह सकती है। उत्तम तो यह होगा कि प्रत्येक निर्देशक की विशेष विषय-क्षमता को सम्मुख रखने हुए ही उसके सग शोधको को सम्बद्ध किया जाय। यह आवश्यक नहीं कि हम उनका अपना शोध-विषय ही देखें, उनकी परिवर्तित रुचिया प्रलय भी हो सकती हैं। मेरे एक सहयोगी मित्र का अपना शोध प्रबन्ध सूर-साहित्य के सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन से सम्बन्धित है किंतु परिवर्तित रुचि की दृष्टि से समसामयिक कथा साहित्य एवं समकालीन काव्य में उनकी अधिक गति है। वे सफलता पूर्वक इस कोटि के विषयों का निर्देशन कर रहे हैं। इसी प्रकार किसी की क्षमता शोधोपाधि से बढती घटती नहीं। शोधोपाधि तो प्रश्रिया की सूत्र के लिए होती है—जिन विद्वानों ने अध्ययन, अनुभव एवं अन्नदृष्टि से न केवल उस प्रश्रिया को ही जान लिया है, बल्कि कुछ साहित्यिक क्षेत्रों में निष्णातता प्राप्त कर ली है, वे अपने विषय-क्षेत्र में किसी का भी निर्देशन कर सकने में समर्थ होते हैं। गुजरात के श्री के के शास्त्री एवं बलिषा के श्री परशुराम चतुर्वेदी के नाम इस दिशा में विशेष स्मरणीय हैं—दोनों के पास कोई शोधोपाधि नहीं, किन्तु दोनों अपने अपने विषय क्षेत्रों के पारगत पण्डित हैं। स्पष्ट है कि क्षमता से हमारा अभिप्राय निर्देशक की उपाधियों से नहीं, बल्कि विषय-क्षेत्र में उसकी विशिष्ट योग्यता से है।

अतीत अस्व निर्देशक बहुधा न्यूनतम सहायक होते हैं। डॉ सरनामिह शर्मा का विचार है कि प्राय व्यक्ति का नाम-गौरव शोधार्थियों की भीड उसके निर्देशन कर देता है। किन्तु इतना ही बस नहीं, हमारे मतानुसार निर्देशक का पदाधिकार, उसका सौजन्य, स्तह और सौदार्य, शोधक के प्रति सहानुभूति और दित्तवस्पी भादि तथ्य भी शोधार्थियों को निर्देशक की ओर आकृष्ट करते हैं। अनेकधा ऐसा भी देखा गया है कि शोध-विषय में गति न होने पर जब निर्देशक

अपनी अक्षमता प्रकट करता है, तो भी शोधार्थी उसके उक्त गुणों के कारण उसका सग झोड़ने को त-पर नहीं होत। तथापि निर्देशक के पास कितना अवकाश है, वह अपने अवकाश के क्षणों को आपके साथ वाटने को तैयार है या नहीं, निर्देशन-चर्चा को वह धोभ मानता है या सुखद विश्राम, अवकाश के समय वह घर पर शोधको का आना पसन्द करता है या नहीं, ये सभी ऐसे प्रश्न-चिह्न हैं, जिनका समाधान निर्देशक-नियुक्ति ने पूव विचार लिया जाना चाहिए। अमुक शोधार्थी का निर्देशन किसी भी निर्देशक को सौंपने से पूर्व उसकी रुचि को भी जान लेना उत्तम होगा। आजकल विश्वविद्यालयों ने शोध-उपाधि के लिए पजीकरण के आवेदन-पत्र में ही एक कालम ऐसा प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें निर्देशक की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। ऐसा करने में निर्देशक की विषय सम्बन्धी रुचि का प्रमाण-पत्र हमारे सम्मुख आ जाता है और हम देवडक निर्देशक की रुचि के अनुसार उसे कार्य सौंप सकते हैं। यह रुचि विषय तथा शोधार्थी दोनों के सम्बन्ध में हो सकती है। जिस विषय या व्यक्ति के प्रति निर्देशक का मोह नहीं होगा अथवा जिस शोधार्थी की शोध विषयक दृष्टि स वह परिचित होगा उसे वह निर्देशन स्वीकृति नहीं देगा। इस प्रकार निर्देशन की क्षमता और रुचि दोनों का सहज निर्णय सम्भव हो सकेगा।

पीछे हम शोध कर्ता के गुण लक्षणों को चर्चा कर चुके हैं। निर्देशक के गुणो-लक्षणों को जानने के लिए हम पुन उन्हे व्यक्तित्व-परक, व्यवहार-परक तथा योग्यता-परक इन तीन कोटियों में विभाजित कर सकते हैं।

व्यक्तित्व-परक गुण—शोधार्थी को ही तरह निर्देशक में भी धैर्य का गुण सर्वोपरि होना चाहिए। एक सर्वमान्य धारणा है कि जब तक धैर्य पूर्वक किसी कार्य में सतन् न हुआ जाय, तब तक कार्य में सफलता का प्रश्न ही नहीं उठता। 'धैर्यवान् लभन्ते फलम्' के अनुसार जब तक निर्देशक और शोधार्थी दोनों धैर्य का दामन धाम कर कर्म क्षेत्र में अवनरित नहीं होते, तब तक शोध विषय में किसी सम्पन्न निष्कर्ष की सम्भावना नहीं हो सकती। अथौर निर्देशक शोधक का पय-रोषक होना है, पय-प्रदर्शक नहीं। अनुमन्थान का कार्य बडे ही शान्त और महज वातारण में धीरे-धीरे प्रगति करता है। यदि हम किसी धीमी गति से चलने वाले जीव को अपने पीछे बांध कर तीव्रता से दौडना आरम्भ कर दे तो सहज ही खिच कर वह भर जायेगा। उपयुक्त यही होगा कि हम कि हम उसे संरक्षण दे और उसकी गति पर चलते हुए, उसे आगे बढ़ने का उल्माह निरन्तर देते रहे। निर्देशक के लिए स्वय ही धैर्यवान् होना पर्याप्त नहीं। उसे अपने शोधार्थी को भी गति देने के लिए नित्य धैर्य बघाना पडता है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब शोधार्थी आन्तरिक अथवा बाह्य कठिनाइयों से आकुल होकर शोध-क्षेत्र से विचलित हो उठता है। ऐसी स्थिति में निर्देशक ही ऐसा कर्णधार है जो उसे न केवल ठूकने से बचाता है बल्कि एक ऐसी सुखद सान्त्वना

प्रदान करता है कि वह एक बार पुनः अपनी सुरित-शक्तियों को एकत्रित कर, शोध कार्य में लल्लन हो जाता है। धैर्य का यह पहलू अघिब महत्त्वपूर्ण है। एक बार जब शोधक किसी निर्देशक के साथ सम्बद्ध हो जाता है, तो दोनों के लिए एक दूसरे का सहयोग अपेक्षित होता है। अघोरता सम्बन्ध भग तो करती ही है साथ ही शोध विषय के मुचारू परिष्ठीलन की हत्या कर देती है। एतदर्थं हमारा मत है कि निर्देशक को जीवन के प्रत्येक पहलू में स्वयं धैर्य का प्रतीक बनकर चलना चाहिए, केवल तभी वह अपने सग कार्य करने वाले शोधार्थियों का अथावहारिक पथ प्रदर्शन कर सकता है। इससे उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा आलोक पैदा होता है जो उसके शोधको को अन्धेरे की मटवन से सुरक्षित करता है।

निर्देशक के व्यक्तित्व दूसरा महत्त्वपूर्ण गुण-विश्वास है। निर्देशक को अपनी क्षमता, योग्यता और महदयता पर इतना विश्वास होना चाहिए कि वह चयित विषय के भीनरी बाहरी पहलुओं को एक ही पल में मून्याकित कर सकें और विषय को स्वीकार करते हुए उसके साथ न्याय कर सकने की सही दिशा को तभी से धारण कर सकें। अपने अतिरिक्त निर्देशक को भी अपने शोधक में भी विश्वास होना चाहिए। शोधक की दुर्बलताओं, अभावों को जानते परपते हुए भी निर्देशक को उसकी योग्यता तथा कार्य पूर्ति की सुदढ सम्भावना में विश्वास करना चाहिए। समय-समय पर शोधक में अपने इस विश्वास को निर्देशक व्यक्त भी करता रह सकता है। ऐसा करने से शोधक का ढगमगाथा मन पुनः स्थिर होकर कार्य में लीन हो सकता है। विषय सम्बन्धी शोध में विश्वास इसका तीसरा पहलू है। यह सम्भव नहीं कि निर्देशक विषय में विश्वास किए बिना ही उस पर कुछ विश्वसनीय निष्कर्षों को निकालने में सहायक हो सके। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि विषय, शोधक और निर्देशक का यह त्रिकोण विश्वास के गुण से रहित होकर किसी भी पहलू का संन्धान नहीं कर सकता, जीवन में विधा-क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें विश्वास, धैर्य और आस्था जैसे गुणों को धारण किए बिना किसी की गति सम्भव नहीं। शोधक को निर्देशक में, निर्देशक को शोधक में, दोनों को विषय की सम्भावनाओं में तथा अपनी क्षमता और परिश्रम में जब तक विश्वास नहीं होगा, वे कोई भी शिक्षा-स्तरीय निष्कर्ष लाभ नहीं कर सकते।

प्रायः देखा जाता है कि कुछ निर्देशक अपने शोधकों को विषय क्षेत्र में हतोत्साहित करते रहते हैं। ऐसे निर्देशक प्रायः शोधको की कार्य-पूर्ति नहीं करवा पाते, उन्हें मार्ग में छोड़ देते हैं या वे स्वयं निर्देशक के उरसाह रहित कथनों से हताश होकर शोध-विषय से विचलित हो उठते हैं। विश्वास-विहीन ऐसे निर्देशक उस जलमान की तरह होते हैं, जिनके तल में छिद्र हो, उन्हें स्वयं तो डूबना ही होता है, अपने में सवार होने वाले अन्य सबको भी ले डूबते हैं। हमारा सुझाव है कि विश्व-विद्यालयों के नियमों में ही कुछ ऐसा सशोधन किया जाना चाहिए कि उक्त कोटि के

विद्वानो को शोधको का भविष्य अन्वकारमय करने का अवकाश न दिया जाए। शोधक भी यदि कार्य के प्रति अन्वयमनस्क हो तो उसे भी शोध क्षेत्र से हट जाना ही उपयुक्त होगा।

व्यवहार-परक लक्षण—निर्देशक हो या शोधक, कोई भी सब विषयों का ज्ञाता नहीं होता। यही कारण है कि निर्देशक की नियुक्ति के समय हमें ध्यान रखना होता है कि वह प्रस्तावित शोध विषय का ज्ञाता व पारखी हो। ऐसा न होने पर हम उसे निर्देशक-पद के लिए अयोग्य ठहरा सकते हैं। उसे शोधक को प्रस्तावित विषय से सम्बन्धित पुस्तकों को पढ़ने का सुझाव देना होता है शोधक के मम्मूख उठने वाले प्रश्नों का हल करने में उसकी सहायता करनी होनी है, सामग्री सकलन के स्रोतों, की खोज करना और सुझाव देना होता है तथा सकलित सामग्री की सहायता से मही क्रम में आलेख तैयार करने का मार्ग बताना होता है। इन सबके लिए उसका प्रस्तावित विषय में निजी परिचय अनिवार्य है। यही कारण है कि जिस विषय पर शोधक को कार्य करना होता है, उसी विषय के प्रवीण पंडित को उसका निर्देशक नियुक्त किया जाता है। ऐसा न होने की दशा में निर्देशक सही निर्देशन देने में अममर्थ होता है। व्यावहारिकता की मांग है कि इस स्थिति में निर्देशक लज्जा अथवा किसी अन्य भाव से परिचालित होकर अपनी अज्ञता को छिपाए नहीं। सम्बद्ध शोधक से स्पष्ट शब्दों में अपनी असमर्थता बता दे, ताकि शोधक नियमत निर्देशक के साथ बन्धा रह कर भी उस पर निर्भर न करता रहे और अपने श्रम तथा अन्य सहयोगी विद्वानों की सहायता से यथा-समय कार्य-सम्पन्न करने में सफल हो सकें। निर्देशक के ऐसा करने से वह शोधक की दृष्टि में गिरेगा नहीं बल्कि उसे सत्य का दामन धामने एवम् अपनी यथार्थ अज्ञता को निर्व्याज व्यक्त कर देने के कारण शोधक अधिक आदर सम्मान का पात्र मानने लगेगा। यह एक सर्वज्ञात विषय है कि जीवन में सभी क्षेत्रों में कोई निष्णात नहीं होता। इसलिए यदि किसी प्रशासकीय गडबड में गलत निर्देशक नियुक्त हो भी जाए तो उसे स्पष्ट शब्दों में शोधक को मच्छाई का परिचय देना चाहिए। व्यावहारिक क्षेत्र में निर्देशक का यह सर्वोन्नत गुण कहा जा सकता है।

प्रायः एक निर्देशक के साथ एकाधिक शोधार्थी सम्बद्ध रहने हैं। भावना स्तर पर वह किसी के प्रति अधिक मोह रखता या किसी के कार्य को अधिक प्रशमनीय मान सकता है। ऐसा तो प्रायः माता-पिता द्वारा अपने बच्चों में भेद डालते हुए भी हो जाता है, किन्तु जिस प्रकार माता-पिता सब बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति समान रूप से करते हैं, उन्हें समान भोजन पोषण आदि देते हैं, वैसे ही निर्देशक को भी अपने अधीन कार्य करने वाले शोधार्थी को एक समान सहायता और निर्देशन प्रदान करना चाहिए। किसी एक शोधार्थी की प्रशंसा में दूसरे शोधार्थी के कार्य का तिरस्कार किसी एक के मोह में दूसरे के प्रति घसावधानी, शिक्षा-क्षेत्र के दुर्गुण कह जायेंगे। निर्देशक पक्ष पात रहित होता है। उसके सभी छात्र उसके लिए माता-पिता की विभिन्न

सन्तानों की तरह एक समान होते हैं। सभी सन्तानें एक मरीखी योग्य नहीं होनी किन्तु उन्हें माता पिता की ओर से योग्यता के समान अवसर दिये जाते हैं। ठीक इसी प्रकार एक निर्देशक के साथ सम्बद्ध विभिन्न शोधकों के कार्य का स्तर भी एक समान नहीं होता फिर भी निर्देशक का एक दूसरे की तुलना में किसी को हतोत्साहित किए बिना सब की समान सहायता करनी चाहिए और निपट निष्पक्ष रहकर उनके कार्य को अंकित चाहिए। तात्पर्य यह कि निर्देशक द्वारा शोधार्थी की विषय मूलक प्रशंसा वस्तुपरक होनी चाहिए, भावनापरक नहीं। यदि उसके कार्य में सार तत्त्व अधिक है तो चाहे वह निर्देशक के प्रति सांसारिक व्यवहारों की अवहेलना भी करना हो तो भी वह प्रशंसा का सही अधिकारी होना चाहिए और दूसरी ओर शोधार्थी कितना भी चापलूस हो, किन्तु यदि उसके कार्य का स्तर नीचा है तो उसकी प्रशंसा की ही जानी चाहिए। ऐसा न करने से निर्देशक पर पक्षपाती होने का दोष तो लगेगा ही, साथ ही वह दोनों प्रकार के शोधार्थियों में अप्रिय हो जायेगा। प्रशंसा का अधिकारी शोधक उपयुक्त मूल्यांकन न पाकर दुःखी होगा और अधिकारी की प्रशंसा से ईर्ष्या करेगा, तो दूसरी ओर अनाधिकारी अनपेक्षित प्रशंसा पाकर काय के प्रति असावधान तो होगा ही, पीठ पीछे निर्देशक का मखौल उढायेगा।

वर्तमान परामर्शता निर्देशक के व्यवहारगत गुणों में महत्त्वपूर्ण तत्त्व कहा जा सकता है। निर्देशक रूप में नियुक्ति के उपरान्त सहज ही व्यक्ति को कुछ कर्तव्यों का पालन करना अपेक्षित होता है। वास्तव में नियुक्ति के समय शोधक पर जो अधिकार निर्देशक को प्राप्त होता है उसी के समतोल में निर्देशक के कुछ कर्तव्य भी निश्चित हो जाते हैं। शोधक को विषय वस्तु से सम्बन्धित शोध-मामग्री की जाच पड़ताल करने तथा उससे सुयोग्य लाभ उठाने के लिए मार्ग दर्शन करना निर्देशक का कर्तव्य है। शोधक, उसका विद्यार्थी उससे ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक और उसे शोध विषय का निष्णात विद्वान मानता है इसलिए निर्देशक का प्रत्येक कथन शोधार्थी के लिए ब्रह्म वाक्य होता है। प्रायः शोधार्थी आस भूद कर निर्देशक के आदेशों का पालन किया करते हैं, किन्तु इससे उनका पथ प्रशस्त नहीं होता बल्कि कभी कभी रुद्ध होने की नीवत आ जाती है। इसका मुख्य कारण निर्देशक का अत्यधिक हस्तक्षेप होता है। वर्तमान-पालन के क्षेत्र में असावधानी पूर्ण किया गया हस्तक्षेप दुःखदाता है। इससे मार्ग भ्रष्टता और कार्य-क्षय होता है। अतः ऐसी किसी भी स्थिति में निर्देशक को अपने शोधक के प्रति अपने कर्तव्यों को यथेष्ट रूप में समझना अपेक्षित होता है। सामग्री के आधार, सामग्री संचयन के स्रोत समस्याओं के समाधान तथा शोध विषयक प्रक्रिया समझन में निर्देशक का जा कर्तव्य होता है, निश्चय ही वह शोधक के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने में नहीं होता। इसका अभिप्राय यह नहीं कि हम निर्देशक को शोधक के जीवन से बवल आशिक सम्बन्ध ही बनाये रखने देना चाहते हैं, बल्कि हमारा लक्ष्य कर्तव्य की बात करते हुए निर्देशक और शोधक

को एक ही रेखा के दो बिन्दुओं के समान प्रस्तुत करना है। दोनों अलग भी रहते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ हुए भी, यह उनके व्यक्तित्व सम्बन्धों पर आश्रित है कि वे शोध कार्य में इतर एक दूसरे के साथ कितना सहयोग रखना चाहते हैं। कर्तव्य परायणता जीवन जीने का एक महत्त्वपूर्ण मूल्य है। शोधक को निर्देशक के प्रति और निर्देशक को शोधक के प्रति इस जीवन मूल्य को पट्टचानना होता है और इसी के अनुसार जीवन में सोहार्द और सौजन्य लाभ करना होता है। ताराय यह है कि निर्देशक को किसी भी स्थिति में प्रमादी, नोभी या अपकारी नहीं बनना होता। कहावत है कि पुत्र कुपुत्र तो भले हो, माता कभी कुमाता नहीं होती अर्थात् शोधक की असावधानी और निर्देशक के प्रति अवहेलना होने पर भी निर्देशक को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। पिता की तरह उसे शोधक के उपकार का प्रयास करना चाहिए, शत्रुता या ईर्ष्या वश उसके अपकार का चिन्तन उसके लिए अशोभनीय है।

निर्देशक के कर्तव्यपालन की भावना उस समय पतनोन्मुखी हो जाती है जब उसके भीतर किसी प्रकार के लोभ या स्वार्थ की वृत्ति उत्पन्न होनी है। कर्तव्यपालन निर्देशक के लिए लोभ हत्या के समान है। देखा गया है कि निर्देशक अपने शोध-छात्रों से कई प्रकार की अपेक्षाएँ करन लगते हैं, जिनमें किसी वस्तु की प्राप्ति, धन की प्राप्ति या बेगार करवाने की वृत्तियाँ प्रमुख हैं। सम्भव है शोधक की परिस्थितियाँ इनमें से किसी भी क्षेत्र में निर्देशक की सहायता करने में उसकी असमर्थता का कारण हों। अतः ऐसे में यदि निर्देशक शोधक के प्रति अदयालु, सहानुभूति-रहित अथवा असावधान हो जाए तो यह स्थिति नैतिक पतन और अन्याय की होगी। किसी भी निर्देशक को यह अधिकार प्राप्त नहीं कि वह अपने साथ सम्बद्ध शोधक से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ की आशा रखे। वह शोधक का अभिभावक होता है, शोधक नहीं। इसलिए हमारे मतानुसार उसे स्वयं अपनी गुह्यता का ध्यान रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर शोधक की सहायता करनी चाहिए। शोधक यदि थड़ावश निर्देशक के लिए कोई उरहार या भेंट लाता भी है तो उसका इसके लिए मधुर डाक सहित हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

कभी कभी अहंकार भावना भी निर्देशक के गौरव को ठेस पहुँचाती है। अधिक शोषार्थियों का उसके साथ सम्बन्ध होने की इच्छा व्यक्त करना, विभाग में उच्चपद की प्राप्ति होना तथा विद्वज्जगत में नाम होना आदि तथ्य कभी-कभी निर्देशक को अहंकार बना देते हैं। ठीक भी है, निर्देशक मनुष्य होने के नाते किसी भी दुर्बलता का शिकार हो सकता है, किन्तु उसका महत्त्व इसी बात में है कि वह इन लपुताओं से बचा रह सके। अहंकार एक दुर्गुण है, मनुष्य में इसकी उत्पत्ति प्रायः उसे पगु बना दिया करती है। वह अपने को वास्तविक स्तर से ऊँचा उठा समझने के कारण प्रायः अंधर में सटका रहा जाता है। अहंकारी की यही वृत्ति उसकी प्रगति पर रुठारापण करती है और उसे नित्य आगे बढ़ते हुए समय से पिछड़ जाने के लिए

मजबूर करती है। स्पष्ट ही इससे कर्तव्य च्युति और पतन की प्राप्ति होती है। निर्देशक को चाहिये कि वह ऐसे भावा के विरुद्ध ऊर्ध्वगामी रहे और किसी भी प्रकार का गौरव अर्जित होने पर जीवन के यथार्थ मूल्यों की उपेक्षा न करें। ऐसा करने से ही वह सही अर्थों में कर्तव्य पालन कर सकता है।

एक दुर्घटना हमने अनुभव की है। एक निर्देशक महोदय अक्समात् अपने शोधक से इसलिए रुठ गये कि उमने उनकी पुत्री के विवाह पर लडकी के लिए भ्र गूठी तक भी भेंट नहीं की। परिणामत पहले तो उन्होंने शोध-कार्य की पूर्ति पर प्रमाण-पत्र देने में खूब ना-नुनक की और फिर उसके परीक्षक के पास शिकायत कर उसे दुबारा शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवेदित करवाया। भ्रपकारी वृत्ति की यह परकाष्ठा है। इसमें कर्तव्य-च्युति में साथ-साथ कुण्ठा और नीचता भी धीख पडती है। ऐसे भ्रपकारी निर्देशक विश्वविद्यालयीन नियमों के अन्तर्गत दण्डनीय होने चाहिए और सामाजिक दृष्टि से भी वे तिरस्करणीय माने जाने चाहिए। कर्तव्य एक ऐसी वृत्ति है, जिनकी च्युति उपर्युक्त भावों से तो होती ही है, ईर्ष्या, भय, उम्माद अथवा स्वार्थ की वृत्तिया भी उसका हनन कर देती हैं। कभी-कभी निर्देशक इसी भय से कर्तव्य-च्युत हो जाता है कि उसका शोधक शोध-उपाधि प्राप्त कर कही उसका प्रतिद्वन्दी न बन जाए। यद्यपि यह भय अधिकांश ठीक नहीं होता, फिर भी कतिपय स्थितियों में इसे कार्यान्वित होते दखा गया है—यह स्थिति राजनीति की देन अधिक है शैक्षिक मूल्यांकन की कम।

योग्यता परक लक्षण—निर्देशक की क्षमता की बात हम पीछे कर चुके हैं, योग्यता क्षमता ना ही एक भ्र ग है, किन्तु यहां हम योग्यता सम्बन्धी ऐसे लक्षणों की चर्चा करने जा रहे हैं, जिनका संकेत क्षमता के अन्तर्गत नहीं किया गया। शोध-निर्देशक एक कठिन तपस्या है। शोधक के व्यक्तित्व, व्यवहार, योग्यता, कर्म, ज्ञान और इच्छा, सब पर हावी होने का प्रश्न है। कही सामान्य-चूक भी कुण्ठा की गाठ बन सकती है। इसलिए निर्देशक के विचारशील होने की आवश्यकता है। प्रत्येक कदम पर उसे शोधार्थी की स्थिति और मानसिकता को समझना होता है, हर दशा में उसे धीरज बघाना और उसका उत्साह बनाए रखना निर्देशक का कार्य है। भ्रत विचारशीलता और मर्यादा, योग्यता का वह भ्र ग है, जिनके आधय निर्देशक और शोधक के बीच एक बोधगम्यता बनपती है।

निर्देशक में उत्साह बढा सकने की योग्यता, शोधक की सुयोग्य रचना की प्रशंसा कर सकने की योग्यता, कला को परखने एवं महसूस को सराहने की योग्यता आदि होना भी अपेक्षित हैं। इन्ही योग्यताओं से दो निपट भ्रपरिचित व्यक्ति एक बार जब ज्ञान पहचान के सूत्र में बघते हैं, तो कभी विच्छिन्न नहीं होते। स्पष्ट कह सकने की योग्यता तो निर्देशक की विभूति ही है। शोधार्थी की भटकन, भूल, घमृद्ध लेखन सामग्री का दूषित प्रयोग, न्यून-श्रमता, भ्रसावधानी आदि प्रमादों पर यदि निर्देशक

स्पष्ट शब्दों में शोध की भर्त्सना नहीं कर सकता या खुलकर कोई आदेश नहीं दे सकता, तो उसकी आकादमिक योग्यताएँ प्रकाश हो जाती हैं। हमारा विश्वास है कि निर्देशक की उक्त पाश्र्व योग्यताएँ अन्य सब पहलुओं की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हैं। प्राम् अशिष्टता और अस्वाभाविकता का बहाना करके निर्देशक इस दिशा से अपने-आप को बचा लेना चाहता है, किन्तु यह ध्वराहुट उसके लिए तथा अन्ततः शोध के लिए भी हानिकारक होती है।

(ग) निर्देशन के सिद्धान्त—निर्देशक रास्ता दिखाने वाला आलोक-स्तम्भ होता है, स्वयं मार्ग तय करने वाला गतिशील यान नहीं। शोधक को निर्देशक से प्रकाश प्राप्त कर शोध-प्रबन्ध के पथ पर बढ़ना होता है इसलिए निर्देशन की पद्धति तथा पढ़ावों को अलग-अलग रखे यहाँ उन पर विचार किया जा सकता है। निर्देशन के चार प्रमुख पड़ाव होते हैं—1 आरम्भिक स्वरूप, 2 सामग्री सफलन, 3 शका-समाधान तथा 4 सकलित सामग्री का अनुशीलन। आरम्भिक स्वरूप में निर्देशक विषयानुरूप कुछ पुस्तकों, पुस्तकालयों, विद्वानों तथा अपेक्षित पत्र-पत्रिकाओं का संकेत देता है, जिनके अध्ययन या जिनसे वार्तालाप द्वारा शोधक को अपने विषय में पढ़ने का ठोस मार्ग लम्ब हो पाता है। पुस्तकें तथा विद्वान विषय पर हुए कार्य के पूर्वगामी संकेतक होते हैं। विद्वानों से चर्चा करने तथा उक्त पुस्तकों का अध्ययन करने से शोधार्थी को प्रस्तावित विषय पर पहले किए गए कार्य का ज्ञान होता है, नए कार्य के दिशा-निर्धारण की सूरु प्रारंभ होती है और पुरानी भूलों से बच सकने का उदाह मिलता है। निर्देशन-कार्य का यह प्रथम पड़ाव है। शोधक के लिए इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह पुस्तकों के जगल में भटकने से बच जाता है। केवल उचित और उपयुक्त पुस्तकों को ही देखता एवं व्यर्थ समय गवाने से सुरक्षित रहता है। शोध अपने विषय पर ही आक्रमण करता है, इधर-उधर अनावश्यक तथ्यों में लिप्त नहीं होता। शोधार्थी सही दिशा में विषय का ज्ञान प्राप्त करता है, पूर्व-रचित ग्रन्थों से शोध की वैज्ञानिक पद्धति को सीखता है और आवश्यकतानुसार नक-वितर्क क मौलिक ध्वर उसके मन-मस्तिष्क में बैठने लगते हैं। बाद क पढ़ावों पर वह तीव्र और स्वरित गति का बाहक बनने में समर्थ होता है।

दूसरा पड़ाव सामग्री सफलन का है। निर्देशक इसमें शोधार्थी को प्रस्तावित विषय से सम्बन्धित सामग्री की सम्भावनाएँ तथा उपलब्धि के स्रोतों की जानकारी प्रदान करता है। वह शोधक को टीप लेने का ढग, सामग्री का आलेख तैयार करने की विधि, तथा उसकी सुरक्षा का स्वरूप समझाता है। अलग-अलग विद्वानों से चर्चा करने, पुस्तकालयों में जाकर हस्तलिखित मौलिक ग्रन्थ देखने एवं आवश्यकतानुसार उनमें से सहायक सामग्री प्राप्त करने का प्रशिक्षण का प्रग है। निर्देशक द्वारा बताए मार्ग पर चलते हुए शोधार्थी की दिशाएँ निश्चित होनी हैं और वह अपने कार्य में प्रगति करने लगता है। धीरे-धीरे भागे बढ़ना हुआ जब वह प्रस्तावित विषय से

मजबूर करती है। स्पष्ट ही इससे कर्त्तव्य च्युति और पतन की प्राप्ति होती है। निर्देशक को चाहिये कि वह ऐसे भावा के विरुद्ध ऊर्ध्वगामी रह और किसी भी प्रकार का गौरव अर्जित होने पर जीवन के यथार्थ मूल्यों की उपेक्षा न करें। ऐसा करने से ही वह सही अर्थों में कर्त्तव्य पालन कर सकता है।

एक दुर्घटना हमने अनुभव की है। एक निर्देशक महोदय अकस्मात् अपने शोधक से इसलिए रूठ गये कि उसने उनकी पुत्री के विवाह पर लड़की के लिए झगूठी तक भी भेंट नहीं की। परिणामतः पहले तो उन्होंने शोध-कार्य की पूर्ति पर प्रमाण पत्र देने में खूब ना-नुनक की और फिर उसके परीक्षक के पास शिकायत कर उसे दुबारा शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवेदित करवाया। अपकारी वृत्ति की यह पराकाष्ठा है। इसमें कर्त्तव्य-च्युति के साथ-साथ बुण्ड और नीचता भी दीख पड़ती है। ऐसे अपकारी निर्देशक विश्वविद्यालयीन नियमों के अन्तर्गत दण्डनीय होने चाहिए और सामाजिक दृष्टि से भी वे तिरस्करणीय माने जाने चाहिए। कर्त्तव्य एक ऐसी वृत्ति है जिसकी च्युति उपर्युक्त भावों से तो होती ही है, ईर्ष्या, भय, उम्माद अथवा स्वार्थ की वृत्तियाँ भी उसका हनन कर देती हैं। कभी-कभी निर्देशक इसी भय से कर्त्तव्य-च्युत हो जाता है कि उसका शोधक शोध-उपाधि प्राप्त कर कहीं उसका प्रतिद्वन्दी न बन जाए। यद्यपि यह भय अधिकांश ठीक नहीं होता, फिर भी वृत्तिपय स्थितियों में इस कार्यान्वित होते देखा गया है—यह स्थिति राजनीति की देन अधिक है शैक्षिक मूल्यांकन की कम।

योग्यता परक लक्षण—निर्देशक की क्षमता की बात हम पीछे कर चुके हैं, योग्यता क्षमता का ही एक अंग है, किन्तु यहाँ हम योग्यता सम्बन्धी ऐसे लक्षणों की चर्चा करने जा रहे हैं, जिनका सकेत क्षमता के अन्तर्गत नहीं किया गया। शोध-निर्देशक एक कठिन तपस्या है। शोधक के व्यक्तित्व, व्यवहार, योग्यता, कर्म, ज्ञान और इच्छा, सब पर हावी होने का प्रश्न है। कहीं सामान्य-बूक भी मुण्डा की गाँठ बन सकती है। इसलिए निर्देशक के विचारशील होने की आवश्यकता है। प्रत्येक बंदम पर उसे शोधार्थी की स्थिति और मानसिकता को समझना होता है, हर दशा में उसे धीरज बघाना और उसका उत्साह बनाए रखना निर्देशक का कार्य है। अतः विचारशीलता और मर्यादा, योग्यता का वह अंग है, जिनके आश्रय निर्देशक और शोधक के बीच एक बोधगम्यता बनती है।

निर्देशक में उत्साह बढ़ा सकने की योग्यता, शोधक की सुयोग्य रचना की प्रशंसा कर सकने की योग्यता, कला को परखने एवं महत्त्व को सराहने की योग्यता आदि होना भी अपेक्षित है। इन्हीं योग्यताओं से दो निपट अपरिचित व्यक्ति एक बार जब जान पहचान के मूत्र में बघते हैं, तो कभी विचिन्न नहीं होते। स्पष्ट कह सकने की योग्यता तो निर्देशक की विभूति ही है। शोधार्थी की भटकन, भूल, अशुद्ध लेखन सामग्रियों का दूषित प्रयोग, न्यून-श्रमता, असावधानी आदि प्रमादों पर यदि निर्देशक

स्पष्ट शब्दों में दोष की भर्त्सना नहीं कर सकता या खुलकर कोई आदेश नहीं दे सकता, तो उसकी आकादमिक योग्यताएँ अकार्य हो जाती हैं। हमारा विश्वास है कि निदेशक की उक्त पार्श्व योग्यताएँ अन्य सब पहलुओं की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रायः अशिष्टता और अस्वाभाविकता का बहाना करके निदेशक इस दिशा से अपने-आप को बचा लेना चाहता है, किन्तु यह ध्वराहट उसके लिए तथा अन्ततः शोध के लिए भी हानिकारक होती है।

(ग) निदेशन के सिद्धान्त—निदेशक रास्ता दिखाने वाला आलोक-स्तम्भ होता है, स्वयं मार्ग तय करने वाला गतिशील यान नहीं। शोधक को निदेशक से प्रकाश प्राप्त कर शोध-प्रबन्ध के पथ पर बड़ना होता है, इसलिए निदेशन की पद्धति तथा पढावों को अलग-अलग करके यहाँ उन पर विचार किया जा सकता है। निदेशन के चार प्रमुख पढाव होते हैं—1 आरम्भिक स्वरूप, 2 सामग्री सकलन, 3 शका-समाधान तथा 4 सकलित सामग्री का अनुशीलन। आरम्भिक स्वरूप में निदेशक विषयानुरूप कुछ पुस्तको, पुस्तकालयो, विद्वानो तथा अपेक्षित पत्र-पत्रिकाओ का सकेत देता है, जिनके अध्ययन या जिनसे बार्तालाप द्वारा शोधक को अपने विषय में पैठने का ठोस मार्ग लब्ध हो पाता है। पुस्तके तथा विद्वान विषय पर हुए कार्य के पूर्वगामी सकेतक होते हैं। विद्वानो से चर्चा करने तथा उक्त पुस्तको का अध्ययन करने से शोधार्थी को प्रस्तावित विषय पर पहले किए गए कार्य का ज्ञान होता है, नए कार्य के दिशा-निर्धारण की सूझ प्राप्त होती है और पुरानी भूलो से बच सक्ने का उत्साह मिलता है। निदेशन-कार्य का यह प्रथम पढाव है। शोधक के लिए इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह पुस्तको के जगल में भटकने से बच जाता है। केवल उचित और उपयुक्त पुस्तको को ही देखता एव व्यर्थ समय गवाने से सुरक्षित रहता है। सीधे अपने विषय पर ही आश्रमण करता है, इधर-उधर अनावश्यक तथ्यो में लिप्त नहीं होना। शोधार्थी सही दिशा में विषय का ज्ञान प्राप्त करता है, पूर्व-रचित ग्रन्थो से शोध की वैज्ञानिक पद्धति को भीखता है और आवश्यकतानुसार तर्क-वितर्क के मौलिक स्वर उससे मन-मस्तिष्क में बैठने लगने है। बाद के पढावो पर वह तीक्ष्ण और त्वरित गति का वाहक बनने में समर्थ होता है।

दूसरा पढाव सामग्री सकलन का है। निदेशक इसमें शोधार्थी को प्रस्तावित विषय से सम्बन्धित सामग्री की सम्भावनाएँ तथा उपलब्धि के स्रोतो की जानकारी प्रदात करता है। वह शोधक को टीप लेने का ढंग, सामग्री का आन्वेष तैयार करने की विधि, तथा उसकी सुरक्षा का स्वरूप समझाता है। अलग-अलग विद्वानो से चर्चा करने, पुस्तकालयो में जाकर हस्तलिखित मौलिक ग्रन्थ देखन एव आवश्यकतानुसार उनमें से सहायक सामग्री प्राप्त करन का प्रशिक्षण का अंग है। निदेशक द्वारा बताए मार्ग पर चलते हुए शोधार्थी की दिशाएँ निश्चित होती हैं और वह अपने कार्य में प्रगति करने लगता है। धीरे-धीरे भागे बड़ना हुआ जब वह प्रस्तावित विषय से

परिचित होने लगता है, तब उमके सम्मुख अनेक आशकाएँ, जिज्ञामाएँ जगने लगती हैं। यह निर्देशन का तीसरा पड़ाव है। इस स्थिति पर जब भी शोधक निर्देशक से मिलने जाता है, वह अपनी जिज्ञासाओं और आशकाओं की सूची माथ लेकर जाता है। यह पड़ाव इधर-उधर की गणों अथवा प्रारम्भिक जानकारी वा नहीं है। इस दशा तक आते-आते गोंधक अपने प्रस्तावित विषय से पूर्णतः परिचिन हो चुका होता है, इसलिए उमे कम से कम उपलब्ध समय मे अपनी शकाओं का समाधान प्राप्त कर लेना चाहिए। यहां चूकने वाला शोधक प्रायः चौथे पड़ाव मे भटक जाया करता है, इसलिए उसे कोई भी जिज्ञासा अथवा शका विना हल के नही छोडनी चाहिए। शोध-प्रबन्ध लिखत समय उक्त शकाओं का समाधान प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है, यदि शोधक इसमे चूकेगा तो सम्भव है कि परीक्षक प्रतिवेदन मे वह उलभन प्रश्न-चिन्ह बन जाय या मौखिकी के समय शोधक की व्यव्रता का कारण बन।

सकलित सामग्री का क्रमात्मक एव सवागीण अनुशीलन निर्देशन-क्रम का चौथा पड़ाव है। यह स्थिति शोधक की प्रतिभा को सही अर्थों में व्यक्त करने वाली सानुकूल स्थिति है। इस दशा मे शोधक को अपने समूचे ज्ञान एव सकलित सामग्री के आश्रय एक सुयोग्य प्रबन्ध तैयार करना होता है। समूची सामग्री को क्रमबद्ध करना एक समस्या होती है। निर्देशक पुन सहायक होता है। शोधात्मक क्रम का सही ज्ञान निर्देशक से प्राप्त होता है। शोधक निर्देशक की सहायता से विषय-क्रम तैयार करता है और सामग्री को अध्याओं मे बाँधकर आलेख तैयार करता है। अनुशीलनात्मक आलेख मे जिन विशेषताओं को स्थान देना अपेक्षित होता है, निर्देशक उसकी सूझ भी प्रदान करता है। पूर्वज्ञान, पृष्ठभूमि, सकलित नवीन जानकारी (इसमे भाव, भाषा, शिल्प, चिन्तन, जीवन-दृष्टि, मूल्य-वोध एव नवीन दिशा-निर्देशन आदि, सबको स्थान मिलना चाहिए) तथा अन्त मे निष्कर्ष का क्रम बनाने को कहता है। निष्कर्ष मे शोधक की स्थापनाएँ या मौलिक देन को महत्त्वपूर्ण ढंग से लिखने की विधि निर्देशक बताता है। आदेश की योग्य रूपरेखा के अनुसार जब शोधक आलेख तैयार कर लेता है, तो उसे सहायक अर्थों की सूची, अनुक्रमणिका आदि तैयार करनी पडती है। अनुसंधान की दृष्टि से यह भी तकनीकी कार्य है, इसलिए इस पर भी निर्देशक के सुझावों का महत्त्व होता है। अब शोध प्रबन्ध पूर्ण ममभा जाता है—इस पर भी निर्देशक के प्रमाण-पत्र की अपेक्षा रहती है।

1 निर्देशन पद्धति पर क्रम पूर्वक अपनी भूमिका निभाने के लिए निर्देशक पर कतिपय प्रतिबन्धों की चर्चा करना भी यहा अन्यथा न होगा। जब-जब भी शोधक निर्देशक के निकट आता है अपनी जिज्ञासाओं को व्यक्त करता अथवा शकाओं का समाधान चाहता है तब तब निर्देशक के ऊपर प्रतिबन्ध की जकड बढने लगती है। आशः या निर्देशक जिनो के पास भी मिलने का समय सीमित होता है, बहुधा शोधक दूसरे स्थान पर रहने वाला होन के कारण छोटे अन्तराल मे बार-बार उपस्थित नही

हो सकता। इसलिए दोनों की सुविधा का ध्यान रखते हुए निर्देशक को अप्रसंगिक बातों से बचे रहने की जरूरत होती है। हमारा अभिप्राय यह है कि वे दोनों जिस थोड़े से समय के लिए मिल रहे हैं, उसमें वे केवल विषय-सम्बन्धी चर्चा ही करें, घर-परिवार तथा जग पीती की बातों को भूल जाय। समकालीन परिस्थितियों, पार्टी-राजनीति, बॉलज अथवा विश्वविद्यालय की गतिविधियों या देश की पतनोन्मुखी स्थिति पर बहस करने के लिए अन्य कोई समय निवाला जा सकता है। ध्यान रहे, ये सब बाने प्रस्तावित विषय में सम्बन्धित नहीं होतीं। इमीलिए हमने इन्हे अप्रसंगिक कहा है। साहित्य सम्बन्धी केवल वही चर्चा हो सकती है जिसका कोई पहलू विषय के किसी भी अंग का स्पर्श करता हो। यहाँ निर्देशक को ध्यानचीन करते समय साहित्यिक मूल्यांकन पर ही ध्यान देना होता है। उसने पास भावुक होकर व्यक्तित्व परक अनुशीलन का अवकाश नहीं होना। निर्देशक के लिए अतिशय है कि वह शुद्ध वस्तुपरक और तथ्यात्मक चर्चा करे, भावात्मक अथवा व्यक्तिपरक मत शोष-नियमों के विरुद्ध पडते हैं।

निर्देशक को जो भी आदेश देना हो, वह स्पष्ट और शोध विधा की अपेक्षाओं के अनुसार देना चाहिए। प्रायः देखा जाता है कि निर्देशक स्वयं ही बहुधा यह निर्णय नहीं कर पाता कि स्थिति का कौन सा पार्श्व उपयोगी या अनुकूल होगा। हम एक ऐसे शोध-सदस्य के बारे में जानते हैं, जहाँ निर्देशक ने प्रथम अंग को बार-बार अपने ही आदेशों में फेरबदल कर पाँच बार लिखवाया और अन्ततः जब पाँचवीं बार का आलेख भी उसे स्वीकार न हो सका तो उसने एकाएक सर्वप्रथम तैयार किए गए आलेख की स्वीकृति दे दी और बाद के चारों आदेश रद्द कर दिए। तात्पर्य यह कि निर्देशक स्वयं अपने ही आदेशों और मार्ग-दर्शन के कतिपय आदेशों में ऐसा उलझ गया कि फिर निकल सकने में समर्थ नहीं हो पाया। परिणामतः उसने शोधक का छ महीने का समय व्यर्थ कर दिया। इमीलिए यह आवश्यक है कि निर्देशक सदैव स्पष्ट और नियत शब्दों में आदेश दे और शब्दों में उमने अनुसार लिए गए कार्य को स्वीकार करे। अन्वथा, वह शायक की दृष्टि में तो पति होगा ही उसके द्वारा निर्दिष्ट शोध-कार्य भी कोई महत्व अर्जित नहीं कर सकेगा। हमारा सुझाव है कि निर्देशक को इस दूषण के प्रति खूब सावधान रहने की अपेक्षा है, इसलिए वह निर्देशन के दौरान स्वयं भी उस विषय में सम्बन्धित रचनाओं का दखता पढ़ता रह सके, तो उत्तम होगा।

उपर्युक्त प्रतिबन्ध छोड़ लेना शायद निर्देशक के लिए सुगम हो, किन्तु कभी-कभी शोध-इतना काइया होता है कि वह निर्देशक को बुद्ध बनाने, शोध-नियमों की सीमाओं का उल्लंघन करना हुआ एवम करना का विषय बनन का प्रयास करता है। वह अपनी समस्याओं, पारिवारिक उद्वेग, बाध बच्चों के अंग होने की झूठी-मच्ची कहानियों, आर्थिक अभावों, अपने ऊपर होने वाले अत्याय व मिथ्या विवरणों को इतनी वेदनामयी भाषा में निर्देशक को सुनाता है कि विद्वान् किन्तु भावुक निर्देशक

का हृदय पसीज उठता है। वह करुणा द्रवित होकर शोधक के द्वारा किया जाने वाला कार्य स्वयं करने को तत्पर हो जाता है। वास्तव में यह करुणा फलवती नहीं होती— इसमें निर्देशक तथा शोधक की हानि छिपी रहती है। सम्भव है, करुणा सभर होकर न देशक शोधक के स्थान पर स्वयं सामग्री संग्रहित करने को तैयार हो जाय, शोधक को श्रुतलेखन प्रदान करने लगे या किसी पुराने अप्रकाशित शोध प्रबन्ध में से तैयार सामग्री चुरा लेने का सुझाव देने बैठे। निर्देशक के लिए ये तीनों स्थितियाँ घातक हैं। उसे किसी भी स्थिति में नियमों का यीमोल्लघन नहीं करना चाहिए। वह पथ सुझाने वाला है, स्वयं उस पथ पर बढ़ते चले जाना उसकी नियति नहीं। उसका कर्तव्य शोधार्थी को सही रास्ता बता देने पर समाप्त हो जाता है, शोध पर्यवेक्षण स्वयं अनुमोदना का करना होना है। निर्देशक गवेषक नहीं होता, एक स्थिति विशेष में गवेषक के लिए वह सकेत-पट का कार्य करता है। यह सही है कि निर्देशक जड़ पट्टिका न होकर चेतन व्यक्तित्व होता है। चेतना के सम्पर्क में आकर तो जड़ता भी माहीन पैदा करने लगती है, फिर सचेतन निर्देशक शोधक के सम्पर्क में उसके व्यवहार, नवीन जानकारी, चापलूसी (1) या मानवीय स्नेह से सहज प्रभावित क्यों न हो! प्रभावित होगा तो प्रतिक्रिया भी होगी, आत्मीयता, पारिवारिक सम्बन्ध, भ्राना-जाना, विनिमय-विनोद, सब हाने लगेगा। किन्तु सावधान, ये सब बातें निर्देशक-शोधक की सम्बन्ध-परिधि के नियमों के विरुद्ध हैं। कार्यकाल के दौरान ये वर्जित होनी चाहिए—यदि हो भी तो कम-से-कम शोध प्रबन्ध लेखन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इस ओर ध्यान न दिया गया तो शोध-प्रबन्ध में 'प्रबन्ध' तो वचेगा, 'शोध' की हत्या हो जायगी।

विषय—चयन तथा शोध—प्रविधि

शोध के व्यावहारिक पक्ष में विषय-चयन कठिनतर कार्य है। प्रायः देखा गया है कि विद्यार्थी को शोध की ललक होती है, कार्य कर लेने का उत्साह भी होता है उसमें, किन्तु उस अपनी अभिरूचियों तथा क्षमता का ज्ञान नहीं होता। यही कारण है कि जब वह पजीकरण-अधिकारी के सम्मुख पहुँचता है, उसके पाम कोई विषय या साहित्यिक समस्या ऐसी नहीं होती जिस पर वह शोध-कार्य करने को मन बना रहा हो। परिणामतः वह कहने लगता है विषय आप कोई भी मुझा दे, मैं कार्य करना चाहता हूँ। यह उत्तर इतना भ्रामक और दूषित होता है कि यदि पजीकरण अधिकारी अध्यापक होने के नाने विद्यार्थी के प्रति सहानुभूति का स्वाभाविक शिकार न हो, तो वह साक्षात्कार में ही उमकी छटनी कर देगा। शोध द्वात्र बनने के जिज्ञामु को अपनी अभिरूचि और क्षमता का ज्ञान होना चाहिए। उसे विदित होना चाहिए कि किस क्षेत्र में उसकी गति है, कौन-सा विषय उसे भाता है, किम पहलू पर कार्य उसे सुविधापूर्ण होगा। यदि इस दिशा में उसने पहले से विचार किया हो और अपनी क्षमताओं के अनुकूल विषय-चयन किया हो, तो वह श्रेष्ठ शोधार्थी प्रमाणित हो सकता है। इसी मदभं में हम यहाँ विषय चयन एवं चयनीय विषयों पर चर्चा करेंगे।

(1) विषय चयन—एक विद्वान का कथन है कि यदि शोध विषय अनुसन्धाता की इच्छानुसार चयित न होकर अधिकारियों द्वारा प्रदत्त हो, तो वह किसी भी स्थिति में ज्ञान के वर्तमान क्षेत्र को आगे नहीं बढ़ा सकता। न ही उम विषय पर किया गया शोध अभियान किसी अज्ञात तथ्य को ज्ञात बनाने में मक्षम होता है। यही कारण है कि विषय-चयन शोधार्थी के गतिशील होने में अत्यधिक आवश्यक तत्त्व होता है किन्तु दुर्भाग्यवश लोग इसी की सर्वाधिक उपेक्षा कर देते हैं। यहाँ इसी उपेक्षा के विरुद्ध हमें कुछ नियमों, सिद्धान्तों और पद्धतियों की चर्चा करनी है।

विश्वविद्यालयों में प्रायः शोध विषय चयन की तीन पद्धतियों को अपनाया जाता है। डा. भगोवरय मिश्र के अनुसार तीसरी पद्धति जिसमें वर्ष भर के लिए शोध-विषयों की सूची तैयार कर ली जाती है और प्रस्तावित शोधार्थियों को अपनी योग्यता और अभिरूचि के अनुसार उनमें से विषय चुन लेना होता है, कोई विदोष उपयोगी नहीं। क्योंकि सूची तैयार करते हुए प्रायः विभाग के लोग अन्य विश्वविद्यालयों में

होने वाले शोध-कार्य से परिचित नहीं होने। उम्ह यह भी मालूम नहीं होता कि विस्तारगत और सूक्ष्मता विषयो की क्या गति है और वे किन पहलुओं से चर्चायित हो चुके हैं। शोध दो पद्धतियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। प्रथम पद्धति में विश्वविद्यालय अपनी सुविधाओं और मौलिक परिस्थितियों की दृष्टि से योजनाबद्ध शोध करवाते हैं। योजनाबद्ध शोध में विश्वविद्यालय के द्वारा शोध का कोई विशिष्ट क्षेत्र चुन लिया जाता है और शोध प्रस्ताव करने वाले जिज्ञासु को उसी क्षेत्र के पहलू पर काय करन को कहा जाता है। इस पद्धति में कुछ दोष भी हैं। इसके अनुसार शोधार्थी की अभिरूचियों और मनोवृत्तियों का ध्यान नहीं रखा जा सकता। दूसरे, इस पद्धति में प्रत्येक शोधार्थी फिट नहीं बैठता, जिसके कारण शोधार्थी को विषय-परिवर्तन क ही लिए विश्वविद्यालय परिवर्तन करना पड़ सकता है। तीसरी पद्धति में वैयक्तिक चयन प्रधान होता है। अधिकतर विश्वविद्यालयों में आजकल यही प्रणाली प्रमुख है। इसके अन्तर्गत शोध-छात्र बनने का जिज्ञासु व्यक्ति अपनी इच्छानुक्ल विषय का चुनाव करता है। कदाचित् श्रमवार यह दो या तीन विषयों को शोध समिति के सम्मुख प्रस्तुत करता है, जिसमें से समिति के अधिकारी उपयुक्तता और उपयोगिता के मान दण्डों पर श्रेष्ठ उतरने वाले विषय को स्वीकार कर लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर विषय के विस्तार अथवा स्वरूप का शोधन समिति स्वयं कर देनी है। इस पद्धति में निर्देशक खोजने की कठिनाई हो सकती है। उक्त समस्या का समाधान तभी सम्भव हो सकता है जब वैयक्तिक चुनाव करने वाले विद्यार्थी शोध-समिति के सम्मुख प्रस्तावित विषय रखने से पूर्व विश्वविद्यालय के विद्वान प्राध्यापकों और विषय-क्षेत्र के जानकार महानुभवों से परामर्श कर लिया जाए। यदि सम्भव हो तो प्रस्तावित निर्देशक से लिखित स्वीकृति प्राप्त कर लेना भी उचित ही होगा।

योजनाबद्ध विषय-चयन कुछ ही विश्व विद्यालयों की विभूति हो सकता है। उदाहरणार्थ, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला में योजनाबद्ध शोध कार्य की मन्त्री सम्मानना हो सकती है। यहाँ के स्थानीय एवम् निकटवर्ती नगरों के कनिष्ठ पुस्तकालयों में हजारों की संख्या में ऐसी अद्वितीय पाण्डुलिपियाँ मौजूद हैं जो विविध साहित्यिक विषयों गुरुमुखीलिपि में लिखी गई हैं और जिनकी भाषा ब्रज है। यही साहित्य आज तक हिन्दी जगत् के लिए अज्ञात रहा कि हिन्दी के विद्वान गुरुमुखी लिपि से परिचित नहीं थे और पंजाबी के विद्वानों ने ब्रज भाषा देखकर उनकी उपेक्षा कर दी। अब, जबकि इस प्रदेश में एक अलग विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका है और प्रदेश के ही विद्वानों ने, जो कि हिन्दी और पंजाबी दोनों भाषाओं से परिचित हैं उक्त साहित्य को पहचान लिया है, उन्हें इस अज्ञात साहित्य को योजनाबद्ध रूप में लिप्यन्तरित, सम्पादित, आविष्कृत एवम् मूल्यांकित करना चाहिए। सहज ही यहाँ एक भाषा छात्र उपलब्ध हो सकते हैं जो पंजाबी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं से परिचित हों और जिनका पंजाब प्रदेश की संस्कृति और जीवन दृष्टि से मोह हो। उक्त प्रकार का योजनाबद्ध

अध्ययन इसी प्रकार के अज्ञात से सम्बन्धित गुजरात, मराठवाडा, आन्ध्र, हिमाचल प्रदेश एवं तिरुपति आदि विश्वविद्यालयों में करवाया जा सकता है। ध्यान रहे कि योजना बनाने के उपरान्त हमें उस क्षेत्र में प्रवृत्ति रखने वाले लोगों के द्वारा प्रस्तुत शोध विषयों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जिज्ञासुओं के मार्ग में बाधा तो पड़गी ही, सम्भव है कार्य-गति भी धीमी हो जाये।

यह एक सर्वमान्य विषय है कि शोध की श्रिया विस्तार में गहनता की ओर आती है। पीछले तीस वर्षों से हिन्दी में पर्याप्त एक तीव्र गति में शोध कार्य चल रहा है। इस काल में विस्तारगत विषयों पर बहुत लिखा जा चुका है। अब हिन्दी शोध विस्तार के अन्तर्गत गहन और सूक्ष्म विषयों के निर्वाचन की ओर बढ़ रहा है। बहुत सा ज्ञान अभी अस्पष्ट है, अनेक तरह अभी तक वायवीय हैं, उन्हें आधार देना अभी दोष है। अब तक साहित्यिक क्षेत्र में केवल ऐसा अनुसन्धान हुआ है जिसमें अज्ञात रचनाओं साहित्यकारों की स्थापना की गई है या ज्ञान कृतियों तथा कृतिकारों का परीक्षण मूल्यांकन किया गया है। आवश्यकता है कि हम साहित्य की उन प्रवृत्तियों, पृष्ठभूमियों और पद्धतियों का यथार्थ ज्ञान साहित्य प्रेमियों को दे सकें, जिसे उनके सांस्कृतिक और जातीय जीवन में नवालोका का उदय हो सके और राष्ट्र का दिशा निर्देश सम्भव हो। उक्त तथ्यों को लक्ष्य करते हुए जब विषय-चयन का प्रश्न उठता है, तो हमें अनेक बातों का ध्यान रखना होता है। नीचे हम उन्हीं ध्यातव्य बातों की व्याख्या कर रहे हैं।

(क) अभिरुचि—शोध जिज्ञासु को विषय का चुनाव स्वयं करने की हूट दी जानी चाहिए। किसी भी स्थिति में वहाँ पर अभिरुचि के विरुद्ध कोई विषय लादना अनुपयुक्त होगा। अभिरुचि से भिन्न विषय पर कार्य करना प्रायः शोध जिज्ञासु के लिए सुखद अध्ययन की अपेक्षा बोझ ढोने के समान होगा। शोधार्थी की अभिरुचि का ध्यान रखना पजीकरण समिति के लिए जरूरी है। ऐसी स्थितियाँ भी देखी गई हैं जहाँ विद्यार्थी को स्वयं अपनी अभिरुचि का ज्ञान नहीं होता, पूछने पर साहित्य की दो तीन विधाओं पर वह एक साथ रुचि प्रदर्शित करता है, किन्तु ऐसा सम्भव प्रतीत नहीं होता। शोधक की अभिरुचि को समझने के लिए उसके द्वारा धामतौर पर पढ़ी जाने वाली पुस्तकों से भी अनुमान किया जा सकता है। कहानी, उल्लेख या नाटक के क्षेत्रों में तो यह अनुमान शतशः सही बैठता है।

(ग) क्षमता और मनोवृत्ति—विषय-चयन से पूर्व शोध जिज्ञासु की क्षमता और मनोवृत्ति का भी ठीक-ठीक अन्दाज होना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि स्त्रियों की क्षमता क्षेत्रीय कार्य में कम होती है। पुरुष क्षेत्रीय विषयों में सक्षम हो सकते हैं। पूर्णतः अज्ञात विषयों में, जहाँ पुरातत्त्व की सहायता से साहित्यकारों की जीवनीया आदि निश्चित करनी होती है, स्त्रियों की गति नहीं होती। तात्पर्य यह कि स्त्री-पुरुष भेद, बौद्धिक परिपक्वता तथा साधन जुटाने की क्षमता के भेदों को सम्मुख

रखते हुए ही किसी जिज्ञासु के लिए शोध विषय का चुनाव किया जाना चाहिए। भावुक मनोवृत्ति का व्यक्ति, मग्न है, दार्शनिक चिन्तन पर ध्यान न सके। उमने लिए काव्यात्मक सौन्दर्य सम्बन्धी विषय उपयुक्त होंगे, जबकि बौद्धिक तथा तर्कशील प्राणी के लिए दार्शनिक अनुशीलन अथवा बाद सम्बन्धी प्रवृत्तियों को प्रधानता दी जा सकती है। मनोवृत्ति का स्थान हमारी दृष्टि में क्षमता में भी ऊँचा है, क्योंकि कोई भी शोधार्थी मनोवृत्तियों के घेरे से बाहर किसी प्रकार की अजिन साहित्यिक सम्पन्नता को ग्रहण नहीं कर सकता।

(ग) विषय की उपयोगिता—विषय का निर्वाचन करते समय उमकी उपयोगिता का ध्यान भी अनिवार्य है। वेकार व्यर्थ के तत्त्वों पर दो-तीन वर्ष लगाकर प्रस्तुत किया गया शोध-प्रबन्ध न तो शोधक के भविष्य में आलोच-विरण उत्पन्न करता है और न साहित्य जगत के लिए कोई नवीन उपलब्धि होती है। अतः हमारे आजीव जीवन अथवा सामाजिक चिन्तन में धानित करने वाला शोध-कार्य न भी हो, साहित्य जगत में नवीन जानकारी प्रस्तुत करने वाला तो होना ही चाहिए। अज्ञात साहित्य को ज्ञात बनाने में उपयोगिता अधिक हो सकती है, किसी पुरातन तथ्य को नवीन धरातल पर व्याख्यायित करना भी उचित ही है किन्तु उम सामान्य कवि का समीक्षात्मक अध्ययन करने का क्या लाभ होगा, जिसके हर पहलू पर पहने में ही समीक्षात्मक ग्रन्थ लिखे जा चुके हैं? विषय की उपयोगिता नियुक्तियों की दृष्टि से भी ध्यातव्य है। आजकल सौन्दर्य शास्त्र, शैलीविज्ञान, इतिहास दर्शन आदि विषयों की अधिक चर्चा हो रही है। जो शोध छात्र साहित्य के उक्त पक्षों पर शोध विषय चुनना चाहेंगे, स्वाभाविक ही उनका विषय उनकी नियुक्त सहायक होगा।

(घ) उपयुक्तता—विषय की उपयोगिता के साथ-साथ उपयुक्तता भी अनिवार्य है। कई बार विषय-पद शीर्षक विषय के प्रति स्पष्ट नहीं होता। उम अस्पष्टता का परिणाम यह होता है कि शीर्षक और प्रबन्ध की सामग्री दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। हमने स्वयं वर्षों पूर्व जब शोध पजीकरण प्राप्त करना चाहा था, तो मन में गुहानाक काव्य का दार्शनिक दृष्टि से अनुशीलन करने की इच्छा थी और भावेदन पत्र में विषय के स्थान पर हमने भरा 'गुरु नानक काव्य के दार्शनिक आधार।' विषय जब स्वीकृति हो गया और निर्देशक नियुक्त कर दिये गए तो उनसे पहली ही भेंट में हम अपनी भूल समझ आ गई। स्पष्ट ही आधार का अध्ययन करते समय हमें गुरु नानक काव्य में आए दार्शनिक तत्त्वों को गौण और भारतीय औपनिषदिक चिन्तन धारा को, जो कि गुरु नानक काव्य का आधार है, प्रमुखता देनी पड़ी। इससे कवि की रचना का दार्शनिक अनुशीलन गौण हो जाता और उसकी पृष्ठभूमि उभर कर सामने आती। सामान्यतः शब्दों की यह छोटी-सी हेर-कर स्थिति को आमूल परिवर्तित कर देती है। 'गुरु ग्रन्थ में युग चेतना' नाम से एक शोध प्रबन्ध परीक्षाथ हमारे पास आया, जिसका समूचा विवरण युगीन चेतना को प्रकट करता

था, युग चेतना को नहीं। ऐसी स्थिति में शायद पंजीकरण समिति ने युग चेतना शब्द की उपयुक्तता को नगण्य का प्रयाग नहीं किया था। इस प्रकार की अनक अनुद्धियाँ असावधानी वन विषय-चयन में हो जाया करती हैं, जिनका ध्यान रचना शोधार्थी तथा पंजीकरण समिति, दोनों के लिए आवश्यक है।

(ड) पूर्ण ज्ञान—विषय चयन के समय शोधार्थी के पूर्ण ज्ञान की जाच भी कर लेनी चाहिए। जिस विषय को वह अध्ययनार्थ प्रस्तुत कर रहा है क्या उस विषय में पहले से ही शोधार्थी को कुछ गति है, यदि नहीं तो क्या उसने शोध विषय के रूप में प्रस्ताव करने में पूर्व उक्त सम्बन्ध में कुछ अध्ययन किया है, या कोई पृष्ठभूमि तैयार की है? इन सभी स्थितियों में यदि शोधार्थी ने कोई प्रयास नहीं किया तो क्या उसे उक्त क्षेत्र में कार्य करने की छूट दी जानी चाहिए? पंजीकरण समिति को इस पर विचार करना चाहिए। कई बार ऐसी स्थितियाँ भी आती हैं कि शोधार्थी को बिना किसी पूर्ण ज्ञान के कोई विषय समा दिया जाता है, और साल भर माया पन्ची करने के बाद भी विषय का गिर-रंर उसकी समझ में नहीं आता। ऐसा विषय-चयन दूषित होता है। यथा सम्भव शोधार्थी को वही विषय मिलना चाहिए, जिसका पूर्ण अध्ययन उसने किया हो और जिसमें और आगे बढ़ने का सामर्थ्य उसमें मौजूदा से।

(च) सामग्री मुलभता की सम्भावना—विषय चयन के लिए सामग्री मुलभता की सम्भावना एक महत्वपूर्ण आधार है। शोध जिज्ञासु को केवल उमी क्षेत्र में विषय चयन करना चाहिए, जिस क्षेत्र में उसे सुगमता पूर्वक सामग्री उपलब्ध हो जान की सम्भावना हो। ऐसे विषय जिन पर सम्बद्ध सामग्री का उपलब्ध हो सनना कठिन हो, प्राय गले का ढोल बज जाया करते हैं। निर्देशक को चाहिए कि वह शोधक को इस दिशा में पहले से भावधान कर दें। पंजीकरण समिति के विद्वानों को भी इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए। पाठानुचन अथवा साहित्य-इतिहास सम्बन्धी विषया में सामग्री की उपलब्ध कठिन होती है, विस्तार भी बहुत होता है, इसलिए विषय के पंजीकृत होने से पूर्व शोधार्थी को उपलब्ध सामग्री का समुचित मूल्यांकन कर लेना चाहिए तथा सुयोग्य सम्भावनाओं की यथा सम्भव जाच भी हो जानी चाहिए। इसके अभाव में शोध कार्य का प्रारम्भ तो शायद हो सकेगा किन्तु अन्तिम निष्कर्षों तक पहुंचना दुष्कर हो जायेगा।

तात्पर्य यह है कि विषय निर्वाचन एक महत्वपूर्ण और कठिन प्रक्रिया है, जिस पर कोई भी निर्णय लेने से पूर्व भली भाँति विचार कर लिया जाना चाहिए। उपरि चर्चित तत्त्वा का ध्यान रखते हुए शोधक के लिए, बौद्धिक स्तर और सामग्री की उपलब्धि के अनुकूल विषय निश्चित किया जाना चाहिए। एक बार विषय के निश्चित हो जाने पर बार-बार मन विचलित नहीं होना चाहिए और

शोधार्थी को दत्तचित्त होकर अपनी समस्त शक्तियों को विषय में अनुकूल सुयोग्य शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत करने में लगा देना चाहिए ।

(11) सम्भाव्य शोध-विषय—विषय-चयन की प्रक्रिया के उपरान्त अब हम चयनीय विषयों की चर्चा करेंगे । हमारा शोध विषय हिन्दी के सीमित धर में से चुना जाने वाला है इसलिए हम पहले में ही यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम हिन्दी के घेरे में हिन्दी साहित्य अथवा हिन्दी भाषा को ही प्रमाणित मानते हैं । हिन्दी साहित्य के अन्तर्गत हिन्दी प्रदेश (मध्य प्रदेश) की सब भाषाएँ, बोलियाँ और लोक साहित्य शामिल हैं । किमी अहिन्दी भाषी प्रदेश की भाषाओं, बोलियों को भी यदि हिन्दी के मन्दर्म में तुल्यार्थ अपनाया जायेगा, तो भी उसे हम हिन्दी के घेरे में ही स्वीकार करेंगे । प्रत्येक शोधार्थी को जो शोध-विषय चुनना होता है, वह यदि साहित्य से सम्बन्धित होगा तो साहित्य को किमी भी रचना, रचनाकार, प्रवृत्ति अथवा पद्धति के अन्वीक्षण, परीक्षण से सम्बन्धित होगा या यदि वह भाषा से जुना गया तो व्याकरण, भाषा विज्ञान अथवा शब्दावली से सम्बन्धित हो सकता है । यह सही है कि आजकल अधिकतर शोध कार्य भाषा से सम्बन्धित न होकर साहित्य से सम्बन्धित हो रहा है । यदि इन दानों पक्षों में कोई सन्तुलन स्थापित हो सके तो उपयुक्त ही होगा । किन्तु यदि लोक प्रियता और भाषा वैज्ञानिक ज्ञानाभाव के कारण ऐसा सम्भव न हो सके और अधिक शोधार्थी भाषा सम्बन्धी विषय-चयन करने में अनमर्थ रहें, तो भी अभी ऐसे अनेक क्षेत्र विद्यमान हैं, जिनमें शोध की सम्भावनाएँ मौजूद हैं और जिन पर शोध कार्य होने के लिए विपुल अवकाश एवम् सामग्री उपलब्ध हो सकती है ।

(क) साहित्येतिहास—इस क्षेत्र को आरम्भिक इतिहासकारों ने ऐतिहासिक सूत्रों के बिना ही स्पर्श किया था, किन्तु उनसे कतिपय लेखकों के नामों, स्थानों, समयों और रचना का ज्ञान तो मिलता है किन्तु उनकी देन में ऐतिहासिक सूत्र बढ़ता का निपट अभाव है । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने यह सूत्र प्रदान किया और डा रामकुमार वर्मा ने इसमें समीक्षार्थक दृष्टि प्रदान की, फिर भी आज तक हिन्दी साहित्य के इतिहास को न तो ऐतिहासिक क्रम मिल सका और न ही हिन्दी के अज्ञान कवियों अथवा टुट पुट रचनाकारों का उद्धार हो पाया । पिछले तीस वर्षों से हिन्दी में जो शोध हुई, उसमें कई नवीन दिशाएँ आलोकित की । रजवाड़ी दरबारों में अनेक कवियों एवम् उनके समृद्ध साहित्य को खोज निकाला गया, कतिपय हिन्दीतर प्रदेशों में देवनागरी के अनिर्दिष्ट अन्य लिपियों में रचा गया हिन्दी साहित्य प्रकाश में आया, कतिपय नये परिवेशों, प्रभावों और परिस्थितियों का पता चला । उनके परिप्रेक्ष्य में आज न केवल साहित्येतिहास के पुनर्लेखन की सम्भ्या उद्भूत हुई है, बल्कि साहित्य की प्रवृत्तियों, काल विभाजन की पद्धतियों आदि को जो नयी दिशाएँ प्राप्त हुई हैं, उन पर सूक्ष्मतर शोध की अपेक्षा बनी है । आज तक इतिहास

सम्बन्धी जो कार्य हुआ, उसमें विस्तार तो था, गहनता नहीं। क्योंकि आज का शोधार्थी बौद्धिक चेतना में तीस वर्ष पूर्व के शोधार्थी से अधिक परिपक्व है, वह गहनता वाले अभाव की पूर्ति कर सकता है।

हैरानी होती है जब हम हिन्दी के कुछ प्रसिद्ध कविता या लेखकों की जीवनी पर दृष्टिपाठ करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कबीर, सूर, तुलसी जैसे महारथियों की रचनाओं का अध्ययन तो खूब किया गया है, किन्तु आज तक उनकी सही और शोध पूर्ण साहित्यिक जीवनीया निश्चित नहीं की जा सकी। तुलसी के सम्बन्ध में सोरो और राजापुर का भगडा आज तक नहीं निपट सका, बिलवा मंगल की घटना का सूरदास के साथ मिला दिया जाता है, मीरा के जीवन के चमत्कार अभी तक रहस्य ही बने हुए हैं, क्यों न ऐसी साहित्य सम्बन्धी जीवनी परक समस्याओं को शोध का विषय बनाया जाए। साहित्य में कवियों के एक वर्ग द्वारा किसी प्रवृत्ति विशेष की स्थाना के कारणों और पूर्व वातावरण के प्रभाव का अध्ययन उपयुक्त शोध विषय हो सकते हैं। यहाँ ध्यान देने की एक बात और है देश की सांस्कृतिक, जातीय तथा सामाजिक परिपाटियों प्रवृत्तियों और प्रणालियाँ न युगीन साहित्य को किस किस दिशा में प्रेरित किया, आज तक साहित्य के किसी इतिहासकार ने इस और दृष्टिपाठ नहीं किया। नवीन युग के वर्गाधार शोधार्थियों से आशा की जा सकती है कि वे विषय-चयन के समय इस क्षेत्र को भी उजागर कर।

(ख) काव्य शास्त्र—हिन्दी में काव्य शास्त्र के क्षेत्र में बहुत कम शोध हुई है। गिननी के जो आठ-दस शोध-प्रबन्ध इस दिशा में लिखे भी गए हैं, वे संस्कृत काव्य-शास्त्र के रूपान्तर मात्र देख पड़ते हैं। कुछ शोधार्थियों ने काव्य शास्त्र को आधार बनाकर कतिपय रचनाओं के शास्त्रीय अध्ययन अथवा रस, अलंकार या छन्द की परिगणना करने का प्रयास किया। किन्तु यह सब काव्य शास्त्र के सैद्धान्तिक अध्ययन नहीं। आज समय आ चुका है कि हम हिन्दी के समृद्ध साहित्य को सम्मुख रखते हुए काव्य-शास्त्री सिद्धान्तों को नवरूपायिता करें। किसी महाकाव्य को आज भी दण्डी या उदभट के द्वारा दिया गया महाकाव्य के लक्षणों में बाध कर अध्ययन करना काव्य शास्त्रीय वादियों का मजाक उड़ाना होगा। आवश्यकता है, आज हिन्दी की विपुल रचना सामग्री को सम्मुख रखते हुए महाकाव्य के नये सिद्धान्त गढ़ने की। पुराने लक्षणों के अनुसार तो रामचरितमानस, कामायनी, साकेत आदि कोई भी महाकाव्य नहीं ठहरगा और यदि नायक के लक्षण भी पुराने ही रहें तो प्रमचन्द, निराला जैम साधारण व्यक्तियों पर लिखे गए महाकाव्यों या निपादराज जैसे नायक पर लिखे गए प्रबन्ध काव्यों की क्या दशा होगी, उर्मिला, कमला नेहरू, कँकेयी आदि तो हैं ही नायिका प्रधान। इन तथ्यों को सम्मुख रखते हुए काव्य शास्त्रीय सिद्धान्तों की नवापेक्षा है, यही स्थिति साहित्य की अन्य विधाओं के सम्बन्ध में भी है। नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि की रचनाधर्मों

प्रवृत्तियां तेजी से बढ़ रही हैं, उनके प्रचार तत्त्व और शक्ति का पूरा तन्त्र बढ़ चुका है, नवीन चारा के लेखकों ने पुरानी लीन साभग मिटा दी है, तो क्या अब नई रचना के अनुसार नये शास्त्रीय सिद्धान्त नहीं गढ़े जाने चाहिए ? हमारा आग्रह है कि आज का प्रबुद्ध शोधार्थी विषय-वचन करता हुआ इस दिशा में ध्यान दे और लोक से हटकर नवीन उपलब्धियों का स्वाह्व बने ।

(ग) तुलनात्मक अनुसंधान—हिन्दी अनुसंधान के क्षेत्र में यह पक्ष भी दुर्बल है । हिन्दी तथा हिन्दीतर भाषाओं के साहित्य-विधाया, प्रवृत्तियों, कला अभिरुचियों, प्रभाव, समान-धर्मों लेखकों और समान बन्धु की कृतियों आदि में तुलना का पर्याप्त अवकाश रहता है । यदि कोई तुलना के इस स्तर को शोध विषय के रूप में अपनाए तो उसमें लिए दो लक्षणा का होना अनिवार्य है । 1 हिन्दीतर भाषा का समुचित ज्ञान 2 तुलनात्मक शोध के नियम । तुलनात्मकता प्रस्तुत करने के लिए शोध-क्षेत्र में कई ढंग अपनाए जाते हैं, जिनका वर्णन इस पुस्तक के प्रथम खण्ड में कर चुके हैं । यहाँ इतना ममक लेना ही पर्याप्त होगा कि तुलनात्मक क्षेत्र में बहुमूल्य विषयों की सम्भावना मौजूद है । शोधार्थियों को अन्वेषण करना चाहिए ।

(घ) पाठालोचन—यह एक गम्भीर और कठिन अध्ययन है । शायद यही कारण है कि इसमें आधुनिक विद्वानों में से डा. माताप्रसाद गुप्त, डा. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि लोगों ने ही कार्य करने का साहस किया । बहुसंख्यक शोधार्थी इस दिशा में ताकत भी कठिनाई को निमन्त्रण देने के बराबर समझते हैं । शोधार्थियों के लिए यह कार्य-दिशा बड़ी समृद्ध है । गूरदास, बबीर जैसे महान कवियों की रचनाओं का पाठालोचन या मीरा बिहारी जैसे प्रसिद्ध कवियों का पाठ-निर्धारण नवीन शोधार्थियों के विषय बन सकते हैं । आधुनिक कवियों के काव्यों में भी पाठालोचन का अवकाश मौजूद है । प्रज्ञात कवियों की रचनाओं की हस्तलिखित लिपियाँ एकत्रित करके उनके पाठ निर्धारण का कार्य भी अपनाया जा सकता है, किन्तु इस और शोधार्थियों की रुचि बढ़ाने के लिए कोई ऐसा कदम उठाने की अपेक्षा है जिससे परिश्रम के प्रति शोधार्थी की घबराहट का शमन और कठिनाइयों से जूझ जाने की शक्ति का उदय सम्भव हो सके ।

(ङ) लोक साहित्य—लोक साहित्य का समूचा कार्य क्षेत्रीय होता है, इसलिए टैक्स-वर्क के उपासक शोधार्थी उस और मुह नहीं उठाते । शायद इसी कारण यह क्षेत्र भी काफी अछूता रह गया है । हमारा सुझाव है कि लोक-साहित्य के अन्तर्गत लोक कथाया, लोक-गीतों लोक-अपवादों, लोकोक्तियों मुहावरों आदि के अध्ययन की महती आवश्यकता है । कोई गूढवान शोधार्थी जब इस और बढ़ता है, तो वह इस साहित्य के अन्तर्गत लोक सम्प्रति, चिन्तन और गहन धारणाया को खोजने का उपक्रम कर सकता है । यह सही है कि लोक-साहित्य की सामग्री सकलित करने के

लिए शोधार्थी को घन, जन का बाहरी बल और स्वयं अपना मनोबल अपेक्षित होते हैं। सूचक बिना घन के बात नहीं करता, थोड़ा भा उबड़ जाए तो समूचे कार्य पर पानी फेर देता है। फिर भी यदि मनोबल ऊँचा हो और अभिरूचि सुदृढ़ हो तो शोध का यह क्षेत्र उपयुक्त हो सकता है।

(च) भाषागत शोध—हिन्दी साहित्य में शोध की दशाओं को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि शोधको की रुचि भाषा में नहीं रही। भाषा-सम्बन्धी शोध प्रबन्धों की गणना की जाए तो सम्भवतः साहित्यिक शोध-प्रबन्धों की सरया से दसवा भाग भी नहीं मिलेंगे। अतः स्पष्ट है कि इस दिशा में शोध की सम्भावनाएँ मौजूद हैं। हिन्दी में प्रयुक्त होने वाले शब्दों मुहावरों तथा भाषाकीय शब्द निर्माण के अध्ययनों की खूब प्रतीक्षा है। हिन्दी में विदेशी शब्दावली, हिन्दी के कहानीकारों, कवियों, उपन्यासकारों आदि के द्वारा प्रयुक्त शब्दावली और प्रत्येक शब्द के अलग-अलग बिम्ब और परछाइयाँ भाषागत अध्ययन का आधार हो सकती हैं। व्याकरण का कोई भी अंग—संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, विभक्तियाँ या सन्धि, समास के नियम—अध्ययन क्षेत्र का विषय हो सकता है। हिन्दी की उपभाषाओं अथवा हिन्दी के चेतना प्रवाह के अन्तर्गत आने वाली अवधी, ब्रज आदि भाषाओं पर अभी नवीन शोध का कितना ही अवकाश मौजूद है। शोधार्थियों को इस दिशा में अन्वेषण करने की आवश्यकता है और हमारा विश्वास है कि यह क्षेत्र अभी अनेक शोधार्थियों का बौद्धिक पोषण कर सकता है।

(छ) साहित्य के काव्य रूपों, वादों तथा प्रवृत्तियों के अध्ययन यह क्षेत्र अछूता तो नहीं कहा जा सकता तथापि इसमें अभी ऐसे पहलू उपलब्ध हैं, जिन पर पर्याप्त शोध नहीं की गई। काव्य प्रवृत्तियों में सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव और प्रसार तथा अन्य आन्दोलनों के अध्ययनों को आधार बनाया जा सकता है। काव्य-रूपों के स्वतन्त्र अध्ययन अभी अपेक्षित है। वादों की विशेषताओं की जाच-परख तो हुई है, किन्तु साहित्य के किसी भी अंग के बाद की परिधि में चला आने से बचा-ब्या कठिनाइयाँ सम्भावित हैं इस पर अभी कोई विशेष अनुसंधान नहीं हो सका। इन्हीं सम्भावनाओं का अन्वेषण किया जा सकता है। पुस्तक के प्रथम खण्ड के अन्त में शोध की सम्भावनाओं के अन्तर्गत हमने अन्य अनेक विषय सुभाएँ हैं। शोध-विज्ञान उन क्षेत्रों में भी गति पा सकते हैं।

(iii) विषय की रूप-रेखा/अध्ययन-योजना—शोध-छात्र द्वारा शोध विषय का निर्णय कर लिया जाने पर अब उसे अपने विषय से सम्बन्धित अध्ययन-योजना तैयार करनी होती है। इसे विषय की रूपरेखा, विषय-सूची अथवा सिनॉप्सिस भी कहा जाता है। शोध सम्बन्धी अध्ययन को व्यवस्थित, सीमित एवं स्पष्ट करने के लिए उक्त रूप-रेखा की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में सुचारु अध्ययन कठिन

हो जाता है। अनुभव-रहित शोधार्थी विभी भी स्तर पर बहक सकता है, डिग सकता है, इसलिए निर्देशक की सहायता में उसे विषय-चयन के तुरन्त बाद रूप-रेखा तैयार कर लेनी चाहिए। यह सही है कि कार्यात्मक में तैयार की गई रूप-रेखा स्वाधी और अपरिवर्तनीय नहीं होगी—अध्ययन की प्रगति के साथ-साथ उसमें शनैः परिवर्तन सम्भावित हो सकते हैं, किन्तु शुरुआत में प्रपन को साध्यो-मुक्त एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए विषय को स्थापित कर लेना अनिवार्य होता है। रूप-रेखा में प्रायः शोधार्थी अपना अध्ययन-क्रम निश्चित करता है। अध्यासों का विभाजन, प्रत्येक अध्यास में दी जाने वाली सम्भावित सामग्री, सामग्री के अनुशीलन का क्रम आदि रूप-रेखा के विषय हैं। आरम्भ में विषय-प्रवेश के लिए पृष्ठ-मि या पूर्व ज्ञान का संकेत भी सहायक होता है। ग्रन्थ में निष्कर्ष निकालते हुए अध्ययन की कतिपय स्थापनाओं और मूल योजना में दी गई सामग्री का संक्षेप प्रस्तुत किया जाता है। यही सब मसुच्चय रूप में विषय की रूप-रेखा कहलाता है।

अध्ययन-योजना शोध-पथ पर एक अनिवार्य अंग है। कुछ विश्वविद्यालयों में तो पञ्जीकरण-भावेदन के साथ ही विषय की रूप-रेखा की मांग की जाती है। उक्त मांग के लिए यह अपरिपक्व स्थिति है। उस समय तक शोध-जिज्ञासु न विषय का सुचारु अध्ययन नहीं किया होता, इसलिए रूप-रेखा में दिए जाने योग्य विन्दु अभी उसके पास एकत्रित नहीं होने। ऐसे में प्रस्तुत की गई रूप-रेखा भी अपरिपक्व और सम्भावित मात्र हो सकती है। फिर भी नियम-मालातार्थ ही सही, शोधार्थी को रूप-रेखा तैयार करनी ही पड़ती है। पूर्व-प्रगति शोध-प्रवन्धों की रूप-रेखाओं को देखते हुए शोधक अपने विषय में सम्बन्धित कच्ची पक्की रूप-रेखा तैयार कर लेता है, किन्तु यह रूप-रेखा विशेष महत्त्व की नहीं होगी। इसके अनुसार रूप-रेखा का मूल लक्ष्य अध्ययन को व्यवस्थित तथा समायोजित करना भी पूर्ण नहीं होता। इसलिए रूप-रेखा की तैयारी में निजी सामर्थ्य के विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखते हुए ही उसका कोई रूप-आकार बनाया जाना समीचीन होगा।

सहज मान्य तथ्य है कि कोई भी व्यक्ति सामर्थ्य में बाहर कार्य नहीं कर सकता। रूप-रेखा यदि गहन और सूक्ष्म हो और शोधार्थी का सामर्थ्य उस गहराई तक पहुंच सकने अथवा उपादेय सामग्री को ढूँढ सकने का न हो, तो शोध-प्रवन्ध तथा शोधक की स्थिति सापेक्ष दूर सरीखी हो जायगी। इसलिए आवश्यक है कि शोध-जिज्ञासु अपने सामर्थ्य और क्षमता का सर्वांगीण मूल्यांकन करे। उस कुछ विशिष्ट प्रश्न-चिह्नों को सम्मुख रखकर सामर्थ्य-परिमाणन कर लेना चाहिए—

1 क्या गहन सामग्री-संकलन के लिए देश अथवा विदेश के विभिन्न पुस्तकालयों में जा सकने के लिए उसके पास पर्याप्त धन है? 2 क्या उसका स्वास्थ्य अपेक्षित श्रम की अनुमति देता है? 3 क्या पारिवारिक जीवन के सघर्षों में बंधा वह उपयुक्त अवकाश निकाल सकता है? 4 क्या चयित विषय-सम्बन्धी सामग्री को उपलब्ध कर सकना उसके बूते में है? 5 क्या शोध-विषय की गहराइयों को वह स्वयं

समझ सवा है ? 6 इन गहराइयों में कुछ उलझन या फिनलन तो नहीं है ? 7. मनसा, वर्मना तथा आर्थिक दृष्टि से क्या वह विपरीत परिस्थितियों में टवरा जाने को तैयार है ? क्या उसमें विफलता का सामना करने की क्षमता है ? ये सभी प्रश्न-चिन्ह ऐसी समस्याएँ प्रस्तुत करते हैं, जिनका समाधान शोध-प्रबन्ध के आरम्भ अथवा बीच में कही खोजना ही पडना है। यथायं में उक्त समाधान खोजने पर ही रूप-रेखा का सही रूप प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा न होने की दशा में रूपरेखा दूषित होगी और उसके अनुसार कार्य करना दुष्कर होगा।

सामान्यतः जब विश्वविद्यालयीन नियमों के अनुसार पजीवरण आवेदन के साथ रूपरेखा भी प्रस्तुत करनी होती है तो शोधार्थी अपरिपक्व दृष्टि में अक्रमयुक्त अध्ययन विभाजन मान ही कर पाता है। उस अध्याय के विस्तार और अपेक्षित सामग्री के व्यवस्थित रूप का ज्ञान नहीं होता। परिणामतः वह व्यर्थ का श्रम तो करता है, किन्तु उद्देश्य की प्राप्ति उसे नहीं होती। इसके लिए एक साहित्य वाचको देना हम उचित समझते हैं। एक शोध छात्र को 'समसामयिक हिन्दी उपन्यासकारों की रचनाधर्मों प्रवृत्तियाँ, विषय दिया गया। इस विषय पर उसे रूपरेखा तैयार करनी थी, जो कि उसने निम्नानुसार की :—

पहला अध्याय भूमिका

दूसरा अध्याय समसामयिक उपन्यासकार और उनकी रचना

तीसरा अध्याय : रचनाधर्मों प्रवृत्तियाँ,

चौथा अध्याय • समसामयिक औपन्यासिक शिल्प में परिवर्तन के कारण

पाचवा अध्याय • समसामयिक उपन्यासकारों की रचनाधर्मों उपलब्धि

छठा अध्याय निष्कर्ष

उपर्युक्त रूपरेखा में शोधार्थी किसी भी अध्याय में यह सचेत नहीं दे सकता कि उक्त अध्याय के अन्तर्गत वह किन तथ्यों का अध्ययन प्रस्तुत करेगा। एक बात ध्यान देने की और है कि उसने प्रत्येक अध्याय के शीर्षक में 'समसामयिक उपन्यासकार' शब्द का प्रयोग कर दिया है जो कि विश्व की सभी भाषाओं के उपन्यासकारों पर लागू हो सकता है। शोधार्थी को यहाँ 'समसामयिक हिन्दी उपन्यासकार' शब्द का प्रयोग करना चाहिए था। भूमिका में वह कौनसी पृष्ठभूमि देना चाहता है, स्पष्ट नहीं है। तीसरा अध्याय पूर्णतः अस्पष्ट हो गया है, क्योंकि उसमें 'रचनाधर्मों प्रवृत्तियाँ' के शीर्षक के अन्तर्गत पुनः उपन्यासकारों का नाम या वर्ग अनुपलब्ध है। निश्चय ही इस प्रकार की रूपरेखा अनाधारित, अव्यवस्थित और अपूर्ण होती है। शोधार्थी के लिए रूपरेखा को अधिक विस्तार से तैयार करना अपेक्षित है। ऐसा करने से अध्ययन करते समय आने वाले परिवर्तनों को रूपरेखा में समजित करना सुगम

हो जाता है। अन्यथा बाद में अध्ययन की अपेक्षा के अनुरूप परिवर्तन न हो सकने से समूचे किए किए कार्य पर मसिपों देने के समान स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शोध विद्यार्थियों के पद-पददर्शन के लिए हम उपर्युक्त शोध विषय की रूपरेखा का मही चित्र यहाँ प्रस्तुत करते हैं —

- पहला अध्याय भूमिका समसामयिकता और प्राधुनिकता, क्या प्राधुनिक बोध की तरह समसामयिकता भी एक बोध है? समसामयिक शब्द अपनाने के कारण, समसामयिक उपन्यासकार कौन? हमारी मान्यतानुसार समसामयिक बालावधि और समसामयिक हिन्दी उपन्यासकारों की सूची।
- दूसरा अध्याय हिन्दी औपन्यासिक प्रवृत्तियों में रचनाधर्मों प्रवृत्तियाँ स्वरूप और स्थान। रचनाधर्मों प्रवृत्ति तथा रचना सिद्धान्त भेद। हिन्दी उपन्यास साहित्य में परिवर्तनशील रचनाधर्मों प्रवृत्तियाँ हिन्दी के समसामयिक उपन्यासों में बदलते हुए शैलिक मान।
- तीसरा अध्याय हिन्दी के समसामयिक उपन्यासकार तथा उनकी रचनाएँ। हमारा आलोच्य क्षेत्र। रचनाओं का प्रवृत्तिजन्य वर्गीकरण। हिन्दी के समसामयिक उपन्यासकारों की रचनाधर्मों प्रवृत्तियाँ स्थापित प्रायः स्थापित और विस्थापित। उनमें शैलिक मौलिकता।
- चौथा अध्याय हिन्दी के समसामयिक उपन्यासकारों का मन्त्रणा-परक अध्ययन कथ्य गत तत्त्व—वर्णन, विवरण घटना, गति, जीवन की कठोरता आदि। भाषा गत तत्त्व—शब्दावली, मुहावरे आदि। तकनीक गत तत्त्व—पत्र, डायरी, मनोविश्लेषण, अतीत चित्रण, स्वप्न, जीवन के कठोर सत्य आदि। प्रवृत्ति गत तत्त्व—अस्तित्ववाद, व्यक्ति चेतना, मनोविश्लेषण, परमात्मकता, ऐतिहासिक रोमान, राजनीतिक पड्यन्त्र, सामाजिक विस्तारिता आदि। संरचनात्मक परिवर्तन के कारण।
- पाचवा अध्याय विशिष्ट हिन्दी उपन्यासकार एवं उनके रचनाधर्मों प्रयोग कथानक पात्र, वातावरण, बोध, सघर्ष और निष्कर्ष।
- छठा अध्याय हिन्दी के समसामयिक उपन्यासकारों की रचनाधर्मों उपलब्धि पूर्व प्रेमचन्द युग, प्रेमचन्द युग एवं प्रेमचन्दोत्तर युग की औपन्यासिक संरचना में भेद। पश्चात्य प्रभाव। नवीन औपन्यासिक सिद्धान्तों की अपेक्षा।

मानवा अध्याय - आधुनिक बोध की देन नई रचना घमिना । पुरानत की अपेक्षा नवीन मे आग्निवारी परिवर्तन । युगालोक । पुरानी लीर मे हटकर आधुनिक के वाग्दव म जीन का प्रश्न । अध्यायो मे दी गई गामग्री का मक्षिप्त वर्णन ।

(iv) रूपरेखा बनाने की वैज्ञानिक विधि—व्यक्त शोध विषय के सम्बन्ध में रूपरेखा प्रस्तुत करना सचमुच टेडी गीर है । शोधार्थी को डमके कई अगो प्रत्यगो पर विचार करना होता है और कोई रूपरेखा तब तब मुचाग और सानुकूल नही हो सकती, जब तक कि शोधार्थी ने शोध विषय के सम्बन्ध म निरन्तर अध्ययन न आग्म कर दिया हो । शोधार्थी अध्ययन करते हुए विषय से सम्बन्धित विन्दुग्री का टीप लना रहे । जब उसे अनुभव हो कि उसके टीप पर्याप्त हो गये हैं, तभी उगे विषय की रूपरेखा बनाने का साहम करना चाहिए । ऐसा करन से विषय सम्बन्धी कृपिय तथ्यो के छूट जान की सभावना कम हो जाती है ।

रूपरेखा तैयार करन के लिए उमे चार भागों मे विभाजित कर लेना थं यस्कर होता है 1 भूमिका 2 मूल अध्ययन योजना 3 निष्कर्ष 4 परिशिष्ट । यो, तो भूमिका का नाम मूल योजना के पहले आता है, किन्तु इसे सही अर्थों मे मूल योजना की लिख लेने के उपरान्त ही रपायित किया जा सकता है । कारण स्पष्ट है, मूल अध्ययन योजना मे जो पुद्य हम लिख देते है, उमी की पृष्ठभूमि भूमिका मे होती है । हम पृष्ठभूमि के अनुसार अपने आगामी आलेख को तैयार नही कर सकते । फिर भी क्योंकि भूमिका पहले अध्याय का स्थान ग्रहण करती है, इसलिए उसम उन सभी पृष्ठभूमि सम्बन्धी तथ्यो का सकेत देना उचित ही होता है, जिनसे सम्बन्धित हमारा आगामी अध्ययन मूल योजना के रूप म प्रस्तुत किया जाने वाला होता है ।

मूल अध्ययन योजना रूपरेखा का दूसरा अ ग हाता है । सच पूछिए तो शोध विषय का समूचा शरीर अनुशीलन, परीक्षण और अन्वीक्षण के माध्यम से इमी मे सिमटा रहता है । यही कारण है कि यह अ ग अनेक अध्यायो मे बाटा जा सकता है । ध्यातव्य है कि मूल अध्ययन योजना मे आने वाले अध्याय एक विशेष क्रम म शोध विषय के सर्वा गीण अनुशीलन को प्रस्तुत करते है । सम्भव है कि विषय सम्बन्धी समूचो सामग्री एक ही समय प्राप्त न हो सकने के कारण किसी अध्याय का कोई अ ग अधूरा रह जाए । किन्तु इस तथ्य मे शोधार्थी उन्मुक्त नही हो सकता कि उसे सम्भावित सामग्री को अध्यायो मे बाटते हुए उपलब्ध और सम्भावित दोनों पहलुग्री को ध्यान मे रखना हाता है । ऐसा न करने से उसकी अध्ययन योजना अत्यवस्थित हो सकती है और वह अपने कार्य मे अधिक प्रगति करने मे असमर्थ रह सकता है ।

निष्कर्ष तीसरा अ ग है । रूपरेखा म निष्कर्ष का कार्य समूची विषय-वस्तु के अध्ययनोपरान्त शोधक की स्थापनाग्री को, मौलिक उपलब्धियो का तथा पूर्वं अध्यायो म कही गई व्याख्या को संक्षेप मे प्रस्तुत करना होता है । प्राय निष्कर्षों म शोधार्थी

अध्यायगत सार-व्ययन कर देते हैं और इसी को उपसंहार मान लिया जाता है, किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। शोधार्थी को निष्कर्ष का सही परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करना होता है और ऐसा न कर मकने से वह समूची अध्ययन योजना के प्रति अन्याय कर बैठता है।

कुछ ऐसे तथ्य भी होते हैं जिनकी व्याख्या अध्ययन योजना के अन्तर्गत कोई स्थान प्राप्त नहीं कर सकती। ऐसे तथ्यों को रूप रेखा के चौड़े अंग परिशिष्ट में स्थान दिया जाता है। पुस्तक की सूचियाँ भी परिशिष्ट में लगाई जाती हैं। इनमें एक सूची आलोच्य ग्रंथों की हो सकती है और दूसरी सहायक ग्रंथों की। कतिपय स्थितियों में आलोच्य ग्रंथों की सूची की आवश्यकता नहीं होती। ऊपर समसामयिक हिन्दी उपन्यासकारों की रचनाधर्मों प्रवृत्तियों की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, उसमें आलोच्य ग्रंथों की सूची और सहायक ग्रंथों की सूची दोनों अपेक्षित हैं।

वैज्ञानिक विधि में बनाई गई रूपरेखा के एकाधिक भेद हो सकते हैं। यदि आकार के आधार पर विचार किया जाए तो सक्षिप्त रूप रेखा भी बनाई जा सकती है और विस्तृत रूपरेखा भी तैयार की जा सकती है। प्रायः लोग मान लेते हैं कि आलेख के प्रत्येक शीर्षक को यदि क्रम से प्रस्तुत कर दिया जाये, तो वह सक्षिप्त विषय सूची होती है। यदि प्रत्येक शीर्षक के साथ उपशीर्षक और पार्श्वशीर्षक को भी ले लिया जाए तो विस्तृत रूपरेखा तैयार हो सकती है। किन्तु यह एक दूर्बल दृष्टिकोण मान है। वास्तव में विस्तृत रूपरेखा और सक्षिप्त रूपरेखा में मूल अन्तर विषय की गहनता और सूक्ष्मता का होता है। यदि विषय गहन है तो उसकी रूपरेखा विस्तृत होगी और यदि वह सामान्य स्तर का है और उसमें केवल ऐतिहासिक जानकारी की ही अपेक्षा होती है, तो रूपरेखा सक्षिप्त हो जाती है। यही कारण है कि हम ऐसी रूपरेखाओं को, जो सामान्य विषय दिखाने वाली होती हैं, महत्त्व नहीं देते।

ध्यान रहे कि गुरुग्रान में बनाई गई रूपरेखा में परिवर्तन की सम्भावना सदैव बनी रहती है। ज्यों ज्यों अध्ययन धागे बढना है हमारे सामने अनेक ऐसे बिन्दु उघडते चले जाते हैं, जो रूपरेखा बनाते समय अज्ञात थे। इन बिन्दुओं का महत्त्व स्पष्ट होने ही हम महसूस करते हैं कि रूपरेखा में उन्हें स्थान मिलना चाहिए था। इसी दृष्टि से धीरे धीरे परिवर्तन के साथ-साथ विस्तार भी आता है। तात्पर्य यह कि शोध विषय से सम्बन्धित अध्ययन योजना एक अस्थायी व्यवस्था होती है, जिसके अनुसार शोधार्थी विषय-प्रतिपादन की ओर उन्मुख होता है। विषय-प्रगति के साथ साथ अस्थायी बोध स्थापित्व ग्रहण करते चलते हैं और कभी कभी अन्त तक पहुँचते पहुँचते शुरू में बनाई गई रूपरेखा आमूल परिवर्तित हो जाती है। इस विषय पर चौकने का कोई अवकाश नहीं।

इसी सदर्भ में हम यहाँ एक वैज्ञानिक रूप-रेखा की वानगी प्रस्तुत करते हैं। यह रूप-रेखा इन पत्रियों के लेखक के ग्रन्थ 'गुरु ग्रन्थ साहित्य के सांस्कृतिक मूल्यों का अनुशीलन' से सम्बन्धित है और निम्नलिखित रूप शोध-प्रबन्ध की पूर्ति

पर अन्तिम मशोधित रूप कहा जा सकता है। ध्यान रहे कि इसमें विश्लेषण की प्रधानता है—

(i) भूमिका

(ii) उद्देश्य विषय सम्बन्धी पूर्व साहित्य, उसकी अपूर्णता तथा प्रस्तुत शोध का लक्ष्य।

अध्याय एक : विषय-प्रवेश

(क) परिस्थितियाँ और पत्रा में भक्ति-आन्दोलन

आन्दोलन का उदय

गुरु नानक-आगमन और एक नए आध्यात्मिक प्रवाह का आरम्भ

गुरु-बाणी का सङ्कलन : गुरु ग्रन्थ साहिब

गुरु ग्रन्थ साहिब के बाणीवार

बाणी-सङ्कलन की आवश्यकता ?

बाणी के स्रोत

गुरु ग्रन्थ साहिब की प्रामाणिक प्रति

गुरु बाणी का आन्तरिक त्रम

गुरु बाणी का वर्णन-विषय

(ख) सस्कृति

सस्कृति की कतिपय परिभाषाएँ (पौरस्त्य तथा पाश्चात्य)

सम्पन्ना और सस्कृति में अन्तर

सस्कृति का क्षेत्र

सस्कृति और पथ या मन

भारतीय सस्कृति और उनकी विशेषताएँ

(ग) सांस्कृतिक मूल्य और उनका वर्गीकरण

गुरु ग्रन्थ साहिब में सांस्कृतिक मूल्य

आन्तरिक (Intrinsic) तथा बाह्य (Extrinsic)

अध्याय दो : भाषा और साहित्य

(लक्ष्य एक भाषा)

प्रस्तावना जन-भाषा, शास्त्र-भाषा तथा वाच्य भाषा

गुरु ग्रन्थ की भाषा में इनका समावेश तथा वैशिष्ट्य

सप्त सिन्धु प्रदेश की तत्कालीन साहित्यिक भाषा

सन्त भाषा—स्वरूप और वर्गीकरण : सस्कृत बहुरा, हिन्दी प्रधान,

पंजाबी प्रधान, अपभ्रंश प्रधान तथा मराठी सम्पुन ।

लेख में मात्राएँ देने की विशिष्ट पद्धति

वृत्तिपय दोष

प्रतीक याजना

विविध मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सूक्तियाँ, गवोक्तियाँ एवं उलटवासियाँ ।

(खण्ड दो साहित्य)

प्रस्तावना : साहित्य का परम्परागत उद्देश्य

साहित्योद्देश्य . ग्रन्थगत रूप

गुरु ग्रन्थ साहित्य का विषय

गुरु ग्रन्थ साहित्य में छन्द योजना

(छन्द तालिका)

सर्गात्मकता

गुरु ग्रन्थ में अलंकार-योजना : वर्गीकरण तथा ग्रन्थगत प्रयोग

शैली गुरु ग्रन्थ शैली के विशिष्ट गुण

ध्वनि परम्परागत तथा गुरु ग्रन्थगत

रस : प्रेम-भावना, माधुर्य, भक्ति-तत्त्व, माधुर्य-भाव-सम्पन्न भक्ति

रस स्वरूप, ग्रन्थ में अलम्बन और आश्रय के स्वरूप, रस की

साधन एवं सिद्धावस्था, रहस्यवाद का स्वरूप ।

अन्य रस अथवा भाव तथा काव्य-गुण

विविध . पौराणिक तथा ऐतिहासिक सदर्भ एवं कल्पना-सृष्टि ।

अध्याय तीन : कला

प्रस्तावना निवृत्ति, विरक्ति तथा निर्गुणोपासना के कारण कला की उपेक्षा ।

शब्दोपासना के कारण संगीत

गुरु ग्रन्थ में संगीत तथा राग-रागिनियों का व्योम

स्थूल से सूक्ष्म की ओर अन्य कला-बन्ध

वास्तु (भोपड़ी, महल, घमंशाना, देवस्थान)

शिल्पकला

सौंदर्य-दृष्टि के रूप नृत्य, नाटक, रंग-तमासे

अन्य रूप वादन-यन्त्र, कठपुतली नृत्य

अध्याय चार : दार्शनिक मूल्य

प्रस्तावना

भारतीय दर्शन की रूपरेखा, गुरु ग्रन्थ वाली भारतीय चिन्तन का

अभिन्न अर्थ

(क) ज्ञान भीमासा

- 1 सत्य का स्वरूप . ज्ञाता तथा ज्ञातव्य की एकता
- 2 प्रथमे सत्य—तत्त्व तथा उसकी जानकारी
- 3 ब्रह्म (अकाल-पुरुष) एक मे अनेक—निर्गुण, सगुण, अन्य विशेषताएँ, भ्रास्तिक समस्या, ब्रह्म का स्थान
- 4 जीव ब्रह्माश, ससार मे जीव की दशा, प्रभु से जीव का पति—पत्नी सम्बन्ध और वियोगानुभव पुनर्मिलन—प्रक्रिया
- 5 माया ब्रह्म की शक्ति, माया का स्वरूप, काल एव माया की व्यापकता, ब्रह्म की त्रिगुणात्मक शक्ति, अज्ञानावरण के रूप मे, मिथ्यादम्बर एव कर्मकाण्ड, रूपको द्वारा माया का स्वरूप—चित्रण, माया और मन, माया से छुटकारा
- 6 कर्म—सिद्धान्त एव आवागमन कार्यों का नियन्ता, प्रभु, कर्म के प्रकार, यथा कर्म तथा फल आवागमन, भाग्यवादी दृष्टिकोण, आवागमन से मुक्ति, मृत्यु एव मृत्युपरात स्थिति
- 7 मन तथा ज्ञान स्वरूप तथा विचार
- 8 दशानिक चिंतन :
अद्वैत बनाम सहजाद्वैत, हठभै, गुरु—लब्धि, ज्ञान—प्रकाश, नाम—जाप, सहजावस्था, जीव—मुक्ति, प्रभु—मिलन—प्रक्रिया

(ख) तत्त्व-भीमासा

- 1 शास्त्रीय दृष्टि से तत्त्व—विचार तथा गुरु प्रथमे दृष्टिकोण
- 2 सृष्टि रचना रचयिता
- 3-4 रचना—प्रक्रिया, एक—अनेक सिद्धांत एव पदार्थ—तत्त्व
- 5 सूक्ष्म—स्रष्टिक सिद्धान्त

(ग) आचार-भीमासा

- 1 भारतीय आचार—दर्शन तथा मध्यकालीन स्थिति
- 2 सन्तो द्वारा नवीन नैतिक मूल्यों की स्थापना
- 3 गुरु का स्थान विश्वास एव प्रेम
- 4 सत्संगति, गुरुवाणी—पाठ, कीर्तन, नित्यनेम (दैनिक आचरण—विधान), गुरुद्वारा, अरदास, सेवा
- 5 सामरिक ऐश्वर्य मिथ्यात्व
- 6 गुण—बुद्धि . स्वरूप और आचरण

अध्याय पाच : पंचक मूल्य

प्रस्तावना : पथ की कल्पना, परिभाषा और स्वरूप, धर्म और पथ में अन्तर, मतवादी धारणा, प्रथम मत • सन्त मन, धर्म तथा उमरु प्रकार, प्रथम में स्वीकृत व्यापक धर्म, प्रथम के मुख्य धर्म

(क) ईश्वर तत्त्व

- 1 देव-मण्डल : शास्त्रीय दृष्टिकोण, सन्न दृष्टि म देवता की उपासना का भाव
- 2 ईश्वर सम्बन्धी धारणा निर्वेत्तिक बनाम ईश्वर
- 3 अद्वैतिक ईश्वरवाद : अवतारवाद का विरोध, आस्तिकता के अन्य अर्थ
- 4 ईश्वर की वैयक्तिक कल्पना तथा उसकी मियक अभिव्यक्ति

(ख) मियक तत्त्व

- 1 प्रस्तावना मिथ
- 2 गुरु प्रथम में पौराणिक सदर्भ
 - (क) पौराणिक प्रतीक
 - (ख) रामायण तथा महाभारत सम्बन्धी घटनाएँ और चरित्र ।
 - (ग) पौराणिक घटनाएँ
 - (घ) दानवों का वध
 - (ङ) मोक्ष लब्ध प्रभु-भक्तों के प्रयोग
 - (च) ऋषि-मुनि प्रसंग
 - (छ) प्राचीन राज-वंशों के कथा-प्रसंग तथा अन्य पौराणिक पात्र
 - (ज) भक्त-रक्षार्थ प्रभु-अवतरण (पौराणिक दशावतार)
 - (झ) भक्तों के ऐतिहासिक एवं चमत्कारक प्रसंग

(ग) उपासना तत्त्व (पूजा पद्धति)

- 1 प्रभु-मिलन के परम्परित साधन गुरुमत द्वारा समन्वय (ज्ञानयोग, भक्तियोग तथा कर्मयोग)
- 2 गुरु प्रथम की मान्यता
- 3 गुरु प्रथम में योग का स्वरूप हठयोग बनाम महजयोग
- 4 नामयोग या नाम-मायं
5. गुरु प्रथम साहित्य में भक्ति-सकल्पना सहज भक्ति, भक्ति का अधिकार किस ? भक्त के लक्षण
- 6 लोक-धर्म तथा पुरातन विश्वास
- 7 मूर्ति-पूजा का विरोध

- 8 धर्मकाण्ड का निषेध तीर्थ, हवन, यज्ञ, यत, वेप, पाखण्ड, आदि का विरोध, शरीर की उपेक्षा वर्जित ।
- 9 पयन वर्ण-भेद विरोध एव भौचित्य (पंडित, तपस्वी तथा सन्यासी, योगी, वैष्णव, सिद्ध वामनामी तथा शाक्त, भगवती बैरागी, उदासी, मौनी मुंडी-कापडिए, रामदासी, सरवेइ जैनी-दिगम्बर, श्वेताम्बर, इस्लाम सतमत ।)
- 10 जाति पाति विरोध एव भौचित्य
- 11 पुरातन सस्वार साहित्य मान्यता
- 12 ससार की नश्वरता का अर्थ तथा सत्कर्मों की प्रेरणा
- 13 साधु मन्त्राद्य
- 14 पयन विधि निषेध तथा रहन-सहन (विधियां नाम श्रवण का अभ्यास, गुरु आज्ञा-पालन, प्रभु से रागात्मक सम्बन्ध, ईश्वरी भय म रहना, दुष्कर्मों का त्याग एव सत्कर्मों की स्वीकृति, गृहस्थि माहि उदास, सत्यानुसंधान का प्रयत्न, चतुर्लक्ष्य की प्राप्ति, दैनिक वाणी पाठ) (निषेध हउमै भाव, लोभ रीतिया एव भेद भाव, प्रभु विमुखता, गुरु की निंदा करना एव सन्तो म दोष देखना, मृत्युपरांत रुदन तथा अन्त्येष्टि-श्रौचकारिक्ताओं का निषेध पवित्रता का ढोग, लोकाचारों, रुद्धि-बद्ध रीति रिवाजों का निषेध, मुहुर्त-शोधन (शकुन-अपशकुन विचार) पितृ-पूजा, आढ आदि ।
- 15 विविध पयन विह-पुरातना तथा नवीन

अध्याय छ • सामाजिक मूल्य

प्रस्तावना धर्म, पय और ममाज

विभिन्न गुणों वाले लोगों का सहकारी भाव, समाज में अड़ता के कारण, निगुणी सम्प्रदायों का उदय और प्रतिक्रिया

1 सस्यागत मूल्य

(क) यण-व्यवस्था वर्ण-विभाजन, अन्य श्रेणिया, मध्यकाकालीन पतनोमुखी स्थिति

(ख) आश्रम आश्रम विभाजन, चारों मूल्यों की प्राप्ति का आदर्श, सन्तो द्वारा गृहस्थाश्रम म ही चारों मूल्यों की लब्धि की कल्पना । गृण-दोष

(ग) परिवार स्वरूप और रिश्ते-जाते ।

(घ) विवाह विवाहित जीवन, मुहुर्त, सस्कार तथा मिलन, पुरोहित द्वारा दान देना निषिद्ध, विधवा-विवाह ।

2 समाज में स्त्री का स्थान

(क) स्त्री-तत्व : कन्या, पत्नी, विधवा, माता, परिव्राजिका, सन्यासिनी, ब्रह्मवादिनी, भिक्षुणी, वेश्या तथा गणिका, रक्षिता, पुश्चली स्वैरिणी

गुरु प्रथमतः नारी चित्रण : सुहागिन, समुगल-भ्रागमन तथा पति-भ्राजा-पालन, कुलटा, पति-विमुख, सर्वोच्च पतिव्रता, विधवा एव बाल-विधवा

(ख) स्त्री के प्रति मध्यकालीन समाज तक का दृष्टिकोण : एक ऐतिहासिक अवलोकन

सफल प्रेमी का दृष्टिकोण : सगिनो, प्रिया

असफल प्रेमी का दृष्टिकोण : निष्ठाहीन, स्वैरचारिणी ।

अवधूती दृष्टिकोण माया

गुरु प्रथम में स्त्री की मध्यम सम्मान-जनक स्थिति, सती प्रथा ।

(ग) यौनाकर्षण मात्र की निन्दा (युग युग से) : सन्तो द्वारा अनुमोदन ।

3. वस्त्राभूषण एव श्रृ गार : वस्त्र, आभूषण, सोलह श्रृ गार, मिथ्या श्रृ गार सच्चा श्रृ गार ।

4. भोजन-व्यजनादि : छत्तीस, अमृत, पट्टरम, मदपान का निषेध

5. क्रीडा और मनोरंजन : कुश्ती, जुआ, चोगान, चौपड आदि

6. शिष्टाचार

(क) मित्र-शत्रु : मित्रता, शत्रुता, मित्र, निन्दक मित्र ।

(ख) सामाजिक कुरीतियाँ . सामान्य सामाजिक पतन, लोक-लज्जा, धन-संग्रह, भीख मागना, वेश्या अथवा पर-स्त्री गमन, वेश्या की सन्तान, नारी-भ्राजा-पालन, समाज में पुरोहित वर्ग का प्रसार ।

(ग) सामाजिक न्याय विधान ।

(घ) सामाजिक पवित्रता-अपवित्रता । जीवन की सार्थकता-निरर्थकता ।

(ङ) सामाजिक नीति-अनीति

नैतिक-कर्म : सत्य गमन, कर्म-प्रवृत्ति, पूर्वजो का आदर, परोपकार, दया-करुणा, नम्रता, शिष्ट-भाषण, धर्म-कर्म, सेवादान ।

अनैतिक कर्म : सामाजिक दुर्गुण, सामाजिक रक्त-शोषण, मिथ्या चरण, गुरु-विमुखता, मिथ्यात्व, पर-स्त्री सम्बन्ध, स्वार्थ-पूर्ति के लिए प्रभु-भजन, जूठन, साधन-पथ, पर

निंदा, विद्वान-वचन, निर्धन का तिरस्कार, भूखी साक्षी, रिश्वत तथा भगडा, आडम्बर, पराया हक मारना तथा गमानत न लीटाना, तृष्णा, अभिमान, तथा उसका फल, धन्य ।

7 सामान्य जीवन तथा दिन-चर्या

(क) जन-जीवन अज्ञान, सामान्य जीवन, छल-द्वेषमय जीवन ।

(ख) युग के नाम, नगर आदि

(ग) पर्व त्योहार

(घ) दैनिक प्रयोग के वस्तुएँ : रग, जामन, धान की टाटो, चडा, तराजू कपडा, सुई-धागा, सीना-विरोना, जल-स्नानादि घी, पक्षा तथा चक्कर आदि ।

8 विविध

(क) शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य ; रोग निदान

(ख) आदर्श सामाजिक , गुरुमुख से अन्तर

(ग) मानववादी दृष्टिकोण

अध्याय सात : स्फुट सांस्कृतिक मूल्य

(क) शिक्षा तथा साहित्य

प्रस्तावना शिक्षा, शिक्षा तथा विद्या, विद्या तथा शिक्षक

विद्या के प्रकार , अपराविद्या पराविद्या

विद्याओं का आधुनिक वर्गीकरण

गुरु प्रथमे वर्णित विद्याएँ , भौतिकी, समय-विभाजन, शरीर-विज्ञान, आयु-वेद, भाषा और चिन्तन, ध्याकरण, अध्यात्म-विद्या ।

शिक्षाएँ

पुरातन साहित्यिक सदर्भ

(ख) अर्थशास्त्रीय मूल्य

प्रस्तावना

1 कृषि : गुरु प्रथमे कृषि प्रसंगों का चित्रण

2 गोरक्षण गुरु प्रथमे स्वरूप अप्राप्ति

3 वासिन्त्य ।

(क) व्यापार (ख) उद्योग-धंधे, वैद्यक, चोरी तथा तस्करी, धानक, शीशर, नौकर-चाकर, वैश्यालय के दलाल, सराफ तथा सुनार, जुलाहा, भाट,

केवट, तथा सतरण, शिकारादि । (ग) अधिकोपण मुद्राएँ, कर-विधान, श्रद्धादान-ग्रहण । (घ) श्रम, श्रमिक वर्ग तथा पारिश्रमिक ।

4 समान आर्थिक वितरण : समाजवादी दृष्टिकण (त्याग से समत्व बनाम ग्रहण से समत्व)

(ग) राजनीतिक मूल्य

प्रस्तावना : कल्पना और परिभाषा

राज्य के अंग : स्वामी, आमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र

1 राजा तथा आमात्यगण : राजा के कर्तव्य, रक्षण, पालन, रजन ।

राज्य के प्रकार : एकतान्त्रिक, राजतान्त्रिक, गणतान्त्रिक ।

(क) गृह प्रथानुसार आदर्श राजा तथा पंच-प्रधानता

(ख) शासनाधिकारी तथा अन्य कर्मचारीगण

(ग) शासकीय श्रद्धाचार

(घ) रामराज्य का महत्त्व ।

2 राष्ट्र देश-प्रेम

3 दुर्ग दुर्ग-वर्णन

4 कोष कर तथा न्याय-विधान

5 बल अथवा सोना : देश में अव्यवस्था एवं युद्ध, युद्ध-वर्णन तथा युद्ध-सामग्री, वीर-भावना ।

6 मित्र ।

(घ) भौगोलिक मूल्य

प्रस्तावना , भौमिकी तथा भूमि-विज्ञान

1. भौतिक प्रकृति तथा मूल प्राकृतिक बिम्ब

2 भौगोलिक सजाएँ

(क) जल-वायु : प्रथम में श्रुतु-चित्रण

(ख) वनस्पति तथा धातुएँ

(ग) पशु-पक्षी तथा कीट पतंग

(घ) बाल-विभाजन

(ङ) ग्रह-चर्चा ।

(ङ) ऐतिहासिक मूल्य

प्रस्तावना : सृष्टि का संरक्षक इतिहास

गुरु प्रथम में ऐतिहासिक मदर्भ

अध्याय आठ : उपसंहार

- 1 पुरातन भारतीय साम्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना
- 2 सन्नमत का सामाजिक विघान : धर्म व्यवस्था का विरोधी नहीं, जन्मगत विद्वान व्यवस्था का विरोध ।
3. ध्यावहरिक जीवन में सत्य एवं नैतिकता
- 4 विश्व-भ्रातृत्व एवं मानववाद

परिमिष्ट आदि

(v) सामग्री सकलन—अध्ययन योजना या शोध विषय की स्फुरेखा तैयार हो जाने पर अगला चरण सामग्री सक्लन का होना है । सामग्री-सकलन एक वैज्ञानिक कार्य है, विधीतर प्रयोग शोधार्थी के लिए प्रायः उलभन बन जाया करते है । निर्देशक का सामग्री-सक्लन का आदेश पाते ही यदि शोधार्थी विषय से सम्बन्धित सामग्री का अन्वयानुसरण करत मने और उपयोगी अनुपयोगी की जांच किये बिना उसे टीप करता चले तो कुछ ही समय में उगवे गलत इतना बृहद् सामग्री बोध एकत्रित हो जायगा कि वह स्वयं उसी में गो जायगा कि वह स्वयं उसी में लो जाय, तो कोई अचम्भा न होगा । फाइल के रूप में अधिक टीप जुटा लिया जाय, तो उससे सही दिशा में काम उठाना दुष्कर हो जाता है, इसलिये आवश्यक है कि शोधार्थी को सामग्री सक्लन के ढंग सिखाए जाय, प्राप्ति के स्रोतों का सूचन दिया जाय और और फिर उक्त एकत्रित सामग्री का उपयोग करना बताया जाय । नीचे इसी दृष्टि से हम तथ्यों की व्याख्या करेंगे ।

ब-सामग्री-सक्लन के स्रोत—इस दिशा में मूल प्रश्न सामग्री-सक्लन के स्रोत जानने का होता है । स्रोतों की दिशा में स्थान, संस्थाएँ, व्यक्ति और पुरातत्त्व, सभी सहायक हो सकते हैं । साहित्यिक शोधक के लिए यदि हम स्रोतों का वर्गीकरण करें, तो इन्हें तीन भागों में बाटा जा सकता है । 1 प्राथमिक स्रोत के स्रोत 2 मध्यम स्रोत के स्रोत एवं 3 सहयोगी स्रोत के स्रोत । प्राथमिक स्रोत के मूल आलोच्य रचनाएँ होती हैं, जिनके सम्बन्ध में साहित्यिक शोध का नियम चयन किया गया है । किसी कवि, साहित्यकार युग, प्रवृत्ति अथवा वाद का अध्ययन करते हुए उक्त साहित्य 'वार या कवि'को, अथवा वाद या प्रवृत्ति के घेरे में आने वाली, समस्त रचनाएँ प्राथमिक स्रोत के अन्तर्गत आएँगी । यथा कविवर जयशंकर प्रसाद की रचना का अनुशीलन करते हुए उनकी मख पुस्तकें—कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबन्ध—आलोच्य ग्रंथ होने के नाते प्राथमिक स्रोत होगी । शोधार्थी को सामग्री सकलन-प्रक्रिया का आरम्भ इसी स्रोत से करना चाहिए । इसी के अध्ययन से शोधक को विषय का तथ्यात्मक ज्ञान होता है, इसीके विश्लेषण से उसे रचयिता की जीवन-दृष्टि

का दोष होता है इसी के सही परिप्रेक्ष्य में वह साहित्यकार की मूल चेतना को पकड़ने में असमर्थ हो सकता है।

माध्यमिता बोटि के स्रोत विषय सम्बन्धी समालोचनात्मक प्रयोगों को कहा जा सकता है। यद्यपि मूल विषय और उसके अनुशीलन के बीच की खाई को पाठने का कार्य करते हैं। इन्हें महायक प्रयोग भी कहा जा सकता है। इनमें समालोचनात्मक प्रयोगों के अतिरिक्त कोश प्रयोग, विश्वकोश, साहित्य कोश, पुराण, पुरातत्त्व सम्बन्धी कोश, प्राचीन पत्र-पत्रिकाओं की श्रृंखलाएँ एवं विशेषांक आदि भी सम्मिलित हैं। इन स्रोतों से शापार्थों की समस्याओं का समाधान तो होता ही, साथ ही इनका अध्ययन करने हुए कभी कभी कतिपय नवीन विचार उदभवनाएँ और स्पष्टीकरण के बिन्दु उभरते रहते हैं। इन बिन्दुओं को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए क्योंकि इनके आधार पर विषय की रूपरेखा में परिवर्तनों की सम्भावना हो सकती है। प्रकाशित ग्रन्थ अधिकतर पुस्तकालयों में उपलब्ध हो जाते हैं। साधारण बोटि के पुस्तकालयों में यदि अपेक्षित पुस्तकें न भी मिलें, तो दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई आदि महानगरों के राष्ट्रीय स्तर के पुस्तकालयों से प्रयोग उपलब्ध किए जा सकते हैं। कलकत्ता का राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा दिल्ली का संसद पुस्तकालय ऐसी संस्थाएँ हैं, जहाँ भारतवर्ष में प्रकाशित किसी भी भाषा का कोई भी ग्रन्थ प्राप्य होता अनिवार्य है। या प्राच्य शोध संस्थान, नागरी प्रचारिणी संस्था, हिन्दी साहित्य सम्मेलन आदि संस्थाओं में भी हिन्दी साहित्य सम्बन्धी प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। इस सामग्री का प्रयोग करते हुए कदाचित्त एक ही समय अनेक मत सामने आने हैं, शोधार्थी का कोई मौलिक मत भी हो सकता है। सात्यक यह है कि उपलब्ध सभी मतों को शोधक इन ग्रन्थों से समझ सकता है और बिना किसी मत का खण्डन किए अपनी मौलिक उद्भावनाओं के आधार पर निजी मत की प्रतिष्ठा कर सकता है। खण्डन करना कोई स्वस्थ प्रक्रिया नहीं है। शोधार्थी को चाहिए कि वह दूसरे के मत की सायंकता को समझे और उसके अनुसार अपनी दृष्टि का उल्लेख करे। कोई मत निरर्थक नहीं होता दृष्टि भेद हो सकता है।

प्रसिद्ध प्रकाशित ग्रन्थ, जो मध्यम बोटि के स्रोत कह जा सकते हैं, पुस्तकालयों में उपलब्ध हो जाते हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष यदि प्रशिक्षित और सौजन्य पूर्ण हो तो वह आपका शोध विषय जानकर स्वयं आपको सहायक ग्रन्थों की एक लम्बी सूची तैयार करवा कर दे सकता है, किन्तु भारतीय पुस्तकालयों के व्यवस्थापक शोध परियोजना में कोई रुचि लेते दिखाई नहीं पड़ते। परिणामतः शोधार्थी को स्वयं ही अपने परिश्रम के बल से अपने लिए सामग्री खोजनी पड़ती है। पुस्तकालयों में विषयानुकूल पुस्तकें खोज लेने के लिए पुस्तकालयों की अकत विधि का किंचित् ज्ञान शोधार्थी को अपेक्षित है। पुस्तकालयों में अकत विधि की दृष्टि से तीन विधियाँ प्रसिद्ध हैं। अमेरिका की 'लाइब्रेरी आफ काँग्रेस' की ओर से पुस्तकों के अकत की एक विशेष परियोजना

चलाई गई री, जिसे पुस्तकों के वर्गीकरण में व्यवस्था की दृष्टि से दिये गए विषयगत अंकन कहा जा सकता है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक विषय के लिए अक्षर आदि क्रम में एक वर्ण नियत कर दिया जाता है। उक्त विषय से सम्बन्धित सभी पुस्तकों के ऊपर वह वर्ण सर्वप्रथम अंकित रहता है। जिससे पुस्तक की विषय सूची देखे बिना, यह निश्चित किया जा सकता है कि पुस्तक का विषय क्या होगा। इससे समय और श्रम की व्यर्थता का बचाव होता है। उदाहरणार्थ यदि हमने साहित्य में केवल समालोचना विषय की ही पुस्तकें देखनी हों, तो वर्ण विशेष के अन्तर्गत मुगमना पूर्वक उन्हें देखा-परखा जा सकता है। पुस्तक अंकन का यह ढंग भारत में प्रचलित नहीं है।

भारत में अंकन विधि के दो तरीके अपनाए गए हैं। एक मेल्विल ड्यूई के नाम पर ड्यूई डेसिमल वर्गीकरण योजना कहलाता है। इसमें विषयगत ढंग से कुछ अंक निश्चित कर दिए जाते हैं और प्रत्येक विषय की विभिन्न शाखाओं के लिए उस अंक के साथ दशमलव लगाकर आगे के अंक निश्चित किए जाते हैं। जहाँ एल सी. योजना में वर्ण लगाए जाते हैं, वहाँ ड्यूई योजना में अंक लगाए जाते हैं। भारत में प्रचलित तथा अधिक सम्पुष्ट ढंग श्री एस आर रगनाथन की कोलन वर्गीकरण सहित है। इसमें वर्ण, अंक, विराम चिह्न आदि सब एक साथ मिश्रित होते हैं, इसीलिए इसे जटिल अंकन (Complex notation) भी कहा जाता है। इस जटिल अंकन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि विषय की शाखाओं, उपशाखाओं, प्रशाखाओं तक विषयों के लिए अंकन निश्चित किया जा सकता है। शोधार्थी को यदि इस अंकन विज्ञान का सामान्य सा ज्ञान हो तो वह बिना किसी उलझन के अपेक्षित पुस्तकों को खोज सकता है और उनसे लाभ प्राप्त कर सकता है।

सहायक स्रोतों के अन्तर्गत सरकारी गजेटियर, रिपोर्टों अथवा प्राचीन पत्र-पत्रिकाओं की शृंखलाएँ भी सम्मिलित हैं। ये सब वस्तुएँ भी प्रायः बड़े पुस्तकालयों में उपलब्ध हो जाती हैं। कुछ पुस्तकालयों में सन्दर्भ विभाग अलग होते हैं और उनमें उक्त सामग्री की न केवल सूचियाँ ही तैयार रखी जाती हैं, बल्कि पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों की सूचियाँ भी मिल जाती हैं। इनसे शोधार्थी का कार्य सुविधाजनक हो जाता है क्योंकि उसे अपने लिए अनुकूल लेखों को ढूँढने के लिए पत्र पत्रिकाओं को प्रति पृष्ठ अवलोकन नहीं करना पड़ता।

सहायक स्रोतों में सबसे बड़ी उपबन्धि प्राचीन हस्तलिखित पाण्डुलिपियाँ होती हैं। पाण्डुलिपियाँ साहित्यिक विधि होने के नाते पुस्तकालयों में अथवा राज्य संग्रहालयों में सुरक्षित रखी जाती हैं और प्रायः किसी भी आकाशी की भट्ट में दिखा देने में ग्रन्थपालों को दुविधा हाती है। शोधार्थी की प्रामाणिकता का पता चल जाने पर वे लोग पाण्डुलिपियों के अवलोकन की अनुमति दे देते हैं। हिन्दी साहित्य सम्बन्धी पाण्डुलिपियों के सपह-राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, नागपुरी

प्रचारिणी सभा, राष्ट्र भाषा परिषद पटना, ब्रज साहित्य मण्डल आदि प्रसिद्ध संस्थाओं में उपलब्ध हैं। जो पाण्डुलिपियाँ हिन्दी साहित्य सम्बन्धी तो हैं किन्तु देवनागरी से इतर अन्य लिपियों में प्रस्तुत की गई हैं, व हैदराबाद तजौर, अहमदाबाद, तिरुपति, पटियाला, पटना आदि स्थानों पर उपलब्ध हैं।

सहायक बोटि के शोण स्रोत सामग्री-सकलन का तीमरा चरण है। इस चरण में वृद्ध लोगों के सस्मरण, साहित्यकारों के पत्र और पुराने साहित्य प्रतियों से भेंट वार्ताएँ शामिल हैं। इन्हें स्रोत के रूप में स्वीकार करना प्रायः जाखिम का काम होता है, क्योंकि कभी-कभी दम्भवश लोग अपना महत्त्व प्रनिष्ठित करने के लिए झूठी साखियाँ चला देते हैं। फिर भी इन स्रोतों को नगण्य नहीं कहा जा सकता, शोण भवने ही कहा जाए। देखा गया है कि साहित्यकारों के पत्रों से युग चिन्तन तथा पारम्परिक खोचा तानी के मुन्दर उदाहरण प्राप्त होते हैं। पुराने साहित्य-प्रती कभी-कभी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं। जिन साहित्यिका के साथ वे उठ-बैठे होते हैं, जिनकी मगोष्ठियों में उन्होंने भाग लिया होना है और जिनके साथ उनका हास्य-विनाद का नाता रहा होना है उनके सम्बन्ध में वे प्राथमिक सूचक सिद्ध होते हैं। अतिवृद्ध लोगों से प्राप्त भेंट वार्ताएँ भी इसमें महत्त्व सिद्ध होती हैं। आज भी पुरानी पीढ़ी के लेखकों से बातचीत करके हम छायावादी, प्रगतिवादी या प्रयोगवादी युग को अधिक भली भाँति समझ सकते हैं।

(ख) सामग्री सकलन की पद्धतियाँ—साहित्यिक शोध में सामग्री सकलन की अनेक पद्धतियों का सहारा लिया जाना है। इनमें सर्वप्रमुख पद्धति टीप लेन की पद्धति है। प्रायः देखा जाता है कि शोधार्थी प्रकाशित, अप्रकाशित साहित्य एवम् रिपोर्ट आदि से अपने विषयानुसूल सामग्री के टीप लेते हैं और टीप लेते-लेते एक दीर्घाकार फाईल तैयार कर लेते हैं। आनेक तैयार करने समय उम फाईल में ही उपयुक्त टीप को खोज निकालना एक समस्या हो जाती है। यों ही कहा जा सकता है कि शोधार्थी पूरा परिश्रम करने के उपरान्त भी अपेक्षित उदरण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है। अतः टीप लेने के नियमों को समझ लेना आवश्यक है। टीप लेने का सही तरीका इंडेक्स कार्ड तैयार करने का है। इंडेक्स कार्ड एक ऐसा डाक्यूमेंट (Document) होता है, जिसमें सामग्री सकलित करते हुए शोधार्थी योग्य सन्दर्भों को अलग अलग करके लिखता चला जाता है। बाइ पर ग्रन्थ, ग्रन्थकर्ता प्रकाशक, प्रकाशन स्थान, सस्मरण और प्रकाशन वर्ष तथा सन्दर्भ का पृष्ठ लिखा रहता है और उसके नीचे सन्दर्भ की पंक्ति, ज्यों की त्यों, उतार ली जाती है। बाइ सामान्य बागड से मोटा होना है, इसलिए उसे सम्भालना और आचना भी फाईल के कागजों की अपेक्षा आसान होता है। बाइ का आकार लगभग 8"×5" का होना चाहिए। जहाँ एक ही सन्दर्भ में एक से अधिक बाइ का उपयोग हुआ हो वहाँ उन पर अथवा वर्षों के चिन्ह लगा दिए जाएँ और उन्हें इकट्ठा नरवी कर लिया जाए, तो

आलेख तैयार करते हुए काडों के उपयोग में सुविधा हो सकती है। जिस विषय में सम्बन्धित सन्दर्भ काडों पर उतारा गया है, उस विषय का सकेत काडों पर लाने का ही से कर दिया जाना चाहिए, ताकि विश्लेषण और वर्गीकरण करते हुए काडों को विलग करना आसान हो। इस प्रकार काडों के ऊपर लिए गए टीप सामग्री सक्लन की उत्तम विधि है और इसके द्वारा शोधार्थी को थम कम पडता है। यह एक वैज्ञानिक विधि है, इसका प्रयोग भाषाकीय साहित्यिक और सामाजिक विज्ञानों की शोध के अन्तर्गत किया जाता है। शोधार्थी ड्राईंग पेपर लेकर प्रदत्त आकार में उसे बनवा सकता है। शोध करते काडों पर टीप लेते समय केवल एक ही पार्श्व का प्रयोग होता चाहिए। दूसरा पार्श्व खाली रहने से बार-बार सन्दर्भ देखने के लिए धागे पीछे पलटने की अपेक्षा नहीं रह पाती।

1

सामग्री सक्लन की दूसरी विधि को प्रेक्षण विधि कहा जा सकता है। साहित्यिक क्षेत्र में इसका प्रयोग अधिक महत्व का नहीं, फिर भी साहित्यकारों के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं की इस विधि से अधिक ज्ञान लिया जा सकता है। जीवित साहित्यकारों के सम्पर्क में रहकर और स्वर्गवामी साहित्यकारों के सम्पर्क में आने वाले जीवित साहित्य प्रेमियों से भेंट आदि से उनके प्रेक्षणों को जाना जा सकता है। इस प्रकार साहित्यकारों का प्रेक्षण कर उनसे सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री को रूप दिया जा सकता है।

प्रेक्षण भी प्रायः दो प्रकार का होता है—अनियमित प्रेक्षण और नियन्त्रित प्रेक्षण। अनियन्त्रित प्रेक्षण में प्रायः साहित्यिक विभूतियों के सम्पर्क में रहा जाता है, उनके साथ उठना-बैठना, खाना-पीना होता है उनको हर बात ध्यान से देखी सुनी जाती है और शोधार्थी आवश्यक तत्वों को दैनन्दिनी में लिखता रहता है। किन्तु नियन्त्रित प्रेक्षण में शोधार्थी साहित्यकारों के जीवन को दूर से निहारता है और अपने निष्कर्ष निकालता है। इस स्थिति में यह अनिवार्य नहीं है कि शोधार्थी स्वयं साहित्यकार के घर में ही जाकर रहे। इस दिशा में साहित्यकारों की आत्म कथाएँ तथा जीवनीया भी शोधार्थी की महायक हो सकती हैं, जैसे कवि बच्चन की 'क्या भूँ, क्या याद करूँ' तथा 'नीड का निर्माण फिर से' में कवि के जीवन का प्रेक्षण बन्नी ही सकता है। उपर्युक्त दोनों पद्धतियों के अतिरिक्त अभिमत पद्धति तथा प्रश्नावली पद्धति को भी सामग्री सक्लन के लिए अपनाया जा सकता है। अभिमत पद्धति को अपनाने के लिए शोधार्थी को पहले से ही कुछ निष्कर्ष निकाल लेने होते हैं और उन्हें बल देने के लिए अन्य विद्वानों का अभिमत प्राप्त करना होता है। वास्तव में यह पद्धति सामग्री-सक्लन की पद्धति न होकर सक्रिय सामग्री की पुष्टि करने वाली है। प्रश्नावली पद्धति महायक हो सकती है, जिसका विस्तृत म्योच इस दृष्टि के प्रथम खण्ड में दे चुके हैं।

(vi) एकत्रित सामग्री का उपयोग—विभिन्न साहित्यिक स्रोतों से टीप और प्रेक्षण आदि द्वारा जो शोध-सामग्री एकत्रित की जाती है, उसके उपयोग का प्रश्न बड़ा महनीय है। सचित सामग्री को आलेख की तैयारी में प्रयोग करने के लिए हमें विवेक और ईमानदारी की अपेक्षा होती है। शोधार्थी को इस बात की झूट नहीं कि वह असयत नीति से सामग्री को उद्धृत करता रहे। उसके लिये यह भी सम्भव नहीं कि वह दूसरे के मनो कथनों को अपना कह कर चर्चायित करने लगे। माध्यम कोटि के स्रोतों से एकत्रित सामग्री का वर्गीकरण-विश्लेषण अपेक्षित होता है, तभी उसका सही उपयोग हो सकता है। यहाँ उपयोग की तीन मुख्य शर्तों की व्याख्या की जाती है—

(क) एकत्रित सामग्री की प्रामाणिकता की जाँच—यह एक अतीव महत्त्वपूर्ण प्रश्न है जो सामग्री शोधार्थी ने सहायक ग्रंथों, तृतीयक कोटि के स्रोतों आदि में सचित की है, क्या वह सब प्रामाणिक है? बिना इन तथ्यों की जाँच किए उक्त सामग्री का प्रयोग दूषित ही नहीं, गलती-दर-गलती का खतका भी हो सकता है। इसलिए उपयोग से पूर्व शोधक को उसकी प्रामाणिकता की जाँच कर लेनी चाहिए। प्रायः जाँच करने योग्य सामग्री कई प्रकार की होती है। प्रथम वे उद्धरण होते हैं, जो अन्य सहायक पुस्तकों में भी उद्धरण के रूप में ही प्रस्तुत हुए प्राप्य हैं। ऐसे उद्धरणों को अपने आलेख में यथातथ्य उद्धृत करना जोखिम का काम है। शोधार्थी इनकी ओर इसलिए ध्यानपूर्वक होता है, कि वह बिना मूल ग्रंथ पढ़े ही निर्देशक एवं परीक्षक पर अपने विस्तृत अध्ययन की छाप बिठाना चाहता है। यह शोधक का दम्भ मात्र है। ऐसे उद्धरणों को प्रस्तुत करते हुए उमें पाद टिप्पणी में स्पष्ट लिख देना चाहिए कि प्रमुक्त उद्धरण प्रमुक्त लेखक की प्रमुक्त रचना से उद्धृत किया गया है। पुनः उद्धरण को मूल से मिलाकर उसकी जाँच कर लेनी चाहिए ताकि उसमें मुद्रणदि की कोई अनुद्धि न रह गई हो। मूल ग्रंथों—वेदा, शास्त्रों, स्मृतियों, उपनिषदों अथवा प्राचीन इतिहास ग्रंथों आदि—के उद्धरणों को मूल ग्रंथ में अवश्य मिलाना चाहिए। किसी एक भेंट वार्ता में भी जा सकती है। प्राचीन पाण्डुलिपियों में दिए गए तथ्यों की प्रामाणिकता का परीक्षण भी करना अपेक्षित है। राजाशा के दरबारी साहित्य में उपलब्ध ऐतिहासिक घटनाओं की जाँच प्रसिद्ध साहित्यकारों या गजेटियरों से कर ली जानी चाहिए। पुष्पिकाओं में प्रायः मध्यकालीन कवि उत्कृष्ट क्रम में दिए गए ग्रंथों में दिए गए ग्रंथों में रचनाकाल की बात करते हैं बहुधा ग्रंथों को भी प्रतीक रूप में प्रस्तुत करते देखे गए हैं—यथा 1 लिए चन्द्र या सूर्य, 9 के लिए ग्रह, 6 के लिए शास्त्र, 4 के लिए धूम्रि या वेद आदि। पुष्पिकाओं से प्रकट रचनाकाल की जाँच ऐतिहासिक स्रोतों से भी की जानी चाहिए। पुरातत्त्व विभाग की प्राचीन रिपोर्टें इन क्षेत्र में बड़ी सहायक होती हैं।

पूर्व विद्वानों द्वारा लिखित तथ्य भी कभी-कभी भ्रामक हो सकते हैं। शोधार्थी

को विद्वान के नाम के प्रति श्रद्धाभाव के कारण झंझ मूँड कर इसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। यदि उक्त प्रकार के कथनों की प्रामाणिकता की जांच करने का प्रयास यदा कदा न हुआ होना, तो नवीन साहित्य एवं अज्ञात रचयिता कभी प्रकाश में ही न आए होते। साहित्यतिहास के पुराने लेखकों को सर्वत्र सम्प्रति लेखकों ने चुनौती दी है और पुराने सीमित तथ्यों का निरन्तर अभिवृद्धि प्रदान करते हैं। ध्यातव्य यह है कि जो वस्तु स्थिति एक व्यक्ति के लिए अज्ञानी थी, आवश्यक नहीं कि दूसरा विद्वान भी उससे अपरिचित ही रहे। यही जांच पड़ताल तो वास्तव में साहित्य को चिरजीवी एवं साहित्यकार को कालजीवी बनाती है। आज तुलसीदास को प्रगतिवादी कहा जा रहा है उसकी रचना को सामंतीय कहा जाता है, तुलसी-काव्य में मार्क्स और फ्राइड के प्रभाव खोजने की साधक चेष्टाएं हो रही हैं। यह सही है कि तुलसी-काव्य भादशों और श्रद्धा से अभिभूत होकर लिखा गया है, तथापि उसमें प्रमुख प्रकार की जांच पड़ताल कवि को भविष्यजीवी बनने के साथ साथ नवीन तथ्यों के प्रति शोधक को जागरूक बनाती है।

सकलित सामग्री की प्रामाणिकता जानने के लिए शोधक अभिमत पद्धति का प्रयोग भी कर सकता है। किसी भी तथ्य की जांच वह उस पर जीवित विद्वानों का अभिमत प्राप्त करके कर सकता है। अभिमत एकत्रित करते हुए यदि मत-वैभिन्न्य हो, तो शोधक को बहुमत का ही साथ देना अनिवार्य नहीं होता। अभिमत प्रस्तुत करने वाले विद्वान की स्थिति, विद्वत्ता और उसके कथन का प्रभाव, सब पर दृष्टि रखना अपेक्षित है। कदाचित लघु सख्या का अभिमत अधिक महत्त्वपूर्ण और प्रभावी हो सकता है।

प्रामाणिकता की जांच के लिए सकलित सामग्री में ही कभी-कभी अन्त साक्ष्य से काम चल जाता है। बहिर्साक्ष्य भी सहयोगी हो सकता है। कवि या साहित्यकार सम्बन्धी सकलित सामग्री की प्रामाणिकता जब लेखक की विभी अपनी ही रचना द्वारा सिद्ध हो, तो उसे अन्त साक्ष्य कहते हैं। प्रामाणिकता की जांच यदि रचयिता के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से हो, तो वह बहिर्साक्ष्य कहलाता है।

(ख) सामग्री का उपयोग विवेकपूर्ण उपलब्ध सामग्री में से भी प्रत्येक अंश उपयोगी नहीं होता। प्रबन्ध का आरेख तैयार करते समय अनेक टीप व्यर्थ प्रतीत होते हैं। उनका उपयोग प्रबन्ध की शोभा न हाकर रुकावट बन सकता है। सकलित सामग्री के ढर में यथायोग्य सामग्री की खोज कर लन में ही विवेक की साधना है। प्रायः एक ही समय में सकलित सामग्री अव्यवस्थित हो जाती है। यदि उससे उपयोग से पूर्व अथवा सकलन-समय ही हम उन अध्यायबद्ध कर ले तो सम्भावित अव्यवस्था से बचाव हो सकता है। अन्य विद्वानों के मता कथनों या उद्धरणों को प्रस्तुत करते हुए एक विवेकपूर्ण सीमा निश्चित की जानी चाहिए। दूसरे का कथन अपनी वान की पुष्टि या सहयोग के लिए होना है न कि आलेख की गृष्ट सख्या बढ़ाने के लिए।

(vi) सकलित सामग्री का उपयोग—विभिन्न साहित्यिक स्रोतों में टीप और प्रेक्षण आदि द्वारा जो शोध-सामग्री एकत्रित की जाती है, उसके उपयोग का प्रश्न बड़ा महनीय है। सचित सामग्री को आलेख की तैयारी में प्रयोग करने के लिए हमें विवेक और ईमानदारी की अपेक्षा होती है। शोधार्थी को इस बात की छूट नहीं कि वह असयत नीति से सामग्री को उद्धृत करता रहे। उसके लिए यह भी सम्भव नहीं कि वह दूसरे के मनो-कथनों को अपना कह कर चर्चायित करने लगे। माध्यम कोटि के स्रोतों से एकत्रित सामग्री का वर्गीकरण-विश्लेषण अपेक्षित होता है, तभी उसका सही उपयोग हो सकता है। यहाँ उपयोग की तीन मुख्य शर्तों की व्याख्या की जाती है—

(क) एकत्रित सामग्री की प्रामाणिकता की जांच—यह एक अतीव महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सामग्री शोधार्थी ने महायक प्रथो, तृतीयक कोटि के स्रोतों आदि से सचित की है, क्या वह सब प्रामाणिक है? बिना इस तथ्य की जांच किए उक्त सामग्री का प्रयोग दूषित ही नहीं, गलती-दर-गलती का द्योतक भी हो सकता है। इसलिए उपयोग से पूर्व शोधक को उसकी प्रामाणिकता की जांच कर लेनी चाहिए। प्रायः जांच करने योग्य सामग्री कई प्रकार की होती है। प्रथमतः वे उद्धरण होते हैं, जो ग्रन्थ सहायक पुस्तकों में भी उद्धरण के रूप में ही प्रस्तुत हुए प्राप्य हैं। ऐसे उद्धरणों को अपने आलेख में यथातथ्य उद्धृत करना जोखिम का काम है। शोधार्थी इनकी ओर इसलिए आकर्षित होता है, कि वह बिना मूल ग्रंथ पढ़े ही निर्देशक एवं परीक्षक पर अपने विस्तृत अध्ययन की छाप बिठाना चाहता है। यह शोधक का दम्भ मात्र है। ऐसे उद्धरणों को प्रस्तुत करते हुए उसे पाद टिप्पणियों में स्पष्ट लिख देना चाहिए कि प्रमुक्त उद्धरण प्रमुक्त लेखक की प्रमुख रचना से उद्धृत किया गया है। पुनः उद्धरण को मूल से मिलाकर उसकी जांच कर लेनी चाहिए, ताकि उसमें मुद्रणादि की कोई अनुद्धि न रह गई हो। मूल ग्रंथो-वेदो, शास्त्रो, स्मृतियो, उपनिषदो ग्रथवा प्राचीन इतिहास ग्रंथो आदि—के उद्धरणों को मूल ग्रंथ में अवश्य मिलाना चाहिए। किसी एक भेंट वार्ता में की जा सकती है। प्राचीन पाण्डुलिपियों में दिए गए तथ्यों की प्रामाणिकता का परीक्षण भी करना अपेक्षित है। राजाशा के दरबारी साहित्य में उपलब्ध ऐतिहासिक घटनाओं की जांच प्रसिद्ध साहित्यकारों या गजेटियरों से कर ली जानी चाहिए। पुष्पिकाओं में प्रायः मध्यकालीन कवि उलट क्रम में दिए गए अंकों में दिए गए अंकों में रचना काल की बात करते हैं बहुधा अंकों को भी प्रतीक रूप में प्रयुक्त करते देखे गए हैं—यथा 1 लिए चन्द्र या सूर्य, 9 के लिए ग्रह, 6 के लिए शास्त्र, 4 के लिए श्रुति या वेद आदि। पुष्पिकाओं में प्रकट रचनाकाल की जांच ऐतिहासिक स्रोतों से भी की जानी चाहिए। पुरातत्त्व विभाग की प्राचीन रिपोर्टें इस क्षेत्र में बड़ी सहायक होती हैं।

पूरे विद्वानों द्वारा निम्नित तथ्य भी कभी-कभी भ्रामक हो सकते हैं। शोधार्थी

को विद्वान के नाम के प्रति श्रद्धाभाव के कारण घात मूँद कर इसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। यदि उक्त प्रकार के कथनों की प्रामाणिकता की जांच करने का प्रयास यदा कदा न हुआ होना, तो नवीन साहित्य एवं अज्ञात रचयिता कभी प्रकाश में ही न आएँ होते। साहित्येतिहास के पुराने लेखकों का सर्वत्र सम्प्रति लेखकों ने चुनौती दी है और पुराने सीमित तथ्यों का निरन्तर अभिवृद्धि प्रदान करते हैं। ध्यातव्य यह है कि जो वस्तु स्थिति एक व्यक्ति के लिए अज्ञानी थी, आवश्यक नहीं कि दूसरा विद्वान भी उससे अपरिचिन ही रहे। यही जाँच-पड़ताल तो वास्तव में साहित्य को चिरजीवी एवं साहित्यकार की कालजयी बनाती है। आज तुलसीदास की प्रगतिवादी कहा जा रहा है उसकी रचना को सामंतीय कहा जाता है, तुलसी-काव्य में भाक्सँ और फाडड के प्रभाव खोजने की सार्धक चेष्टाएँ हो रही हैं। यह सही है कि तुलसी-काव्य आदर्शों और श्रद्धा से अभिभूत होकर लिखा गया है, तथापि उसमें अमुक प्रकार की जाँच-पड़ताल कवि को भविष्यजयी बनने के साथ-साथ नवीन तथ्यों के प्रति शोधक को जागरूक बनाती है।

संकलित सामग्री की प्रामाणिकता जानने के लिए शोधक अभिमत पद्धति का प्रयोग भी कर सकता है। किसी भी तथ्य की जाँच वह उस पर जीवित विद्वानों का अभिमत प्राप्त करके कर सकता है। अभिमत एकत्रित करते हुए यदि मत-वैभिन्य हो, तो शोधक को बहुमत का ही साथ देना अनिवार्य नहीं होता। अभिमत प्रस्तुत करने वाले विद्वान की स्थिति, विद्वत्ता और उसके कथन का प्रभाव, सब पर दृष्टि रखना अपेक्षित है। कदाचित् लघु संख्या का अभिमत अधिक महत्त्वपूर्ण और प्रभावी हो सकता है।

प्रामाणिकता की जाँच के लिए संकलित सामग्री में ही कभी-कभी अज्ञात साक्ष्य से काम चल जाता है। बहिर्साक्ष्य भी सहयोगी हो सकता है। कवि या साहित्यकार सम्बन्धी संकलित सामग्री की प्रामाणिकता जब लेखक की किसी अपनी ही रचना द्वारा सिद्ध हो, तो उसे अन्त साक्ष्य कहते हैं। प्रामाणिकता की जाँच यदि रचयिता के प्रतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से हो, तो वह बहिर्साक्ष्य कहलाता है।

(ख) सामग्री का उपयोग विवेकपूर्ण . उपलब्ध सामग्री में से भी प्रत्येक अर्थ उपयोगी नहीं होता। प्रबन्ध का आलेख तैयार करने समय अनेक टीफ़ व्यर्थ प्रतीत होते हैं। उनका उपयोग प्रबन्ध की शोभा न होकर रुकावट बन सकता है। संकलित सामग्री के ढेर में यथायोग्य सामग्री की खोज कर मन में ही विवेक की माँगना है। प्रायः एक ही समय में संकलित सामग्री अभ्यवस्थित हो जाती है। यदि उसके उपयोग से पूर्व अथवा संकलन-समय ही हम उस अभ्यायवद्ध कर लें तो सम्भावित अव्यवस्था से बचाव हो सकता है। अन्य विद्वानों के मता कथनों या उद्धरणों को प्रस्तुत करते हुए एक विवेकपूर्ण सीमा निश्चित की जानी चाहिए। दूसरे का कथन अपनी बात की पुष्टि या सहयोग के लिए होना है न कि आलेख की वृद्ध संख्या बढ़ाने के लिए।

इसलिए विवेक की मांग है कि हम दो चार पक्तियों में ही उद्धरण दे, अपेक्षाकृत लम्बे उद्धरण अथवा कथन अपनी रचना, सूक्त एवं अभिमत के लिए छांटने होंगे हैं। यहाँ ध्यान देने की एक बात और है। यदि सामग्री के सफलता में कोई त्रुटि न हो, तो उसके उपयोग में भी त्रुटि का नित्य अभाव बना रहगा। अतः शोध विषय सम्बन्धी सामग्री सफलता का अभियान आरम्भ करते समय ही शोधक को विवेक से कार्य लेना चाहिए। अपने निर्देशक में इस सम्बन्ध में वह आदेश प्राप्त कर सकता है, सामग्री कहा, कब और कितनी सफलता की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकता है। सामग्री सफलता सम्बन्धी निर्देशक के आदेश पर अन्धा-धुंध टोप की फाइलें बनाना आरम्भ कर देना तो डॉक्टर से शरीर में लौह के अभाव का संकेत पाकर ब्लेड का पैकेट निगल जान वाली बात है। इस समूची प्रक्रिया में विवेक का विरोध निरन्तर बना हुआ दीख पड़ता है। इसी दृष्टि से अभिमत होकर हमने सामग्री के उपयोग में विवेक की शर्त लगाई है।

(ग) सामग्री के उपयोग में ईमानदारी दूसरों के मत या कथन को अपना बनाकर अपनी भाषा और निजी ढंग में कहना तो लगभग आम हो गया है, किन्तु है यह आपत्तिजनक। आलेख तैयार करते हुए शोधक का वर्तव्य है कि वह किसी भी विद्वान लेखक की एक भी पक्ति अपना प्रबन्ध में बिना उक्त लेखक या विद्वान का नाम सदा ही न अपनाए। ईमानदारी की मांग तो यह भी है कि किसी विद्वान के अप्रत्यक्ष प्रभाव में कहे कथन को भी शोधार्थी स्पष्ट कर दे। किन्तु होता इससे विपरीत है। शोधार्थी का प्रयास होता है कि वह पूर्वगामी विद्वानों की रचना में से भाषा बदलकर अधिक से अधिक अर्थ ग्रहण कर ले। कुछ शोधक तो भाषा बदलने का षट भी नहीं उठाते—यह दीदा-दानिस्ता चोरी है परिणाम यह होता है कि जब चुराने पर ही आए तो कम क्या, ज्यादा क्या। पृष्ठों के पृष्ठ चोरी हो जाने हैं। पिछले दिनों गुरु अथ साहित्य सम्बन्धी एक शोध-प्रबन्ध परीक्षणार्थ इन पक्तियों के लेखक के पास आया हिन्दी के उच्च कोटि के विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित विद्वान के निर्देशन में प्रस्तुत इस शोध-प्रबन्ध को पढ़ते हुए हमें अपनी ही रचना के पृष्ठों के पृष्ठ हथकूट नकल किये हुए मिले। जहाँ नकल नहीं थी, वहाँ हमारी रचना के ही सभस्त शीर्षकों-उपशीर्षकों के अन्तर्गत परिवर्तित भाषा में वही भाव पुनः प्रस्तुत किए गए थे। पढ़ कर बड़ी कोपन हुई। दुःख इस बात का था कि कहीं भी शोधकर्त्री न हमारा या हमारी पुस्तक का नाम तक नहीं लिया था। यह बेईमानी थी, कोई परीक्षक ऐसी चोरी को क्षमा नहीं कर सकता, विशेषकर जब उसे चोरी का स्रोत पता चल जाय और वह प्रबन्ध की सामग्री से मूल से मिलान कर जाच कर ले। ऐसी स्थितियों में ही सामग्री के उपयोग में ईमानदारी दरकार है। इसके अभाव में शोधार्थी कहीं भी लुब्धक सकता है।

(घ) उपयोग-पूर्व सामग्री का विश्लेषण वर्गीकरण—सकलित सामग्री के उपयोग में विवेक और ईमानदारी की स्थापना के उपरांत हमें सामग्री के विश्लेषण-

वर्गीकरण पर भी दो बातें कहनी हैं। विश्लेषण से यहाँ छटाई का तात्पर्य है। सामग्री में से सार-सार ग्रहण करना और थोथा उड़ा देना, उसका विश्लेषण है। सामग्री-मक्लन के समय शायद शोधक के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वह सार-ब्राही बना रह सके। उम समय तो जो भी रचनी हुई वस्तु स्थिति उसके सम्मुख आई वही उसने टी। ली। उनयोग में पूर्व एक बारगी उसे विश्लेषण का कार्य निपटाना ही चाहिए। ऐसा न करने से उमका मभूचा आलेख प्रभावहीन और व्यर्थप्राय हो जायगा।

व्यर्थ की सामग्री छटाकर गार-सामग्री अलग कर लेने के बाद वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। अध्याय क्रम से अथवा उप-विषयो के अनुसार सकलित सामग्री का वर्गीकरण कर लेना मभीचीन होता है। ऐसा कर लेने से एक अध्याय के योग्य सामग्री दूसरे अध्याय में मिश्रित नहीं होती, एक जगह प्रस्तुत कर दी जाने पर वही सामग्री किसी अन्य अंश में पुनरावृत्त होने नहीं पानी और सीमित होने के कारण वर्गीकृत सामग्री की जाच सुगम हो जाती है। वर्गीकरण के उक्त तीनों लाभ अन्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इसलिए सामग्री के उपयोग से पूर्व उसका वर्गीकरण कर लेना अनिवार्य है।

शोध-प्रबन्ध-लेखन

विषय-चयन किया जा चुका है, रूपरेखा बनाकर सामग्री भी संकलित कर ली गई है। अब समूची सामग्री को नियमित-शोध-प्रबन्ध के रूप में प्रस्तुत करना है। इसका बहुत-कुछ अनुमान शोधार्थी पूर्व-लिखित प्रकाशित-अप्रकाशित शोध-प्रबन्धों से लगा सकता है, कुछ स्पष्ट आदेश उने निर्देशक से प्राप्त होते हैं। यह एक व्यावहारिक कला है, यथा सम्भव हम भी यहाँ इसकी व्याख्या करेंगे।

(क) शोध-प्रबन्ध की आंगिक व्यवस्था :

इस दिशा में प्रथम ज्ञातव्य यह है कि परीक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाने वाला प्रबन्ध कितने अंगों या चरणों में विभाजित होता है। कुछ अंग तो औपचारिक होते हैं, उनका कोई भी रूप गढ़ा जा सकता है, किन्तु अनौपचारिक चरणों की अनिवार्यता को भुठलाया नहीं जा सकता। सामान्यतः अंगों की व्यवस्था निम्न प्रकार से होगी—

1. मुखपृष्ठ

इस पर सबसे ऊपर शोध-विषय का शीर्षक छोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए, तदोपरान्त विश्वविद्यालय के नाम के साथ उपाधि का (नाम जिस के लिए शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किया जा रहा है—एम फिल, पी-एच. डी., डी लिट् आदि) दिया जाता है। उसी के नीचे प्रस्तुती-वर्ष लिखा जा सकता है। प्रस्तुत-कर्ता एवं निर्देशक के नाम भी इसी पृष्ठ पर रहते हैं।

2. प्रारम्भिक

इस अंग में शोध-कर्ता अपने शोध-विषय का उद्देश्य स्पष्ट करता है। अपने से पूर्व उसी विषय पर हुई शोध की चर्चा करता हुआ वह अपने कार्य की विशिष्टता कहता है एवं अन्त में अपने निर्देशक, अन्य परामर्श-दाता विद्वानों तथा लेखकों के प्रति आभार प्रदर्शन करता है। इसमें पुस्तकालयो-पुस्तकालयाध्यक्षों को भी धन्यवाद दिया जा सकता है।

यदि प्रस्तुत-वर्तनी चाहे, तो वह किसी अभाव या कठिनाई का संकेत यहाँ करे।

- 3 सक्षेप चिह्न सूची (Abbreviations) इसमें लम्बी संज्ञाओं के संक्षेप चिह्न स्पष्ट किए जा सकते हैं।
- 4 विषय-क्रम अध्यायों की संख्या, शीर्षक, उपशीर्षक आदि। शोध-प्रबन्ध में उक्त सामग्री की पृष्ठ-संख्या भी अंकित की जानी चाहिए।
- 5 विषय-प्रवेश (भूमिका) विषय की पृष्ठभूमि और उस पर निजी सहयोग की परियोजना।
- 6 शोध विषय (मूल प्रबन्ध) एक-एक करके सब अध्याय इसी अंग के अन्तर्गत आएंगे। प्रत्येक अध्याय की विशिष्टता शोध-विषय का ही अलग पहलू होगा। पाद-टिप्पणियाँ इसी में सम्मिलित होती हैं।
- 7 उपसंहार/निष्कर्ष इसमें उन सभी तत्वों की संक्षिप्त चर्चा होती है, जिन पर शोध-विषय के अन्तर्गत समूचे अध्याय लिखे होते हैं। अध्यायक्रम से की गई उक्त चर्चा उपयुक्त होती है।
- 8 पठित ग्रंथों की सूची प्रथम भाग में आलोच्य ग्रंथों की सूची तथा द्वितीय भाग में सहायक ग्रंथों, कोशों, पत्र-पत्रिकाओं, पाण्डुलिपियों, गजेटियरों, रिपोर्टों आदि की सूची देना अपेक्षित है। ये सूचियाँ अकारादि क्रम में होनी चाहिए और ग्रंथ तथा पुस्तक के नाम के साथ प्रकाशक का नाम, प्रकाशन स्थान, प्रकाशन वर्ष एवं संस्करण संख्या भी दी जानी चाहिए।
- 9 परिशिष्ट, यदि कोई हो जो बात प्रबन्ध में नहीं कही गई, किन्तु वह इतनी गौण नहीं, कि उसकी उपेक्षा की जाय।
- 10 विषयानुक्रमिका अथवा नामानुक्रमिका।
- 11 ऊपर के नौ अंगों से अलग एक ऐसा अंग भी है, जो शोध-प्रबन्ध के अतिरिक्त तैयार करना होता है। कुछ विश्वविद्यालय शोध-प्रबन्ध का 'सार' अलग से प्रस्तुत करने को कहते हैं। 'सार' में अध्याय क्रम से प्रत्येक अध्याय का संक्षेप देना उचित होता है। 'सार' ऐसा होना चाहिए कि मूल शोध-प्रबन्ध पढ़े बगैर भी आपकी शोध-परियोजना का प्रत्येक पहलू स्पष्ट हो सके।

उपरोक्त अंगों में 1, 2, 3, 8 तथा 9 और 10 क्रम के अंग औपचारिक हैं। आवश्यकता और रुचि के अनुसार इनका ढंग और स्वरूप बदल सकते हैं।

भाजवल मुखपृष्ठ के अनेक कलात्मक, डिजाइन, बाई डर तोग सुभाते रहते हैं। उम पर की सामग्री बही रहती है, किन्तु उसके क्रम एव मुद्रण-गमजन क द्वारा मुखपृष्ठ को अधिक सुन्दर बनाने के प्रयास किए जाते हैं। कुछ शायक बर्माशियल आर्टिस्ट्स की सहायता से मुखपृष्ठ को आकर्षक और प्रभावी भी बनाते हैं।

प्राक्कथन शोध-प्रबन्ध की व्यवस्था—कला वा महत्त्वपूर्ण अंग है। इसमें शोधक 'अपनी बात' कहता है। 'भूमिका' अथवा 'विषय-प्रवेश' में निश्चय ही इसका स्थान पहले आता है। कभी-कभी 'विषय क्रम' आदि अंग इन दोनों के बीच में प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसाकि हम ऊपर शोध-प्रबन्ध की अंग-व्यवस्था में दिखा चुके हैं। कुछ शोधार्थी प्राक्कथन को 'विषय-प्रवेश' ही मिला देते हैं। औपचारिक अंग होने के कारण भूमिका में विलीन हो जाने पर भी इसका अभाव खलता नहीं। 'आभार-प्रदर्शन' इसी का पहलू है।

'संक्षेप-चिह्न सूची' की आवश्यकता केवल उन्हीं शोध-प्रबन्धों में होती है जिनमें कुछ दीर्घ सज्ञाओं वाली पुस्तकों के अनेक मदमें दिए जाते हैं। इसी स्थिति पुस्तक का लम्बा नाम बार-बार लिखने तथा उसके लेखक-प्रकाशक आदि की चर्चा करने की अपेक्षा उमके संक्षेप-चिह्न बना लिए जाते हैं और जब-जब उम पुस्तक का उद्धरण आता है, वही 'चिह्न' पृष्ठ, मन्था सहित लिख दिया जाता है। 'हिन्दी विश्वकोश' के लिए 'हिं वि अथवा 'गोदयं तत्त्व निरूपण' के लिए 'मो नि' चिह्न बना लिए जा सकते हैं। ऐसे सब चिह्नों की एक सूची, जिसमें चिह्न के सम्बन्ध प्रथम का मूल नाम व परिचय दिया जाता है, बनाकर शोध-प्रबन्ध के आरम्भ में दी जाती है, ताकि पाठक आवश्यकतानुसार चिह्न को देखकर मति-भ्रम में न पड़े और मूल प्रथम से सीधे परिचय प्राप्त कर सके।

'विषय-क्रम' शोध-विषय की रूपरेखा का ही अन्तिम और समापक रूप होता है। रूप-रेखा सम्भावित होती है, प्रबन्ध लिखते समय उसमें अनेक बिंदु जुड़ते चले जाते हैं, उपस्थित प्रकरणों में परिवर्तन आता है और समाप्ति तक पहुंचते पहुंचते यह रूप-रेखा सजाधित, परिवर्द्धित तथा परिवर्तित होकर 'विषय क्रम (Contents)' बन जाती है। पीछे हम द्वितीय अध्याय में रूप-रेखा तथा विषय क्रम की अलग अलग बातगियां दे चुके हैं। 'विषय क्रम' में अनेक अध्याय तथा प्रत्येक अध्याय में एकाधिक प्रकरण होते हैं। इनकी व्यवस्था ऐसी चाहिए कि शोध-विषय की व्याख्या में कहीं प्रतिरोध न आए। प्रत्येक प्रकरण का सम्बन्ध दूसरे प्रकरण से अटूट होना चाहिए। अध्याय के शीर्षकान्तर्गत आने वाले प्रकरण अनिवायत उसी अध्याय के उपशीर्षकों से सम्बन्धित होंगे। यदि इनमें कोई व्यवधान हुआ तो विषय क्रम तो होगा ही, साथ ही सामग्री-प्रस्तुतिकरण के स्वाभाविक प्रवाह में विक्षेप आ जायगा।

विषय प्रवेश या भूमिका शोध-प्रबन्ध की व्यवस्था कला में अतीव महत्त्वपूर्ण

अग्र है। यह अनीपचारिक तत्त्व होने के कारण विषय परक अनिवार्यता है। इस अग्र में शोध विषय सम्बन्धी विस्तृत पृष्ठभूमि देने की अपेक्षा होती है, अग्र दिशा में पूर्व-गामी शोध का परिचय देकर शोधार्थी को सिद्ध करना होता है कि वर्तमान परियोजना पूर्वज्ञान में अभिवृद्धि करने का स्वरूप की व्याप्यात्मक रूपरेखा भी इसमें दी जा सकती है। विषय प्रवेश या भूमिका का सम्बन्ध मूल विषय से अटूट होते हुए भी मूल विषय में आत्मसात् नहीं होता। शुद्ध विद्वानों ने इसे शोध प्रबन्ध का प्रथम अध्याय भी स्वीकार किया है।

विषय प्रवेश में शोध विषय का सुचारु परिचय प्रस्तुत करने के बाद अध्यायों में विभक्त मूल प्रबन्ध का स्थान आता है। अध्यायों की सख्या आवश्यकतानुसार न्यूनाधिक हो सकती है, किन्तु बड़ी संख्या में अध्यायों की व्यवस्था उचित नहीं होती। आवश्यकता होने पर हम कम अध्यायों में ही प्रकरणों की संख्या बढ़ा सकते हैं। अध्यायों और उनके अन्तर्गत प्रकरणों का सुचारु आयोजन कुशल वर्गीकरण पर आधारित है। प्रकरणों का महिति परक बनाने के लिए अनुभवी निर्देशन की अपेक्षा होती है, अन्यथा कोई व्याख्या योग्य प्रकरण उपयुक्त अध्याय शीर्षक में छिटक भी सकता है। यह सही है कि प्रकरण की व्याख्या से शोध विषय को उचित विस्तार मिलता है, किन्तु प्रबन्ध में प्रत्येक प्रकरण का सुयोग्य एवं समीचीन अध्याय के अन्तर्गत सही स्थान होना चाहिए। पुन अध्यायगत प्रकरणों को भी एक दूसरे से सम्बद्ध रहने की अपेक्षा होती है। यथास्थान सम्बद्ध एवं प्रवाहमान शोध विषयक व्याख्या ही वास्तव में अध्यायों के प्राण होती हैं।

शोध सम्बन्धी तथ्यों का सम्बन्ध इन्हीं प्रकरणों में होता है। डा सरनामसिंह शर्मा का कथन है कि "एक एक प्रकरण किसी तथ्य की एक एक प्रथि को खोलता है और प्रत्येक तथ्य किसी प्रकरण में अपना अनावरण करता है।" प्रबन्धकार के सम्मुख अनेक तथ्यों के अनावरण की समस्या होती है। इन्हीं तथ्यों का उचित वर्गीकरण करते हुए जब वह प्रकरणों का एक वर्ग अलग कर लेता है, तभी वह वर्ग सही अर्थों में अध्याय कहलाता है, और कोई समुचित सा शीर्षक उस अध्याय को रूपायित कर देता है। जिस प्रकार तथ्यों की व्याख्या तथ्य-दर-तथ्य परस्पर जुड़ती चली जाती है, ठीक वैसे ही एक अध्याय की सामग्री दूसरे अध्याय में शृंखलाबद्ध रहनी चाहिए—इसी में शोधक का कौशल है। तभी शोध प्रबन्ध एक पठनीय ग्रंथ का सही रूप बनता है।

पाद-टिप्पणियाँ अध्यायों की बीच तथ्यों के साथ-साथ चलनी हैं। प्रायः मूल आलेख में 'अ क' लगाकर पाद टिप्पणी में उनी अ क के सम्मुख उद्धरण प्रस्तुत कर दिया जाता है और वही उसके अन्त में उद्धृत ग्रंथ का नाम एवं पृष्ठ संख्या आदि लिख दिया जाता है। कभी उद्धृता प्रारूप के भीतर ही " " लगाकर रख दिया जाता है। इन पर हम अलग से 'उद्धरण तथा सदभोल्लेख पद्धति के अन्तर्गत विचार करेंगे।

अध्यायो के उपरान्त उपसंहार तथा परिशिष्ट आदि लिये जाते हैं। प्रायः शोधार्थी इन्हे व्यर्थ समझकर इनकी ओर अपेक्षित ध्यान नहीं देते। किन्तु यह एक भ्रम है, ये भ्रम भी उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं, जितना मूल प्रबन्ध। इसीलिए इन भ्रमों पर भी हम अलग प्रकरणों में चर्चा करेंगे।

(ख) सामग्री का विभाजन तथा संयोजन :

प्रथम प्रारूप तैयार करने से पूर्व उपर्युक्त भ्रमों की परिधियों का ध्यान रखते हुए हमें समूची सकलित सामग्री का उपयुक्त विभाजन एवं संयोजन करना अपेक्षित है। रूपरेखा तैयार करते समय हम सम्भावित अध्यायो के शीर्षक एवं अध्याय भ्रम विचार लेते हैं। तत्पश्चात् सामग्री एकत्रित करके हम उन्हीं शीर्षकों के विस्तृत वर्गों में विभाजित करते हैं। यह विभाजन बड़ा व्यापक एवं असमत होता है, किन्तु आरम्भिक चरण में इसकी निजी महत्ता है। टीप काटों का जब मोटे रूप से अध्यायो के अनुसार बाट लिया जाता है, तब संयोजन का प्रश्न उठता है। अध्यायो में आने वाले तथ्यों एवं प्रकरणों की कड़ियाँ मिलाने के लिए, तब, प्रकरणों की छाँटी फी जाती है। इस प्रकार पहले सामग्री का अध्यायो में विभाजन होता है, फिर विभाजित सामग्री के प्रत्येक वर्ग की तथ्यों सम्बन्धी सामग्री का प्रकरण गत संयोजन किया जाता है। यह एक कला है, जो अनुभव और परिपक्वता से प्राप्त होती है। निर्देशक महोदय को इस कार्य में शोधार्थी का सत्रिय पथ-प्रदर्शन करना चाहिए।

सामग्री के उचित विभाजन और संयोजन के ही लिए पहले शोध-प्रबन्ध का पाण्डुलेख तैयार करना उचित माना जाता है। प्रथम प्रारूप के गम्भीरता-पूर्ण पाठ से पता चलता है कि तथ्य एवं अनुरूप प्रकरण यथास्थान लिखे गए हैं, या उनमें कोई परिवर्तन अपेक्षित है। द्वितीय एवं फाइनल प्रारूप लिखते हुए शोधक को आवश्यक फेर बदल करके सामग्री का ठीक ठीक संयोजन कर लेना होता है। इसमें कोताही करने वाले शोधक का कभी कभी तीसरी बार भी प्रारूप लिखना पड़ सकता है।

(ग) उद्धरण तथा सन्दर्भलेख की पद्धति

शोध प्रबन्ध का आलेख तैयार करते हुए प्रायः शोधार्थी के विषय के प्रतिष्ठित विद्वानों के विचारों और विषय सम्बन्धी टिप्पणियों को आवश्यकतानुसार उद्धृत करना पड़ता है। विद्वानों के विचार जब उन्हीं की भाषा में ज्यों के त्यों प्रस्तुत कर दिए जाते हैं तो उन्हें उद्धरण कहते हैं। प्रत्येक उद्धरण के लिए पाद-टिप्पणी में सन्दर्भलेख करना पड़ता है। ये ही दोनों तथ्य यहाँ हमारे विचार के विषय हैं।

उद्धरण कैसे दिए जाएँ?—शोधार्थी को उद्धरण का चयन करते हुए दो बातों का विशेष ध्यान रखना होता है—एक, उद्धृत व्यक्ति विषय का प्रतिष्ठित

विद्वान् हो। दो, उद्भूत विचार शोध विषय से सम्बन्धित और किमी नवीन दिशा का सूचक हो। दूसरी शर्त कभी कभी प्रसिद्ध लेखकों की रचनाओं में भी देखने को मिल जाती है, उस दिशा में नवीनता के सूचक उक्त विचारों को भी उद्भूत किया जा सकता है। उद्धरण गद्य और पद्य दोनों प्रकार के साहित्य से चयन किए जा सकते हैं। इनका चुनाव करने के लिए प्रकाशित अप्रकाशित ग्रन्थ, पत्र-पत्रिकाएँ, साक्षात्कार अथवा भाषण आदि के स्रोत उपयुक्त हैं। गद्य हो या पद्य उद्धरण सक्षिप्त तथा विस्तृत दो प्रकार के हो सकते हैं।

सामान्यतः उद्धरण मूल आलेख के अन्तर्गत या विस्तृत होने पर अलग अनुच्छेद में उद्धरण चिह्न " " लगा कर लिखे जा सकते हैं। दोनों दशाओं में उक्त उद्धरण का स्रोत पाद-टिप्पणी में सन्दर्भ के रूप में दिया जाना चाहिए। सक्षिप्त उद्धरण यदि के तीन चार पंक्ति तक के हो, आलेख के बीच में ही अंसा कि डा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है "" के ढंग से लिखा जा सकता है। पाद टिप्पणी में ऐसी स्थिति में विद्वान् लेखक का नाम देने की अपेक्षा नहीं होती। बस उसकी रचना का नाम तथा पृष्ठ संख्या दी जा सकती है। पाद टिप्पणी का यह रूप सन्दर्भ-लेखन कहलाएगा।

यदि उद्धरण विस्तृत हो, तो उस अलग अनुच्छेद बनाना उपयुक्त होता है। अलग अनुच्छेद के रूप में लम्बा उद्धरण प्रत्येक पंक्ति में कम से कम तीन वर्णों का स्थान छोड़ कर लिखा जाना चाहिए और आरम्भ तथा अन्त में एक पंक्ति की खाली जगह बनी रहनी चाहिए। ऐसा करने से उद्धरण चिह्न देने की भी अपेक्षा नहीं रहती। उद्धरण के अन्तिम शब्द पर कोई सरयावाची अक्षर लगाकर नीचे पाद-टिप्पणी में सन्दर्भ लिखा जा सकता है। पद्यबद्ध उद्धरणों को, यदि वे एक ही पंक्ति हो, मूल आलेख के बीच में ही उद्धरण चिह्न देकर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जैसे मानव जीवन में सन्तोष का इतना महत्त्व है 'जब आर्षं सन्तोष घन, सब घन घूरि समान।' यदि पद्य की पंक्तियाँ दो हो तो भी उपयुक्त ढंग से लिखी जा सकती हैं, प्रथम पंक्ति के अन्त और दूसरी पंक्ति के आरम्भ में वक्र रेखा (Oblique) लगा दी जाती है। ध्यान रहे कि विस्तृत पद्यात्मक उद्धरण प्रस्तुत करने के लिए गद्य की ही तरह अलग पद्यांश देना होता है और मूल कविता अथवा कविता पृष्ठ सरया सहित, सन्दर्भ रूप में पाद टिप्पणी में लिखा जाता है। यदि काव्यांश आवश्यकता से बड़ा हो तो उसे भाषानुवाद करने गद्यात्मक आलेख के साथ कवि के विचार रूप में रखा जा सकता है। कई बार ऐसी स्थितियाँ भी आती हैं कि हम एक ही विस्तृत उद्धरण में से बीच-बीच की दो एक बात उद्भूत करना चाहते हैं। ऐसे में अनावश्यक स्थलों पर तीन चार बिन्दु लगाकर आगे का अक्षर लिखा जा सकता है। इस प्रयोग से समय और स्थान की बचत होती है और अनावश्यक सामग्री में शोध प्रबन्ध मुक्त रहता है। कदाचित् कोई ऐसा उद्धरण भी शोधार्थी के सम्मुख आ सकता है जिसमें

कोई तथ्यात्मक मूल हो, ऐसी दशा में शोधार्थी को मूल मुधारने का अधिकार नहीं है। उद्धरण को ज्यों का त्यों चिपकाने हुए शोधार्थी उक्त अशुद्ध तथ्य के सम्मुख कोष्ठक में प्रश्न चिह्न लगा सकता है अथवा कोष्ठक में ही 'असत्य' लिख सकता है।

किसी विद्वान के भाषण के अथवा उमसे माक्षाकार करते हुए टीप किए हुए किसी वैचारिक अंश को भी उद्धृत किया जा सकता है। ऐसी दशा में पहली शर्त यह है कि उद्धरणीय अंश पर विद्वान की पूर्ण स्वीकृति ले ली जाए। स्वीकृति की अनिवार्यता इसलिए है कि वही टिप्पणी की मूल से शोधार्थी विद्वान के विचारों को विकृत रूप में उद्धृत न करे। इस प्रकार के उद्धरणों के साथ पाद टिप्पणी में विद्वान का नाम, माक्षाकार अथवा भाषण की तिथि आदि दिए जाने चाहिए।

कई बार किसी प्रकाशित पुस्तक में पूर्वोद्धृत अंश को ज्यों का त्यों कोई शोधार्थी पुनः उद्धृत करना चाहता है। ऐसी दशा में उद्धृत विचार का स्रोत बदलेगा, विचारक नहीं। शोधार्थी को मूल विचारक के नाम के साथ ही वह उद्धरण प्रस्तुत करना होता है, केवल सन्दर्भ बताते हुए पाद टिप्पणी में वह वर्तमान स्रोत का संकेत दे सकता है, यथा—मूल रचना का नाम उद्धर्ता का नाम उद्धरण चिह्न में लिखा गया वर्तमान मूल स्रोत (पुस्तक), का नाम इस क्रम में लिखते हुए अन्त में 'उद्धृत' संकेत दिया जाना चाहिए।

उदाहरण ऋग्वेद 5/3/2/2 डा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा हिन्दी साहित्य का आधिकारिक' में उद्धृत¹।

यदि उद्धरण किसी ऐसे ग्रन्थ से लिया जाए जो किसी एक विद्वान द्वारा सम्पादित हो, किन्तु जिसमें अनेक विद्वानों के लेख मौजूद हों, तो सन्दर्भ लेखन की पद्धति प्रयोग होती है।

उदाहरण लेखक का नाम, लेख का नाम, उद्धरण चिह्न में पुस्तक का नाम, जिसमें लेख सम्पादित है, पृष्ठ संख्या, इसके साथ कोष्ठक 'सम्पादित' शब्द लिख कर कोलन (:) लगाया जाता है और सम्पादक का नाम लिखा जाता है।

पाण्डुलिपियों का सन्दर्भ लिखते समय टिप्पणी निम्नानुसार होती है। उदाहरण

कपूरचन्द त्रिखा, रामायण, (पाण्डुलिपि) संख्या 2793, सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी, पटियाला। पत्रा संख्या 10।

पत्र पत्रिकाओं का सन्दर्भ प्रस्तुत करते हुए, टिप्पणी का उदाहरण डा. मनमोहन सहगल, 'जायसी का बहरानामा', सप्त सिन्धु। वर्ष 11 (जून 1965) पृष्ठ संख्या 21।

1. यह कल्पित है, कबल नमूने के लिए दिया गया है।

पत्र-पत्रिका अथवा समाचार पत्र के नाम को लिखित आलेख में रेखांकित और मुद्रित रचना में मोटे टाईप में रखा जाना चाहिए।

किमी गजेटियर या रिपोर्ट से यदि उद्धरण लिया गया हो तो उसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है।

रिपोर्ट ऑन प्राईमरी एड्युकेशन, 'पजाब गवर्नमेंट गेजेट' वर्ष 1949, पृष्ठ 324, लोक सम्पर्क विभाग, पजाब।'

पाद टिप्पणी में प्रस्तुत किए उपर्युक्त सदभं विशिष्ट स्थितियों का संवेत करते हैं। सामान्य स्थिति में पाद टिप्पणी बड़ी सरल और सादा होनी है। बहुधा लेखक तथा पृष्ठ संख्या सहित रचना का नाम ही पर्याप्त होता है। प्रकाशक का नाम तो पाद टिप्पणी में देना कदाचित् अनपेक्षित होता है। 'सहायक ग्रंथ सूची' आदि में प्रकाशक लिखा रहता है। पुस्तक का शीर्षक देना पूर्व लेखक, सम्पादक का नाम देकर अल्पविराम लगाया जाना चाहिए। ध्यान रहे, पाद टिप्पणी में हम 'लेखक' का नाम सीधा लिखते हैं, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, किन्तु ग्रंथ सूची में इसी को हम उलट देते हैं। सरनेम पहले आता है—द्विवेदी, हजारी प्रसाद (आचार्य)।

(घ) उपसंहार एवं उपलब्धि

शोध प्रबन्ध का अध्ययन-क्रम से लिखा गया विषय-वस्तु जहां समाप्त होता है, वहां 'उपसंहार' का अंग प्रस्तुत किया जाता है। समूचे प्रबन्ध में शोधार्थी ने जिन तथ्यों का व्याख्यात्मक कथन किया होता है, उन्हीं का संक्षेप सार-रूप इस अंग में लिखा जाता है। प्रत्येक अध्याय में शीर्षको-उपशीर्षको के क्रम से तथ्यों का उद्धाटन किया जाता है और अन्ततः उन तथ्यों का विश्लेषण-मूल्यांकन करते हुए शोधक कोई व्याख्या, परिभाषा, विचारधारा या दृष्टिकोण की स्थापना करता है। ये ही स्थापनाएँ सामूहिक रूप में उपसंहार का विषय होती हैं। उदाहरणार्थ यदि 'कबीर काव्य में सामाजिक चेतना' का अध्ययन किया जा रहा हो, तो उसमें के अध्यायों में कहीं आप कबीर को सामाजिक चेतना का अग्रणी स्थापित करेंगे, कहीं उसकी सामाजिक दृष्टि में पुरातन सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की चर्चा करेंगे और कहीं कबीर के काव्य में साम्प्रदायिक एकता, समन्वय, जाति और वर्ग-भेद का निषेध आदि बातों का उल्लेख किया हुआ सिद्ध करेंगे। ये ही सब तत्त्व जब संक्षेप में कबीर का सामाजिक मूल्यांकन करते हुए आप उपसंहार में एकात्रित कर देंगे, तो ये शोध प्रबन्धान्तर्गत समूची चर्चा का निर्वर्ध होगा।

उपसंहार में शोधार्थी का संक्षेप नहीं होता, बल्कि अध्याय में चर्चायित विषय का सार-तत्त्व जाना है। उपसंहार अधिक लम्बा या बहुत ही छोटा नहीं होना चाहिए। मूल शोध-ग्रंथ की तुलना में इसका बलेंबर दस से बीस पृष्ठों तक हो सकता है। शोधार्थी इसमें अपनी मौलिकता को दर्शाते हुए अपनी उपलब्धियों का वर्णन भी करता है। शोध-विषय के सर्वांगीण परिशीलन-अनुशीलन द्वारा जो नवीन

तथ्य उद्घाटित होते हैं, जिन तथ्यों के सम्बन्ध में पूर्व-ज्ञान मौन होना है, जो तथ्य वर्तमान ज्ञान में वृद्धि कर रहे होंगे हैं, वे सब शोधार्थी की उपलब्धि कहलाते हैं। उपमहार में उपलब्धियों का स्पष्ट निर्देश होना चाहिए। मनुष्य के समष्टिगत या व्यक्तिगत जीवन पर उन उपलब्धियों का प्रभाव एवं भविष्य की सम्भावनाओं का संकेत देना भी उपमहार की विशेषता होनी है। इस प्रकार उपमहार और उपलब्धि साय-साय अन्तिम अध्याय की विभूति होते हैं और एक-दूसरे के पूरक भी।

(ड) परिशिष्ट

परिशिष्ट शब्द का बोधार्थ है—सुटा हुआ, बका हुआ आदि। अर्थात् परिशिष्ट उस अतिरिक्त किन्तु आवश्यक सूचनात्मक सामग्री को कहते हैं जो मूल प्रबन्ध में स्थान नहीं पा सकी। किसी कवि की रचना का परिशीलन करते हुए प्रायः देखने में आता है कि उनकी परिस्थितियों अथवा व्यक्तित्व का पर्याप्त प्रभाव पडा है। ऐसी स्थिति में कवि की परिस्थितियों से उदित उसका व्यक्तित्व मूल प्रबन्ध का विषय नहीं होता, तथापि परिशिष्ट में उसे प्रस्तुत करके शोधक अपनी वात के समर्थन में पाठकों के सम्मुख उसका वह व्यक्तित्व भी उद्घाटित कर देता है, जिसके प्रभाव में उक्त प्रवृत्ति का काव्य लिखा गया होगा।

परिशिष्ट दो प्रकार के माने जाते हैं। मूल रूप अतिरिक्त सूचनात्मक सामग्री का स्रोत होता है। इसमें उपयुक्तानुसार कवि-व्यक्तित्व के अतिरिक्त शोध-सामग्री के स्रोतों का व्योरा, विद्वानों से पत्र-व्यवहार एवं भेंट, पत्र-व्यवहार से प्राप्त दृष्टिकोण आदि की सूचना दी जा सकती है। ये सूचनाएँ यदि एकाधिक हों तो इन्हें परिशिष्ट 1, 2, 3 के क्रम में रखा जा सकता है।

परिशिष्ट का दूसरा प्रकार शोध-विषय सम्बन्धी पाठ्य सामग्री की सूचना होती है। इसमें प्रथमांश आलोच्य-ग्रंथों की सूची का होता है इस प्रकार की सूची बनाने हुए उन ग्रंथों के नाम-धाम लिखे जाते हैं, जिनको अध्ययन का आधार बनाया जाता है। उदाहरणार्थ यदि उपन्यासों से सम्बन्धित कोई शोध-प्रबन्ध लिखा गया हो और उसमें एक निश्चित काल-सीमा या वाद-सीमा में आने वाले उपन्यासों का परिशीलन किया गया हो, तो वे सब उपन्यास आलोच्य ग्रंथों की सूची में आँगे। इनकी अकारादि क्रम से सूची बनाने का निम्नानुसार होगा—

1. पाप और पुण्य, गुहदत्त, नई दिल्ली, भारतीय साहित्य सदन, 1978, प्रथम संस्करण।
2. लाल पत्तीना, अभिमन्यु अनंत, नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, 1977, प्रथम संस्करण।
3. लोक ऋण, चिवेकी राय, बाराणसी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, 1977, प्रथम संस्करण।

ग्रन्थ सूची वा द्वितीयांश सहायक सामग्री की सूची होती है, इसमें (क) प्रकाशित ग्रन्थ, (ख) अप्रकाशित ग्रन्थ, (ग) पुरातन पाण्डुलिपियाँ, (घ) अनेक खण्डीय पुस्तकों में से प्रयुक्त ग्रन्थ, (ङ) विश्वकोश, (च) पुस्तिकाएँ तथा पत्र पत्रिकाएँ, (छ) राजकीय प्रकाशन के प्रयुक्त ग्रन्थ, (ज) संपादित ग्रन्थ में संकलित लेख, (झ) साक्षात्कार, (ञ) अभिमत अथवा पत्र-व्यवहार आदि क्रम में एक दीर्घ सूची जुटाई जाती है। ग्रन्थों और सदस्यों की यह सूची इतनी पूर्ण होती है, कि मूल प्रबन्ध में प्रयुक्त कोई भी उद्धरण, पाद टिप्पणी या सदर्भ इस सूची से इतर नहीं रहता। इसमें सूची बनाने का क्रम निम्नानुसार है।

(क) प्रकाशित ग्रन्थ—इस सूची में सर्वप्रथम अकारादि क्रम से लेखक का नाम दिया जाता है। लेखक के नाम में भी उपनाम पहले दिया जाता है, फिर अल्प विराम लगाकर लेखक का नाम लिखा जाता है, फिर पुस्तक का नाम, प्रकाशन स्थान, प्रकाशक, प्रकाशन वर्ष एवं संस्करण क्रम से दिए जाते हैं। यदि लेखक दो हों तो पहले लेखक का नाम उपयुक्त प्रकार से लिखा जाता है और दूसरे का सीधा, शेष क्रम वही रहता है। लेखक दो से अधिक हों तो प्रथम लेखक के नाम के साथ 'तथा अन्य' लिखना पर्याप्त होगा। यदि रचना सम्पादित है तो लेखक की जगह सम्पादक का नाम देकर आगे कोष्ठक में संवादक लिखा जाता है। सभी की बानगी देखिए—

- 1 सहगल, मनमोहन/उपन्यासकार जेनेन्द्र मूल्याकन और मूल्याकन, दिल्ली/साहित्य भारती/1976/प्रथम संस्करण।
- 2 द्विवेदी, हजारी प्रसाद/कवीर/दिल्ली/राजकमल प्रकाशन/1971/प्रथम संस्करण।
- 3 मदान, इन्द्रनाथ तथा राकेश वत्स/कटानी और कहानी समीक्षा का मूल्याकन दिल्ली/नेशनल पब्लिशिंग हाऊस/1974/प्रथम संस्करण।
- 4 नगेन्द्र (डॉ) तथा अन्व/हिन्दी साहित्य का इतिहास, दिल्ली/नै प हाऊस 1973/प्रथम संस्करण।

(ख) अप्रकाशित ग्रन्थ—इनमें वे शोध-प्रबन्ध आदि सम्मिलित हैं, जो मुद्रित रूप में अभी उपलब्ध नहीं। अप्रकाशित ही विश्वविद्यालयीन पुस्तकालय में देखे जा सकते हैं। इनकी सूची बनाते समय शोध-प्रबन्ध का शीर्षक उद्धरण-चिन्हों के बीच रेखांकित रखा जाता है। बानगी देखिए—

- 1 शर्मा, विमलेश कुमार। "हिन्दी के मनोरंजनात्मक उपन्यासों में नारी की यौन कुण्ठा का अध्ययन।" अप्रकाशित शोध-ग्रन्थ/पंजाबी विश्वविद्यालय/1975।

(ग) पुरातन पाण्डुलिपियाँ—पुरानी हस्तलिखित रचनाएँ जो पुस्तकालयों, संग्रहालयों अथवा पुरातत्त्व विभाग से देखी गई हों। इनकी सूची बनाते हुए निम्न ढंग प्रयोग में लाया जाय—

1. जातीराम/सुदामा मगल/गुरुमुखी पाण्डुलिपि/20वीं शती वि /महाराजा पटियाला का निजी सग्रह मोती बाग पुस्तकालय/पाण्डुलिपि स. 137 ।

(घ) अनक खण्डीय पुस्तकों में से प्रयुक्त ग्रंथ—इस प्रकार के ग्रन्थों की सूची बनाते हुए नाम के साथ अल्प विराम लगाकर खण्ड सरया दें, शेष नियम प्रवाशित ग्रन्थों की तरह/यथा—

1 साहित्यकोश, खंड 2/बनारस/ज्ञान मंडल/1963/संस्करण ? ।

(ङ) विश्वकोश—विश्वकोश में से सहज ही कुछ शब्दों की व्याख्याएँ ग्रथवा सम्बद्ध सामग्री प्राप्त की होगी । समूचे विश्वकोश से कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता । ऐसी स्थिति में उन लेखों की सूची तथा विश्वकोश के खण्डों का सदर्थ सूची में जुटाना चाहिए । यथा—

1 नारायण, अवध किशोर तथा जयप्रकाश/“गुप्त वंश”/हिन्दी विश्वकोश (1963) खंड 3/वाराणसी /नागरी प्रचारिणी सभा/प्रथम स ।

2 मिश्र, हृदय नारायण/“बहुदेववाद /हिन्दी विश्वकोश (1967) खंड 8/वाराणसी/नागरी प्रचारिणी सभा/संस्करण प्रथम ।

(च) पुस्तिकाएँ तथा पत्र-पत्रिकाएँ—इनमें से भी कुछ ही ग्रंथों का अवलोकन किया जाता है । इसलिए इनकी सूची बनाते हुए भी सदर्थों को वा सकेत साथ में दिया जाना चाहिए । सूची में लेख का नाम उद्धरण-चिह्नों में और पत्रिका का शीर्षक रेखांकित होता है । उसके बाद प्रकाशन वर्ष हिन्दी आकड़ों में और पत्रिका की अंक-तिथि देना अपेक्षित है । यथा—

1 सहगल, मनमोहन, 'गुरु रविदास सम्बन्धी दन्त कथाएँ विश्लेषण एवं मूल्यांकन'/पञ्जाब सौरभ, वर्ष 2/(मई-जून 1977) पृ 16 ।

2 सहगल मनमोहन/'गुरु' वाणी में कर्म-मिथान्त एवं आवागमन'/कुदक्षेन यूनिवर्सिटी रिसर्च जर्नल/वर्ष 5/(खण्ड 4, प्रभाग 1-2, 1970) पृ 99 ।

पुस्तिका हा तो कोष्ठक में 'पुस्तिका' शब्द लिख देना चाहिए । शेष स्थिति पूर्ववत् रहती है ।

(छ) राजकीय प्रकाशनों के प्रयुक्त ग्रंथ—सूची बनाते हुए इस कोटि को अलग रखकर इसके सदर्थों का उल्लेख किया जाना चाहिए—

शुक्ल, केसरी नारायण । “आचार्य रामचन्द्र शुक्ल” में हिन्दी साहित्य में शुक्लजी का स्थान । (प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्गलय) नई दिल्ली । भारत सरकार । जून 1968 ।

इसमें पुस्तिका/पुस्तिका का नाम उद्धरण-चिह्नों में तथा लेख का रेखांकित होता है । प्रकाशक संकेत कोष्ठक में दिया जाय ।

(ज) मपादिन ग्रंथों में सकलित प्रयुक्त लेख—इसकी सूची में पहले लेखक, फिर उद्धरण चिह्नो में पुस्तक का नाम और रेखांकित लेख का नाम देना चाहिए। तदोपरांत मपादक का नाम तथा अन्य जानकारी दी जाती है। यथा—

‘दिनश, रामगोपाल शर्मा। “साहित्यिक अनुसंधान के प्रतिमान” में हिन्दी-पूर्व शिव-काव्य परम्परा। स. ४० देवराज उपाध्याय तथा दिनेश। दिल्ली। नेशनल पब्लिशिंग हाऊस 1969। सस्करण प्रथम।

(झ) साक्षात्कार—शाघार्थी जिन विद्वानों का साक्षात्कार करता है, उन्हें भी उद्धृत तो करता ही है। ऐसे में सदभं—सूची में उनसे किए गए साक्षात्कारों की सूची निम्नानुसार बनाई जानी चाहिए—

द्विवेदी, हजारी प्रसाद, भूतपूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय, वाराणसी। साक्षात्कार 8 दिसम्बर, 1974 को, सन्त-साहित्य म परोक्ष-सत्ता’ के सम्बन्ध में।

(ञ) अभिमत एवं पत्र-व्यवहार आदि—साक्षात्कार की ही भाँति यदि कुछ विद्वानों के पत्राण या अभिमत प्रबन्ध में उद्धृत हों, तो उनकी सदभं—सूची यथा-निम्न बनाई जानी चाहिए—नगेन्द्र (डॉ)/पत्र द्वारा अभिमत/सितम्बर 1975/‘हिन्दी में शोध की स्थिति’ के सम्बन्ध में। शर्मा, विनय मोहन/पत्र-व्यवहार/जून 1975/‘हिन्दी में शोध की प्रगति’ के सम्बन्ध में।

(ट) अनुक्रमणिकाएँ—इस प्रकार सदभं—सूची परिशिष्ट का दूसरा अंग तैयार करती है। इसके उपरांत विषयानुक्रमणिका तथा नामानुक्रमणिका बनाई जाती हैं। कुछ विद्वान इन्हें भी परिशिष्ट का तीसरा अंग मानते हैं, कुछ अन्य का मत है कि ये अनुक्रमणिकाएँ शाघ-प्रबन्ध का अलग अंग हैं। जो हों, शोध प्रबन्ध में इनका विशेष महत्त्व होता है। परीक्षक भी इसका यथेष्ट मूल्य स्वीकार करते हैं। समूचे शोध-प्रबन्ध में आए विषयों को अक्षरादि क्रम से व्यवस्थित करके उनका सम्मुख शोध-प्रबन्ध के उन सभी पृष्ठों की क्रम-संख्या दी जाती है, जिन पर उस विषय से सम्बन्धित कोई भी चर्चा हुई है। यह सूची विषयानुक्रमणिका कहलाती है। नामानु-क्रमणिका में समग्र शोध प्रबन्ध में प्रयुक्त हुई सज्ञाओं की अक्षरादि क्रम से सूची तैयार की जाती है और प्रत्येक सज्ञा-शब्द के सम्मुख प्रबन्ध के उन सभी पृष्ठों के प्राकड दिए जाते हैं, जिन पर वह शब्द प्रयुक्त हुआ होता है।

विषयानुक्रमणिका तथा नामानुक्रमणिका पर किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं होना। इनकी सहायता से शोध-प्रबन्ध में प्रस्तुत कोई भी सदभं या उद्धर्ता कुछ ही क्षणों में खोज लिया जा सकता है, एक-एक पृष्ठ को उलटकर एवं घटो की माथा-पच्ची के उपरांत भी अस्मभावित कार्य इन अनुक्रमणिकाओं से सहज हो जाता है। ये शोध-प्रबन्ध का अन्तिम आभूषण होती हैं।

(घ) शोध-प्रबन्ध के दोष और उनका निराकरण

उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन ही शोध-प्रबन्ध का दोष होता है। प्रबन्ध के शैली-व्यंग्य अथवा शैली-रूप में प्रस्तुत करने में स्थिति में कोई अन्तर नहीं आता, किन्तु अनिर्वाह्य अथवा शैली-व्यंग्य करने की एक तकनीकी विधि है। उससे छिटकने में प्रबन्ध की मर्यादा भंग होने का जोखिम होता है, यही दोष है।

शोध-प्रबन्ध में शोध-प्रकार के दोष हो सकते हैं—

- (i) असुद्ध अध्याय-क्रम।
- (ii) अध्यायान्तगत प्रतिकूल प्रकरणों एवं तथ्यों की व्याख्या।
- (iii) व्यय की सामग्री।
- (iv) सशय-भ्रष्टता।
- (v) गलत उद्धरण।
- (vi) दूषित सदर्भ।
- (vii) विक्षिप्त भाषा।
- (viii) दूषित नाम और तिथियाँ।
- (ix) अपूर्ण ज्ञान।
- (x) असुद्ध शीर्षक।

इन मुख्य दोषों के अतिरिक्त अनेक अन्य दोष भी हो सकते हैं, यथा टक्कन-दोष, प्रमाद युक्त तर्क, हठवादिता, मर्यादा-भंग, अनियमित ग्रन्थ-सूची, दूषित जिल्द, विरुद्ध पृष्ठ-क्रम आदि। शोध-प्रबन्ध को विश्वविद्यालयीन अधिकांशिकाओं को सौंपने से पूर्व इन सब बातों की ध्यानपूर्वक जाच-पड़ताल कर ली जानी चाहिए—कहीं भी उपर्युक्त प्रकार का कोई दोष हो, तो वही उसके निराकरण के लिए बंदम उठाए जाने चाहिए, अन्यथा परीक्षक के नोटिस में आने पर परिणाम भला न होगा।

‘असुद्ध अध्याय-क्रम’ का निराकरण जिल्द बंधवाने से पूर्व बड़ी सुगमता से हो सकता है। आपकी दृष्टि से श्रमबद्ध किए गए अध्यायों में यदि तीसरे को चौथे और चौथे को तीसरे स्थान पर रखने से शोध-विषय के अध्ययन में अधिक गति या क्रम आता जान पड़ता हो, तो इस दोष को दूर करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। निर्देशक या अन्य किसी विद्वान के सकेत करने पर शोधार्थी को इस दिशा में अवश्य विचारना चाहिए। डॉ. पीताम्बर दत्त बडध्याल के प्रसिद्ध शोध-प्रबन्ध ‘हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय’ में प्रदत्त अध्याय-क्रम के सम्बन्ध में डॉ. विनयमोहन शर्मा का विचार है (शोध-प्रविधि, पृ 47, पाद-टिप्पणी) कि यदि चतुर्थ और पंचम अध्याय, पहले अध्याय के बाद रखे जाते तो चिन्तनक्रम-प्रवाह अबाधित रहता। इस प्रकार के दोषों पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करना चाहिए और यदि जरूरत हो, तो अध्याय-क्रम सुगमता से बदला जा सकता है।

अध्यायान्तर्गत प्रतिकूल प्रकरणों या तथ्यों की व्याख्या एक गम्भीर दोष है। इसे लेकर परीक्षक वदाचित् प्रबन्ध के पुनर्लेखन का सुभाव दे सकता है। इसलिए शोधक को इस दिशा में अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। इस दोष का रूप बड़ा विचित्र और दोष-घटोप में अन्तर बड़ा भीना होता है। उदाहरणार्थ आप 'रामचरितमानस' के सामाजिक मूल्यों से सम्बन्धित अध्याय में यदि भ्रम, दर्शन या राम-भक्ति की महत्ता के सम्बन्ध में कोई तथ्य या प्रकरण उद्धाटित करते हैं, तो वह प्रतिकूलता का दोष बन जायगा। आप उक्त तथ्य का निरूपण अवश्य करेंगे, किन्तु सामाजिक मूल्यों के अध्याय की अपेक्षा दार्शनिक अथवा धार्मिक मूल्यों वाले अध्याय में करेंगे। इससे क्रम प्रवाह में बाधा नहीं आयेगी और पाठक को सामाजिक तथा धार्मिक मूल्यों के बीच भीनी रेखा खींचन में कठिनाई नहीं होगी। उक्त प्रकार के दोष प्रायः रूप-रेखा तैयार करने हुए उपजते हैं, इसलिए प्रथम प्रारूप के उपरांत ध्यान से समूचे सामग्री का पुनरान्वीक्षण अनिवार्य माना जाता है। पुनरान्वीक्षण के के समय शोधार्थी तथा निर्देशक सावधानी से प्रकरणों की यथास्थानता की जांच करें तो उक्त दोष से सुरक्षित रहा जा सकता है।

सामग्री सजलित करते समय प्रायः शोधार्थी महत्त्व की दृष्टि से श्रेष्ठ और हीन सब प्रकार की सामग्री के टोप लेना चलता है। अतः तक आते-न आते उसके पाम एक बृहद् ग्रन्थ की सामग्री एकत्रित हो जाती है। इसे सही दिशा में विभाजित और मयोजित करने का नियम है। वहा हमने सकेत किया है कि व्यर्थ की सामग्री को छांट कर अलग कर देना चाहिए। किन्तु सग्राहक को उससे मोह हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वह सजलित सामग्री में से अधिकतर का प्रयोग कर लेना चाहता है। इसी व्यामोह में व्यर्थ स मग्री शोध प्रबन्ध का अंग बननी और दोष-वृद्धि में सहायक होनी है। हम भली भाँति स्मरण है कि जब हमने अपना शोध-प्रबन्ध लगभग आठ सौ हस्तलिखित पृष्ठों में पूरा करके अपने निर्देशक महोदय के सम्मुख प्रस्तुत किया, तो इधर-उधर में देखकर उन्होंने पहला आदेश यही दिया कि इसे 300 पृष्ठों का बनाकर उनका पास लाया जाय। स्वयं की लिखित सामग्री से बड़ी ममता होती है, हम उसमें स पाच सौ पृष्ठों की सामग्री को काट-पीट कर निरस्त करना था। अत्यन्त क्षोभ हुआ, किन्तु आदेश-पालन अनिवार्य था। अन्तिम परिणाम हमारे पक्ष में ही था, किन्तु कभी कभी शोधार्थी के नाते हम मोहाघ हुए दोष को नहीं पहचानते। ऐस में निर्देशक महोदय द्वारा व्यर्थ सामग्री को चिह्नित करते ही एकदम दाप का निराकरण भावी मानुकूलता के लिए अनिवार्य होता है।

वदाचित् शोधार्थी शाघ-विषय की सीमाओं का मकुचन अथवा विस्तार कर बैठता है। शोध अघात् अनुमधान एक-लक्षी अध्ययन का नाम है। उस लक्ष्य से भटक जाना गम्भीर दोष होता है। उदाहरणार्थ 'हिन्दी उन्न्यासों में राष्ट्रीय चेतना' की चर्चा करते हुए यदि शोधक देश की राजनीति अथवा पुरातन सस्कारों की व्याख्या

में ही उलझ जाए और एक दीर्घ परिमाण में इन्हीं वाता को सुलभाने के प्रयास में 'राष्ट्रीय-चेतना' को विस्मृत किए रहे तो इसे लक्ष्य-भ्रष्ट दोष माना जायगा। शोधार्थी मूल विषय के सहयोगी अथवा के रूप में राजनीति या सम्कार की चर्चा कर सकता है, किन्तु जब सहयोगी अथवा मूल विषय पर छा जाते हैं, तो दोष प्रकट है। इसके निराकरण के लिए सामान्य सावधानी की अपेक्षा होती है। सन्तुलित उल्लेख दोष-निवारण का गुर है।

उद्धरणों की गलती भी गम्भीर मानी जाती है। उद्धरण प्रस्तुत करते समय सही पुस्तक या स्रोत का सचेत अनिवार्य है। यदि कवीर के दोहे को तुलसी या रहीम का कह दिया जायगा अथवा किसी के अनुद्ध उद्धरण को ज्यो बा ल्यो उठाकर तथा अपना बहुर विपका दिया होगा तो निश्चय ही दूसरे की बला अपने गले डालने की बात होगी। शोधार्थी को प्रामाणिक उद्धरण ही देने चाहिए। जहां सन्देह हो, वहां या तो प्रामाणिकता की जांच कर लेनी चाहिए या वह उद्धरण देना ही नहीं चाहिए।

उद्धरणों की स्थिति सदर्थों में भी हो सकती है। अननुकूल सदर्थ अथवा अप्रासंगिक सदर्थ दूषित होते हैं। विषयी हुई तथा प्रवाह-हीन भाषा भी दूषित होती है। इस विचार-शृंखला भी टूट जाती है। शोधार्थी को बड़ी परिमाण और गौरव-पूर्ण भाषा में प्रवचन लिखना चाहिए। काव्यात्मक भाषा, सामाजिक भाषा अत्यधिक आल-कारिक भाषा, शाब्द प्रवचन के लिए उपयुक्त नहीं होती। शोध-प्रवचन में जटिल भाषा का प्रयोग संविषय की अस्पष्टता भासित होती है। लेखक को कोई विषय जितना स्पष्ट होगा, वह उतनी ही सरल भाषा में उसे कह सकेगा। यही वास्तव में लेखक के विषय सम्बन्धी अधिकार की पहचान है। उच्च कोटि के विद्वान वही क्लिष्ट, द्विआधिक या जटिल भाषा का प्रयोग नहीं करते।

नामों और तिथियों की गलती का मुख्य कारण उनका इतिहास ग्रन्थों में दूषित सुद्ध हाता है। आकड़ और वह भी बिनापकर देवनागरी के, प्रायः अनुद्ध छपते हैं। 1 और 9 में या 6 और 3 में गड़बड़ हो जाती है परिणामतः तिथियां गलत होती हैं। नाम की भूत मिलात जुलते नामों वाले एकाधिक लेखकों के कारण हो जाती है। मुझे अनेक पत्र ऐसे मिलते हैं जिन पर मेरा पता ठीक लिखा होता, पत्र का विषय भी मुझे ही सम्बद्ध होता है कि तु नाम के स्थान पर 'मनमोहन सहगल' की अपेक्षा 'मनमोहन गोवम' लिखा रहता है। 'मनमोहन मदारिया', 'मनमोहन तमन्ना' या 'मनमोहन सरल' कुछ भी लिखा जा सकता है। इस स्थिति में केवल सावधानी अपनाने वाली है। तिथियों की भूत सुधारण के लिए किसी भी आकड़ की प्रामाणिकता की जांच कर लेना समीचीन होगा। यह जांच इतिहास की सुप्रसिद्ध पुस्तकों अथवा पुरातत्त्व की रपटों से की जा सकती है।

विषय का अपूर्ण ज्ञान अपन-प्राप में एक गम्भीर दोष है। अपूर्ण ज्ञान का

व्यक्ति विषय की सही व्याख्या कर ही नहीं सनता। यदि कबीर के दार्शनिक विचारों पर चर्चा करते हुए शोधार्थी उसमें वे घट्टित-नत्तन को नाम देने का प्रयास करे, और उसे स्वयं घट्टित तथा उसमें विभिन्न प्रकारों का मुख्यवस्थित ज्ञान न हो, तो उसका यह अपूर्ण ज्ञान निश्चय ही उसके शोध-प्रबन्ध को दूषित कर देगा। इसका निराकरण एक मात्र अपेक्षित ज्ञान की उपलब्धि में निहित है। शोधार्थी को उन सब क्षेत्रों का सुव्यवस्थित ज्ञान लब्ध करना होगा और विषय की मुचारा व्याख्या देनी होगी।

शोध-प्रबन्ध के शीर्षक अथवा अध्यायो के शीर्षको-उपशीर्षको में भी भूल हो सकती है। 'गुरु ग्रन्थ साहिब में युग-चेतना' एक प्रशुद्ध शीर्षक है, यह 'गुरु ग्रन्थ साहिब में युगीन चेतना' होना चाहिए। इसी प्रकार अध्याय में 'नवीन जीवन के मूल्य' की 'नवीन जीवन-मूल्य' सही ठहरता है। तात्पर्य यह कि कभी-कभी प्रमादवश ऐसी भूलें शीर्षको में रह जाती हैं, जो अर्थ का अनर्थ बनानी-नी प्रतीत होती हैं। शोधार्थी को इस अवस्था में अतिरिक्त सावधान रहने की आवश्यकता है।

अतिरिक्त दोषों में टक्कन की भूलों को सावधानी-पूर्वक सशोधित करके ही शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस पर 'जल्दी थी', 'समय-समाप्त हो रहा था', आदि बहानों को कोई अवकाश नहीं, न ही इन भूलों का उत्तरदायी टाइपिस्ट को ठहराया जा सकता है। यदि टक्कन ठीक होता, तो क्या उपाधि टाइपिस्ट को मिलने वाली थी? नहीं तो फिर भूलों का दोष उसके माथे क्यों? सावधानी पूर्वक काली स्याही, खड और ब्रेड की सहायता से शोधार्थी को टक्कन की एक-एक भूल दूर करनी चाहिए। प्रमाद युक्त तर्कों से बचाव जरूरी है। ऐसे तर्कों से बदाधित परीक्षक चिढ़ जाता है। लिखने की अपेक्षा तो ऐसे तर्कों को प्रबन्ध में से निकाल देना ही अधिक स्वस्थ है। हठवादिता परीक्षार्थी की शत्रु है। किसी मजहब, सम्प्रदाय, सस्कार या विचारधारा में प्रतिबद्ध होकर गलत बात को भी ठीक ठहराने का प्रयास प्रायः घातक होता है। हमारा सुभाव है कि परीक्षार्थी को इन सब बातों की अपेक्षा करके अपने निष्पक्ष विचार देने चाहिए। निष्पक्ष विचारों के पीछे तर्कों का बल होता है, जो हठवादिता के बल से निश्चय ही अधिक शक्त होता है। मर्यादा-भंग का दोष भी हठवादी दृष्टिकोण से ही आता है। किसी मत, पथ या सम्प्रदाय को बुरा कहना उसके महापुरुषों की आलोचना करना, पूज्य लोगों की खिल्ली उड़ाना, सम्मानित व्यक्तित्वों पर कीचड़ उछालना या सन्तों-महात्माओं पर व्यस्य कसना मर्यादा-भंग कहना है। शोधार्थी निष्पक्ष गवेषक होता है, उसके लिए सब मत-मतान्तर, महापुरुष और सन्त-महात्मा आदरणीय होते हैं। वह सूय-स्वभाव का होता है, सार ग्रहण करता है, थोथा कहीं भी उड़े, उसे क्या! मर्यादा-भंग दोष से बचाव के लिए प्रबन्ध को प्रस्तुत करने से पूर्व ध्यान-पूर्वक एक बार पढ़ लेना चाहिए। कभी प्रमाद-वश ऐसा कोई वाक्य आ भी गया हो, तो उसे काट दिया जाना चाहिए।

सहायक ग्रन्थ-सूची बनाने की विधि पीछे बताई जा चुकी है। जब कभी शोधार्थी अकारादि क्रम से ग्रन्थ सूची नहीं बनाते, वही पुस्तक और वही लेखक का नाम आगे-पीछे देते हैं, प्रकाशन-स्थान, प्रकाशक का नाम, प्रकाशन वर्ष तथा संस्करण नहीं लिखते तो ग्रन्थ-सूची दूषित बहलाती है। इस विधि अनुसार नियमित बनाया जाना चाहिए। जिल्द मजबूत होनी चाहिए। डाक की उठा-पटक में टूट जाने वाली जिल्द का बाहरी प्रभाव घातक हो सकता है। जिल्द बघने से पूर्व पृष्ठों का क्रम एक बार पुनः जांच लेना चाहिए। विवृत पृष्ठ-क्रम या पृष्ठ-लोप भ्रमावधानी और अव्यवस्था के परिचायक हैं। इसलिए परीक्षार्थी के लिए हमारा सुझाव है कि वह शोध-प्रबन्ध लिखते, टंकित करवाते, जिल्द बघवाते और प्रबन्ध के विभिन्न अंगों को तैयार करते समय अतिरिक्त सावधानी अपनाए और विषय-चयन से लेकर प्रबन्ध-प्रस्तुति तक की समूची बालावधि में चौकन्ना ही नहीं, चौमुखा और बहुचेतन भी बनकर रहे।

प्रबन्ध—परीक्षण तथा मौखिकी

सर्वांगीण सावधानी पूर्वक शोध प्रबन्ध तैयार करके परीक्षणार्थ विश्वविद्यालयीन अधिकारियों को सौंप दिया जाता है। विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा प्रबन्ध विषय के प्रतिष्ठित विद्वानों को, व देशी हो या विदेशी, शोध प्रबन्ध के परीक्षक नियुक्त करती है। परीक्षणोपरांत विद्वान परीक्षक प्रबन्ध के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। प्रतिवेदन में प्रायः परीक्षक चार प्रकार की सस्तुति करते हैं—

- 1 उपाधि प्रदान की जाय। मौखिकी उपेक्षित अथवा अनपेक्षित।
- 2 उपाधि प्रदान की जाय, किन्तु प्रकाशन पूर्व सशोधन अपेक्षित।
- 3 प्रबन्ध का पुनर्लेखन अपेक्षित, सुझाव दिए जा रहे हैं।
- 4 प्रबन्ध उपाधि के योग्य नहीं।

परीक्षक सस्तुति के साथ एक विस्तृत प्रतिवेदन भी देता है। यदि उसकी सस्तुति तीसरी या चौथी प्रकार की हो, तो वह शोध-प्रबन्ध के समस्त दोषों और भूलों को उघाड़ता है और सशोधनार्थ कुछ सुझाव भी देता है। ऐसी स्थिति में शोधार्थी प्रायः एकदम घबरा जाता है और अपनी समूची मेहनत पर पानी फिर गया महसूस करने लगता है। किन्तु हमारा मत है कि कठिनाई या विपत्ति का सागर व्यग्रता से नहीं, साहस और निष्ठा से मतारित होता है। शोधक को एकदम घबरा जाने की बजाय, घबरे से कार्य लेना चाहिए। तीसरी प्रकार के प्रतिवेदन में समूचे शोध प्रबन्ध के पुनर्लेखन की आवश्यकता प्रायः नहीं होती। सुझावों के अनुसार कुछ अंशों में परिवर्तन अपेक्षित होता है। केवल उन्हीं अंशों को निकालकर सशोधित एवं पुनः टंकित करवाया जा सकता है। प्रबन्ध की जिल्द दो बार बंधवाने की अपेक्षा होती है।

तीसरे अध्याय के अन्तिम प्रभाग में शोध-प्रबन्ध के सम्भावित दोषों की चर्चा हम कर चुके हैं। परीक्षण के सुझाव लगभग उन्हीं दोषों को दूर करने के लिए होते हैं। किसी तथ्य अथवा प्रकरण को यदि गलत अध्याय के अन्तर्गत रखा गया हो, तो परीक्षक उसे यथा स्थान करने का सुझाव दे सकता है। अध्यायों का क्रम बदलने का सुझाव अथवा किसी अध्याय को सवृचित या विस्तृत करने की बात भी चलाई जा

सकती हैं। टकन की भूले, सन्दभ का अनुपयुक्त प्रयोग वतिपय अधिकारी विद्वानों के मना का अभाव अथवा विषय पर श्रेष्ठतर पुस्तका का न दत्त सक्न का आशय आदि अग परीक्षक क सुझाव बन सकते हैं। ऐसे म शोधार्थी को चाहिए कि वह एव-एक सुझाव के अनुरूप शोध ग्रन्थ की सामग्री को सशोधित कर ल। भ्रान्त निष्कर्षों को स्पष्ट करे और परीक्षक के अनुसार आपक्षित पुस्तका का अवलाकित कर उनकी सामग्री शोध प्रबन्ध म जोड़ ल। दूषित प्रवर्णना का हटाया जा सकता है और वतिपय तथ्यों की व्याख्या परीक्षक व सुझावानुसार की जा सकती है।

यदि सुझाव भाषा सम्बन्धी है, तो अधिक कष्ट का कारण बना करता है। उसका स्पष्ट अभिप्राय यह होता है कि शाय प्रद-उ में प्रयुक्त समूची भाषा का परि-भार्जन करना पडता है। निश्चय ही इस सम्पूर्ण शोध प्रबन्ध म परिवर्तन करना पडता है और सशोधित सामग्री को पुन टकित करके परीक्षक की सन्तुष्टि के लिए प्रस्तुत करना हाता है। भाषा का दोष एक ऐसा दोष है, जो उच्चस्तरीय शोध-छात्र में होना उसे स्तरानुसार अक्षम बना देता है। इसलिए शोधार्थी को प्रबन्ध प्रस्तुत करने से पहले ही अपनी भाषा का सर्वांगीण सर्वेक्षण किसी विद्वान से करवा लेना चाहिए। ऐसा करने की अपेक्षा तभी होती है जब शोधार्थी का भाषा पर समुचित अधिकार न हो।

सशोधित शोध प्रबन्ध की प्रस्तुत करने में वे ही सब शीपचारिकताएँ निभानी पडती है, जो पहली बार मूल प्रबन्ध के समय निभाई गई थी।

यदि परीक्षक चौथे प्रकार की सन्तुष्टि करता है और प्रबन्ध का उपाधि के योग्य नहीं मानता, तो यह स्थिति एक प्रकार से अनुत्तीर्ण होने की स्थिति होती है। सहज ही ऐसे प्रतिवेदन पर शोधार्थी निराश हो उठता है, उसे अपन मन तीन चार वर्ष के परिश्रम पर पानी फिर गया महसूस होने लगता है। किन्तु सवरोग की एक दवा धर्म है, जिसका दामन शोधार्थी को नहीं छाडना चाहिए। एमें म शोधार्थी को परीक्षक के सुझावों को सम्मुख रहते हुए प्रत्येक अध्याय म आवश्यक परिवर्तन करके उसका पुनर्लेख तैयार करना चाहिए। पुनर्लिखित शोध प्रबन्ध को सुझावों की सूची के साथ उसे निर्देशक की स्वीकृति के लिए भी भेजना चाहिए। बहुत सम्भव है कि निर्देशक किसी विशिष्ट सुझाव के अनुपयुक्त सशोधन की और सकेत कर सकें। यदि सम्भव हो तो परीक्षक से पत्र-व्यवहार करके अथवा व्यक्तिगत रूप म मिलकर उसके सुझावों को और अधिक स्पष्ट कर लेना चाहिए। सशोधित और परिवर्तित प्रबन्ध के तैयार हो जाने पर भी ऐसा किया जा सकता है। कदाचित् विश्वविद्यालय की ओर से प्रत्याशी को परीक्षक से भेंट करने की अनुमति नहीं होती। यद्यपि उस परीक्षक का नाम भी नहीं बताया जाता। ऐसी स्थिति म निर्देशक को परीक्षक के सुझावों की

व्याख्या करना चाहिए और शोधार्थी का मही पथ-प्रदर्शन करना चाहिए। पूर्णतः परिवर्तित शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने के लिए शायद विश्वविद्यालय के कुछ निश्चिन नियम होते हैं। आशिक रूप से अस्वीकृत शोध प्रबन्ध छ ही महीने के बाद दोबारा प्रस्तुत किया जा सकता है, किन्तु पूर्णतः अस्वीकृत और पुनर्लिखित शोध-प्रबन्ध सम्भवतः इस छोटे अन्तराल के बाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यदि पूर्ण प्रस्तुतीकरण के लिए कोई काल सीमा निश्चित है, तो शोधार्थी को उपलब्ध समय का अधिकतम लाभ उठाते हुए अपन शोध प्रबन्ध को अधिक से अधिक परिमार्जित और विचार युक्त बना लेना चाहिए।

मौखिकी—कुछ विश्वविद्यालयों में मौखिक अनिवार्य है, अन्य में परीक्षकों की सस्तुति पर मौखिकी का प्रबन्ध किया जाता है। प्रायः प्रत्याशी के पाम जब मौखिकी का निमन्त्रण पहुंचता है, तो वह परीक्षकों के प्रतिवेदन में अपने को उत्तीर्ण समझ लेता है। यह ठीक भी है, किन्तु एक दो प्रतिशत ऐसे अवसर भी होते हैं जिनमें मौखिकी के उपरान्त शोध प्रबन्ध को अस्वीकृत कर दिया जाए। अतः परीक्षार्थी को सावधान रहना चाहिए और यथेष्ट तैयारी के बाद मौखिकी के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। मौखिकी के लिए प्रस्तुत होते समय शोधार्थी को धैर्य, साहस और आत्म विश्वास का सहारा लेना चाहिए। ध्यान देन की बात यह है कि मौखिकी-परीक्षा लेने वाले परीक्षक सहानुभूति पूर्ण और स्नेहशील होते हैं, इसलिए उनके सम्मुख जाते हुए व्यग्रता का कोई प्रश्न नहीं होता। सामान्य शिष्टाचार की अपेक्षा जरूर होती है। शोधार्थी हसमुख भाव से परीक्षा-कक्ष में प्रवेश करे, परीक्षकों को सस्मित अभिवादन दे और उनके द्वारा आदेश दिए जाने पर सामने की कुर्सी पर आसन ग्रहण करे। उपरान्त परीक्षक के प्रश्नों को ध्यान पूर्वक सुने, समझे, समुचित उत्तर और अनुकूल शिष्टता बनाए रखे। परीक्षक के द्वारा जाने के लिए अनुमति दिए जाने पर पुनः अभिवादन कर बाहर चला जाए।

कदाचित् ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि उने परीक्षक महोदय का कोई प्रश्न पूरी तरह समझ न आया हो। उहा शिष्टता की माग है कि “आपका प्रश्न उचित नहीं” की अपेक्षा “क्षमा कीजिएगा मैं प्रश्न की ठीक समझ नहीं पाया” कहना समीचीन होगा। किसी भी प्रश्न पर शोधार्थी द्वारा भाषण का मूड बना लेना अनुपयुक्त है। छोटे और सामान्य प्रश्न का छोटा और सामान्य उत्तर ही योग्य होता है। यदि परीक्षक किसी बात पर जोर दें और शोधार्थी उस सहमन न हो, तो भी अपने मत पर हठ करने की अपेक्षा शोधक को वितय पूर्वक परीक्षक का मत स्वीकार कर लेना चाहिए, और नम्रता पूर्वक उम सुझाव को शोध प्रबन्ध में जोड़ लेने का विश्वास भी दिला देना चाहिए। मौखिकी के समय परीक्षक के सम्मुख शोधार्थी को सलीके से बैठना तथा अशुभ भाव स प्रश्नोंतर देना चाहिए।

मौलिकी में पूछे जाने वाले सम्भावित प्रश्न--सामान्यतः मौलिकी एक शोध-चारिकता होती है। यदि परीक्षक उपाधि-प्रदान करने की मस्तुति कर चुका हो, तो अधिकांशतः वह मौलिकी में शोधक को अनुत्तीर्ण घोषित नहीं करता। इस पर भी वह उत्तीर्ण घोषणा के लिए बाध्य नहीं होता। यदि शोधार्थी के उत्तरों में उसे मन्तोप न हो तो वह आशिक अनुत्तीर्ण की स्पष्ट भी दे सकता है। ऐसे में शोधार्थी को छ या तीन महीने के बाद पुनः मौलिकी के लिए प्रस्तुत होना पड़ता है। किन्तु ऐसी स्थितियाँ दो-तीन प्रतिशत में अधिक नहीं होती।

परीक्षा कक्ष में प्रविष्ट होत ही आम तौर पर परीक्षक पहला प्रश्न यह करता है "प्रश्न में आपकी मौलिक उपलब्धि क्या है?" यह एक प्रश्न है, जो समूचे शोध-प्रबन्ध में प्रसरित होत हुए भी सुगमतापूर्वक दो-चार पंक्तियों में स्पष्ट कर सकना सम्भवतः कठिन होता है। प्रत्याशी इस पर एकदम धबकाकर हकलाने लगता है और अपने समूचे शोध प्रबन्ध के उत्तम प्रभाव को भी धो डालता है। अतः मौलिकी से पूर्व ही प्रत्याशी को ऐसे प्रश्न के लिए मनसा तैयार हो जाना चाहिए। मन में पहले से वह इसका उत्तर गोचर सकता है, निर्देशक से पूछ सकता है, लिखकर याद रख सकता है। शोधार्थी को मौलिकी के लिए प्रस्तुत होने से पूर्व अपने शोध-प्रबन्ध को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। प्रश्न के ही विभिन्न अंगों में शोधक की मौलिक उपलब्धियाँ अथवा प्रतिपादित मत विद्यमान रहने हैं। उन्हीं मतों को स्पष्ट कर देना उक्त प्रश्न का मन्तोपप्रद उत्तर हो सकता है।

परीक्षक प्रायः विषय चुनाव के सम्बन्ध में भी प्रश्न करता है। "आपने यही विषय शोध के लिए क्या चुना? इसमें आपकी रुचि क्यों हुई?" सरीसृप प्रश्न की सम्भावना बराबर रहती है इसलिए शोधार्थी को इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं हो सकता। परीक्षार्थी प्रसन्न मुद्रा में उक्त विषय-चयन के सम्बन्ध में कोई भी सगत कारण बता सकता है। रुचि, विशेष अध्ययन, पारिवारिक वातावरण, जिज्ञासा या पूर्वज्ञान आदि कोई भी कारण प्रश्न का सगत आधार दर्शा सकता है। ऐसे प्रश्नों पर 'निर्देशक द्वारा सुझाया गया' 'शोध मन्त्रिण न बलात् यही विषय दिया,' 'अन्य किसी विषय में पजीकरण सम्भव न था' उत्तर दूषित होते हैं। शोधार्थी को भावधान रहना चाहिए।

एक और सामान्यतः किया जाने वाला प्रश्न सामग्री संकलन के बारे में भी पूछ लिया जाता है। 'आपके शोध-सामग्री-स्रोत क्या हैं?' 'आपने सामग्री किन माध्यमों से साधनों में प्राप्त की?' यह प्रश्न बड़ा सीधा और स्पष्ट है। बिना किसी धबकाहट के कोई भी शोधार्थी इसका उत्तर दे सकता है। इसमें सामग्री संकलन के प्रकाशित

अप्रकाशित स्रोतों की चर्चा की जाती है, पाण्डुलिपियों, सरकारी रपटों, पुरातत्त्व-सामग्री एवं गजेटियर आदि व सदभं उठाए जाते हैं, या विद्वानों से किए माशात्कार अथवा प्राप्त अभिमत के सम्बन्ध में वान की जा सकती है। इस प्रश्न के उत्तर में शोधार्थी अच्छा प्रभाव बना सकता है, केवल कुछ सावधानी और तथ्य ज्ञान की अपेक्षा है।

पुनः प्रकरण, सदभं या तथ्यों के सम्बन्ध में प्रश्न उठाए जाते हैं। अमुक प्रकरण का आधार क्या है? अमुक प्रकरण से आप कौन-सा तथ्य उद्धारित करना चाहते हैं? अमुक प्रकरण का सदभं क्या है? अमुक तथ्य क्यों न अमुक अध्याय में सम्मिलित किया जाय? अमुक अध्याय में ही उसे रखने की हठ क्यों? आदि चर्चा-प्रश्न होने हैं। इन प्रश्नों के सरल एवं छोटे उत्तर अपेक्षित होते हैं। भासा पट्टी देने का प्रयास कदापि नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई विन्दु, किसी कारण वश, शोधार्थी को स्पष्ट न हो, तो उसके लिए अज्ञान स्वीकृति करने में वाई बुराई नहीं। ऐसी स्थिति में यदि परीक्षक कुछ सुभाव द तो उसे भी सविनय स्वीकार करना चाहिए।

कदाचित् शोध प्रबन्ध में व्यक्त किसी पद, कथन या विचार सम्बन्धी व्याख्या भी परीक्षक पूछ सकता है। ऐस अवसर पर अपनी ज्ञान सीमाओं का स्पष्ट प्रकटीकरण करना होगा। प्रकम्प, स्वेद, विवर्ण और वाणी विकास से ऊपर उठकर प्रत्याशी को अपनी बात कह देनी हागी। निर्देशक यदि वही मौजूद हो तो कुछ सहायता सकेत भी दे सकता है। अन्यथा उद्धरण प्रस्तुत करते हुए शोधार्थी के मन में जो भी भावना रही हो, उसे स्पष्ट कहने में कोई सकोच नहीं होना चाहिए।

परीक्षक कभी विषय सम्बन्धी कुछ मूल ग्रंथों की चर्चा करने लगते हैं। ऐसे में परीक्षक के “अमुक ग्रंथ पढा है?” पूछने पर सही उत्तर देना ही समीचीन होता है। बहुधा शोधार्थी अपना प्रभाव गठने के चक्कर में मिथ्या कथन करते हैं और स्वयं उसी पाश में उलझ जाते हैं। शोधार्थी इस दशा में सत्य का दामन पकड़े तो अधिक उपयुक्त रहता है। वह कह सकता है कि उस वे मूल ग्रंथ मिल नहीं सके। परीक्षक का सुभाव उसके लिए सिर माये, ग्रंथ उपलब्ध होने ही वह उन्हें जरूर पढेगा। ऐसा आश्वासन परीक्षक की सद्भावना का पोषण करता है, और परीक्षार्थी व्यथं की परेशानी से बच जाता है।

अब परीक्षक अनौपचारिक अनुशुद्धियों की वान करने लगता है। भासा के अनुशुद्ध प्रयोगों का सकेत देता है, अत्यधिक संकुचन या विस्तार की चर्चा करता है,

टकन की अशुद्धियों की ओर ध्यानाकर्षित करता है, यर्ण या वाक्य-विन्यास की रेख कित भूलें दिखाता है, शीर्षको या उपशीर्षको की अननुकूलता का सकेत देता है, आदि । इस पर परीक्षार्थी का धर्म है कि वह सविनय इन सब भूलो को स्वीकार कर ले, अपनी गलतियों पर क्षोभ प्रकट करे और परीक्षक को आश्वासन दे कि प्रकाशन-काल में इन सभी भूलो का निश्चित सशोधन कर लिया जायगा ।

निष्कर्ष यह कि विनयशीलता, शिष्टता, शोध विषय सम्बन्धी उपयुक्त तैयारी और सरल सक्षिप्त उत्तरो से शोधार्थी मौखिकी पारावार को उल्लिखित पार हो जाइ ।'

